माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

नियम संग्रह

1989–2003

(अक्तूबर,2003 तक के संशोधनों सहित)

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित

NIEPA DC
D12814

इलाहाबाद

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2003

373.236026
UTT-UP

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-12814
DOC, No ....
Date 11-8-2006

प्रस्तावना

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा की पद्धति का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए वर्ष, 1921 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था। तब से परिषद् हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन कर रही है।

परीक्षाओं की विश्वसनीयता, शुचिता तथा प्रमाणिकता को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि विद्यालयों में पठन–पाठन अधिनियम तथा विनियमों के प्रावधानानुसार ही सम्पादित हो। संस्थाओं के प्रधान, शिक्षक, छात्रों तथा अन्य कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का बोध होना आवश्यक है। इसके लिए सर्व सम्बन्धित को अधिनियम तथा विनियमों के प्राविधानों की अद्यावधि जानकारी होना भी आवश्यक है।

इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिषद् द्वारा नियम संग्रह 1989–2003 का नया संस्करण प्रकाशित किया गया है। नवीन संस्करण को यद्यपि अधिनियम तथा विनियमों में किए संशोधनों को सम्मिलित करते हुए अद्यावधि बनाने का प्रयास किया गया है।, फिरभी यदि कोई संशोधन सम्मिलित करने से छूट गया हो तो उसकी जानकारी सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दिया जाना अपेक्षित है।

आशा है कि यह नियम सग्रह छात्रों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यो तथा शिक्षा से जुड़े महानुभावों के शैक्षिक मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होगा।

संजय मोहन
शिक्षा निदेशक(मा0)एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

अनुक्रम–तालिका

धारायें			पृष्ठ संख्या
	इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (1921 का प्रदेशीय अधिनियम सं0 2)		
1–	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	..	1
2–	परिभाषायें	..	2–3
3–	बोर्ड का संगठन	..	3–5
3–क	सदस्य का हटाया जाना	..	5
4–	सदस्यों का पदावधि	..	5
5–	पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति	..	5
6–	निरस्त	..	–
7–	बोर्ड के अधिकार	..	6
7–क	मान्यता के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन	..	7–8
7–ख	डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र को अनधिकृत रूप से प्रदान करने पर प्रतिशेध	..	8
7–ग	संस्था में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभावित करने पर रोक	..	8
7–घ	धारा 7–ख अथवा 7–ग का उल्लंघन करने के लिए शास्ति	..	8
7–ङ	दान का उचित उपयोग	..	8
8–	कतिपय विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति	..	9
9–	राज्य सरकार के अधिकार	..	9
10–	बोर्ड के पदाधिकारी	..	9
11–	सभापति के अधिकार और कर्तव्य	..	10
12–	सचिव की नियुक्ति, उसके अधिकार और कर्तव्य	..	10
13–	समितियों की नियुक्ति और संगठन	..	10–11
14–	बोर्ड द्वारा समितियों को प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग	..	11

धारायें			पृष्ठ संख्या
14—क	अन्तरीक्षक आदि का लोकसेवक होना	..	12
15—	बोर्ड विनियम बनाने का अधिकार	..	12
16—	बोर्ड द्वारा बनाये गए विनियमों का पूर्व प्रकाशन और उनकी स्वीकृति	..	13
16—क	प्रशासन योजना	..	13—15
16—ख	प्रशासन योजना	..	15
16—ग	प्रशासन योजना	..	15—16
16—घ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और दोषों को दूर किया जाना	..	17—21
16—ड	अध्यापकों की नियुक्ति	..	21—22
16—डड—	छटनी किए गए कर्मचारियों का आमेलन	..	22—23
16—च—	चयन समिति	..	24
16—चच—	अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद	..	25
16—चचच—	परीक्षा के दौरान सहायता के लिए उपबन्ध	..	25
16—छ	संस्थाओं के प्रधान अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते	..	26—28
16—छछ—	तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना	..	28—29
16—ज	संस्थाओं को कतिपय धाराओं से मुक्ति	..	29
16—झ	शिक्षा निदेशक द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन	..	29
18—	आकस्मिक रिक्तियाँ	..	30
19—	कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवैध न होगी	..	30
20—	बोर्ड तथा समितियों का उपविधियाँ बनाने का अधिकार	..	30
21—	सदभावना से किए गए कार्य आदि के लिए संरक्षण	..	30
22—	न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक	..	31
	प्रथम अनुसूची धारा 3(1)के खण्ड(ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन	..	31—39
	द्वितीय अनुसूची, सम्बन्धियों की सूची	..	39—40
	तृतीय अनुसूची धारा 16 ग ग के संदर्भ में	..	40
	अधिनियम के अन्तर्गत जारी आदेश तथा विज्ञप्तियां	..	41—74

पृष्ठ संख्या

भाग दो (क)

परिषद् के विनियम

1—अध्याय—एक (प्रशासन की योजना)	..	75
(क) प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य	..	75—76
(ख) आचार्य / प्रधानाध्यापक के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य	..	76—77
(ग) प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य	..	77—78
(घ) प्रशासन की योजना का अनुमोदन	..	78—79
2—अध्याय—दो (संस्था के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्तियां)	..	80—99
परिशिष्ट—क अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यतायें	..	99—133
परिशिष्ट—ख—रिक्ति का प्रपत्र	..	134
परिशिष्ट—ग—साक्षात्कार प्रपत्र	..	134—136
परिशिष्ट—घ—गुण विषयक अंक	..	136
परिशिष्ट—ड—नियुक्ति पत्र	..	136
3—अध्याय—तीन (सेवा की शर्ते)	..	
(क) नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा पदोन्नति	..	137—140
(ख) सेवा की समाप्ति	..	140—142
(ग) दण्ड, जॉच तथा निलम्बन	..	142—147
(घ) वेतनमान तथा वेतनों का भुगतान	..	147—149
(ड) स्थानान्तरण	..	149—151
(च) शिक्षण, अंशकालिक सेवा एवं अन्य लाभ	..	151—152
(छ) कार्य एवं सेवा का अभिलेख	..	152—153
(ज) निर्वाह निधि	..	153—154
(झ) अपील	..	154—158
(ञ) परिशिष्ट—क—स्वमूल्यांकन प्रपत्र	..	159—161
(ट) परिशिष्ट—ग—चरित्रपंजी का प्रपत्र	..	161—162
4—अध्याय—चार (अभिभावक—अध्यापक एसोसियेशन)	..	163—172

पृष्ठ संख्या

भाग दो (ख)

(1)	अध्याय–एक–परिभाषायें	..	172–173
(2)	अध्याय–दो– परिषद्	..	173
(3)	अध्याय–तीन–सचिव	..	173–175
(4)	अध्याय–चार–परिषद् की समितियां	..	175–177
(5)	अध्याय–पॉच–पाठ्यक्रमों की समितियां	..	177–183
(6)	अध्याय–छः– परीक्षा समिति	..	183–185
(7)	अध्याय–छः–क–परीक्षाफल समिति	..	185–186
(8)	अध्याय–छः–ख–अनुचित साधनों के मामलों के निस्तारण के लिए समितियां	..	187–188
(9) (क)	अध्याय–सात–परिषद् द्वारा संस्थाओं को मान्यता (वर्ष.2000 का संशोधन)	..	188–200
(9) (ख)	अध्याय–सात–परिषद् द्वारा संस्थाओं को मान्यता (वर्ष.2002 का संशोधन)	..	200–217
(10)	अध्याय–आठ– वित्त समिति	..	217–218
(11)	अध्याय–नौ–पाठ्यचर्या समिति	..	218–219
(12)	अध्याय–दस–महिला शिक्षा समिति	..	219
(13)	अध्याय–ग्यारह–छात्रों का निवास	..	219–220
(14)	अध्याय–बारह–परीक्षायें (सामान्य विनियम)	..	220–247
(15)	अध्याय–तेरह– हाईस्कूल परीक्षा	..	247–253
(16)	अध्याय–चौदह–इण्टरमीडिएट परीक्षा	..	253–267
(17)	अध्याय–चौदह(क)–इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा	..	267–270
(18)	अध्याय–सोलह–प्रकीर्ण	..	270–271

भाग–तीन

परिषद् की उपविधियां	..	271–278
परिशिष्ट 'क' एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन विधि	..	278–286

भाग–चार

(क) परिषद् के अधिकारी	..	286
(ख) परिषद् के सदस्य	..	287–288

पृष्ठ संख्या

भाग–पाँच

(1) परीक्षक, अंकेक्षक, परिनिरीक्षक, सन्निरीक्षक, प्रश्नपत्र निर्माता और परीसीमनकर्त्ताओं की पात्रता, नियुक्ति और हटाये जाने के नियम .. 288–295

(2) अनिवार्य हिन्दी से छूट के नियम .. 295–296

(3) पूर्णांक तथा न्यूनतम अंक .. 296–297

भाग–छः

(1) यात्रा भत्ता नियम .. 297–303

(2) पारिश्रमिक की दरें .. 304–310

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

भाग—एक

*इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921

(1921 का प्रदेशीय अधिनियम संख्या 2)

एक माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा की पद्धति का विनियम और पर्यवेक्षण करने के संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लेने के लिए तथा उसके लिए पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक परिषद की स्थापना की जाय।

अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम,विस्तार और आरम्भ

1— (1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक † से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दें।

---

* उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट,1921,भाग 7,पृष्ठ 18 देखिये। प्रवर समिति(सेलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट के लिए गजट,1921, भाग 8, पृष्ठ 577 देखिए। विचार-विमर्श के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् दिनांक 2 अप्रैल,1921, 4अप्रैल,1921, 25 जुलाई, 1921, 26 जुलाई,1921, तथा 27 जुलाई,1921 का कमशः खण्ड 2 में पृष्ठ 635 पर, खण्ड 2 में पृष्ठ 676–706 पर ,खण्ड 3 में पृष्ठ 54 पर,खण्ड 3 में पृष्ठ 111–160 पर तथा खण्ड 3 में पृष्ठ 179–243 पर प्रकाशित कार्यवाही देखिए।

[1941 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या पॉच,1950 के अधिनियम संख्या 4,1958 के अधिनियम संख्या 35 तथा 1959 के अधिनियम संख्या 6 तथा 1972 के अधिनियम संख्या 29 एवं 1975 के अधिनियम संख्या 26 तथा 1977 के अधिनियम संख्या 5 तथा 1978 के अधिनियम संख्या 12 एवं 1981 के अधिनियम संख्या 1 तथा 9 एवं 1982 के अधिनियम संख्या 5 एवं अधिनियम संख्या 18 सन् 1989 द्वारा संशोधित।]

[भारत सरकार के 1937 के आदेश(एडप्टेशन आफ इडियन लाज द्वारा अनुकूलित और आशोधित),राज्यपाल की अनुमति 30 सितम्बर,1921 को तथा गर्वनर जनरल की अनुमति 10 सितम्बर,1921 को प्राप्त तथा भारत सरकार अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत 7 जनवरी,1922 को प्रकाशित]

† यह अधिनियम 1 अप्रैल 1922 को प्रवृत्त हुआ।

परिभाषाएं

2– जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बने समस्त विनियमों में––

(क) "**बोर्ड**" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है,

(कक) "**केन्द्र**" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियत की गई संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू–गृहादि भी सम्मिलित है,

(ककक) "**निदेशक**" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश से है* और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाय इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक भी हैं,

(ख) "**संस्था**" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज,हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाईस्कूल से है,और जहाँ संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो,इसके अन्तर्गत संस्था का भाग भी है, और 'संस्था के प्रधान' का तात्पर्य ऐसी संस्था के, यथास्थिति, प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक से है,

(खख)"निरीक्षक**" का तात्पर्य,यथास्थिति ,जिला विद्यालय निरीक्षक से,और बालिकाओं के लिए संस्था की स्थिति में,सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है,और प्रत्येक स्थिति में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है,

(खखख) "**अन्तरीक्षक**" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है,जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करें,

***(ग) "**विहित**" का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है,

(घ) "**मान्यता**" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता से है,

†(घघ) "**सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक**" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी शिक्षा उप–निदेशक से है और इसमें सम्भागीय उप निदेशक के समस्त कर्त्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है।

---

* इण्टरमीडिट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 2 की उपधारा (ककक) संशोधित हुई।

** **टिप्पणी–** विज्ञप्ति संख्या ए–एक–4785/पन्द्रह–1677–59,दिनांक 13 अक्तूबर,1959 द्वारा सहयुक्त विद्यालय निरीक्षक,नैनीताल को अपने जिले में अधिनियम की धारा 16–क से 16–झ तक के सम्बन्ध में निरीक्षक के समस्त कर्त्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत किया गया।

*** माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम,1975 द्वारा धारा (ग) बढाई गई।

† **टिप्पणी–** विज्ञप्ति संख्या ए–एक 4785/पन्द्रह–1677–59, दिनांक 13 अक्तूबर,1959 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक,नैनीताल को कुमांयू सम्भाग में अधिनियम की धारा 16–ए से 16–आई तक के सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक के समस्त कर्त्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत किया गया।

(ङ) **"विनियम"** का तात्पर्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों से है।

(च)**"राज्य सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(छ)**"केन्द्र अधीक्षक"** का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से है और उसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित है।

बोर्ड का संगठन

†3–(1) बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होगें,अर्थात्––

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के,राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रधान;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के,राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट,दो अध्यापक;

*(ग) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के **बारह प्रधान और ऐसी संस्थाओं के **बारह अध्यापक:

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन निर्वाचन के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि वह संस्था का स्थाई प्रधान या,यथास्थिति, ऐसा स्थायी अध्यापक न हो जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुभव रखता हो–––

*(घ) विलोपित––

(ङ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित [कृषि या अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न] विश्वविद्यालयों या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज) के,राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट,पॉच अध्यापक;

---

†माध्यमिक शिक्षा विधि(संशोधन) अधिनियम,1975 द्वारा धारा–3 संशोधित हुई।

* उ0प्र0 शिक्षा विधि अधिनियम, 1978 द्वारा धारा–3 की उपधारा (1) का खण्ड(ग) पुनः संशोधित हुआ तथा खण्ड (घ) विलोपित हुआ।

** इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1981 द्वारा संशोधित।

(च) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक;

(छ) अभियन्त्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला,राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक;

(ज) मेडिकल कालेज का राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक आचार्य(प्रोफेसर);

(झ) राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित पाँच सदस्य;

(ञ) राज्य विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित तीन सदस्य;

(ट) शिक्षा से समबद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट,पॉच व्यक्ति;

(ठ) महिला शिक्षा से सम्बद्ध,राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट,तीन महिला;

(ड) प्राविधिक शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश,पदेन;

(ढ) उद्योग के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि;

(ण) प्राचार्य (प्रिंसिपल),महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय,इलाहाबाद पदेन;

(त) निदेशक,राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान,इलाहाबाद पदेन;

(थ) प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान,इलाहाबाद पदेन;

(द) प्राचार्य,राजकीय शिक्षा संस्थान,इलाहाबाद,पदेन;

(ध) प्राचार्य,राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय,लखनऊ,पदेन;

(न) निदेशक,मनोविज्ञान केन्द्र,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद,पदेन;

(प) आयुक्त,केन्द्रीय विद्यालय–संगठन,नईदिल्ली,पदेन;

(फ) राज्य सरकार द्वारा,नाम निर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक;

(ब) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका;

(भ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,नई दिल्ली, का उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट,एक प्रतिनिधि;

(म) बोर्ड का सचिव,पदेन,जो बोर्ड का सदस्य–सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार अल्प संख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूपसे अन्यथा नहीं हुआ है, , प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए पॉच व्यक्तियों से अनाधिक को बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकती है।

*(3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और नाम–निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के खण्ड (झ) या खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

सदस्य का हटाया जाना

3—(क) राज्य सरकार बोर्ड से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है,जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरूपयोग किया हो कि जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिए हानिकर हों।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

सदस्यों की पदावधि

4—(1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे सदस्यों के पद की अवधि एक बार में †6 माह से अनधिक समय के लिए इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर †एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायेगा।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति

†5– राज्य सरकार धारा 4 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व बोर्ड के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी।

†6– [निकाली गई]।

---

* उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधन हुआ।

** माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

† उ0प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित हुआ।

बोर्ड के अधिकार

7– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार होगें अर्थात्-

*(1) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना।

(1–क) ऐसे पाठ्य–पुस्तक,अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का,दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण।

(2) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करनाः–

(क) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, जिसे बोर्ड द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हों, या

(ख) जो अध्यापक हों, या

(ग) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तो के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तो के अधीन बोर्ड की परीक्षायें उत्तीर्ण की हो।

(3) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना;

(4) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(5) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(6) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना,जो विनियमों में विहित किए जांय ;

*(7) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;

(8) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना,जो बोर्ड अवधारित करें;

(9) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;

(10) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना,जिससे वह सम्बन्धित हो;

(11) बजट में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मॉगों की अनुसूचियों को देखना,जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझें तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(12) ऐसे अन्य समस्त कार्यो और बातों को करना, जो हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संगठित किए गए बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।

---

* माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा बढ़ाया गया।

मान्यता के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन

*7–क–धारा 7 के खण्ड(4) में किसी बात के होते हुए भी,

किसी नये विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए किसी संस्था का मान्यता

(क) बोर्ड,राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से,किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दे सकता है।

(ख) निरीक्षक किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है।

मूल अधिनियम की धारा अंशकालिक अध्यापकों या अंशकालिक अनुदेशकों का सेवायोजन

7–कक—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण—

(एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापक को,धारा 7–क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दी गई है,उसमें,या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिए अनुज्ञा दी गई है,उसमें शिक्षा देने के लिए;

(दो) अंशकालिक अनुदेशक को,नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य के लिए किसी व्यापार या शिल्प या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिए, अपने श्रोत से सेवायोजित कर सकता है।

(2) धारा 7–क के अधीन कोई मान्यता और अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध समिति निरीक्षक को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति न दे जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) किसी संस्था में किसी अंशकालिक अध्यापक को तब तक सेवायोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी शर्तों का जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय,अनुपालन न किया जाय।

(4) कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम अर्हतायें,जैसी निहित की जाय,न रखता हो।

(5)किसी अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय।

(6) इस अधिनियम की कोई बात किसी संस्था में अध्यापक के रूप में पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति को धारा 7–कक के अधीन अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक के रूप में सेवायोजित किए जाने से प्रवारित नहीं करेगी।

---

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 वर्ष 1987) 14 अक्तूबर, 1986 से प्रवृत्त।

छूट — 7–कख–उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज(अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम,1982 की कोई बात धारा 7–कक के अधीन किसी संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

*7–ख– कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान,अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान,अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा,जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी,गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा,जिसके वर्णन में उसके हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति–युक्त प्रकल्पना हो,उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभावित करने पर रोक

*7–ग– किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसे संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने **की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान,दान,फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय,चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

धारा 7–ख अथवा 7–ग का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

*7–घ–धारा–7–ख अथवा 7–ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए करावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से भी जो एक हजार रूपये से कम न होगा दंडित किया जा सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को,जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है,इसी प्रकार दंडित किया जा सकेगा।

दान का उचित उपयोग–

*7–ङ–जहॉ किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है,अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहॉ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिनके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा, जिसका संचालन, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।

---

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा सम्मिलित।

* उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1977 द्वारा संशोधित।

कतिपय विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति

8– इस अधिनियम में दी गई किसी बात का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय *के संगठन,अधिकार या कृत्यों पर उस समय तक कोई प्रभाव न पड़ेगा जब तक लिखित रूप में उनकी सहमति अभिलिखित न की गई हो।

राज्य सरकार के अधिकार–

9–(1)– राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा संचालित अथवा किए गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में,जिसमें बोर्ड सम्बन्धित हो,बोर्ड को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

(2) बोर्ड राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की,यदि कोई हो,सूचना देगा।

(3) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है,जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

**(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो,तो वह बोर्ड के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किए बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार,विखण्डन या रचना कर सकती है और तदनुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।

**(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायगी।

बोर्ड के पदाधिकारी

10– बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें:–

(1) सभापति,

(2) सचिव,

(3) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित किया जाय।

---

* उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 द्वारा इस धारा से शब्द "या लखनऊ विश्वविद्यालय" हटाया गया।

** माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा उपधारा (4) संशोधित हुई तथा उपधारा (5) बढाई गई।

सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

11—(1) सभापति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है,और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होगें।

*(2) सभापति को बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर बोर्ड की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किए जाने वाले कार्य का उल्लेख हो,बैठक बुलायेगा।

(3) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमें सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो,सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् बोर्ड को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जांय।

सचिव की नियुक्ति,उसके अधिकार और कर्त्तव्य

12—*(1) सचिव को राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तो पर और ऐसी अवधि के लिए नियुक्ति किया जायेगा, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(2) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सचिव बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह वार्षिक अनुमान और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वह यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियॉ उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाती है,जिसके लिए वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गयी हो।

(4) वह बोर्ड का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

**(4—क) वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो।

(5) वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जांय।

समितियों की नियुक्ति और संगठन

**13—(1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न—भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न—भिन्न समितियॉ नियुक्त की जा सकती हैं, अर्थात्——

(क) पाठ्यक्रम समिति,
(ख) परीक्षा समिति,
(ग) परीक्षाफल समिति,
(घ) मान्यता समिति, और
(ङ) वित्त समिति।

---

*माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा—11 की उपधारा(2) तथा 12 की उपधारा (1) संशोधित हुई।

** माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा—12 में उपधारा (4—क) बढाई गई तथा उपधारा (6) निकाली गई तथा धरा 13 संशोधित की गई।

(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होगें और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक–एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सकेः–

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ग) में उल्लिखित संस्थाओं के प्रधान,

(ख) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा *(ग) में उल्लिखित अध्यापक,

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ), (च), (छ) तथा (ज) में उल्लिखित अध्यापक तथा आचार्य,

(घ) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) तथा (ञ) में उल्लिखित विधायक,

(ङ) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ट), (ठ) तथा (ढ) और धारा 3 उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति,

(च) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ड), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प), (फ), (ब) तथा (भ) में उल्लिखित व्यक्ति:

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इन समितियों में एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी बोर्ड की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त,बोर्ड अन्य समितियॉं,यदि कोई हो, जो विहित की जाय, नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियॉं नियुक्त की जा सकती हैं।

(4) इन अतिरिक्त समितियों का गठन ऐसी रीति से होगा जो विहित की जाय और इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिए होगा जो विहित किया जाय।

बोर्ड द्वारा समितियों को प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग

14– इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदान किए गए ऐसी अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें बोर्ड ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो,उक्त समिति को अभिदिष्ट किए गए समझे जायेगें और बोर्ड ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

---

*उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित।

अन्तरीक्षक आदि का लोक सेवक होना

14–क–(1) बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा या परीक्षाओं की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के एक महीने पूर्व की अवधि में तथा उनके तुरन्त बाद दो महीने की अवधि तक किसी केन्द्र के अधीक्षक को तथा अंतरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन लोक सेवक समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि में किसी केन्द्र के अधीक्षक या किसी अन्तरीक्षक पर किया गया कोई हमला या उनके साथ किया गया कोई आपराधिक बल–प्रयोग किसी लोक सेवक द्वारा उसके लोक–कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में स्वेच्छा से डाली गयी बाधा समझी जायगी और वह प्रसंज्ञेय अपराध होगा।

बोर्ड का विनियम बनाने का अधिकार

15–(1) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकता है।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकता है–

(क) समितियों का संगठन,उनके अधिकार और कर्त्तव्य,

(ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्रों का प्रदान करना,

(ग) बोर्ड की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की मान्यता प्रदान किए जाने की शर्ते,

(घ) समस्त प्रमाण–पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्य–क्रम,

(ङ) वे शर्ते जिनके अधीन अभ्यर्थी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रविष्टि किए जायेगें और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्रों के पाने के पात्र होगें,

(च) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क,

(छ) परीक्षाओं का संचालन,

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा बोर्ड की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य और अधिकार,

(झ) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग)** के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन,

(ञ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना,

(ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके,

(ठ) वे शर्ते जिनके अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिए जायेगें,

*(ड) अभिभावक–अध्यापक एसोशियेशन की रचना।

---

* उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

** उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित।

बोर्ड द्वारा बनाये गए विनियमों का पूर्व प्रकाशन और उनकी स्वीकृति

*16–(1) धारा 15 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाये जायेगें और गजट में प्रकाशित किए जायेगें,

(2) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियिम को परिष्कार रहित या ऐसे परिष्कार सहित,जिसे वह उचित समझे,स्वीकृत कर सकती है।

● प्रशासन योजना

16–क–(1) किसी विधि,लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासनयोजना होगी (जिसे एतत्पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है) चाहे उस संस्था को इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1958 के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जायगी, जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का अधिकार प्राधिकार निहित होगा। संस्था के* प्रधान तथा उसके दो अध्यापक,जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से नियमों द्वारा विहत रीति से चुने जायेगें, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होगें और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

टिप्पणी–1– विज्ञप्ति संख्या सी–डी–2439/40–एम–66–59–60, दिनांक 23 सितम्बर, 1959 तथा संख्या सा–1–6002–21/14–63(11)–70–71 दिनांक 23 अगस्त,1970 द्वारा शिक्षा निदेशक ने अधिनियम की धारा 16–झ के अनुसार धारा 16–क(5), 16–ख व 16–ग के अपने समस्त अधिकार निम्नवत् प्रतिनिधायित कर दिए हैं––

" सम्भागीय, शिक्षा उप निदेशक,आगरा, मेरठ,............................अपने–अपने सम्भाग में।
नैनीताल, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद
गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व झाँसी

शिक्षा उप निदेशक (अर्थ) मुख्यालय, इलाहाबाद.................. सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश"

किसी भी सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा निर्देशित स्थिति में इन प्रतिनिधायन में नैनीताल, शिक्षा निदेशक की विज्ञप्ति संख्या–जी(1)–2197/चौदह–63(553)–64–65, दिनांक 01 अक्तूबर, 1964 द्वारा एवं फैजाबाद तथा झाँसी विज्ञप्ति संख्या: सा–1–6002–51/14–63 (11)–70–71, दिनांक 23 अगस्त, 1970 द्वारा आया है तथा शिक्षा उप निदेशक(अर्थ) विज्ञप्ति संख्या– जी(1)–1330/49–23–61–62, दिनांक 30 सितम्बर, 1961 द्वारा उप शिक्षा संचालक (विद्यालय प्रबन्ध) के स्थान पर हुआ है।

टिप्पणी–2–अधिसूचना सं0 मा0–2450/15–7–8(4)–75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार धारा 16–क की उपधारा (1), (2), (4), (5) और (6) के उपबन्ध किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्था पर लागू नहीं होगी।

---

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

**(3) विनियमों के अधीन रहते हुए प्रशासन योजना में संस्था के यथास्थिति *प्रधान तथा प्रबन्ध समिति के अलग–अलग अधिकार,कर्त्तव्य और कृत्य भी बताये जायेगें।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किए जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग–अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

*प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर ,यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय की प्रशासन योजना में वैयक्तिक संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तद्नुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) तक तथा धारा 16–ख और 16–ग के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

†(7) जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई विवाद हो,तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा ऐसी जॉच करने पर जिसे उचित समझा जाय,उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, गठित ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती हे जब तक कि सक्षम अधिकारतायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे।

---

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा संशोधित।

** अधिसूचना संख्या मा/3082/15–7–8(4)–75, दिनांक 12 जुलाई, 1982 के अनुसार धारा 16–क की उपधारा (3) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में निम्नांकित रूप में लागू होगी—"किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं की स्थिति में, अवर सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति और दण्ड से सम्बन्धित विषयों के सिवाय, सम्बद्ध संस्था के प्रधान और स्थानीय निकाय की ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में अपनी–अपनी शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य, यथावश्यक परिवर्तनों सहित,वहीं होगें जो क्रमशः प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक और प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विहित किए गए हों।"

† इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा अधिनियम की धारा 16 में उपधारा (7) जोड़ी गयी।

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व प्रतिद्वन्दी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण--इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

*16-ख-†(1) किसी संस्था के इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1958 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व ही मान्यता प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त प्रारम्भ के दिनांक से 6 महीने के भीतर तथा अन्य समस्त दशाओं में मान्यता प्राप्ति के लिए दिए गए आवेदन-पत्र के साथ प्रशासन योजना का प्रारूप तैयार किया जायेगा ओर उसे धारा 16-ग के अनुसार निदेशक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) यदि कोई संस्था,जो इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1958 के पूर्व मान्यता प्राप्त कर चुकी हो,उपधारा(1) के उपबन्धों का तदर्थ नियत अवधि के भीतर पालन न करे तो निदेशक ऐसी संस्था को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें उससे तीन महीने की और अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के पूर्व संस्था द्वारा अभ्यावेदन किए जाने की दशा में निदेशक अपने विवेकानुसार अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा सकता है।

(3) यदि दिए हुए समय के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत न की जाय तो निदेशक धारा 16-घ की उपधारा (3)** के अनुसार कार्यवाही करेगा।

†16-ग-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय, या तो धारा 16-ख के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रशासन योजना प्रारूप को स्वीकृत करेगा या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव देगा। यदि निदेशक प्रशासन योजना में किसी परिवर्तन या परिष्कार का इस प्रकार से सुझाव देगा तो वह उसके लिए अपने कारण बताते हुए संस्था की ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए संस्था को उसकी एक प्रतिलिपि भेजेगा:

---

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

† अधिसूचना संख्या मा-2450/पन्द्रह-7-8(4)-7, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार धारा 16-ख तथा 16-ग के उपबन्ध किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगें।

** इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16-ख की उपधारा(3) में से शब्द [के खण्ड (क) या (ख)] हटाये गए धारा 16-ग में उपधारा (1) में शब्द " प्रशासन योजना की स्वीकृति प्रदान करने के सिद्धान्तों को शासित करने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द ' इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए' किए गए।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना–प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गयी समयावधि के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो प्रशासन योजना प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा।

(2) निदेशक उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और वह प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उक्त उपधारा के अन्तर्गत सुझाये गए परिवर्तन या परिष्कार के अधीन रहते हुए या ऐसे किन्हीं अन्य परिवर्तनों सहित, जो उसे न्याय संगत और उचित प्रतीत हो,स्वीकृत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना में कोई नया परिवर्तन या परिष्कार करने का प्रस्ताव करे तो वह संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय,अभ्यावेदन करने का अवसर देगा।

*16–गग– किसी ऐसे संस्था,जिसे इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1980 के प्रारम्भ के/पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना तृतीय अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तो से असंगत न होगी।

*16–गगग(1) जहॉ किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1980 के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय धारा 16–क, या धारा 16–ख या धारा 16–ग के अधीन अनुमोदित हों या अनुमोदित समझी गई हों और ऐसी प्रशासन योजना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हों,वहॉ निदेशक प्रशासन योजना में कोई परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसे प्रारम्भ के तीन** मास की अवधि के भीतर भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिए अपने कारणो का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय,अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा।

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गए किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहॉ वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जिसे यह विनिर्दिष्ट करें, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

---

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16ग में उपधारा (गग) तथा (गगग) बढाई गई।

** इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1980 द्वारा संशोधित।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और दोषों को दूर किया जाना

*16–घ †(1) निदेशक किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय–समय पर निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक को यह समाधान हो जाय कि:—

(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या

(दो) समिति ऐसे अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या *विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी–वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है, या

(तीन) भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के सम्बन्ध में किसी विवाद से,सम्बद्ध संस्था के निर्वाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, या

(चार) समिति संस्था के लिए ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन–सामग्री प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक है व्यवस्था करने में लगातार विफल रही है, या

(पॉच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है,उसका दूरूपयोग या दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम,1974 के उपबन्ध का उल्लंघन करके अन्तरित किया है, या

(छ:) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा–16–ख के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

---

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा संशोधित।

† अधिसूचना संख्या मा–2450/15–7–8 (4)–75, दिनांक 13 जून,1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में––

(1) धारा 16–घ की उपधारा (2), (3), (4–क) तथा (4–ख) में जहॉ कहीं भी शब्द "प्र[illegible]धिकरण" आया है उसके स्थान पर "सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दि[illegible] गए है।

(2) धारा 16–घ की उपधारा (4) (ग) (घ) और उपधारा (4) के तृतीय परन्तुक के उपबन्ध लागू नहीं होगें।

(3) धारा 16(घ) की उपधारा (5) से (7) में जहॉ कहीं भी शब्द "प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर 'सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिए गए हैं।

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व अनुमोदित की गयी हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 16—गगग के अधीन नोटिस दिए जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है,

तो वह मामले को ऐसी संस्था को मान्यता वापस लेने के लिए बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनाक से तीस दिन के भीतर यह कारण बतायें कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) जहॉ किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढाये गए समय के भीतर,जैसा निदेशक समय—समय पर अनुमति दें, कारण बताने में विफल रहे,या जहॉ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहॉ वह उस संस्था के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है,और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगें किसी व्यक्ति को(जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाय,ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है,तो वह समय—समय पर उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी वह विनिर्दिष्ट करें, इसप्रकार बढा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है,किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी,पॉच वर्ष से अधिक न हो,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पॉच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधिपूर्ण गठन हो गया है।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खण्ड(तीन) या खण्ड (पॉच) में उल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी,ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बतायें कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय।

(6) जहॉ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, या ऐसे बढाये गए समय के भीतर,जैसा राज्य सरकार समय—समय पर अनुमति दे,कारण बताने में विफल रहती है या जहॉ प्रबन्ध—समिति द्वारा बताये गए कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा(3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पॉच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान हो वहॉ वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित

किए जायेगें ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगें।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किए जाने के दिनांक को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील के दिनांक को अन्तिम रूप से निरतारित न की जा चुकी हो उक्त दिनांक से स्थगित समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गई नोटिस उन्मोचित की जाय तो उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खण्ड (तीन) और (पॉच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायेगी।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेगें प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन उस दिनाक से जब वह प्रभावी हो छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– (एक)– सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में उतनी अवधि को अपवर्जित किया जायेगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, निलम्बित किया गया हो।

(दो)–उपधारा (4) या उपधारा (6) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहत करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उपधारा (4) या उपधारा(8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य–क्रम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित अनुदान प्राप्त करने (शर्त के रूप में) की शक्ति है।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिए आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(12) उपधारा (3) के अधीन किए गए निदेश के अनुसरण में बोर्ड द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होगी, न कि उनका अल्पीकरण करेगी।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

*16–घघ (1) जहाँ धारा 16–घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय,वहाँ——

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होगें, जैसे समिति को प्राप्त होते यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में सस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 16–घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश के दिनांक को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिए उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

---

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिए जाने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता या करा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण– इस धारा और धारा 16–घ में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के सम्बन्ध में,"सम्पत्ति"के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), निर्माण–कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण उपस्कर, फर्नीचर, लेखन–सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाडियाँ, यदि कोई हो, सम्मिलित है और संस्था से सम्बन्धित अन्य वस्तुए, हस्तस्थ, नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और बही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी है और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।

अध्यापकों की नियुक्ति

*16–ङ †(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किए जायेगें।

(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद,सिवाय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए विहित सीमा तक निरीक्षक की रिक्ति की सूचना देने और रिक्ति को कम से कम दो समाचार–पत्रों में जिनका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञप्ति करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि विनियमों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता उसके पास न हो।

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति भी जिसके पास ऐसी अर्हता न हो नियुक्त किया जा सकता है, यदि बोर्ड ने उसकी शिक्षा, अनुभव और अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उसे अर्हता मुक्त कर दिया हो।

**(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण मेंसंस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, निरीक्षक को दिया जायगा।

**(5) (एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निरीक्षक ऐसे प्रत्येक आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रकिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन–पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

*(दो) आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी;

---

* माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

† अधिसूचना संख्या मा–2450–15–7–8(4)–75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16–ङ में जहाँ कहीं भी शब्द " प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर शब्द " सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिए गए हैं।

** उ0प्र0 शिक्षा विधि(संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित ।

(6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें प्रत्येक पद के नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गए यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान कम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश समिति को संसूचित करेगी।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति कर सर्वप्रथम चयन समिति के प्रथम अधिमान्यता प्राप्त अभ्यर्थी की और उसके पद ग्रहण करने में विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी।

(8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में निरीक्षक को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) यदि नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायगा।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर सकता है और ऐसे परिणामी आदेश दे सकता है, जो आवश्यक हो।

(11) पूर्ववर्ती उपधाराओं की किसी बात के होते हुए भी किसी पदासीन व्यक्ति को छः माह से अनधिक अवधि के लिए अवकाश के अनुदान से या किसी शिक्षा सत्र के दौरान किसी पदासीन व्यक्ति की मृत्यु या सेवा *समाप्ति या अन्य प्रकार* से उत्पन्न होने वाले अस्थायी रिक्ति की दशा में नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा चयन समिति को निर्देश किए बिना ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन की जा सकेगी जो विहित की जाय।

**प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई नियुक्ति, किसी भी स्थिति में, उस शिक्षा सत्र के जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई हो, समाप्ति के पश्चात् बनी नहीं रहेगी।

छटनी किए गए कर्मचारियों का आमेलन–

† 16–ङङ–(1) जहां किसी संस्था के किसी कर्मचारी की छटनी 1 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो, और ऐसा कर्मचारी मूल नियुक्ति के दिनांक को उसके लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, वहाँ सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक इस निमित्त आवेदन–पत्र दिए जाने पर निदेश देगा कि इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कर्मचारी को उसी संस्था में या उसकी अधिकारिकता के भीतर किसी जिले में स्थित किसी अन्य संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में आमेलित किया जाय।

---

* माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

** उ0प्र0 शिक्षा विधि(संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित ।

† इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16–ङङ बढ़ाई गई।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् छटनी किए गए किसी कर्मचारी के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, सम्बद्ध कर्मचारी के आवेदन–पत्र के बिना इस धारा के अधीन निदेश देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1980 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के भीतर दिया जायगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा कोई निदेश जारी किया जाय, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होगें, अर्थात्––

(एक) सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और ऐसे कर्मचारी को, जिसके पक्ष में ऐसा निदेश दिया जाय, समिति द्वारा उसे जारी किए गए नियुक्ति आदेश के दिनांक से या उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध समिति पर निदेश तामील किए जाने के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति से, जो भी पहले हो, ऐसी संस्था का कर्मचारी समझा जायेगा।

(दो) ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी छटनी के दिनांक के पूर्व किसी संस्था में की गई मौलिक सेवा की अवधि की गणना उसकी ज्येष्ठता और पेन्शन के प्रयोजनों के लिए की जायेगी।

(तीन) जहाँ सम्बद्ध कर्मचारी पद का कार्यभार इस निमित्त दिए गए समय के भीतर ग्रहण करने में चूक करता है, वहाँ इस धारा का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिए गए निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश की तामील के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है, और उस पर निदेशक का आदेश अन्तिम होगा।

(5) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होगें।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थः–

(क) किसी संस्था के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' का तात्पर्य उस संस्था के ऐसे अध्यापक, संस्था के प्रधान या अन्य कर्मचारी से हैं जो छटनी के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को, स्थायी पद पर हो,

(ख) "संस्था" के अन्तर्गत राज्य सरकार या निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था भी है,

(ग) किसी संस्था के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "छटनी" का तात्पर्य त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति या अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड स्वरूप हटाये जाने के कारण से भिन्न किसी कारण से उसकी सेवाओं की समाप्ति से है।

(6) इस धारा की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

चयन समिति

*16–च †(1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट करें––जो सभापति होगा;

(दो) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न उसका एक सदस्य ;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों जिसमें वह संस्था स्थित है।

(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा;

(दो) ऐसी संस्था का प्रधान;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से निरीक्षक द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है।

(3) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) या उपधारा (2) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक रखा गया समझा जायगा।

(4) प्रत्येक सम्भाग के लिए विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायगी और प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जायेगी।

(5) चयन समिति का कार्य संचालन विहित रीति में किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) खण्ड (तीन) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों।

(6) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके संगठन में कोई त्रुटि या उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

---

* उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित ।

† अधिसूचना संख्या मा–2450/15–7–8(4)–75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16–च में जहाँ कहीं भी शब्द "प्रबन्धाधिकारण" आया है उसके स्थान पर शब्द "सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिए गए हैं।

अल्प संख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

*16--चच--(1) धारा 16--ड की उपधारा (4) में और धारा 16--च में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट(सभापति को सम्मिलित करते हुए) पॉच सदस्य होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि चयन समिति के सदस्यों में से एक---

(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका में से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा,

(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले में सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन चुने गए किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक---

(क) संस्था के प्रधान के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो, और

(ख) अध्यापक के मामले मे निरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक या निदेशक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हों।

(5)जहॉ सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक या निरीक्षक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गए अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है वहॉ प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिए उपबन्ध

**16--चचच (1) बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिए प्रबन्ध समिति,संस्था के प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अपेक्षित सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाये कि कोई ऐसी समिति, संस्था का प्रधान,अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उनका परीक्षाफल तैयार करने के लिए ऐसे उपाय(जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन,फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधियाचन करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिए कर सकता है जो उसे उसके लिए आवश्यक प्रतीत हो।

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

** उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित ।

संस्थाओं के प्रधान,अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें:–

**16–छ–*(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहत की जाय और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो,शून्य होगा।

(2)उपधारा (1) द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है:–

(क) परिवीक्षा की अवधि,स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें,(जिसके अन्तर्गत जाँच या अपेक्षित जाँच होने तक या नैतिक पतन सम्बन्धित किसी अपराध के लिए किसी दण्डित मामले में अन्वेषण, जाँच या विचार किए जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियाँ और नोटिस देकर सेवा समाप्ति किया जाना सम्मिलित है,

(ख) वेतन–क्रम तथा वेतनों का भुगतान,
(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण,
(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, और
(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

(3) (क) कोई भी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्ण स्वीकृति के बिना न तो सेवामुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा। निरीक्षक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायेगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय।

(ख) निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने की नोटिस की स्वीकृति या अस्वीकृत कर सकता है।

---

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

**अधिसूचना संख्या मा–2450/15–7–8(4)–75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16–छ में–

1–जहाँ कहीं भी शब्द "प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर शब्द "सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिया गया हैं।

2–शीर्षक में शब्द "संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें" के स्थान पर "संस्थाओं के प्रधान और अध्यापको की सेवा शर्तें" कर दिया गया है।

3– उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक अध्यापक और संस्था का प्रधान" कर दिया गया है।

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में निरीक्षक आदेश जारी करने के पूर्व प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतायें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध चाहे वह इण्टरमीडिएट एजूकेशन(संशोधन) अधिनियम,1966 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात किया गया हो, आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक ऐसी अतिरिक्त जॉच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो कि अन्तिम होगा। यदि वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, सम्भागीय उप निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही निरीक्षक की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह अपील किसी अन्य सम्भागीय उपनिदेशक का निर्णय के लिए संक्रमित हो जायगी और इस खण्ड के उपबन्ध उस सम्भागीय उप–निदेशक के निर्णय के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों वह अपील हुई थी।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन, जैसाकि वह इण्टरमीडिएट एजूकेशन(संशोधन) अधिनियम 1966 के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व था, प्रस्तुत की गयी सभी अपीलें जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व निर्णय के लिए विचाराधीन थीं, उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (ग) के अनुसार सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक द्वारा निर्णीत की जायेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर किसी न्यांयालय में कोई आपत्ति न की जायेगी और सम्बन्धित पक्ष आदेश या निर्णय में दिए गए निदेशों को उस अवधि के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय,निष्पादित करने के लिए बाध्य होगें।

* (5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में––

(क)उसके विरूद्ध आरोप इतना गम्भीर न हो कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना हो;या

(ग) उसके विरूद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जॉच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित है।

---

*उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा उपधारा 5 संशोधित हुई तथा उपधारा 6 से 9 तक बढ़ायी गयी।

(6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिन के भीतर,यदि निलम्बन आदेश ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया था, और किसी अन्य मामले में निलम्बन के आदेश के दिनाक से सात दिन के भीतर निरीक्षक को दी जायेगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे।

(7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के दिनांक से या यथास्थिति, उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और निरीक्षक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(8) यदि, किसी समय, निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना विलम्ब किया जा रहा है तो निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिए गए निलम्बन के आदेश प्रतिसंहृत कर सकता है।

(9) इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उप-शिक्षा निदेशक (महिला) के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) को निस्तारण के लिए अन्तरित हो जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व उप--शिक्षा निदेशक (महिला) ने किसी ऐसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ कर दी हो तो अपील का निस्तारण स्वयं उप--शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में पद "सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक" का तात्पर्य संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) से होगा।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना–

*16–छछ (1) धारा 16–ङ, 16–च और 16–चच में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था के अध्यापक को जो 18 अगस्त, 1975 और 30 सितम्बर,1976 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं),के बीच स्पष्ट रिक्ति में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गयाहै और विहित अर्हताएं रखता है या जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गई है, इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से, मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायेगा, बशर्ते कि ऐसा अध्यापक अपनी नियुक्ति के दिनांक से इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, वह अवधि जिसमें अध्यापक की सेवा में उसकी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के बीच कोई व्यवधान किसी कारण से हुआ है जो उसके दुराचरण या स्वेच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायगा:–

---

* उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977(उ0प्र0 अधिनियम संख्या -5 1977) द्वारा बढ़ाया गया।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि ऐसा अध्यापक अपनी सेवा में व्यवधान की किसी ऐसी अवधि के लिए किसी वेतन या भत्ते का हकदार है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में, नियुक्त समझे गए प्रत्येक अध्यापक को इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक–

(क) किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का हकदार है यदि इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक पर ऐसे पद पर पहले ही नियुक्ति कर दी गयी है या ऐसे पद के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए विनियमों के अनुसार चयन किया जा चुका है, या

(ख) मौलिक निगुक्ति का हकदार है यदि ऐसा अध्यापक सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या प्राचार्य (प्रिंसिपल) या प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एकदूसरे से सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि–––

(क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों,या
(ख) वे पति और पत्नी हों या
(ग) *द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक–दूसरे से सम्बन्धित हों।

संस्थाओं के कतिपय वर्गो को कुछ धाराओं के प्रचलन से मुक्ति–

16 ज–(1) धारा 16–क, 16–ख, 16–ग, धारा 16–घ की उपधारा (2) से उपधारा **(13) तक के तथा धरा 16–ङ, 16–च तथा 16–छ के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगें।

(2) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं की दशा में राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि उन पर उपधारा (1) में उल्लिखित समस्त या कोई उपबन्ध लागू नहीं होगें, या वे ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्धनों के साथ लागू होगें, जो वह करें ††और इस प्रकार लागू किए गए उपबन्ध, यदि कोई हों तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगें।

16–झ– राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए समस्त या किन्हीं अधिकारों को सिवाय उन अधिकारों के, जिनका प्रयोग वह बोर्ड के सभापति के रूप में करता है, शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जो शिक्षा उप निदेशक से भिन्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है।

17–(निकाल दिया गया)।

---

*उ0प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा बढाया गया।

**इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1980 द्वारा संशोधित किया गया।

†† उ0प्र0 शिक्षा विधि(संशोधन) अधिनियम 1977 द्वारा संशोधित।

आकस्मिक रिक्तियां

*18— बोर्ड या बोर्ड द्वारा निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किसी समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) होने वाली समस्त रिक्ति की पूर्ति यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को, निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया हो, जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति बोर्ड या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा, जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता, जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो।

कार्यवाहियॉ रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

19—बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थी।

बोर्ड तथा समितियों का उप विधियॉ बनाने का अधिकार

20—(1)बोर्ड तथा उसी समितियां इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती है जिनमें—

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय,

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम तथा विनयमों से संगतर होते हुए उप विधियों द्वारा विहित किए जाने हैं, और

(ग) केवल बोर्ड तथा उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(2) बोर्ड और उसकी समितियां बोर्ड या समिति के सदस्यों की बैठकों के दिनांक और उसमें सम्पादित किए जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेगी।

(3) बोर्ड, समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकता है और समिति ऐसे किसी निदेश को कार्यान्वित करेगी।

सद्भावना से किए गए कार्य आदि के लिए संरक्षण

21 - राज्य सरकार,बोर्ड या उसकी किसी समिति अथवा बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत हो।

---

* उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा संशोधित।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक

22– इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

---

*प्रथम अनुसूची

धारा 3(1) के खण्ड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन

1– धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी होंगेः–

पदाधिकारी–

(क) बोर्ड का सचिव,मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा,
(ख) सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक,शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा,
(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक,सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा।

2– संस्थाओं के प्रधान और अध्यापक निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

मतदाताओं की अर्हतायें:–

(एक) संस्थाओं के ऐसे प्रधान, जो निर्वाचन के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती 1 अगस्त को इस रूप में स्थायी हों, और
(दो) हाई स्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों के ऐसे अध्यापक,जो निर्वाचन के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती 1 अगस्त को इस रूप में स्थायी हों।

स्पष्टीकरण–(एक) संस्था के प्रधान या अध्यापकों के पदों के स्थायी पदधारी, जो छुट्टी पर हो, निर्वाचकगण में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे।

(दो) ऐसे हाई स्कूल की स्थिति में, जिसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 1 अगस्त के पश्चात् इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता दी गयी हो, यदि ऐसे स्कूल का प्रधानाध्यापक स्थायी से भिन्न हैसियत से ऐसे कालेज के प्रिंसिपल या अध्यापक का पद धारण करता हो तो ऐसा व्यक्ति, यदि वह इस निमित्त अन्यथा अर्ह हो, निर्वाचकगण में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार होगा।

निर्वाचक होने के लिए अनर्हता–

3–कोई व्यक्ति ,जिसके सम्बन्ध में धारा 16–छ की उपधारा–7 के अधीन निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई निलम्बनादेश पैरा 2 में निर्दिष्ट सुसंगत दिनांक को प्रवृत्त हो,निर्वाचकगण का सदस्य रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायगा।

---

* उ0प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा सम्मिलित।

निर्वाचित होने के लिए पात्रता–

4--(1) संस्था का कोई प्रधान निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को ऐसी संस्था के प्रधान के रूप में कुल मिलाकर कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव न हो।

(2) कोई अध्यापक निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीस जून को अध्यापक के रूप में कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष का अनुभव न हो।

स्पष्टीकरण– इस पैरा के प्रयोजनों के लिए उस अवधि की भी गणना की जायेगी जिसमें यथास्थिति, ऐसी संस्था के प्रधान या अध्यापक ने अस्थायी हैसियत से पदधारण किया हो।

निर्वाचन क्षेत्र–

5---(1) निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र शिक्षा सम्भाग होगें।

(2) केवल एक संस्था प्रधान और एक अध्यापक प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस पैरा के प्रयोजनार्थ, पदावली "शिक्षा सम्भाग" का तात्पर्य उस शिक्षा सम्भाग से है जिसमें ऐसे जिले होगें जिन्हें राज्य सरकार किसी शिक्षा उपनिदेशक के प्रभार में रखें।

निर्वाचक नामावली–

6–(1) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में उस निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट जिलों की निर्वाचक नामावलियां होंगी।

(2) प्रत्येक जिले की निर्वाचक नामावली सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निदेश दें।

सूचना मांगने की सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की शक्ति–

7–कोई निर्वाचक नामावली तैयार करने का निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में कोई दावा या आपत्ति विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति किसी संस्था का कोई रजिस्टर,अभिलेख या दस्तावेज देख सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति का जिसका ऐसी संस्था के प्रशासन पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी सूचना दे दें जिसकी वह अपेक्षा करे।

निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन–

8- जैसे ही निर्वाचक नामावली तैयार हो जाय, वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी नामावली के प्रारूप को प्रकाशित करेगा और उसे––

(एक) अपने कार्यालय में और,

(दो) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में,

(तीन) ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर जैसा मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निदेश दे, निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में दावा और आपत्तियां–

9–(1) निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक दावा और उसमें की गयी किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रत्येक आपत्ति पैरा 8 के अधीन निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के दिनांक से दस दिन की अवधि के भीतर सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में या उसमें सम्मिलित किसी प्रविष्ट के किसी विवरण के सम्बन्ध में, आपत्ति केवल उस व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिसका नाम पहले से उस नामावली में सम्मिलित है।'

(2) प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति लिखित रूप में होगी और उस पर दावा या आपत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

समय के भीतर न प्राप्त हुए दावा और आपत्तियों का अस्वीकार किया जाना–

10– कोई दावा या आपत्ति,जो पैरा 9 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न की जाय या उस व्यक्ति द्वारा की जाय जो ऐसा करने के लिए हकदार न हो, अस्वीकार कर दी जायेगी।

दावा आपत्तियों का निस्तारण–

11–(1) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक ऐसे दावा या आपत्ति के,जिसे पैरा 10 के अधीन अस्वीकार किया गया हो, निस्तारण के लिए कोई दिनांक निर्धारित करेगा और ऐसे दिनांक की नोटिस–

(क) किसी दावा की स्थिति में, दावा करने वाले व्यक्ति को देगा,

(ख) निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में किसी आपत्ति की स्थिति में आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को और उस व्यक्ति को भी देगा जिसके नाम के सम्बन्ध में ऐसी आपत्ति की गई हो,

(ग) निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि के विवरण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति की स्थिति में, आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को और ऐसी आपत्ति से प्रभावित व्यक्ति को देगा।

(2) उप–पैरा (1) के अधीन निर्धारित दिनांक को सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक दावा या आपत्ति की सरसरी तौर से जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

(3) जांच के दौरान दावेदार या यथास्थिति आपत्तिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उप पैरा (1) के अधीन नोटिस दी गयी हो, उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार होगा।

(4) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी स्वविवेक से–

(क) किसी ऐसे दावेदार, आपत्तिकर्ता या व्यकित से अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) अपेक्षा कर सकता है कि किसी ऐसे दावेदार, आपत्तिकर्ता या व्यक्ति को दिया गया साक्ष्य शपथ पर दिया जाय और इसके लिए शपथ दिला सकता है।

(5) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी जॉच पूरी हो जाने के पश्चात् उस उप पैरा (2) के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और उसे पैरा 8 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन नामावली के प्रारूप में समाविष्ट करेगा।

(6) एतद्पूर्व दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली में किसी लिपिकीय, टंकण या मुद्रण सम्बन्धी भूल या अशुद्ध को ठीक कर सकता है।

सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन–

12–(1) पैरा 11 के उप पैरा (2) के अधीन सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के विनिश्चय से कोई व्यक्ति संसूचना के दिनाक से एक सप्ताह के भीतर शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसका आदेश अन्तिम होगा।

(2) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उप पैरा (1) के अधीन पारित आदेश को कार्यान्वित करेगा।

निर्वाचन के लिए अधिसूचना–

13– मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना द्वारा, निर्वाचकगण के सदस्यों से अधिनियम के उपबन्धों और इस अनुसूची में दिए गए उपबन्धों के अनुसार संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों का निर्वाचन करने को कहेगा।

निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक का निर्धारण--

14– पैरा 13 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना द्वारा--

(क) नामांकन करने के लिए अन्तिम दिनांक नियत करेगा जो पैरा 13 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक के पन्द्रह दिन से कम न होगा,

(ख) नामांकनों की संवीक्षा करने के लिए दिनांक नियत करेगा जो नामांकन करने के लिए अन्तिम दिनांक के बाद पांचवें कार्य दिवस के पश्चात् का दिनांक न होगा,

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अन्तिम दिनांक नियत करेगा जो नामांकनों की संवीक्षा के दिनांक के बाद सातवें कार्य दिवस के पश्चात् का दिनांक न होगा,

(घ) ऐसा या ऐसे दिनांक नियत करेगा जब मतदान यदि आवश्यक हो, किया जायेगा जो दिनांक या जिसमें से प्रथम दिनांक उम्मीदवारी वापस लेने के लिए अन्तिम दिनांक से पन्द्रहवें दिन के पहले का दिनांक नहीं होगा।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन–

15–संस्था का, यथास्थिति, कोई प्रधान या अध्यापक अपने से भिन्न किसी व्यक्ति के नाम का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए प्रस्ताव कर सकता है,बशर्ते ऐसा व्यक्ति निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हो और उसके पास इस अधिनियम में निर्धारित अर्हतायें हों, और यह भी कि प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्तियों के नाम सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक नामावली में आये हों।

नामांकन–पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामांकन पत्रों के लिए अपेक्षाएं–

16–(1) पैरा 14 के खण्ड (क) के अधीन नियत दिनांक को या उसके पूर्व, प्रत्येक उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या तो स्वयं या रजिस्ट्रीकृत, द्वारा विहित प्रपत्र में (जिसे शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जायेगा) भरा गया और उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को उसके कार्यालय में 11 बजे पूर्वान्ह और 4 बजे अपरान्ह के बीच मुहरबन्द लिफाफे में परिदत्त करेगा या करायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामांकित नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह–

(एक) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति का सदस्य हो एक सौ रूपये की राशि,

(दो) किसी अन्य स्थिति में दो सौ रूपये की राशि, जमा न करें या करायें,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ कोई उम्मीदवार एक ही हो निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए और एक से अधिक नामांकन–पत्रों द्वारा नामांकित किया गया हो, वहॉ उससे एक से अधिक राशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

(2) इन पैराओं की कोई बात किसी उम्मीदवार को एक से अधिक नामांकन–पत्रों द्वारा नामांकित किए जाने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी।

(3) उप पैरा (1) के अधीन जमा की गई कोई धनराशि उस उम्मीदवार को पतिसकाय की जा सकेगी जिसे एतद्द्वारा दिए गए उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित घोषित किया जाय।

नामांकन–पत्र पर पृष्ठांकन

17– कोई नामांकन–पत्र प्राप्त होने पर, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे नामांकन पत्र पर प्राप्ति का दिनांक और समय और उस व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वह प्रस्तुत किया जाय, पृष्ठांकित करेगा और मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में और रीति से नामांकन–पत्रों की सूची प्रकाशित करेगा।

नामांकन–पत्रों की संवीक्षा–

18–(1) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी पैरा 16 में विहित रीति से नामांकन–पत्रों की संवीक्षा करेगा।

(2) पैरा 14 के अधीन नामांकन–पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक को, उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, नामांकन–पत्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित हो सकता है और शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उसे किसी नामांकन–पत्र की जॉच करने के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा।

(3) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी समस्त नामांकन–पत्रों की जॉच करने के पश्चात् उन पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उन समस्त आपत्तियों पर विनिश्चय देगा जो किसी नामांकन के विरूद्ध की जाय और या तो ऐसी आपत्ति पर या स्वप्रस्ताव से ऐसी सरसरी तौर से जॉच, यदि कोई हो, जिसे आवश्यक समझा जाये, करने के पश्चात् किसी नामांकन–पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

(4) किसी उम्मीदवार का नामांकन किसी नामांकन–पत्र के सम्बन्ध में किसी अनियमितता के कारण अस्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि उम्मीदवार किसी अन्य नामांकन–पत्र द्वारा जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता न की गयी हो, सम्यक् रूप से नामांकित किया गया है।

(5) नामांकन–पत्रों की समीक्षा कर देने और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय कर लेने के पश्चात् शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जिनका नामांकन विधिमान्य पाया जाये और उसे अपने, शिक्षा उप निदेशक और सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं और निरीक्षक के कार्यालयों में सूचना–पट्टों पर चिपकवायेगा। सूची की एक प्रति मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

(6) नामांकन की विधिमान्यता या अविधिमान्यता के सम्बन्ध में शिक्षक निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

उम्मीदवारी वापस लेना:–

19–(1) कोई उम्मीदवार विहित प्रपत्र में (जिसे शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जायेगा) लिखित नोटिस द्वारा,जिसे पैरा 14 के खण्ड (ग) के अधीन नियत अंतिम दिनांक तक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है।

किसी व्यक्ति को जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उप पैरा (1) के अधीन नोटिस दी है, उम्मीदवारी वापसी की अपनी नोटिस को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मतदान करने की शर्तें–

20– (1)यदि उस अवधि को,जिसके भीतर पैरा 19 के अधीन उम्मीदवारों से नाम वापस लिया जा सकता है,समाप्ति के पश्चात–

(क) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या,जिनका नामांकन विधिपूर्वक किया गया हो और जिन्होंने इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अनधिक हो तो शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(ख) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिनका नामांकन सम्यक् रूप से किया गया हो और जिन्होंने इस प्रकार अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक हो तो शिक्षक निर्वाचन अधिकार प्रपत्र में सूची तैयार करेगा जिसमे निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों का वर्णमाला क्रम में नाम, जैसा कि नामांकन–पत्र में दिया गया हो और उनका पदनाम होगा।

(2) संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों के लिए ऐसी सूची पृथक–पृथक तैयार की जायेगी और उन्हें मतदान–पत्रों के मुद्रण के लिए मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास तुरन्त भेजी जायेगी।

(3) मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास पर्याप्त संख्या मे मतदान–पत्र और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची भेजेगा।

मतों का अभिलिखित किया जाना–

21–(1) मतदान,सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित मतदान केन्द्रों पर 8 बजे प्रातःकाल और 5 बजे सायंकाल के बीच गुप्त रीति से किया जायेगा।

(2) मत देने के लिए इच्छुक निर्वाचक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह इस निमित्त निर्धारित मतदान केन्द्रों पर स्वयं जाये और वहाँ अपना मत दे।

(3) मतदान की समाप्ति के पश्चात् सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मतपेटियों को मुहरबन्द करेगा और उन्हें ऐसे निरापद स्थान में रखेगा जो मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी विनिश्चित करें। तत्पश्चात् मतों की गणना तुरन्त प्रारम्भ की जायेगी।

(4) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मतदान के समय मतदान केन्द्र पर और मतगणना के समय मतगणना स्थल पर उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकता है। उम्मीदवार, अभिकर्ता की नियुक्ति का अनुमोदन मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से लेगा।

मतदान का स्थान–

22–(1) यदि किसी निर्वाचन में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान के लिए निर्धारित किसी स्थान पर मतदान कराना सम्भव न हो तो मतदान उस दिनांक तक के लिए स्थगित किया जा सकता है जिसे बाद में अधिसूचित किया जायेगा।

(2) जहाँ उप पैरा(1) के अधीन मतदान स्थगित किया जाये, वहाँ परिस्थितियों की रिपोर्ट मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त की जायेगी।

(3) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमोदन से, ऐसा दिनांक नियत करेगा जब मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा स्थगित मतदान पूर्ण न हो जाये और ऐसे मतदान में दिए गए मतों की सम्यक् रूप से गणना न हो जाय।

मतों की गणना–

23–(1) जिन पेटियों में मत–पत्र हों, उन्हें सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में खोला जायेगा। तत्पश्चात् दिए गए मतों की गणना शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की सहायता से सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में की जायगी। यदि मतदाता ने अपेक्षित संख्या से अधिक मत अभिलिखित किया है तो उसका मत–पत्र अविधिमान्य घोषित किया जायेगा। इस निमित्त सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा।

(2) जैसे ही मतों की गणना समाप्त हो जाये वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास निम्नलिखित तुरन्त भेजेगाः

(1) मुहरबन्द आवरण में मतों की गणना का विवरण–पत्र;
(2) पृथक मुहरबन्द आवरण में प्रयुक्त मूल मत–पत्र;
(3) पृथक मुहरबन्द आवरण में, अप्रयुक्त मत–पत्र;
(4) पृथक मुहरबन्द आवरण में चिह्नत निर्वाचक नामावली, और
(5) मुहरबन्द आवरण में, प्रयुक्त और अप्रयुक्त मत–पत्रों का विवरण–पत्र।

परिणाम की घोषणा–

24–(1) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी पैरा 23 के अधीन प्राप्त मतगणना के विवरण–पत्रों को समेकित करेगा और ऐसे उम्मीदवार को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिसको सबसे अधिक संख्या में मत मिला हो।

(2) दो या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर–बराबर संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों, या उनमें से ऐसे उम्मीदवारों, जो उपस्थित होना चाहें, की उपस्थित में पर्ची डालकर उसका विनिश्चय करेगा और उस उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा, जिसके पक्ष में पर्ची निकले।

परिणाम की सूचनाः–

25–(1) किसी निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र,शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, और राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में, जिसे विहित किया जाये परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा।

(2) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी समस्त सफल उम्मीदवारों को भी ऐसे निर्वाचन के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अलग–अलग सूचना भेजेगा।

मतदान–पत्रों का परिरक्षण–

26– मतदान–पत्र और समस्त अन्य संबंधित दस्तावेज और सामग्री पैरा 24 के अधीन परिणाम की घोषणा किए जाने के दिनांक से एक वर्ष तक मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में परिरक्षित की जायेगी।

सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की शक्ति–

27– मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के निदेशानुसार सहयक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को अपने जिले में निर्वाचन का संचालन करने के लिए आवश्यक कर्मचारीगण की नियुक्ति करने या उनमें कोई परिवर्तन करने या किसी व्यक्ति को हटाने की शक्ति होगी।

अव्यवस्थित विषयों के लिए सभापति की शक्ति–

28– निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विषय जिसके लिए अधिनियम के अधीन कोई उपलब्ध न हो, सभापति के आदेश से विनियमित किया जायेगा जिसका उक्त विषय में विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

*द्वितीय अनुसूची

(धारा 16 छछ के संदर्भ में)

सम्बन्धियों की सूची

1– पिता
2–माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)
3–पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)
4– पुत्र–वधू
5–पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)
6–दादा
7–दादी
8–नानी
9–नाना

*उ0प्र0 शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम(उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5) 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

10—पौत्र
11—पौत्र—वधू
12—पौत्री
13—पौत्री का पति
14—दामाद
15—नाती
16—नाती की पत्नी
17—नातिन
18—नातिन का पति
19—भाई (जिसमें सौतेला भाई भी सम्मिलित है)
20—भाई की पत्नी
21—बहिन(जिसमें सौतेली बहन भी सम्मिलित है)
22—बहनोई
23—पत्नी(या पति) का भाई
24—ससुर
25—साली या ननद
26—भतीजा
27—भतीजी

** तृतीय अनुसूची

(धारा 16--गग के सन्दर्भ में)

सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा——
प्रत्येक प्रशासन योजना में—

(1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी;

(2) नियमकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी;

† प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों।

(4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जांय और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी;

(6) यह सुनिश्चित [illegible]या जाय कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियां और कर्तव्य स्पष्टरूप से परिभाषि[illegible]ग;

(7) संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जॉच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।

** इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1980 द्वारा बढ़ाया गया।

† इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1981 द्वारा संशोधित।

"अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत आदेश तथा विज्ञप्तियाँ"

संख्या:4166/15–8–3065–85

प्रेषक,

श्री जगदीश चन्द्र पन्त

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा–8 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 3 अगस्त, 1987

विषय:– इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन)अधिनियम, 1987(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1987) के अन्तर्गत मान्यता एवं अंशकालिक अध्यापकों/अनुदेशकों की व्यवस्था।

महोदय,

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के विभिन्न विषयों में यथा कला, व्यवसाय एवं अन्य विषयों में स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय प्रतिभा एवं विशेषज्ञों की सेवा उपयुक्त मानदेय पर सुलभ कराने,कार्यानुभव अथवा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं व्यावसायिक धारा में शिक्षण की लचीली व्यवस्था सुनिश्चित कराने और एतदर्थ स्थानीय समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने और उसे संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इण्टरमीडिएण्ट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987, दिनांक 30 जुलाई,1987 बनाया गया है।

2– इस (संशोधन) अधिनियम की धारा 7–क (क) के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्च कक्षा के लिए मान्यता दे सकती है और धारा 7–क (ख) के अन्तर्गत निरीक्षक किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है। धारा 7–कक (1) के अन्तर्गत किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण (एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापक को, धारा 7–क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्च कक्षा के लिए मान्यता दी गई है उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिए अनुज्ञा दी गई है उसमें शिक्षा देने के लिए, (दो) अंशकालिक अनुदेशक को, नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी

(समाजोपयोगी) उत्पादक कार्य के लिए किसी व्यापार या शिल्प या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिए अपने स्रोत से सेवायोजित कर सकता है।

3–इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा अंशकालिक अध्यापकों को नियोजित करने विषयक यह अन्तरिम व्यवस्था है। अग्रेतर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस (संशोधन) अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति साहित्यिक वर्ग, गणित, विज्ञान (जिसमें गृह विज्ञान सम्मिलित है), वाणिज्य(कामर्स)तथा कृषि से सम्बन्धित विषयों की ही मान्यता दिए जाने की व्यवस्था है।

4–अंशकालिक सेवायोजन प्रबन्धतन्त्र के निजी श्रोतों पर अवलम्बित है। इस हेतु औपचारिक पदसृजन की अपेक्षा नहीं है परन्तु ऐसा सेवायोजन भी अधिनियम की धारा 7–कक के प्राविधानों से नियंत्रित रहेगा।

5– धारा 7–कक (2) के अन्तर्गत धारा 7–क के अधीन किसी मान्यता और अनुज्ञा की नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति से प्रतिबन्धित है जो शासन समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे। इस धारा के अधीन प्रतिभूति की देयता निम्नवत् है:–

(क) हाईस्कूल की नवीन मान्यता अर्थात् प्रथमबार हाईस्कूल की मान्यता दिए जाने पर जो सुरक्षित कोष, प्राभूत आदि की शर्तें माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता के मानकों के अन्तर्गत निर्धारित हैं, पर्याप्त मानी जायेगी और इस अधिनियम की धारा 7–कक (2) के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त प्रतिभूति देय न होगी।

(ख) इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता अर्थात् प्रथमबार हाईस्कूल से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित सुरक्षित कोष, प्राभूत आदि के अलावा धारा 7–कक (2) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग (साहित्यिक, वैज्ञानिक, गृहविज्ञान सहित कृषि एवं कामर्स) के लिए रू0 5,000 (रूपये पॉच हजार) की प्रतिभूति अतिरिक्त देय होगी। इण्टर स्तर पर अतिरिक्त वर्ग के लिए भी रू0 5,000(रूपये पॉच हजार) की प्रतिभूति देय होगी। हाईस्कूल स्तर पर अतिरिक्त वर्ग के लिए रू0 3,000 (रूपये तीन हजार) की प्रतिभूति देय होगी।

(ग) हाईस्कूल और इण्टर स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त विषय (साहित्यिक, विज्ञान, गृहविज्ञान सहित गणित,कृषि और कामर्स से सम्बन्धित)के लिए धारा 7–कक (2) के अन्तर्गत रू0 3,000 (रूपये तीन हजार) की प्रतिभूति देय होगी।

(घ) निरीक्षक द्वारा किसी वर्तमान कक्षा में अतिरिक्त अनुभाग खोले जाने की अनुमति देने पर सामान्यतया कोई प्रतिभूति देय न होगी परन्तु यदि अतिरिक्त अनुभाग

खोले जाने के फलस्वरूप अंशकालिक अध्यापकों का सेवायोजन भी अभीष्ट हो तो रू0 3,000 (रूपये तीन हजार) की प्रतिभूति देय होगी।

6– इस (संशोधन) अधिनियम की धारा 7– कक (4) में यह प्राविधान है कि कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम अर्हतायें,जैसी विहित की जाय, न रखता हो। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अंशकालिक अध्यापकों के लिए भी वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होगी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नियम संग्रह के अध्याय दो के परिशिष्ट "क" में निर्धारित है। जहाँ तक अंशकालिक अनुदेशकों के लिए न्यूनतम अर्हता विहित करने का प्रश्न है यह स्पष्ट करना है कि इन अनुदेशकों का सेवायोजन केवल नैतिक शिक्षा या समाजोपयोगी उत्पादक कार्य/कार्यानुभव या व्यावसायिक पाठ्यक्रम या शिल्प में अनुदेश देने के लिए किया जायगा और इस हेतु प्रबन्धतन्त्र को यह छूट रहेगी कि वे सम्बन्धित शिल्प आदि के योग्यता एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले स्थानीय विशेषज्ञ को अनुदेशक के रूप में स्वविवेक से सेवायोजित करें।

7– धारा 7–कक (5) में यह प्राविधान है कि किसी अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय। इस सम्बन्ध में सम्प्रति स्थिति निम्नवत् है:--

(क) प्रत्येक अंशकालिक अध्यापक से यह अपेक्षा होगी कि वह सप्ताह में न्यूनतम 12 और अधिकतम 18 वादनों का अध्यापन कार्य करें।

(ख) अंशकालिक अध्यापकों को मानदेय दिए जाने की दर कक्षा 9 और 10 में प्रतिवादन रू0 6.50 और 11–12 में प्रतिवादन रू0 10.00 होगी। प्रत्येक वादन में किए जाने वाले अध्यापन कार्य में लिखित कार्य की जॉच का कार्य भी सम्मिलित है। कार्यरत अध्यापक अथवा अन्य कार्मिक को अंशकालिक अध्यापन का कार्य दिए जाने की स्थिति में उन्हें मानदेय की धनराशि सामान्य से आधी होगी। कार्यरत अध्यापक अथवा अन्य कार्मिक का सेवायोजित करने के पूर्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य अथवा सेवायोजक द्वारा यह प्रमाण–पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि उसके द्वारा किए जाने वाले अंशकालीन अध्यापन से विद्यालय का उसका पूर्णकालिक अध्यापन कार्य अथवा सामान्य कार्य प्रभावित नहीं होगा। कार्यरत अध्यापक के सम्बन्ध में यह प्रमाण–पत्र उस संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दिया जायगा जहाँ अध्यापक कार्यरत हैं। इसी प्रकार अन्य कार्मिक के सम्बन्ध में उस सेवायोजक द्वारा दिया जायगा जिसके अधीन कार्मिक कार्यरत है।

(ग) विभिन्न शिल्पों या समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों/कार्यानुभव या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या नैतिक शिक्षा में प्रति सप्ताह पढाये जाने वाले न्यूनतम वादनों की संख्या

और भी कम हो सकती है। अतः अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में प्रबन्धतन्त्र को यह छूट रहेगी कि वे पारस्परिक सहमति से मानदेय की उचित दर निर्धारित कर लें। परन्तु किसी एक अनुदेशक को प्रतिमाह देय मानदेय की धनराशि रू0 350.00 से अधिक नही होगी।

(घ) यदि कोई अंशकालिक अध्यापक 12 से कम वादनों का अध्यापन कार्य करता है तो उसे वास्तविक रूप में किए गए अध्यापन कार्य के वादनों का मानदेय देय होगा परन्तु 18 से अधिक वादनों का अध्यापन कार्य न तो कराया जायगा और न ही इस हेतु कोई अधिक धनराशि देय होगी।

(ड) अंशकालीन अध्यापकों को प्रत्येक माह 15 तारीख तक उनके पिछले माह की देय धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

(च) अशकालीन अध्यापकों के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा और सेवानिवृत्त व्यक्ति भी सेवायोजित किए जा सकेगें।

8— अंशकालिक अध्यापकों का सेवायोजन कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, तथापि एक सीमित या अल्प अवधि के लिए भी उन्हें सेवायोजित करने के पूर्व यह आवश्यक है कि अंशकालिक अध्यापक के रूप में उपयुक्त और योग्य अभ्यर्थी मिल सके। अतः इस (संशोधन) अधिनियम की धारा 7—कक (3) के अन्तर्गत निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है—

1— अंशकालिक अध्यापकों को सेवायोजित करने हेतु सम्बन्धित विषय/विषयों में वाँछित अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन कम से कम ऐसे दो समाचार—पत्रों में करना आवश्यक होगा जिनका उस क्षेत्र में, जिसमें संस्था स्थित हो, व्यापक परिचालन हो। विज्ञापन का प्रारूप (संलग्नक—1) में दिया गया है।

2— समाचार—पत्रों में विज्ञापन के पश्चात् यह भी आवश्यक होगा कि उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक चयन समिति गठित की जाय। इस समिति का गठन निम्नवत् होगा--

(1) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नामित एक प्रतिनिधि (जो समिति का अध्यक्ष होगा),

(2) विद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

(3) समीपवर्ती राजकीय या अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उस विषय का वरिष्ठतम शिक्षक (जिसका नामांकन उसी संस्था का प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या करेगा/करेगी)।

9—यह समिति विद्यालय की आवश्यकताओं के संदर्भ में किसी एक विषय/विषयों में अपेक्षित संख्या मे अंशकालिक अध्यापकों को सेवायोजित करने हेतु अपनी संस्तुति प्रबन्धतन्त्र को

देगी और प्रबन्धतंत्र उसकी संस्तुति के अनुसार ही अंशकालिक अध्यापक/अध्यापक को सेवायोजित करेगा। सेवायोजन का प्रारूप (संलग्नक–2) में दिया गया है।

10–अंशकालिक अध्यापकों/अनुदेशकों का एक पृथक उपस्थिति रजिस्टर रखा जायगा जिसमें प्रत्येक अंशकालिक अध्यापक/अनुदेशक द्वारा प्रत्येक दिन वास्तव में किए गए वादनवार अध्यापन कार्य हेतु उपस्थित का हस्ताक्षर किया जायगा और प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या प्रति हस्ताक्षरित करेगें/करेगी तो प्रत्येक अंशकालिक आध्यापक/अनुदेशक के लिए पृथक–पृथक पृष्ठ रखे जायेगें।

11–चूंकि उक्त अंशकालीन व्यवस्था प्रबन्धतन्त्र के निजि श्रोतों पर अवलम्बित है। अतः इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 (ङ) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र इस हेतु दान स्वीकार कर सकेगा जिसका लेखा–जोखा पृथक से रखा जायेगा परन्तु इस व्यय को वहन करने हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जायगा।

12–इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की 10 प्रतियाँ संलग्न है।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय,
जगदीश चन्द्र पन्त
प्रमुख सचिव

संख्याः 4166(1)/15–8–3065–85,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(प्रथम) एवं (द्वितीय),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका,उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
4– सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
5– अपर सचिव,क्षेत्रीय कार्यालय,माध्यमिक शिक्षा परिषद्,मेरठ,वाराणसी,बरेली तथा इलाहाबाद।
6– अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)/(महिला),शिक्षा निदेशालय,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
7– अपर शिक्षा निदेशक(पर्वतीय),शिविर कार्यालय,लखनऊ।
8– शिक्षा (7), (9) तथा (16) अनुभाग।
9– संयुक्त शिक्षा निदेशक(अर्थ)/(महिला),शिक्षा निदेशालय,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

आज्ञा से
शरदिन्दु
उप सचिव।

संलग्नक–1

विज्ञापन

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज————————में हाईस्कूल/इण्टर कक्षाओं में विद्यार्थियों को——————विषय/विषयों पर अध्यापन कार्य करने हेतु अंशकालिक अध्यापक के रूप में प्रति वादन निर्धारित मानदेय पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन–पत्र दिनांक————— तक आमंत्रित किए जाते हैं।

2– अंशकालिक अध्यापक के रूप में चयनित अभ्यर्थी को कक्षा/कक्षाओं में विषय/विषयों पर अध्यापन कार्य करने हेतु आवश्यकतानुसार सेवायोजित किया जायगा और उस स्थिति में उन्हें 6.50 रूपये (साढ़े छः रूपये) (हाईस्कूल कक्षाओं हेतु)/10.00 रूपये (इण्टरमीडिएट कक्षाओं हेतु) प्रति वादन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। अध्यापन कार्य में अध्ययन के साथ जुड़े हुए लिखित कार्य की जाँच का कार्य भी सम्मिलित है। सेवारत अध्यापकों को अन्य कार्मिकों की अंशकालीन अध्यापक का कार्य करने पर देय मानदेय की दर उपरोक्त मानदेय की दर से आधी होगी। प्रत्येक अंशकालिक अध्यापक को सामान्य तौर से सप्ताह में कम से कम 12 तथा अधिक से अधिक 18 वादनों का अध्यापन कार्य करना होगा। उक्त दर से आगणित मानदेय की राशि का वास्तविक भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति पर अगले माह की 15 तारीख तक किया जायगा।

3– निधारित अर्हता:–

नोट:– सम्बन्धित प्रबन्धक सम्बन्धित कक्षाओं में विषय विशेष के अध्यापकों के लिए निर्धारित अर्हता का उल्लेख आवश्यकतानुसार करेगें।

4– आयु सीमा:–

अंशकालिक अध्यापकों के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा और सेवानिवृत्त व्यक्ति भी आवेदन–पत्र दे सकते हैं।

5– शुद्ध रूप से भरा गया आवेदन–पत्र जिसका प्रारूप नीचे दिया जा रहा है, आवश्यक प्रमाण–पत्रों की अभि–प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायगा।

प्रबन्धक

आवेदन–पत्र का प्रारुप

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज में अध्यापन कार्य करने हेतु अंशकालिक अध्यापन का आवेदन–पत्र

1– अध्यापन कार्य का विषय–

2– अभ्यर्थी का नाम–

3— पिता का नाम—

4— स्थायी पता—

5— पत्र—व्यवहार हेतु पता—

6— जन्म तिथि—

7— गृह जनपद—

8— विवाहित / अविवाहित—

9— दो ऐसे उत्तरदायी एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम व पते जो अभ्यर्थी को भली—भाँति जानते हों।

10— शैक्षिक योग्यता का विवरण:—

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक प्रतिशत	विषय	संस्था	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1—हाईस्कूल	..	..	..	..	..	..	..
2—इण्टर	..	..	..	..	..	..	..
3—बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बी0काम0 / एल0एल0बी0 / बी0एस0सी0कृषि	..	..	..	..	..	..	..
4—एम0ए0 / एम0एस0सी0 / एम0काम0 / एम0एस0सी0कृषि	..	..	..	..	..	..	..
5—एल0टी0 / बी0एड0 / बी0टी0	..	..	..	..	..	..	..
6—शिल्प / व्यवसाय सम्बन्धी योग्यता	..	..	..	..	..	..	..
7—अन्य योग्यतायें	..	..	..	..	..	..	..

टिप्पणी:— प्रत्येक परीक्षा से सम्बन्धित प्रमाण—पत्रों तथा अंक—पत्र (मार्कशीट) की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्नक करें।

11— शेष कार्य सम्बन्धित विवरण,यदि कोई हो, साक्ष्य सहित।

12— शिक्षण कार्य का अनुभव, अवधि व संस्था का नाम——

(प्रमाण—पत्र भी संलग्न करें)

दिनांक:————— आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक—2

अंशकालिक अध्यापक को चयनोपरान्त आमन्त्रित किए जाने हेतु प्रारूप

कार्यालय प्रबन्धक——————————उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इण्टर कालेज

————————————————

संख्या————————————

दिनांक————————————

आमंत्रण–पत्र

डा0/श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री------------------------------ को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज----------------------------में हाईस्कूल/इण्टर कक्षाओं मे विद्यार्थियों को---------- ------विषय/विषयों में अध्यापक कार्य हेतु अंशकालिक अध्यापक के रूप में आमन्त्रित किया जाता है। श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री------------------------------------ को अंशकालिक अध्यापन हेतु 6.50 रू0 (साढ़े छः रूपये) (हाईस्कूल कक्षाओं हेतु) 10/- रू0 (दस रूपये) (इण्टरमीडिएट कक्षाओं हेतु) प्रतिवादन (सेवारत अध्यापक को तथा अन्य कार्मिको को देय मानदेय की दर से उक्त दर आधी होगी), जिसमें वादन के अध्यापन कार्य के पश्चात् विद्यार्थियों के लिखित कार्य की जॉच का कार्य भी सम्मिलित है, की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। मानदेय की राशि का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति पर अगले माह 15 तारीख तक किया जायेगा।

2–उन्हें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंशकालिक अध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु जारी किए गए इस आमन्त्रण के आधार पर विद्यालय की नियमित रिक्ति पर नियुक्ति का उनका कोई अधिकार नही होगा। अंशकालिक अध्यापक की हैसियत से किए जा रहे अध्यापन कार्य को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

3– डा0/श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री--------------------------------से अपेक्षा की जाती है कि वे कृपया उक्त शर्तों के अधीन अंशकालिक अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य करने हेतु प्रधानाचार्य से दिनांक-------------तक अवश्य सम्पर्क करें अन्यथा उनको जारी किए गए इस आमन्त्रण को निरस्त समझा जायेगा।

प्रबन्धक

डा0/श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री--------------------------------

संख्या (1)/15–8–86 तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक---------------------/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका-----------------------मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक------------------ को भी सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)/अपर शिक्षा निदेशक(महिला), शिक्षा निदेशालय,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबन्धक

संख्या–3514/15–7–92–1(74)X 1992

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ दिनांक 1 जुलाई, 1992

विषयः राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों के प्राचार्यो,प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों के अंशकालिक गृह शिक्षण (टयूशन) पर रोक।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा बड़े पैमाने पर अंशकालिक गृह शिक्षण (प्राइवेट टयूशन) की जाती है। जिसके कारण इन विद्यालयों में शैक्षिक वातारण और प्रदेश के शिक्षा स्तर में अत्यधिक गिरावट आई है और उससे छात्रों और उनके अभिभावकों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रवृत्ति को रोकने तथा विद्यालयों में शिक्षण सुधार हेतु यह आवश्यक हो गया है कि प्राइवेट टयूशन पर प्रभावी रोक लगाई जाय।

2–अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों द्वारा अंशकालिक गृह शिक्षण को शासन ने सम्यक विचारोपरान्त प्रतिबन्धित कर दिया है। यह व्यवस्था इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन विनिर्मित विनियम 63 में उपान्तर द्वारा की गयी है। विनियम 63 के उल्लंघन को घोर कदाचार मानते हुए उल्लंघन करने वाले अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया गया है।

3–इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य,प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के अंशकालिक गृह शिक्षण (प्राइवेट टयूशन) को भी प्रतिबन्धित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। उक्त आदेशों के उल्लंघन को घोर कदाचार समझा जायेगा और सुसंगत नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

4–कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा कृतकार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

भवदीय,
अशोक गांगुली
उप सचिव

संख्या–4794 / 15–7–2 (4) / 1997

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 1998

विषयः माध्यमिक विद्यालयों की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की नवीन / अतिरिक्त वर्ग / विषयों की मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से किसी संस्था को हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की नवीन / अतिरिक्त वर्ग / विषय की मान्यता का पत्र निर्गत किए जाने के उपरान्त निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित संस्था को कक्षा संचालन की अनुमति दिए जाने सम्बन्धी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में केवल संस्था द्वारा निरीक्षक / परिषद कार्यालय को लिखित रूप से यह सूचित किया जाना पर्याप्त होगा कि उनके द्वारा कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि के पश्चात 2 वर्ष के भीतर कक्षायें संचालित किए जाने की कोई सूचना निरीक्षक / परिषद कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा मान्यता निर्गत होने के उपरान्त संदर्भगत संस्था के छात्र किसी समय लगातार दो वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होते हैं तो संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में मान्यता हेतु निर्धारित विनियमों / मानकों में जहाँ कहीं भी संशोधन अपेक्षित हो, कृपया उसका प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0--4794(1)/15--7--1997 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1-- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

2-- क्षेत्रीय सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,उप कार्यालय, इलाहाबाद/बरेली/वाराणसी/मेरठ।

3-- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

4-- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

5-- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव।

*** उत्तर प्रदेश सरकार**
विधायी अनुभाग--1
संख्या 647/सत्रह--वि01--1(क) 8--1998
लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 1998

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा(अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 1998 पर दिनांक 28 मार्च, 1998 में अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधरण की सूचनार्थ एवं अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1998)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न--पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए और उससे सम्बन्धिता और अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

---

* असाधारण सरकारी गजट दिनांक 30 मार्च, 1998 में विधायी परिशिष्ट भाग--1 खण्ड(क) में प्रकाशित।

अधिनियम

[भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय एक प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा(अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 18 मार्च, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में --

(क)"परीक्षा केन्द्र" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिए निर्धारित किसी संस्था या उसके भाग या किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध समस्त परिसर भी है;

(ख)"परीक्षार्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे किसी सार्वजनकि परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) "सार्वजनिक परीक्षा" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी परीक्षा है,जो उसमें विधिपूर्वक सफल घोषित व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण--पत्र या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदत्त या अनुदत्त करने के लिए संचालित की जाय;

(घ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में,जबकि वह सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो,"अनुचित साधन" का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित अंकित (रेकार्डेड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से या किसी टेलीफोन,वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

अध्याय दो--अनुचित साधनों का निवारण

अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध प्रश्न पत्र की अप्राधिकृत प्राप्ति और प्रकटीकरण

3-- कोई परीक्षार्थी किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

4– कोई व्यक्ति जिसे अपने कर्त्तव्य पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिए प्राधिकार या अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र के वितरण के लिए निर्धारित समय से पूर्व–

(क) न तो ऐसे प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग को या उसके किसी प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा,

(ख) न ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे यह जानकारी या विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्न--पत्र से सम्बन्धित या व्युत्पन्न या संदर्भित है।

ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे परीक्षा कार्य सौंपा गया है, जानकारी देने का निषेध

5– कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा जाय, ऐसी स्थित के सिवाय जिसमें उसे अपने कर्त्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में ऐसा करने की अनुज्ञा दी गयी हो, ऐसी सूचना या उसके भाग को जो उसे इस प्रकार सौंपे गए कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आई हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा और न प्रकट करायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देगा।

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध

6– कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा के जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहाँ बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा।

प्रबन्धतन्त्र इत्यादि का कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी का सहयोग नहीं करेगा

7– कोई व्यक्ति, जो ऐसी संस्था के जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबन्धतन्त्र में होते हुए या कर्मचारी वर्ग में होते हुए या जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा गया हो, सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करेगा।

सर्वजनिक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं किया जायेगा।

8-- कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन के प्रयोजन के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का न तो उपयोग करेगा और न उपयोग करने देगा।

अध्याय तीन शास्ति और प्रकिया

अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए शास्ति

9--जो कोई धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

जानकारी देने के लिए शास्ति

10--जो कोई धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

उपहति आदि कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति

11--जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उस पर हमला या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का या उपहति का या हमले का या सदोष अवरोध का, भयकारित करने की तैयारी करके धारा 9 या 10 के अधीन दण्डनीय अपराध करेगा, वह कारावास से,जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

प्रकिया

12--(1) धारा 9 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानती होगा।

(2) धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध का किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त

विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धरा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे संक्षिप्त विचारण पर लागू होंगे।

अध्याय चार—विविध

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

13—राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

14—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अन्य परीक्षा को जिसके सम्बन्ध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझती है, अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशन पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

15—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

16—(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्ययादेश, 1998 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के तद्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

[धारा–2 (ग) देखिये]

1– इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के अधीन माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षायें।

2– किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य परिषद् या निकाय द्वारा संचालित कोई परीक्षा।

आज्ञा से
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

संख्याः 61 / 1 / 98–सी0एक्स0–2

प्रेषक,

रवीन्द्र शंकर माथुर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिला मजिस्ट्रेट,उ0प्र0
2– समस्त पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,उ0प्र0,

गोपन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक : 20 मार्च,1998

विषयः **सार्वजनिक परीक्षा(अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1998 पारित किया गया है। अध्यादेश की प्रतियां आपको अलग से प्रेषित की जा रही हैं। इस अध्यादेश के जारी करने का उद्धेश्य यह है कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं तथा उ0प्र0 के किसी अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालयों या किसी अन्य परिषद् या निकाय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग पूरी तरह से रोका जाये और इस दुष्कर्म में जो लोग लिप्त हैं,उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। अध्यादेश के मुख्य प्राविधान निम्नवत् हैः–

1– अध्यादेश की धारा–3 के अनुसार किसी सार्वजनिक परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग निषेध किया गयाहै। जो परीक्षार्थी धारा–3 के उपबन्धों का उल्लंघन

करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा,धारा 9 के अन्तर्गत वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकती है या जुर्माने से जो रू0 2000/– तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा। यह अपराध संज्ञेय और जमानतीय (Cognizable and bailable) होगा।

2– अध्यादेश की धारा–4 में प्रश्न–पत्र की अप्राधिकृत प्राप्ति और प्रकटीकरण का निषेध किया गया है। धारा–5 के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिसे परीक्षा कार्य सौंपा गया है, द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कोई जानकारी देने का निषेध किया गया है। धारा–7 के द्वारा प्रबन्धतन्त्र इत्यादि के किसी व्यक्ति द्वारा किसी परीक्षार्थी का सहयोग करने का निषेध किया गया है। धारा–8 के द्वारा सार्वजनिक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग करने का निषेध किया गया है। उपरोक्त धारा–4, 5, 7 और 8 के उपबन्धों का जो व्यक्ति उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकती है या जुर्माने से, जो रू0 5000/– तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

3– अध्यादेश की धारा–6 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौंपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा के जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केन्द्र में मौजूद रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान करेगा।जो व्यक्ति उपरोक्त उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा,धारा–10 के अन्तर्गत वह कारावास से ,जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो रू0 5000/– तक हो सकता है या दोनों से, दण्डित किया जायेगा। यह अपराध संज्ञेय और अजमानतीय (Cognizable and Non-bailable) होगा।

4– अध्यादेश की धारा–11 के अनुसार जो व्यक्ति धारा–9 या धारा–10 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों को करने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या करने या घायल करने या बलात् रोकने की तैयारी करता है या हत्या करने/घायल करने/प्रहार करने/बलात् रोकने के लिए डराता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो रू0 5000/– तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा। यह अपराध संज्ञेय और अजमानतीय (Cognizable and Non- bailable) होगा।

2– इस अध्यादेश के प्राविधानों के कियान्वयन के लिए कृपया निम्नवत् कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जायेः–

1-- विभिन्न संचार माध्यमों से अध्यादेश के प्रावधानों का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाये। सम्भ्रान्त नागरिकों, अभिभावकों और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के विरूद्ध जागरूकता पैदा की जाये।

2-- आगामी सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले या इस प्रकार के दुष्कृत्य को आयोजित करने वाले नकल माफियाओं तथा कुख्यात व्यक्तियों के विरूद्ध अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिन व्यक्तियों का अनुचित साधनों के प्रयोग आयोजित करने का पूर्ववृत्त रहा हो, उनको चिन्हांकित कर उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य संगत अधिनियमों के अन्तर्गत कठोर निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाये।

3-- परीक्षाओं के दौरान जिन छात्र/छात्राओं को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाये, उनके विरूद्ध परीक्षा कक्ष पर्यवेक्षक/केन्द्र व्यवस्थापक/उड़नदस्ता प्रभारी या अन्य अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये। ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट केन्द्र व्यवस्थापक के माध्यम से थाना/चौकी भेज दी जाये।

4-- जिन छात्र/छात्राओं के विरूद्ध जमानती अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये, उनकी जमानत थाना/चौकी पर ही लेना इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे छात्र/छात्राएं शेष प्रश्न-पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रह जायें। गिरफ्तारी के समय ऐसे छात्र--छात्राओं को हथकड़ी न लगाई जाये।

3-- मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी हालत में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग न होने पाये।

भवदीय

रवीन्द्र शंकर माथुर

मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- प्रमुख सचिव,शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2-- सचिव,माध्यमिक शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3-- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
4-- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5-- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6-- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
7-- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
8-- निदेशक,उच्च शिक्षा,उत्तर प्रदेश।

9— निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
10— सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
शारदा प्रसाद
सचिव,गृह
उ0प्र0 शासन।

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या परिषद्- 9/795 दिनांक 21-3-1998

उपर्युक्त शासनादेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक(नाम से), उ0प्र0।
(2) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक(नाम से), उ0प्र0।
(3) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक(नाम से), उत्तर प्रदेश।
(4) क्षेत्रीय सचिव,क्षेत्रीय कार्यालय मा0शि0प0, उ0प्र0, मेरठ, वाराणसी, बरेली, इलाहाबाद तथा रामनगर (नैनीताल)।

अचला खन्ना
सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या: 60/1/98-सी0एक्स0-2/98

प्रेषक,

रवीन्द्र शंकर माथुर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-- समस्त जिला मजिस्ट्रेट,उ0प्र0
2— समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश।

गोपन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक : 1 अप्रैल,1998

विषयः सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम–1998 के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश,1998 पारित किया गया था जो अब 1998 के अधिनियम सं0 13 के रूप में अधिनियमित हो चुका है। इस अधिनियम के प्राविधानों को कठोरता से लागू करने के दृष्टिकोण से मुख्य सचिव के पत्र सं0–61/1/98–सी.एक्स.–2 दिनांक 20–3–1998 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। इस पत्र के पृष्ठ–3 के प्रस्तर–4 में यह निर्देश दिए गए थे कि "जिन छात्र/छात्राओं के विरूद्ध जमानती अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये, उनकी जमानत थाना/चौकी पर ही

लेना इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे छात्र/छात्रायें शेष प्रश्न–पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रह जांये।" शासन के संज्ञान में लाया गया है कि इससे छात्र/छात्राओं को जमानत के लिए चौकी/थाने पर जाना पड़ता है जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है और उनके मस्तिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी केन्द्र अधीक्षक सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को परीक्षा केन्द्र पर ही जमानत देगें। ऐसा करने में कोई विधिक कठिनाई नही होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या–1347/छः–पु0–9–20(10)(2)/91 दिनांक 10 मार्च,1998 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन नियुक्त सभी केन्द्र अधीक्षकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–21 के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्रदान की गयी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–44 के अन्तर्गत यदि ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध उसके कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वे अपराध करने वाले व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं तथा उसे जमानत पर रिहा कर सकते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–436 के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसे मजिस्ट्रेट उचित समझते हैं तो जमानत देने के स्थान पर उस व्यक्ति को निजी मुचलके पर भी बिना जमानतदार के रिहा कर सकते हैं।

2– मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी हैं कि कृपया अधिनियम के कियान्वयन हेतु तत्काल निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करायें:–

(1) सभी केन्द्र अधीक्षकों को उपरोक्त प्रावधानों से अवगत कराते हुए यह निर्देश दिए जायें कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले छात्र/छात्राओं के पकड़े जाने की स्थिति में उन्हें अपने स्तर से गिरफ्तार करने और परीक्षा केन्द्र में ही जमानत देने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि वे उचित समझते हैं तो जमानत के स्थान पर वे सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को निजी मुचलके पर भी रिहा कर सकते हैं और एक सप्ताह के अन्दर छात्र/छात्राओं के माता–पिता/अभिभावकों को जमानत देने के लिए आदेश दे सकते हैं।

(2) परीक्षा केन्द्र के अन्दर अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने का पूर्ण दायित्व केन्द्र व्यवस्थापकों का है। उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां भी प्रदान की गयी है, इसलिए उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि किसी परीक्षा केन्द्र के अन्तर्गत अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना पाया जाता है और कक्ष पर्यवेक्षक या केन्द्र अधीक्षक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं रोकते हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियम के

प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करते हैं तो सचलदस्ते या अन्य प्राधिकृत अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिल पाये जाते हैं या अनुचित साधनों के प्रयोग में उनकी दुरभिसन्धि/मौन सहमत पायी जाती है तो अधिनियम की धारा–10 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया जाय। ऐसा होने की स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा नये केन्द्र अधीक्षक की नियुक्ति की जायेगी और केन्द्र अधीक्षक के रूप में नियुक्ति समाप्त होते ही उसके कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(3) सभी केन्द्र अधीक्षकों को पर्याप्त संख्या में जमानत/मुचलके/जमानतदार के प्रपत्र उपलब्ध करा दिया जाय और उनके भरने आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रशिक्षण द दिया जाय।

3– अतः अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले छात्र/छात्राओं को किसी भी हालत में थाने या जेल में न रखा जाये और न ही गिरफ्तार करने के बाद उन्हें हथकड़ी या जंजीर पहनाई जाय अपितु परीक्षा केन्द्र पर ही जमानत या निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाय। यह भी आवश्यक नहीं है कि जमानत का मुचलका भरने के कार्यवाही परीक्षा के दौरान ही कराई जाय। उचित होगा कि केन्द्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद अपने कार्यालय में जमानत अथवा मुचलका भराने की कार्यवाही की जाये।

4– अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय और अनुचित साधनों का प्रयोग कराने वाले या अनुचित साधनों के प्रयोग का आयोजन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर ऐसा वातावरण तैयार किया जाय कि ऐसा दुष्कृत्य करने का कोई दुस्साहस न कर सके।

भवदीय

रवीन्द्र शंकर माथुर
मुख्य सचिव

पृ०सं०60/1/98–सी0एक्स0–2,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव,शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

2– सचिव,माध्यमिक शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

3– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

4– पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश।

5– समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।

6– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उत्तर प्रदेश

7- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।

8- निदेशक,उच्च शिक्षा,उत्तर प्रदेश।

9- निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

10- सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
शारदा प्रसाद
सचिव,गृह।

कार्यालय,सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

पृ0सं0- परिषद्-9/ 01 दिनांक 02 अप्रैल,1998।

उपर्युक्त शासनादेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक(नाम से) उत्तर प्रदेश।
2- सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक(नाम से) उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक(नाम से) उत्तर प्रदेश।
4- क्षेत्रीय सचिव(नाम से) क्षेत्रीय कार्यालय,माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, मेरठ/ वाराणसी/ बरेली/ इलाहाबाद।

अचला खन्ना
सचिव।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 1998 के अधीन की गयी कार्यवाही के न्यायालय में लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 जनवरी,1999 को अपरान्ह 4 बजे हुई बैठक का कार्यवृत्त

बैठक मे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव न्याय,सचिव माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा एवं गृह विभाग के अधिकारी द्वारा भाग लिया गया।

2– गृह विभाग के अधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उनके पास उपलब्ध जुलाई, 1998 की सूचना के अनुसार उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत 18639 छात्रों एवं 60 अध्यापकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी, जिनमें से 14673 छात्रों एवं 59 अध्यापकों के विरूद्ध चार्जशीट लगाई जा चुकी है।

3-- प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि इस तरह के मामलों में विधिक कार्यवाही एव विभागीय कार्यवाही एक साथ की जा सकती है,अर्थात् सम्बन्धित परीक्षार्थी के विरूद्ध न्यायालय में भी अभियोजन की कार्यवाही चलेगी और साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय अपने नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित परीक्षार्थियों को आगामी परीक्षा से निषिद्ध आदि करने की कार्यवाही कर सकते है।

4– बैठक में लम्बित मामलों के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई क्योंकि यह मामले संवेदनशील हैं एवं इनसे छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। अतः इन मामलों के शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता है।

5–सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए गए–

(1) प्रमुख सचिव, न्याय इस मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्त कराये जाने की कार्यवाही करेंगे।

(2) गृह विभाग जिलों के कलेक्टरों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देगें कि इन मामलों की मानीटरिंग सेल की बैठक एवं अभियोजन की बैठकों में समीक्षा की जाये।

गृह विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि जनपदवार कितने मामले माध्यमिक स्तर के हैं तथा कितने मामले विश्वविद्यालय स्तर के हैं? कितने मामलों में चार्जशीट अन्तिम रिपोर्ट लग चुकी है एव कितने मामलों में न्यायालय में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नांकित के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जाय:–

(1) परीक्षाओं के दौरान जिन छात्र/छात्राओं को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाय, उनके विरूद्ध परीक्षा कक्ष पर्यवेक्षक, केन्द्र व्यवस्थापक, उड़नदस्ता प्रभारी या अन्य अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाय। सभी केन्द्र अधीक्षक सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को परीक्षा केन्द्र पर ही निजी मुचलके पर जमानत देगें।सभी केन्द्र अधीक्षकों को दण्डप्रकिया संहिता 1973 की धारा 21 के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्रदान की गयी है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत यदि ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध उसके कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह अपराध करन वाले व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं तथा उसे जमानत पर रिहा कर सकते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसे मजिस्ट्रेट उचित समझते हैं तो जमानत देने के स्थान पर उस व्यक्ति को निजी मुचलके पर भी विना जमानतदार के रिहा कर सकते हैं।

(2) यदि किसी परीक्षा केन्द्र के अन्तर्गत अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना पाया जाता है और कक्ष पर्यवेक्षक या केन्द्र अधीक्षक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं रोकते हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करते हैं, तो सचल दस्ते या अन्य प्राधिकृत अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा वे अपने कर्तव्यों के

निर्वहन में शिथिल पाये जाते हैं या अनुचित साधनो के प्रयोग में अपनी दुरभिसंधि/मौन सुसंगति पायी जाती है, तो अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया जाय। ऐसा होने की स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा नये केन्द्र अधीक्षक की नियुक्ति की जायेगी और केन्द्र अधीक्षक के रूप में नियुक्ति समाप्त होते ही उसके कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(3) अधिनियम के उक्त प्रावधानानुसार परिषदीय परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के पकड़े जाने की स्थिति में उनके खिलाफ सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर परीक्षा केन्द्र पर ही निजी मुचलके पर जमानत या रिहा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें यह आवश्यक नहीं है कि जमानत या मुचलका भरने की कार्यवाही परीक्षा के दौरान ही करायी जाय। उचित होगा कि केन्द्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद अपने कार्यालय में जमानत अथवा मुचलका भराने की कार्यवाही की जाय। इसके लिए सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को पर्याप्त संख्या में जमानत/मुचलके/जमानतदार के प्रपत्र उपलब्ध करा दिए जायें और उनके भरने आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रशिक्षण दे दिया जाय।

(4) वर्ष 2000 की परीक्षा में कई प्रकरण ऐसे प्रकाश में आये हैं, जिनमें केन्द्रव्यवस्थापकों द्वारा परीक्षार्थियों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है परन्तु उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज नहीं करायी गयी है। इसकी सूचना परिषद् को भी नहीं दी गयी। ऐसे मामले भी प्रकाश में आये हैं, जहॉं पर केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा सम्बन्धित थानों में एफ0आई0आर0 तो दर्ज करायी गयी परन्तु अपनी आख्या, पकड़ी गयी उत्तर पुस्तक तथा अविहित सामग्री परिषद् को न भेजकर सम्बन्धित थानों में ही जमा कर दी गयी। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में परिषद् को व्यापक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(5) शासन द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि जो परीक्षार्थी परीक्षाओं में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकडे जांय उनके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही एक साथ की जा सकती है अर्थात् सम्बन्धित परीक्षार्थी के विरूद्ध न्यायालय में भी अभियोजन की कार्यवाही चलेगी और साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् अपने नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित परीक्षार्थियों को आगामी परीक्षा से निषिद्ध आदि करने की कार्यवाही कर सकती है।

उपर्युक्त के आलोक में परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :–

(1) नकल अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जो परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़े जायें, उनके विरूद्ध केन्द्र व्यवस्थपकों द्वारा सम्बन्धित थानों में एफ0आई0आर0 अवश्य दर्ज करायी जाय। जिन परीक्षार्थियों को निजी मुचलके

पर केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा छोड़ा जाय, ऐसे परीक्षार्थियों के विरूद्ध भी थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाय।

(2) अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तक, अविहित सामग्री (साक्ष्य) तथा थानों में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति परिषद् कार्यालय को केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा प्रेषित की जायेगी। परिषद् द्वारा ऐसे मामलों में परिषद् विनियमों के अध्याय 6--ख में उल्लिखित प्रावधानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) थानों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार माननीय न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई के दौरान परीक्षार्थी से सम्बन्धित उत्तर पुस्तक, अविहित सामग्री अथवा अन्य साक्ष्यों की जब आवश्यकता होगी तद्नुसार परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) परीक्षार्थी द्वारा नकल अधिनियम की धारा–3 के उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध धारा–12 (3) के अनुसार न्यायिक प्रकियानुसार माननीय न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा आरोप प्रमाणित होने पर धारा–9 के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

इसी प्रकार नकल करते रंगे हाथ पकड़े गए परीक्षार्थियों के विरूद्ध परिषद् द्वारा केन्द्र व्यवस्थापक की आख्या, उत्तर पुस्तक तथा अविहित सामग्री के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। परिषद् द्वारा परीक्षार्थी के विरूद्ध लिए गए निर्णय से सम्बन्धित केन्द्र के केन्द्र व्यवस्थापको को अवगत कराया जायेगा ताकि वे परिषद् के निर्णय से माननीय न्यायालय को अवगत करा सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग–7
संख्या 1014/15–7–1998
लखनऊः दिनांक 17 मार्च,1998

अधिसूचना

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–2 सन् 1921) की धारा 2 के खण्ड (घघ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को उक्त अधिनियम के अधीन मण्डलीय शिक्षा उपनिदेशक के समस्त कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

आज्ञा से

अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0 परिषद–9–31 दिनांक 4–5–1998

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।

4– क्षेत्रीय सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ / बरेली / वाराणसी / इलाहाबाद तथा रामनगर (नैनीताल)।

अचला खन्ना
सचिव

प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,
समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: परिषद–9/74 दिनांक 28–5–98

विषय:– प्रदेश में हाईस्कूल स्तर पर दस वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम लागू किए जाने के फलस्वरूप पढाने के लिए पीरियड्स का निर्धारण।

महोदय / महोदया,

शासन ने पत्रांक 5621/15–7–1(119)/1992, दिनांक 14 जनवरी,1998 द्वारा निर्देश दिया है कि प्रदेश में हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा सत्र जुलाई, 1998 से दस वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम लागू किया जाय तथा तदनुसार हाईस्कूल स्तर पर वैकल्पिक विषयों को सीमित किया जाय। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार और शैक्षिक स्तरोन्नयन हेतु व्यवस्था लागू किए जाने के फलस्वरूप हाईस्कूल परीक्षा को निम्नवत सरलीकृत किए जाने का शासन ने निर्णय लिया है:

(1) हाईस्कूल स्तर पर वैकल्पिक विषय सीमित किए जाने के फलस्वरूप अब हाईस्कूल की परीक्षायें विभिन्न वर्गों में नहीं ली जायेगी। हाईस्कूल के परीक्षार्थियों हेतु अब सामान्य रूप से 6 विषयों का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।

(2) हिन्दी जो एक अनिवार्य विषय है उसमें 3 प्रश्न–पत्रों के स्थान पर 2 प्रश्न–पत्रों में परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी के द्वितीय प्रश्न–पत्र में संस्कृत का अंश जोड़ा जायेगा।

(3) गणित में दो पाठ्यक्रम गणित और प्रारम्भिक गणित लागू किए जायें तथा दो प्रश्न–पत्रों में परीक्षा ली जाय। गणित पाठ्यक्रम उच्च पाठ्यक्रम होगा और इसे वही छात्र लेंगे

जिन्हें इण्टर स्तर पर वैज्ञानिक वर्ग लेना होगा। बालिकाओं को गणित के स्थान पर गृह–विज्ञान लेने की छूट, जो वर्तमान में प्रचलित है उसे यथावत रखा जाय।

(4) विज्ञान–1 तथा विज्ञान–2 के स्थान पर विज्ञान का एक ही पाठ्यक्रम लागू किया जाय। विज्ञान विषय में जीव विज्ञान का अंश रखा जाय। जीवविज्ञान विषय हाईस्कूल में पृथक से अध्ययन न कराया जाय। विज्ञान विषय की परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों में ली जाय।

(5) हाईस्कूल स्तर पर ली जाने वाली अन्य विषयों की परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों की संख्या एक ही होगी जिसका पूर्णांक 100 होगा।

(6) हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान/गृहविज्ञान विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षायें नहीं ली जायेंगी। हाईस्कूल कक्षाओं में इन विषयों के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषयक कार्य केवल विद्यालय स्तर पर कराया जायेगा और इसमें आन्तरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी जिसका विधिवत् उल्लेख अंक पत्र में किया जायेगा। नैतिक, शारीरिक पर्यावरणीय तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में भी प्रदत्त ग्रेड अंक पत्र में उल्लेख किए जायेंगे।

(7) कक्षा–9 एवं 10 का पाठ्यक्रम पृथक–पृथक निर्धारित किया जाय। हाईस्कूल परीक्षा का आयोजन केवल कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाय। कक्षा–9 के पाठ्यक्रम की परीक्षा विद्यालय की आन्तरिक रहेगी।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था हेतु निम्नलिखित पाठ्यचर्या निर्धारित की गयी है–

1–हिन्दी अथवा हिन्दी से छूट पाने वाले छात्रों के लिए प्रारम्भिक हिन्दी	2 प्रश्न–पत्र (50–50अंकों के)
2–एक आधुनिक भारतीय भाषा–(गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम)– अथवा एक आधुनिक विदेशी भाषा–(अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नैपाली, तिब्बती, चीनी)– अथवा एक शास्त्रीय भाषा–(संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, लैटिन)	1 प्रश्न–पत्र (100 अंक)
3–गणित/प्रारम्भिक गणित अथवा गृह विज्ञान(केवल बालिकाओं के लिए)	2 प्रश्न–पत्र(50–50 अंकों के) 1 प्रश्न–पत्र(100 अंक में)

4—सामाजिक विज्ञान	1 प्रश्न—पत्र (100 अंक के)
5 - विज्ञान	2 प्रश्न—पत्र (50—50अंकों के)
6— निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त विषयः— (क) एक शास्त्रीय भाषा—(संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, लैटिन) अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा—(गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम) अथवा एक आधुनिक विदेशी भाषा—(अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नैपाली, तिब्बती, चीनी) (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप मे क्रम संख्या 2 पर न लिया गया हो) (ख) संगीत (गायन) (ग) संगीत (वादन) (घ) वाणिज्य (ड) चित्रकला (च) कृषि (छ) गृह विज्ञान (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में न लिया गया हो) (ज) सिलाई (झ) रंजनकला	1 प्रश्न—पत्र (100 अंकों के)
7—नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य एवं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा (इस विषय का आन्तरिक मूल्यांकन होगा। इसमें प्रदत्त ग्रेड अंक पत्र में अंकित किए जायेगें।)	

वर्तमान में हाईस्कूल कक्षाओं में राजाज्ञा संख्या 8125/पन्द्रह—8—3086—74, दिनांक 20 नवम्बर,1977 के अनुसार प्रति प्रश्न—पत्र 3 कालांश और प्रयोगात्मक में 2 कालांश का मानक है। इसके आधार पर सामान्य रूप में नवीन पाठ्यचर्या के अनुसार कक्षा—9 तथा 10 में सप्ताह में 48 कालांशों का वितरण दैनिक अध्यापन में निम्नवत किया जाना चाहिए—

1– प्रथम भाषा	9 कालांश
2– द्वितीय भाषा	6 कालांश
3– गणित / प्रारम्भिक गणित	8 कालांश
अथवा	
गृह विज्ञान (बालिकाओं के लिए)	6+2 कालांश प्रयोगात्मक
4– विज्ञान	6 कालांश+2 कालांश(प्रयोगात्मक के लिए)
5– सामाजिक विज्ञान	6 कालांश
6– अतिरिक्त विषय	6 कालांश+2 कालांश(प्रयोगात्मक के लिए)
7– नैतिक,शारीरिक शिक्षा एवं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा	3 कालांश

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जो छात्र अतिरिक्त विषयों में प्रयोगात्मक विषयों का चयन न करें उनके खाली कालांशों का प्रयोग नैतिक, शारीरिक शिक्षा एवं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा या अन्य विषयों को अधिक कालांश देकर किया जाय।

कृपया दस वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित इस नवीन–पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में अपना पूर्ण योगदान दें।

भवदीय
अचला खन्ना
सचिव

पृष्ठांकन संख्या परिषद्–9/74 (1–6) तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1– समस्त सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
2– समस्त सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक(मा0),उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
4– क्षेत्रीय सचिव,क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ,वाराणसी,बरेली,इलाहाबाद तथा रामनगर (नैनीताल)।
5– वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, 18 पार्करोड, लखनऊ।
6– संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग,लखनऊ।

अचला खन्ना
सचिव

1– प्रथम भाषा	9 कालांश
2– द्वितीय भाषा	6 कालांश
3– गणित/प्रारम्भिक गणित	8 कालांश
अथवा	
गृह विज्ञान (बालिकाओं के लिए)	6+2 कालांश प्रयोगात्मक
4– विज्ञान	6 कालांश+2 कालांश(प्रयोगात्मक के लिए)
5– सामाजिक विज्ञान	6 कालांश
6– अतिरिक्त विषय	6 कालांश+2 कालांश(प्रयोगात्मक के लिए)
7– नैतिक,शारीरिक शिक्षा एवं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा	3 कालांश

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि जो छात्र अतिरिक्त विषयों में प्रयोगात्मक विषयों का चयन न करें उनके खाली कालांशों का प्रयोग नैतिक, शारीरिक शिक्षा एवं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा या अन्य विषयों को अधिक कालांश देकर किया जाय।

कृपया दस वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित इस नवीन–पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में अपना पूर्ण योगदान दें।

भवदीय
अचला खन्ना
सचिव

पृष्ठांकन संख्या परिषद्–9/74 (1–6) तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1– समस्त सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
2– समस्त सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक(मा0),उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
4– क्षेत्रीय सचिव,क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ,वाराणसी,बरेली,इलाहाबाद तथा रामनगर (नैनीताल)।
5– वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, 18 पार्करोड, लखनऊ।
6– संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग,लखनऊ।

अचला खन्ना
सचिव

संख्या: 2355 / 15–7–2001–1(77) / 1992

प्रेषक,

पी0के0झा
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा(7) अनुभाग   लखनऊ दिनांक: 22 जनवरी, 2001

विषय: पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित सतत अध्ययन सम्पर्क योजना, जो सम्प्रति प्रदेश के 86 राजकीय इण्टर कालेजों तथा 16 अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में कक्षा–11 एवं 12 में संचालित है, पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया है कि सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना एक तरह से पत्राचार पर आधारित न होकर नियमित शिक्षण आधारित योजना बन गयी है और इसमें डिस्टेंट लर्निंग कम्पोनेंट का पूर्ण अभाव है। अतः इसकी उपादेयता वस्तुतः समाप्त हो गयी है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना को शैक्षिक सत्र 2000–2001 से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2- प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जिन छात्रों का प्रवेश माह अगस्त, 2000 में कक्षा–11 में किया गया है उन छात्रों को उन्हीं विद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में नियमित कर दिया जाय और उनके द्वारा पत्राचार पंजीकरण के रूप में जो शुल्क जमा कराया गया है उसका समायोजन सम्बन्धित विद्यालय में संस्थागत छात्रा के रूप में कर लिया जाय।

3- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
पी0के0झा
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: (1) / 15–7–2001   तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– अपर शिक्षा निदेशक(पत्राचार) शिक्षा संस्थान,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3– उप शिक्षा निदेशक (नियोजन) शिविर कार्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4— सचिव, मा0शि0प0,उ0प्र0,इलाहाबाद।
5— आई0 एफ0 ए0—2
6— नियोजन—4 / शिक्षा अनुभाग—3
7— वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
8— गार्ड बुक

आज्ञा से
श्याम सुन्दर अग्निहोत्री
संयुक्त सचिव।

अ0शा0प0 / परिषद—9 / 723

अचला खन्ना
सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश।
इलाहाबाद: दिनांकः 02 फरवरी ,2001

प्रिय महोदय,

आप अवगत ही हैं कि संसद द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल 2000 के अनुसार उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया है, परन्तु उत्तरांचल राज्य के परिषदीय परीक्षाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रचलित अधिनियम / नियमों के अनुसार सम्पादित किए जा रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि उत्तरांचल राज्य में अभी तक माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय कार्यालय, रामनगर (नैनीताल) में स्थित है, जहाँ से उत्तरांचल राज्य के सभी जिलों (हरिद्वार सहित) का परीक्षा पूर्व तथा परीक्षोत्तर का समस्त कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

संसद द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल 2000 की धारा 87 का उद्धरण संलग्न है, जिसमें प्रावधानित किया गया है कि उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि से पूर्व निर्मित किसी कानून को लागू करना सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उचित सरकार उस तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व शासनादेशों द्वारा ऐसे कानूनों,ऐसे अनुयोजनों और सुधारों को तैयार कर सकती है, चाहे खण्डन द्वारा या संशोधन द्वारा जैसी आवश्यकता हो या हितकर हो और तत्पश्चात् प्रत्येक इस प्रकार का कानून इस प्रकार किए गए अनुयोजनों और सुधारों के प्रतिबन्धों के साथ प्रभावी होगा, जब तक कि उसे एक अधिकृत विधान मण्डल द्वारा या अन्य सक्षम, इकाई द्वारा परिवर्तित, खण्डित या संशोधित न किया गया हो।

तदनुसार जब तक उत्तरांचल राज्य द्वारा अपने कार्यों के संचालन हेतु विधान मण्डल / सक्षम इकाई द्वारा अधिनियम / विनियम नहीं बना लिया जाता तब तक उत्तर प्रदेश में प्रचलित अधिनियम / विनियम यथावत् उत्तरांचल राज्य में लागू रहेंगे।

उक्त से स्पष्ट है कि परिषदीय परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तरांचल राज्य के सभी जिलों (हरिद्वार सहित) की हाईस्कूल तथा इण्टरमीएिट परीक्षाओं का समस्त कार्य (परीक्षा पूर्व तथा परीक्षोत्तर मान्यता आदि)इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 तद्धीन बनाये गए विनियमों एवं नियमों के अनुसार ही संचालित ~~किए जायेगें,~~ जब तक उत्तरांचल राज्य द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विधिवत् गठन अथवा अधिनियम/विनियम का उपयुक्त प्रावधान नही कर लिया जाता।

कृपया उक्त के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत

भवदीय,

अचला खन्ना

(1) संयुक्त शिक्षा निदेशक (नाम से)

----

(2) उप शिक्षा निदेशक (नाम से)

पृष्टांकन संख्याः परिषद्–9/723 (1) उसी तिथि को।

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित आपको उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

भवदीय,

अचला खन्ना

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक (नाम से)

----

(2) क्षेत्रीय सचिव(नाम से)
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय--------

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल–2000 की धारा–87 का उद्धरण–

87 For the purpose of facilitating the application in relation to the state of Uttar Pradesh or Uttaranchal of any law made before the appointed day. The appropriate Government may, before the expiration of two years from that day by order, make such adaptations and modifications of the law,whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient,and there upon every such law shall have effect subject to the adaptations and modifications so made until altered, repealed or amended by a competent legislature or other competent-authority.

EXPLAINATION- In this section, the expression "Appropriate Government" means as respects any laws relating to a matter enumerated in the union list, The Central Government, and as respects any other law in its applacation to a state , The state government.

संख्या: 5665/15–7–2(21)/1988

प्रेषक,

श्री रामलाल शर्मा
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उ0प्र0,लखनऊ।

शिक्षा–7 अनुभाग लखनऊ,दिनांक 7 सितम्बर,1988

महोदय,

शासन को सम्बोधित आपके अ0शा0पत्रांक: परिषद्–9/डी0ई0/890 दिनांक 11–8–1988 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा की प्राण प्रतिष्ठता करने के निमित्त ऐसा करना लोक हित में है, अतः माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निम्नलिखित प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया जाता है कि इस प्रसंग में अध्यापकों के कोई नये पद सृजित न किए जांय।

"व्यवसायिक ट्रेड प्रत्येक वर्ग में तीन विषयों के समकक्ष होगें। अपने सम्बन्धित वर्ग के अन्तर्गत स्वतः मान्यता प्राप्त माने जायेगें, यदि विद्यालय मान्यता प्राप्त वर्ग के अन्तर्गत आने वाले ट्रेड का चयन करते हैं तो उस ट्रेड के लिए उन्हे अलग से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही यदि कोई विद्यालय ऐसे ट्रेड का चयन करता है जिस ट्रेड की मान्यता उस विद्यालय में नहीं है, तो पहले ट्रेड से सम्बन्धित वर्ग की वित्त विहीन मान्यता लेना होगा, तदुपरान्त उस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले ट्रेड को पढ़ाया जा सकेगा, अर्थात् उस ट्रेड के विषय की मान्यता वर्ग की मान्यता के साथ स्वतः मानी जायेगी।"

2– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सुनिश्चित करें।

भवदीय
रामलाल शर्मा
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0: 5665(1)15–7–88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री महानन्द मिश्र, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
ह0/–
(रामलाल शर्मा)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पृ0सं0:परिषद्–9/381 दिनांक 09–09–1988

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– क्षेत्रीय सचिव क्षे0का0,मेरठ/बरेली/वाराणसी/इलाहाबाद।

2– अपर सचिव(शोध) / (पा0पु0रा0) अनु0,मा0शि0प0 मुख्यालय, इलाहाबाद।

3– उप सचिव(मान्यता) मुख्यालय, इलाहाबाद।

4– स्टेनो सचिव / अपर सचिव(प्र0) मा0शि0प0 इलाहाबाद।

5– सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।

6– अपर शिक्षा निदेशक(पत्राचार) पत्राचार शिक्षा संस्थान,उ0प्र0, इलाहाबाद।

7– अपर शिक्षा निदेशक(मा0)शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0 इलाहाबाद।

8– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

9– समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

10– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

ह0 / –
उप सचिव(परिषद)

भाग दो–क

टिप्पणी--परिषद् के निश्चयानुसार इन विनियमों में समय–समय पर संशोधन होते रहते हैं। ऐसे समस्त संशोधनों की सूचना राजकीय गजट में दी जाती है।

अध्याय एक

प्रशासन की योजना

(धारायें 16–क, 16–ख और 16–ग)

प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य

1– किसी संस्था की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे:--

(1) प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य, जैसी स्थिति हो।

(2) एक वर्ष की अवधि के लिए दो अध्यापक जिनमें से प्रत्येक का बारी--बारी से ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित ढंग से चयन होगा–––

2– ज्येष्ठता के आधार पर बारी--बारी से चयन किए जाने के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा संस्था के समस्त मौलिक सेवा वाले अध्यापकों की एक ज्येष्ठता सूची रखी जायगी। यह सूची उस संस्था में उसकी स्थायी नियुक्ति की तिथि तथा इस प्रकार दो अथवा उससे अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में उनकी ज्येष्ठता, उनकी आयु की ज्येष्ठता पर निर्धारित की जायेगी।

3– प्रथमतः इसी सूची में से दो ज्येष्ठतम अध्यापकों का प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य के रूप में चयन किया जायेगा। निदेशक द्वारा प्रशासन की योजना स्वीकृत होने के पश्चात प्रबन्ध समिति गठित होने की तिथि से उनकी अवधि प्रारम्भ होगी। उनकी अवधियाँ समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व एक अथवा दोनों अध्यापकों द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग--पत्र देने अथवा संस्था की सेवा में न रहने पर हुए रिक्त स्थान या स्थानों की पूर्ति के लिए ज्येष्ठता सूची में आने वाले अध्यापक/अध्यापकों का उसके/उनके स्थान पर पूरी अवधि के लिए चयन किया जायगा। एक अध्यापक की पदेन सदस्यता एक पद क्रम अथवा वर्ग से दूसरे में पदोन्नत अथवा पदावनत होने पर अपनी अवधि के बीच समाप्त न होगी।

4– प्रबन्धक ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा और उसका लेखा रखेगा, जिसमें दिखाया जायेगा कि एक अध्यापक किसी तिथि से अपने ज्येष्ठता की गणना करने का अधिकारी है। सूची को अन्तिम रूप देने के पूर्व वह उसकी एक प्रति संस्था के प्रत्येक अध्यापक को देगा

और प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर किसी अध्यापक द्वारा की गयी आपत्ति का प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

5– समिति के निर्णय से असन्तुष्ट कोई भी अध्यापक उसे निर्णय की सूचना मिलने के पन्द्रह दिन के भीतर निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका के यहाँ, जैसी कि स्थिति हो, अपील करेगा, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

6– अन्तिम रूप दिए जाने के बाद सूची की एक प्रति प्रत्येक अध्यापक को, संस्था के प्रधान को, निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को निर्देश एवं अभिलेख हेतु दी जायेगी। अध्यापकों की संख्या या एक वर्ग के अध्यापकों के पद--क्रम में हुए परिवर्तन सूची में यथाविधि कर दिए जायेगें और समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को इसकी सत्वर सूचना दे दी जायेगी। परिवर्तन से असन्तुष्ट कोई भी अध्यापक सूचना मिलने के एक माह के भीतर प्रबन्ध समिति के समक्ष आपत्ति कर सकता है और उस आपत्ति पर विनियम 4 के अन्तर्गत की गई आपत्ति के समान विचार किया जायेगा।

7– समिति की, जिसके लिए उसका चयन हुआ है, पदेन सदस्यता अस्वीकार करने पर अथवा किसी भी कारणवश अपनी अवधि का उपयोग करने में असमर्थ होने पर एक अध्यापक सदस्यता का तब तक पुनः पात्र न हो सकेगा जब तक कि ज्येष्ठता सूची का पूरा चक्र पूर्ण न हो जाय।

8– पदेन–सदस्य किसी चन्दा का देनदार न होगा।

आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य

9– प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य एक प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के समस्त कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उन सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसके पद से सम्बन्धित होगा। प्रबन्ध समिति के प्रति संस्था के प्रबन्धक द्वारा इन समस्त कर्तव्यों का यथाविधि पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए उसे आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे।

10– प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य अपनी संस्था के आन्तरिक प्रबन्ध एवं अनुशासन जिसमें अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी रहेगा और उसे उसके लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे---

(1) छात्रों की भर्ती तथा विद्यालय छोड़ना और उन्हें दण्ड, जिसमें निष्कासन एवं निष्कासन के लिए संस्तुति भी सम्मिलित है,पाठ्य–पुस्तकों का चयन, पुस्तकालय, वाचनालय एवं पुरस्कारों के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का चयन, समय–सारिणी की व्यवस्था करना तथा अध्यापक–वर्ग के विद्यालय कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्त्तव्यों का नियत करना, परीक्षायें एवं जाँच कराना, छात्रों की पदोन्नति एवं निरोध, समस्त प्रपत्रों और

विद्यालय पंजिकाओं तथा छात्रों की प्रगति आख्याओं का अनुरक्षण तथा उनके अभिभावकों को सूचित करना, विद्यालय के लिए आवश्यक उपस्कर (फर्नीचर), सज्जा एवं साधित के लिए तथा उसकी मरम्मत और बदलवाने के लिए अधियाचन तैयार करना, खेल–कूद एवं पाठ्यानुवर्ती कार्यकलापों का संगठन,छात्रों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए व्यवस्था करना, अध्यापक वर्ग की सेवाओं का विद्यालय परिसर के भीतर अथवा बाहर शैक्षिक कार्यक्रम के लिए उपभोग करना, निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति नियन्त्रण एवं दण्ड, जिसमें पृथक्करण एवं विसर्जन भी सम्मिलित है, अधीक्षक द्वारा छात्रावास का नियन्त्रण:

(2) अध्यापकों, लिपिकों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं निम्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें एवं चरित्र पंजियां रखना, उनकी चरित्र–पंजियों में प्रविष्टियां करना तथा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना देना, लिपिकों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का नियन्त्रण तथा देखभाल उनका निलम्बन तथा उनके स्थायीकरण, पदोन्नति तथा दक्षता–रोक पार करने की संस्तुति करना, संस्था के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना, प्रबन्ध समिति को अध्यापकों, लिपिकों तथा पुस्तकाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना, शैक्षिक परीक्षाओं में बैठने के प्रार्थना–पत्रों को आदेशार्थ समिति को संस्तुत करना, अध्यापकों को निजी–गृह शिक्षण की अनुमति देना। बालकों की समस्त निधियों का नियन्त्रण तथा प्रशासन, प्रधानाचार्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि जो निधि जिस कार्य के लिए स्वीकृत है, उसी मद में व्यय की जाय। यदि किसी मद में बचत हो तो उस निधि का शुल्क लेना बन्द करना। प्रबन्ध द्वारा स्वीकृत सख्या में निःशुल्कता तथा अर्द्ध निःशुल्कता प्रदान करना, वृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों की धनराशि का निकालना तथा वितरण।

11– वित्तीय एवं अन्य मामलों में, जिनके लिए वह पूर्णतः उत्तरदायी नहीं हैं, प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य प्रबन्धक के द्वारा निर्गत प्रबन्ध समिति के निर्देशों का पालन करेगा।

12– प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य संस्था के अध्यापक वर्ग तथा प्रबन्ध समिति के बीच पत्र–व्यवहार का माध्यम होगा।

प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कार्य

13– प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कार्य निम्नलिखित होंगे–

(1) अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रधानाध्यापक, आचार्य,अध्यापक, मेट्रेन, लिपिक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति,

दक्षतारोक पार करने की स्वीकृति, निलम्बन तथा दण्ड विधान(जिसमें पृथक्करण एवं नियुक्ति भी सम्मिलित हैं)।

(2) संस्था के प्रधान प्रवन्धक द्वारा कर्मचारियों की सेवा पंजियों में की गयी प्रविष्टियों के विरूद्ध अपीलों पर निर्णय देना।

(3) जहाँ प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य को अधिकार प्राप्त है, उनके अतिरिक्त संस्था के कर्मचारियों को ग्राह्य समस्त अवकाश स्वीकृत करना।

(4) बालकों की निधियों को छोड़कर संस्था की समस्त धनराशियों, प्रतिभूतियां(जमानतों) सम्पत्ति तथा सन्दानों का नियन्त्रण तथा प्रवन्ध एवं उनकी निरापद परिरक्षा, विनियोग, मरम्मत, अनुरक्षण और विधिक रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

(5) शासन से प्राप्त अनुरक्षण और विकास अनुदानों तथा प्रतिपूर्तियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना।

(6) संस्था के लिए समस्त आय(छात्रवृत्तियां और बालकों की निधियों को छोड़कर) चन्दा, दान, भेंट, लाभांश, ब्याज, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसके अधिकारों एवं कार्यों से उठने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा कराना।

प्रशासन की योजना का अनुमोदन

14- मुख्य सिद्धान्त जिस पर प्रशासन की योजना का अनुमोदन किया जायेगा यह होगा कि वह निम्नांकित नियमों के अनुसार हो--

(अ) प्रशासन की योजना प्रबन्ध समिति के उचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था करें।

(आ) प्रबन्ध समिति गठित करने की विधि, उसके सदस्यों की योग्यतायें, एवं अयोग्यतायें, उनके कार्यकाल की अवधि, उसकी बैठकें बुलाने और उनमें कार्य संचालित करने की विधि निर्धारित की जायेगी।

(इ) समस्त निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जायेंगे और प्रतिनिधान के अधिकार, यदि कोई हुए तो सीमित होंगे तथा स्पष्ट रूप से कथित होंगे।

(ई) प्रबन्ध समिति एवं उसके सदस्यों के अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से कथित होंगे।

(उ) अधिकारों का वितरण भली--भाँति संतुलित रहेगा तथा व्यक्तिगत और वर्गीय हितों की प्रधानता का परिहार होगा।

(ऊ) आचार्य, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के चयन के लिए समिति का गठन एवं अधिनियम और विनियमों के अन्तर्गत उसके कार्यान्वयन का प्राविधान।

(ए) प्रशासन की योजना यह व्यवस्था करेगी कि संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्त और दशायें अधिनियम और विनियमों से अनुशासित होगी।

(ए) प्रशासन की योजना संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण एवं सुरक्षा और निधियों के विनियोग एवं उपयोग के साथ ही लेखा की नियमित जाँच और सम्परीक्षण की व्यवस्था करेगें और उनके दुर्विनियोग, दुरूपयोग एवं क्षय के विरूद्ध उपाय निश्चित करेगी।

(ओ) योजना में मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक अथवा उप-शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा घोषित प्रबन्ध के अधिकार सम्बन्धी झगड़ों के तुरन्त निपटारे की तथा झगड़े की अवधि में संस्था के प्रबन्ध की व्यवस्था होगी।

(औ) योजना का कोई उपबन्ध शिक्षा संहिता के सम्बद्ध अनुच्छेदों के विपरीत न होगा जहाँ कि ये अनुच्छेद अधिनियम और विनियमों से असम्बद्ध नहीं है।

15– निदेशक को प्रशासन की योजना प्राप्त होने के मास की प्रथम तिथि से छः मास की अवधि दी जायेगी, जिसमें व या तो उसे स्वीकार कर लेगें अथवा उसको उपधारा 16–ग (1) के अन्तर्गत परिवर्तनों अथवा अशोधनों के सुझावों के साथ लौटा देगें।

16– निदेशक द्वारा परिवर्तनों अथवा अशोधनः की सूचना प्राप्त होने की तिथि से संस्था को प्रत्यावेदन करने हेतु प्रत्येक बार 3 मास की अवधि उपधारा 16–ग (1) और 16–ग (2) के अन्तर्गत मिलेगी।

17– प्रत्येक अध्यापक अपनी संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा शिक्षण, लिखित कार्य, सहपाठ्यक्रमीय कार्यकलाप, गृह परीक्षा एवं परिषदीय परीक्षाओं एवं अन्य विद्यालयी कार्यों के सम्बन्ध में प्रदत्त आदेशों का पालन करेगा।

18– प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई अध्यापक/कर्मचारी विभाग के किसी अधिकारी/कार्यालय से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा।

19– परिषदीय परीक्षाओं के अन्तरीक्षण, मूल्यांकन, सारणीयन आदि कार्यो के सम्बन्ध में परिषद् के नियमों के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक या परिषद् के द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा।

20– प्रत्येक अध्यापक अपने कर्तव्य–पालन में समय की नियमितता बरतेगा।

21– कोई भी अध्यापक बिना प्रधान की अनुमति के विद्यालय में उपस्थित होने पर विद्यालय समय के अन्तर्गत विद्यालय नहीं छोड़ेगा।

22— कोई भी अध्यापक किसी ऐसी प्रकार की पुस्तक जिन्हें कुन्जी/गाइड आदि कहा जाता है के प्रकाशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं देगा।

23— कोई भी अध्यापक निदेशक की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए कोई चन्दा या दान नहीं वसूल करेगा।

24— कोई भी अध्यापक किसी छात्र की जातिवाद, क्षेत्रीयता या अस्पृश्यता की भावनाओं को भड़काने में प्रवृत्त नहीं करेगा।

25— कोई भी अध्यापक विद्यालय की सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुँचाने में न प्रवृत्त होगा और न प्रवृत्त करेगा।

26— विभाग द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत कोई अध्यापक विद्यालय में कोई बैठक न बुलाएगा और न ही किसी ऐसी बैठक में भाग लेगा जब तक कि ऐसी बैठक उसके प्रधान द्वारा अनुमोदित कार्यो के दायित्व निर्वहन के अन्तर्गत न हो।

27— परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी असामान्य परिस्थितियों के उत्पन्न होने की आशंका की स्थिति में, जिसमें किसी प्रकार से परिषदीय परीक्षाओं का बहिष्कार अथवा असहयोग सम्मिलित है, परीक्षाओं के संचालन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, अवकाश प्राप्त प्रधानों, अन्य अध्यापकों अथवा राज्य कर्मचारियों, अध्यापक–अभिभावक एसोसियेशन के सदस्यों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि की एक सूची समय के भीतर तैयार करेगा तथा ऐसी किसी भी असामान्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परीक्षाओं के संचालन में उनका सहयोग प्राप्त कर सकेगा।

अध्याय–दो

संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति

(धारा 16–ङ, 16–च और 16–चच)

1— किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान और अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए, चाहे वह सीधी भर्ती से हो या अन्यथा, न्यूनतम अर्हतायें **"परिशिष्ट–क"** में दी गई है।

1–क– विखण्डित

2— (1) संस्था के प्रधान का पद, यथास्थिति, धारा 16–च की उपधारा (1) के अधीन या धारा 16–चच की उपधारा (1) अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात् खण्ड (2) में किए गए उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी संस्था की दशा में जो धारा 16–चच में निर्दिष्ट संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्ति जो किसी

पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनाधिक अवधि की छुट्टी प्रदान करने या किसी पदधारी की मृत्यु या सेवा–निवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो, संस्था में उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(2) (क) जहॉ कोई संस्था हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट कालेज में क्रमोन्नति की जाय वहॉ ऐसे कालेज के प्रिंसिपल का पद ऐसे हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधान अध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा–अभिलेख अच्छा हो वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो या उसे परिषद् द्वारा ऐसी अर्हता से छूट दी गई हो।

(ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति सम्बद्ध प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेगी।

(ग) उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति के उस प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें ऐसे प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का अनुमोदन किया गया हो, उसकी सेवा–पुस्तिका और चरित्र–पंजी संलग्न होगी और उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिया होगा, अर्थात्–

(1) जन्म का दिनांक,

(2) उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षाएं जिसमें ऐसी परीक्षाओं के विषय–श्रेणी और उत्तीर्ण करने का वर्ष उल्लिखित होगा।

(घ) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ऐसे प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय उसकी प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

(ङ) उपखण्ड (घ) के अधीन सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक का विनिश्चय प्रबन्ध समिति को और सम्बद्ध प्रधानाध्यापक को भी संसूचित किया जायगा।

(च) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, उप खण्ड (ङ) के अधीन आदेश के संसूचित किए जाने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसके विरूद्ध निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

(छ) किसी हाईस्कूल का कोई प्रधानाध्यापक जो क्रमोन्नत इण्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य न पाया जाय या किसी ऐसे जूनियर हाईस्कूल का कोई प्रधानाध्यापक जिसका उसके हाईस्कूल के रूप में क्रमोन्नत किए जाने पर चयन समिति द्वारा ऐसे क्रमोन्नत हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के लिए चयन न किया गया हो, ऐसे उच्चतम पद पर, जिसके लिए वह अर्ह हो, सहायक अध्यापक के रूप में रखा जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका वेतनमान घटाया नहीं जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस उपखण्ड में दी गयी कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे दिनांक को, जब संस्था को यथास्थिति, हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था स्थायी न रहा हो या विधि के अनुसार सम्यक्रूप से नियुक्त न किया गया हो।

(3) जहाँ संस्था के प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति तीस दिन से अनाधिक की अवधि के लिए हो, वहाँ उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अध्यापक को संस्था के कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा दी जा सकती है, किन्तु वह उस श्रेणी से जिसमें वह अध्यापक के रूप में वेतन पा रहा हो, उच्चतर श्रेणी में वेतन का हकदार न होगा।

(4) ऐसे सभी मामलों में, जिनमें इस विनियम के अधीन पदोन्नति की जाय, प्रबन्ध समिति के संकल्प की प्रति परिशिष्ट'ख' में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में विवरण के साथ शीघ्र ही प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक और सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।

3- (1) प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करायेगी––

(क) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की, जो किसी मौलिक पद पर स्थायी या अथायी हों, ज्येष्ठता सूची पृथक–पृथक तैयार की जायगी।

(ख) किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्येष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जायगी।

यदि एक ही दिनांक को दो या दो से अधिक अध्यापक इस प्रकार नियुक्त किए गए थे, तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायगी।

(खख)-- जहाँ किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किए जाये तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता

उनकी सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में, जिससे पदोन्नति की जाय, उनका मौलिक नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(ग) सेवा काल की अवधि चाहे कुछ भी हो उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(घ) यदि कोई अध्यापक जो निलम्बित किया गया हो अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाय तो श्रेणी में उसकी मूल ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) अध्यापक की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्येक विवाद प्रबन्ध समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण देते हुए उसका विनिश्चय करेगी।

*(च) उपखण्ड (ङ) के अधीन प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय ऐसे अध्यापक को सूचित किए जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को अपील कर सकता है, और अपील पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उप शिक्षा निदेशक अपना निर्णय कारणों सहित देगा, जो अन्तिम होगा और प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यान्वित किया जायगा।

(छ) यदि एक ग्रेड में कार्यरत दो या अधिक अध्यापक किसी एक ही तिथि पर पदोन्नत किए जांय तो उनकी ज्येष्ठता का आधार उस ग्रेड का सेवाकाल होगा जिसमें वे कार्यरत थे,परन्तु यदि सेवा--काल बराबर है तो पदोन्नति की दशा में आयु के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(2) ज्येष्ठता सूची प्रतिवर्ष पुनरीक्षित की जायेगी और खण्ड(1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे।

(3)–क (1) किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था की स्थिति में, विनियम 3 में यथा व्यवस्थित ज्येष्ठता सूची सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जायेगी और उसका अनुरक्षण किया जायेगा।

---

* अधिसूचना संख्या: 3899/15–7–92–2(1)–1992 दिनांक 28–7–92 द्वारा धारा 9(4) के अधीन संशोधित। विज्ञप्ति संख्या: परिषद्–9/591 दिनांक 28–9–92

(2) जहां किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं की संख्या एक से अधिक हो वहां संस्थाओं के प्रधानों की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची और अध्यापकों की एक अन्य संयुक्त ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी। बालकों और बालिकाओं की संस्थाओं की स्थिति में ऐसी सूचियां पृथक–पृथक रखी जायेगी।

(3) उप विनियम (1) और (2) के अधीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए नियम 3 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होगें और उक्त विनियम में और अध्याय 2 के अधीन अन्य विनियमों में प्रबन्ध समिति के प्रति निर्देश को उप विनियम (1) मे निर्दिष्ट संस्थाओं की स्थिति में सम्बद्ध स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

4– जहाँ किसी जूनियर हाईस्कूल को धारा 7 के अधीन हाईस्कूल के रूप में मान्यता दी जाय वहाँ ऐसे स्कूल के ऐसे स्थायी या अस्थायी अध्यापक को, जो विनियम 1 के अधीन न्यूनतम अर्हता रखता हो, ऐसे हाईस्कूल का यथास्थिति स्थायी या अस्थायी अध्यापक समझा जायगा; प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अस्थायी अध्यापक की सेवायें, जिसका अधिनियम और विनियम के अनुसार नियुक्ति के लिए चयन न किया गया हो, उसे उस निमित्त एक माह का नोटिस देने या नोटिस के बदले में एक माह का वेतन देने के पश्चात् समाप्त हो जायगी।

स्पष्टीकरण– इस विनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि हाईस्कूल के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक भी है।

*5– (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापक के पद की प्रत्येक रिक्ति खण्ड (2) में किए गए अन्यथा उपबन्ध के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा भरी जायगी।

(2)–(क) प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत संस्था में क्रमशः एल0टी0 और सी0टी0 श्रेणी में कार्यरत अध्यापकों में से केवल पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा और पदोन्नति ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति के लिए उपलब्धता तथा पात्रता के अधीन रहते हुए की जायेगी।

---

* राजाज्ञा संख्याः1689 / 15–7–69–1990 दिनांक 15 सितम्बर,1990 द्वारा धारा 9 (4) के अन्तर्गत प्रमोशन के कोटे को 40 से बढ़ाकर 50 किया गया। विज्ञप्ति संख्याः परिषद्–9 / 715 दिनांक 19–11–90 द्वारा ।

(ख) यदि यथास्थिति प्रवक्ता (लेक्चरार) श्रेणी में एल0टी0 श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन पचास प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधा से कम भाग छोड़ दिया जायगा और आधा या आधा से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण— (1) पद "स्वीकृत पद" का तात्पर्य किसी ऐसे पद से है जिसका सृजन किसी विर्निदिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से न किया गया हो वरन् जो ऐसे पद का सृजन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा सृजित किया गया हो और उसके अन्तर्गत ऐसा पद भी है जिस पर नियुक्ति निरीक्षक के अनुमोदन से की गई हो।

(2) यह नहीं समझा जायेगा कि कोई ऐसा पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है, जिस पर कोई ऐसा अध्यापक था, जो संस्था में निम्नतर श्रेणी में कार्य करते समय सीधी भर्ती द्वारा उस संस्था में उच्चतर श्रेणी द्वारा उस संस्था में उच्चतर श्रेणी में नियुक्त किया गया था।

(3) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम,1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1958) के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी रीति से, सम्यक् रूप से नियुक्त अध्यापक सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए समझें जायेगें।

6— (1) जहां विनियम 5 के अधीन यथा अवधारित प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहॉ यथास्थिति एल0टी0 या सी0टी0 श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों के सम्बन्ध में, जिनकी उक्त रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम पॉच वर्ष की लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उसके निमित्त उनके आवेदन किए बिना ही विचार किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि वे उस विषय में जिसमें प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में अध्यापक की आवश्यकता हो, अध्यापन के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों।

टिप्पणी— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी अध्यापक द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में एल0टी0 श्रेणी या सी0टी0 श्रेणी में की गयी सेवा

की गणना पात्रता के सम्बन्ध में की जायेगी यदि उसमें सेवा से हटाये जाने, पदच्युत होने या निम्नतर पद पर पदोन्नति होने से व्यवधान न हुआ हो।

(2) अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए चयन सेवाकाल, सेवा में उपलब्ध शैक्षिक अर्हता और सत्यनिष्ठा के आधार पर की जायेगी।

(3) खण्ड(2) के अधीन रहते हुए जहाँ किसी विषय में प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के लिए एल0टी0 श्रेणी में एक से अधिक अध्यापक पात्र हों वहाँ ऐसे अध्यापक को अधिमानता दी जायेगी जो उनमें से उस श्रेणी में सेवा में ज्येष्ठतम हों।

(4) (क) किसी ऐसे अध्यापक के दावे की जो पदोन्नति के लिए पात्र हो, केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह लम्बी छुट्टी पर चला गया है या उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न है या कार्य कर रहा है।

(ख) किसी ऐसे अध्यापक की दशा में जो निलम्बित हो, पदोन्नति के लिए दावे की उपेक्षा नहीं की जायेगी यदि वह पदोन्नति के चयन किए जाने के पूर्व बहाल कर दिया जाय।

(5) किसी ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जिसका इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था का प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर निरीक्षक की सहमति के लिए प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण–पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जायेगें:

(1) उस श्रेणी में जिसमें पदोन्नति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या ;

(2) ऐसे पदों की संख्या जो पदोन्नति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे;

(3) ऐसे पदों की संख्या जो पहले ही पदोन्नति द्वारा भर दिए गए हों और पदाधिकारियों के नाम;

(4) ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या जो हो गयी हो;

(5) प्रबन्ध समिति द्वारा अवधारित रिक्तियों की संख्या जो–––

(क) पदोन्नति;

(ख) सीधी भर्ती;

द्वारा भरी जायेगी।

(6) पदोन्नति के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम, उनकी अर्हता और उस श्रेणी में, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से उनकी सेवा की अवधि और

(7) पदोन्नति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों के नाम।

(6) खण्ड (5) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षक उस पर अपना विनिश्चय प्रबन्धक को संसूचित करेगा। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।

(7) जहॉ प्रबन्ध समिति खण्ड (6) के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय से व्यथित हो, वहॉ वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, उसके विरूद्ध सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

* 7— (1) हटाया गया।

(1) (क)— ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज, एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, के सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में बी0टी0सी0 श्रेणी में अध्यापकों के पद की प्रत्येक रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

(2) हटाया गया।

(2)(क) ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के रूप में पॉच वर्षो की सेवा पूरी कर ली है तथा वह प्रशिक्षित स्नातक हो और ऐसी पदोन्नति की सूचना निरीक्षक को तुरन्त दी जायेगी।

* दिनांक 01 मार्च, 2003 के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्—9/741 दिनांक 26—2—2003 द्वारा निकाला गया।

(3) यदि निरीक्षक को यह विश्वास करने का कारण हो कि खण्ड (2) के अधीन कोई पदोन्नति उक्त अधिनियम और विनियमों के उल्लंघन में की गई है तो इस निमित्त की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह मामले का निर्देश निदेशक को कर सकता है जिसका विनिश्चय इस विषय में अंतिम होगा।

8— यदि कोई अध्यापक विनियम 5, 6 या 7 के अधीन प्रबन्ध समिति के किसी विनिश्चय से व्यथित हो तो वह उसके विरूद्ध ऐसे विनिश्चय के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है। निरीक्षक ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने के तीनसप्ताह के भीतर उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, जो प्रबन्ध समिति द्वारा शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा।

9— (1) जहॉ अध्यापक के पद में कोई रिक्ति उसे छः माह से अधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किए जाने के कारण हुई हो या जहॉ कोई अध्यापक निलम्बित हो जिसे निरीक्षक ने धारा 16—छः की उपधारा (7) के अधीन लिखित रूप में अनुमोदित कर दिया हो और ऐसे निलम्बन की अवधि ऐसे अनुमोदन के दिनांक से छः माह से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो रिक्ति इस विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थित सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अस्थायी रूप से भरी जा सकती है।

(2) जहॉ कोई रिक्ति खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रकार की हो या विनियम 2 के अधीन पदोन्नति के परिणाम स्वरूप हो और ऐसी रिक्ति की अवधि तीस दिन से अधिक किन्तु छः माह से अनधिक हो तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के सम्यक् रूप से अर्ह स्थायी अध्यापक की पदोन्नति करके भरी जा सकती है।

(3) यदि खण्ड (2) के अधीन कोई रिक्ति निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के किसी ऐसे अध्यापक के जो उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, उपलब्ध न होने के कारण भरी न जा सके तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा कुल मिलाकर छः माह से अनाधिक अवधि के लिए सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर भरी जा सकती है

(4) खण्ड (2) या खण्ड (3) के अधीन भरी गई सभी रिक्तियाँ उनके भरे जाने के एक सप्ताह के भीतर परिशिष्ट (ख) में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में निरीक्षक को सूचित की जायेगी।

9–(क) किसी स्थायी अध्यापक की निम्नस्तर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के परिणामस्वरूप हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक उस पद पर ऐसे स्थायी अध्यापक के उच्चतर श्रेणी में स्थायीकरण के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

10– किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधे भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:–

(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में जिनमें एक व्यापक प्रचलन का स्थानीय अथवा संस्था के निकटतम स्थान से प्रकाशित होने वाला कोई समाचार पत्र हो और दूसरा राज्य में व्यापक परिचालन वाला समाचार पत्र हो पद विज्ञापित किए जायेगें, प्रतिबन्ध यह है कि समाचार पत्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक अपने सम्भाग के सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित करेगें और उनमें से ही दो समाचार पत्रों में जनपद के समस्त प्रबन्ध समितियों द्वारा विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् स्थायी है या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल0टी0,सी0टी0 या जे0टी0सी0,बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वर्तमान और अन्य भत्ते अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक(जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन–पत्र निम्नलिखित के कार्यालय में प्राप्त किए जायेगें—–

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक, या

(2) बालिकाओं की संस्थाओं की दशा में सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका।

विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र किसी निरीक्षक के कार्यालय से 9 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट से भुगतान करने पर या कोषागार के चालान से निरीक्षक द्वारा बताये गए शीर्षक के अधीन स्टेट बैंक आफ इण्डिया में धनराशि जमा करके प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी दशा में निरीक्षक के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायगा। इसके साथ-साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञप्ति किए जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायगी।

टिप्पणी-(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की सभी रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

(ख) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र को, जो संस्था में नियोजित हो और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा,किन्तु शीघ्र ही सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षकों को और धारा 16-चच में निर्दिष्ट संस्था में किसी पद की दशा में, उसके प्रबन्धक को भेज दिया जायगा।

(घ) प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र निरीक्षक के कार्यालय में निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार संख्याकित और प्रविष्ट किए जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण-विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण-विषयक अंक परिशिष्ट 'घ' में अधिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए स्थानीय सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों या सेवानिवृत्त प्रिंसिपलों या उपाधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों या संस्था के सेवानिवृत्त प्रधानों द्वारा दिए जायेंगे

और इसकी जॉच निरीक्षक या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन–पत्रों का विज्ञापन में आवेदन–पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पांच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध समिति द्वारा तीन दिन के भीतर निरीक्षक के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर, निरीक्षक आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्ध को भिजवा देगा। प्रबन्धाधिकरण भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी, प्रतिबन्ध यह है कि यह संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ायी जा सकती है जो प्रथम सात स्थानों में समान गुण–विषयक अंक प्राप्त करें। निरीक्षक चयन करने के लिए ऐसे दिनांक, समय और स्थान को जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, सूचना ऐसे दिनांक के कम से कम दो सप्ताह पूर्व प्रबन्ध समिति को उसके प्रबन्धक के माध्यम से भेजेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक शीघ्र ही विशेषज्ञों से भिन्न चयन समिति के अन्य सदस्यों को सूचना भेजेगा और साक्षात्कार के लिए चयन किए गए सभी अभ्यर्थियों को ऐसे चयन के कम से कम दस दिन पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार–पत्रक जारी करेगा जिसमें चयन किए जाने का दिनांक, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा। चयन समिति तद्नुसार चयन करने के लिए अपनी बैठक करेगी। निरीक्षक यथास्थिति धारा 16–च की उपधारा (1) या (2) के खण्ड(3) के अधीन नाम–निर्दिष्ट विशेषज्ञों को संस्था के नाम के साथ–साथ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे दिनांक के पर्याप्त समय पूर्व भेजेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई विशेषज्ञ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो निरीक्षक तुरन्त ही प्रतीक्षा सूची में से विशेषज्ञ का प्रबन्ध करेगा। दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी और उसके लिए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

(घघ) जहां खण्ड (क) के अधीन विज्ञापित पद किसी संस्था के प्रिंसिपल के पद के लिए हो, वहॉ ऐसी संस्था के प्रवक्ता श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक और जहॉ विज्ञापित पद किसी संस्था के प्रधानाध्यापक के पद के लिए हो वहॉ

ऐसी संस्था के एल0टी0 श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक, जो ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों और जिन्होंने अपनी–अपनी श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसी अवधि यदि कोई हो, जिसके दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की हो,भी है, उस पद के लिए साक्षात्कार के निमित्त बुलाये जाने के हकदार होंगे, भले ही वे खण्ड (घ) के अधीन प्रथम सात स्थानों में न आते हों।

(ङ) साक्षात्कार के लिए बुलाये गए प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित दरों पर साक्षात्कार फीस का भुगतान करना होगाः–

	रू0
(1) संस्था के प्रधान के पद के लिए	
सामान्य अभ्यर्थी––	20
अनुसूचित जाति/जन–जाति का अभ्यर्थी––	05
(2) अध्यापक के पद के लिए–	
सामान्य अभ्यर्थी––	13
अनुसूचित जाति/जन–जाति का अभ्यर्थी––	03

साक्षात्कार फीस रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट द्वारा या निरीक्षक द्वारा बताये गए शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया में धनराशि जमा करके कोषागार चालान द्वारा देय होगा। किसी भी दशा में साक्षात्कार फीस नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगीं। सभी पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट और कोषागार चालान प्रबन्धक द्वारा चयन के पश्चात् शीघ्र ही निरीक्षक को भेजे जायेगें,

(च) प्रबन्ध समिति द्वारा परिशिष्ट "ग" में दिए गए प्रपत्र में एक विवरण–पत्र (6 प्रतियों में) तैयार कराया जायेगा जिसमें साक्षात्कार के लिए बुलाये गए प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम उसकी अर्हतायें और उसके सम्बन्ध में अन्य विवरण दिए जायेगें और उन्हें साक्षात्कार के समय पर चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखा जायेगा। सभी आवेदन–पत्र जिसके अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र भी हैं जिन्हें साक्षात्कार के लिए न बुलाया गया हो, खण्ड (घ) में निर्दिष्ट संस्था द्वारा रखा गया रजिस्टर,चयन समिति के सदस्यों को भेजें गए सभी पत्रों को और सभी साक्षात्कार पत्रकों की कार्यालय प्रतियों को भी जिसमें उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जाने की डाकखाने की रसीद और

प्राप्ति स्वीकृति, यदि कोई हो, सम्मिलित है, प्रबन्धाधिकरण द्वारा संस्था के माध्यम से चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(छ) चयन समिति द्वारा चयन गुण–विषयक अंकों और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अंकों का योग गुण–विषयक अंकों जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जायें और चयन समिति के सदस्यों द्वारा 50 में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर लगाया जायेगा। उदाहरणार्थ– ऐसे अभ्यर्थी को जो खण्ड (घ) के अधीन 90 गुण–विषयक अंक प्राप्त करें। साक्षात्कार में निम्नलिखित अंक दिए जायें:–

सदस्य संख्या 1	35
सदस्य संख्या 2	30
सदस्य संख्या 3	40
सदस्य संख्या 4	45
सदस्य संख्या 5	25
योग–	175

तो अंकों का योग 90+175/5=125 होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ भी खण्ड(च) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में यह अंकित करेगा कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षेप में उसके कारण लिखेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थी के नाम के साथ उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार अवधारित योग्यता क्रम में तैयार की गयी प्रतीक्षा–सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम और कम से कम दो ऐसे विशेषज्ञों के नाम भी दिए जायेगें जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगें जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और पता और दिनांक दिया जायेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति के साथ खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण–पत्र की एक प्रति सभापति द्वारा शीघ्र ही प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित निरीक्षक को भेजी जायेगी।

स्पष्टीकरण--धारा 16-च की उपधारा(3) में निर्दिष्ट मामलों में, इस विनियम में प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सदस्य के प्रति कोई निर्देश प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति निर्देश समझा जायेगा जिसे खण्ड (घ) के अधीन, साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का एकल सदस्य समझा जायेगा।

(छ) खण्ड (छ) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों का योग बराबर हो तो आयु में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

11- (1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित विशेषज्ञों का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से सम्बन्धित अभी कागज-पत्रों की छान-बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करे कि साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों को अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार ठीक तौर से बुलाया गया और यह कि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उसे उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट'ग' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देगें। यदि वे यह अनुभव करें कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक के फलस्वरूप साक्षात्कार के विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरे के साथ निरीक्षक को सूचित करेगें। यदि निरीक्षक का यह समाधाना हो जाय कि इससे साक्षात्कार की कार्यवाहियां दूषित हो गयी हैं तो वह साक्षात्कार की कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन करने के लिए आदेश देगा। इस सम्बन्ध में निरीक्षक के आदेश अन्तिम और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए आबद्ध कर होंगे।

(2) चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन-पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर प्रबन्धाधिकारण द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेगें जैसी कि निदेशक द्वारा विहित की जाये और निरीक्षक, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निदेशक को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किए जायेगे।

12- संस्था का प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने के पूर्व अधिनियम और विनियम के अधीन की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा चयन समिति के सभापति या सदस्य का नाम-निर्देशन भी है, यथासमय कर ली जाय और साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक पर चयन

समिति की बैठक और साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों के बैठने का सभी प्रबन्ध कर दिया गया है।

13— निरीक्षक एक या अधिक संस्थाओं के एक या अधिक चयन ऐसे स्थान, समय और दिनांक पर निर्धारित कर सकता है, जो सुविधाजनक हो।

14— संस्था के प्रधान और अध्यापकों का चयन करने के लिए प्रत्येक सम्भाग के लिए धारा 16—च की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों की पृथक—पृथक नामिका (पैनल) निदेशक द्वारा निम्नलिखित प्रवर्ग के व्यक्तियों मे से जब उन्होने विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी हो, तैयार की जायेगी:—

(क) वे व्यक्ति जो संस्था के प्रधान का चयन करने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकेगें—

(1) उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और पोलिटेक्निक जिसके अन्तर्गत सेन्ट्रल स्कूल भी है, के प्रिंसिपल;

(2) शिक्षा विभाग के प्रान्तीय शिक्षा सेवा के स्तर से अनिम्न प्रवर्ग के राजपत्रित अधिकारी चाहे वे सेवा में हो या सेवा निवृत्त हो गए हों;

(3) विश्वविद्यालयों और उपाधि महाविद्यालयों के आचार्य(प्रोफेसर) और उपाचार्य (रीडर);

(4) विश्वविद्यालयों और उपाधि महाविद्यालयों के प्रवक्ता; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे इस रूप में कम से कम दस वर्ष तक कार्य कर चुके हों;

(5) कोई अन्य व्यक्ति जिसे निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जाये।

(ख) वे व्यक्ति जो अध्यापकों के चयन के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकेगें:—

(1) किसी इण्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल या राजकीय नार्मल स्कूल के प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक चाहे वे सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो गए हों;

(2) शिक्षा विभाग के उप जिला विद्यालय निरीक्षक के पद से अनिम्न प्रवर्ग के राजपत्रित अधिकारी, चाहे वे सेवा में हो या सेवा—निवृत्त हो गए हों;

(3) उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय या पोलीटेक्निक के प्रवक्ता और शिक्षा विभाग के कम से कम पॉच वर्ष की अवस्थिति के राजपत्रित अधिकारी;

(4) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

प्रत्येक सम्भागीय नामिका में विशेषज्ञों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक द्वारा आवश्यक समझी जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इण्टरमीडिएट कक्षाओं के चयन के लिए नियुक्त विशेषज्ञ अपने विषय में विशेषज्ञ होगें (अर्थात् उनके पास सम्बद्ध विषय में इण्टरमीडिएट कक्षाओं के अध्यापक के लिए परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए)। सम्भागीय नामिका तीन वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु निदेशक उपर्युक्त अवधि के दौरान भी नामिका में किसी व्यक्ति को बढ़ा सकता है या उससे कोई व्यक्ति को हटा सकता है। जहॉ आवश्यक हो एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक नामिकाओं में सम्मिलित किया जा सकता है।

15— जैसे ही शिक्षा विभाग के सम्भागीय उप निदेशक को किसी संस्था के प्रधान के लिए विज्ञापित किसी पद के सम्बन्ध में विज्ञापन की प्रति प्राप्त हो जाय, वह सम्बद्ध संस्था के लिए अपने द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञों की एक सूची जिसके साथ एक और नाम भी प्रतीक्षा सूची में होगा निरीक्षक को चयन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजेगा। उसी प्रकार निरीक्षक भी जैसे ही उसे विज्ञापन की प्रति प्राप्त हो ऐसी संस्था या संस्थाओं के लिए, जिसके लिए अध्यापक का चयन किया जाना हो, तीन विशेषज्ञ और एक अन्य जो प्रतीक्षा सूची में होगा को नाम–निर्दिष्ट करेगा, और उन्हें चयन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

16— चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करें, यात्रा भत्ता दिया जायगा।

17— धारा 16–चच में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित प्रकिया होगी:—

(क) प्रबन्धाधिकरण द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या अवधारित किए जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार–पत्र में जिसका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, पद विज्ञापित किए जायेगें जिसमें रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् अस्थायी हैं या स्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या

प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल0टी0, सी0टी0 या जे0टी0सी0, बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्राध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता हो), पद के लिए विहित वेतन–मान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम अर्हता और आयु आदि कोई हो तो उनके सम्बन्ध में विवरण दिए जायेगें और ऐसा दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) जिस तक प्रबन्धक द्वारा आवेदन–पत्र लिए जायेगें, विहित किया जायेगा। साथ ही साथ विज्ञापन की एक प्रति सम्बद्ध निरीक्षक को भेजी जायेगी।

टिप्पणी– (1) अध्यापकों और संस्था के प्रधान के पदों की समस्त रिक्तियाँ जो विज्ञापन के समय विद्यमान हों, विज्ञापित की जायेगी।

(2) को नया पद विज्ञापित नही किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

(ख) सभी आवेदन–पत्र प्रबन्धाधिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में दिए जायेगें और उसमें अर्हतायें, शिक्षण अनुभव और अन्य क्रिया–कलापों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण होगें और उसके साथ समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों और प्रशंसा–पत्रों की प्रमाणित प्रतियां होगी। प्रबन्धाधिकरण आवेदन–पत्र के लिए प्रपत्र का मूल्य जो विनियम 10 के खण्ड (क) मे निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, ले सकता है।

(ग) किसी संस्था में नियोजित और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आवेदन–पत्र उसके नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा बल्कि उसे सम्बद्ध प्राधिकारी को तुरन्त अग्रसारित किया जायेगा।

(घ) अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र क्रमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किए जायेगें, और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किए जायेगें, प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि (आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रबन्धक, चयन समिति के समस्त सदस्यों तथा समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायें, चयन करने के कम से कम दस दिन पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा देगा। चयन समिति तदनुसार चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा–16–चच की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया

गया विशेषज्ञ निर्धारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

(ङ) विनियम 10 के खण्ड (ङ) और (च) के और विनियम 11,12 तथा 16 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित, इस विनियम के आधीन किए गए चयन पर लागू होंगे।

(च) प्रत्येक सम्भाग के लिए निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक–एक नामिका जिसमें विनियम 14 में निर्दिष्ट प्रवर्ग (क) से चुने गए 15 या अधिक व्यक्ति होगें, तैयार की जायेगी और उसे सम्बद्ध सम्भागीय उप शिक्षा निदेशकों के पास भेज दिया जायेगा, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण से विशेषज्ञों के नाम भेजने का अनुरोध प्राप्त होते ही उक्त नामिका में से तीन विशेषज्ञों के नाम मुहरबन्द आवरण में प्रबन्धाधिकरण को उसके प्रबन्धक के माध्यम से संसूचित करेगा। विशेषज्ञों की सम्भागीय नामिका तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई नई नामिका न रखी जाय।

(छ) किसी पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति किए गए चयन की कार्यवाहियों पर दो प्रतियों में एक टिप्पणी तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित किए जायेगें। इसी प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति तथा अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेगें और अपना–अपना पूर्णनाम, पदनाम और पता तथा दिनांक उल्लिखित करेगें। सभापति इस टिप्पणी की एक प्रति तथा विनियम 10 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण की प्रति धारा 16–चच के अधीन यथा अपेक्षित अनुमोदन के लिए, यथास्थित, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निरीक्षक को तुरन्त अग्रसारित करेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के प्राप्त होने के दिनांक के छः माह के भीतर, यथास्थिति, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, या निरीक्षक, उन पर अपना निर्णय देगें और ऐसा न करने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा।

18– (1) धारा 16–च की उपधारा (1) या (2) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश और धारा 16–चच में निर्दिष्ट किसी संस्था की स्थिति में उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ङ' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें

अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्य--भार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी, कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

(2) पदोन्नतियों और तदर्थ नियुक्तियों की स्थिति में भी, पदोन्नति या नियुक्ति का औपचारिक आदेश खण्ड(1) में निर्दिष्ट प्रपत्र के यथा--सम्भव निकटतम प्रपत्र में प्रबन्धक के हस्ताक्षर से सम्बद्ध व्यक्ति को जारी किया जायेगा।

(3) खण्ड (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की एक प्रति निरीक्षक को और किसी संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, उसकी एक प्रति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।

19– जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के उपबन्धों का उल्लंघन करके या किसी स्वीकृत पद से भिन्न किसी पद पर संस्था का प्रधान या अध्यापक नियुक्त किया जाये या संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी पद पर कोई पदोन्नति की जाये तो निरीक्षक जहां संस्था उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत आती हो, ऐसे व्यक्ति को वेतन और अन्य भत्ते, यदि कोई हों देने से इनकार करेगा और अन्य मामलों में ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में वेतन और भत्ते के लिए कोई अनुदान देने से इनकार करेगा।

20– जहां प्रबन्ध समिति इस अध्याय में दिए गए विनियमों के अनुसार किसी ऐसे स्वीकृत पद को जो, रिक्त हो गया हो, ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विज्ञप्ति नहीं करती है तो ऐसा पद अभ्यर्पित कर दिया गया समझा जायेगा और तब तक नहीं भरा जायेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसका सृजन फिर से स्वीकृत न कर दिया जाये।

परिशिष्ट–क

(अध्याय–दो, विनियम 1 के सन्दर्भ में)

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें।

किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की या किसी ऐसे संस्था की, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाती हो या संसद

के किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी ऐसी संस्था की सम्बद्ध विषय में उपाधि और डिप्लोमा इसके अधीन विहित न्यूनतम अर्हताओं के प्रयोजनार्थ मान्य होंगे।

इसके अधीन विहित अर्हताओं के सम्बन्ध में शब्द 'प्रशिक्षित' से तात्पर्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अर्हता जैसे पूर्ववर्ती पैरा में यथानिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था की, एल0टी0, बी0टी0, बी0एड0, बी0एड0 एस–सी0 या एम0एड0 या किसी समकक्ष अर्हता (उपाधि या डिप्लोमा) से है। इसके अन्तर्गत विभागीय ए0टी0सी0 और कम से कम पाँच वर्ष के शिक्षण अनुभव वाला सी0टी0 भी होगा। जे0टी0सी0/बी0टी0सी0 वाला अध्यापक भी सी0टी0 समझा जायेगा यदि उसने सी0टी0 श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष कार्य किया हो।

अनिवार्य अर्हतायें

क्रम संख्या	पदनाम	शैक्षिक	प्रशिक्षण	अनुभव	आयु	वरीयमान अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
1–	संस्था का प्रधान(1) प्रशिक्षित एम0ए0 या एम0एस0सी0 या एम0काम0 या एम0एस0सी0(कृषि) या इसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर या अन्य उपाधि जो, उपर्युक्त पैरा में निर्दिष्ट निकाय द्वारा प्रदान की गयी हो और विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्था में या उपर्युक्त प्रथम पैरा में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी उपाधि महाविद्यालय में, या परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिनकी परीक्षाएं परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का/की न हो। या (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ–साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि। या (3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी; प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो।					न्यूनतम 30 वर्ष

टिप्पणी–(1) कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्था की इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का विशिष्ट शिक्षण अनुभव होने पर सहायक अध्यापकों

को प्रशिक्षण योग्यताओं से छूट दी जा ससकती है (अधिनियम में निहित प्राविधान के अनुसार)।

(2) शिक्षण अनुभव में प्रशिक्षण पूर्व अथवा पश्चात् का शिक्षण अथवा दोनों मिलाकर सम्मिलित है।

(3) उच्चतर कक्षाओं का तात्पर्य कक्षा 9 से 12 तक का है और इन कक्षाओं को पढाने का अनुभव इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य पद के लिए मान्य है।

अध्यापक

राजाज्ञा संख्या 1559/15-8-3031-1973, दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के अनुसार इस राजाज्ञा की निर्गमन की तिथि को अथवा उसके पश्चात् मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले समस्त भाषाओं के अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी जो समय--समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गई हों या की जायेगी। परन्तु जिन भाषाओं के अध्यापन की व्यवस्था राजकीय विद्यालयों में नहीं है और अशासकीय विद्यालयों में उनका अध्यापन किया जाता है, अशासकीय विद्यालयों में उन भाषाओं के अध्यापकों की न्यूनतम अर्हतायें वहीं होंगी जो परिषद द्वारा निर्धारित है। ऐसे भाषा अध्यापकों के लिए बाद में राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति हेतु जो अर्हतायें निर्धारित की जायेगी वही अर्हतायें सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए लागू होंगी--

कम संख्या	पद नाम	शैक्षिक	प्रशिक्षण	अनुभव	आयु	वरीयमान अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
2–	हिन्दी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा11,12) के लिए	1–हिन्दी में एम0ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी। 2–प्रशिक्षण योग्यता वरीयान राजाज्ञासंख्या: मा/4428/15– 72 (13)–76, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल,1975 के पूर्व हाईस्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु ततसमय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए, यदि वे निर्धारित				प्रशिक्षत

		अन्य शैक्षिक योग्यतायें रखते हों, इण्टरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी प्रवक्ता पद पर प्रान्नति हेतु संस्कृत विषय से बी0ए0 उत्तीर्ण होना आवश्यक नही होगा।				
	हाईस्कूल(कक्षा 9,10) के लिए	(1)बी0ए0हिन्दी एवं संस्कृत विषय के साथ एवं एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्षा शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा (2) साहित्य रत्न 2 वर्षीय कोर्स हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग जिसमें संस्कृत विषय प्राचीन भाषा के रूप में लिया गया हो तथा रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग				
3–	गणित अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	(1) एम0 ए0 अथवा एम0 एस0 सी0 गणित अथवा (2)गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी0ए0 (आनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (आनर्स)				प्रशिक्षित प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा9,10) के लिए	बी0ए0 अथवा बी0एस0सी0 गणित				प्रशिक्षित
3(क)	सांख्यिकी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	सांख्यिकी में एम0ए0 या एम0एस0सी0 या बी0ए0 या बी0एस0सी0 में पूर्ण विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ गणित में एम0ए0 या एम0एस0सी0 या गणित में प्रशिक्षित एम0ए0 या एम0एस0सी0 और किसी विश्वविद्यालय का सांख्यिकी में एक वर्ष का डिप्लोमा				
4	गृह–विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	(1) गृह–विज्ञान में एम0 एस0 सी0 या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या गृह कला(होम आर्ट) में एम0ए0 या				

		(2) गृह विज्ञान या गृह-- अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक या राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का वर्ष 1950-54 के बीच का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम				
	हाईस्कूल (कक्षा9,10) के लिए	(1) गृह विज्ञान या गृह-- अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक या (2) गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का टी0सी0 या (3) राजकीय गृह--विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का वर्ष 1950--54 के बीच का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम या (4) लेडी इरविन कालेज, दिल्ली का डिप्लोमा				
5--	अरबी अध्यापक (कक्षा11--12) के लिए	एम0ए0 अरबी				प्रशिक्षित
	हाईस्कूल(कक्षा 9,10) के लिए	(1) अरबी के साथ बी0ए0 अथवा (2) इण्टरमीडिएट तथा निम्नलिखित में से एक योग्यता-- (क) फाजिल, इलाहाबाद अथवा				प्रशिक्षित प्रशिक्षित

		(ख) फाजिल, लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा (ग) मौलवी फाजिल, पंजाब विश्वविद्यालय				
6—	अर्थशास्त्र अध्यापक (कक्षा 11—12) के लिए	(1) एम0 ए0 (अर्थशास्त्र) अथवा (2) एम0 काम0 तथा अर्थशास्त्र सहित बी0 काम0 अथवा (3) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बी0ए0(आनर्स)				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
	हाईस्कूल(कक्षा 9,10) के लिए	(1)अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सहित बी0एस0सी0(कृषि) अथवा (2) बी0 काम0 अथवा (3) अर्थशास्त्र सहित बी0ए0				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
7—	इतिहास अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11—12) के लिए	(1) इतिहास में एम0ए0 अथवा (2) प्राचीन भारतीय इतिहास में एम0 ए0 (3) इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0ए0 (आनर्स) **टिप्पणी**—मध्यकालीन और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जायेंगे।				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
	हाईस्कूल(कक्षा 9,10) के लिए	(1) इतिहास विषय के साथ बी0ए0 अथवा (2) प्राचीन भारतीय इतिहास में बी0ए0(आनर्स) अथवा (3) इतिहास में बी0ए0 सहित राजनीति (इलाहाबाद विश्व— विद्यालय) में एम0 ए0 1951 के पश्चात् की उपाधि				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
8	उर्दू अध्यापक इण्टरमीडिएट	एम0ए0(उर्दू)प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान				

	(11–12) के लिए					
	हाईस्कूल(कक्षा 9,10) के लिए	बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0 टी0 या बी0 टी0 या बी0 एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा				
9–	अंग्रेजी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री)। किसी ट्रेनिंग कालेज से एल0 टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजूकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी				
	हाईस्कूल(कक्षा 9,10) के लिए	(1) बी0ए0(अंग्रेजी साहित्य) सहित				प्रशिक्षित
10–	चित्रकला तथा व्यावसायिक कला अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	(1)इण्टरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट(जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सार्टीफिकेट कहलाता था) अथवा (2)प्राविधिक कला के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा– (क)ड्राइंग अथवा पेन्टिग के साथ बी0 ए0 अथवा (ख) कला भवन,शन्ति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा (ग) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अथवा (घ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स				प्रशिक्षित

		सीनियर सर्टीफिकट परीक्षा **टिप्पणी**– उपर्युक्त(2) के अन्तर्गत इण्टरमीडएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है, परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी।				
	हाईस्कूल(कक्षा 9,10) के लिए	(1) राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिग सार्टीफिकेट(जो पहले ड्राइग टीचर्स सार्टीफिकेट कहलाता था) अथवा (2) प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा (3) प्राविधिक कला के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता:– (क) ड्राइंग अथवा पेंटिग के साथ बी0ए0 अथवा (ख) कला भवन, शान्ति–निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा (ग) राजकीय ड्राइंग और हेन्डीक्रैफ्ट सेन्टर, इलाहाबाद का सर्टीफिकेट अथवा (घ) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर्सशिप परीक्षा अथवा (ड) लाहौर के मेयो स्कूल				

		आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा अथवा (च)बम्बई की इण्टरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अथवा (छ) बम्बई की थर्ड ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा अथवा **टिप्पणी–** (1) उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। परन्तु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी। (2)उपर्युक्त (3) के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है;परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी।				
11–	तर्कशास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	दर्शनशास्त्रमें एम0ए0 अथवा बी0ए0(आनर्स)त्रिवर्षीयपाठ्य क्रम दर्शनशास्त्र सहित, साथ में इण्टरमीडिएट अथवाबी0ए0 अथवा एम0ए0 में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो				प्रशिक्षित

12–	नागरिक शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	(1) एम0ए0(राजनीति) अथवा (2) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बी0ए0 (आनर्स)				प्रशिक्षित प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	बी0ए0 राजनीति शास्त्र सहित				प्रशिक्षित
14	पाली अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	1– पाली में एम0ए0 अथवा 2– कलकत्ता का पालीतीर्थ पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित 3–पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित लंका का त्रिपिटकाचार्य				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	1– पाली के साथ बी0ए0 अथवा 2– लंका का प्रशिक्षित पंडित, पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित				
15	पंजाबी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा11–12) के लिए	पंजाबी में एम0ए0				प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	1– पंजाबी के साथ बी0ए0 अथवा 2– पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी (पंजाबी में ज्ञानोपाधि)पूर्ण इण्टरमीडिएट के साथ				प्रशिक्षित प्रशिक्षित
16	फारसी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	एम0ए0 फारसी (प्रशिक्षण वरीयान)				प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	1– बी0ए0 फारसी सहित तथा एल0टी0 या बी0टी0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा				

		अथवा 2– कामिल (इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय) रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण सहित				
17	बंगाली अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	यथा संभव बंगाली में एम0ए0 न मिलने पर बंगाली विषय सहित बी0ए0 बंगाली विषय के साथ बी0ए0				प्रशिक्षित
18	भूगोल अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	1–भूगोल में एम0ए0 अथवा एम0एस0सी0 अथवा 2– भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमसहित बी0ए0 (आनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (आनर्स) भूगोल के साथ बी0ए0 अथवा बी0 एस–सी0				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
19	मनोविज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	1– एम0ए0 (मनोविज्ञान) अथवा 2– एम0 एड0				प्रशिक्षित
20	मराठी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	एम0 ए0 (मराठी) बी0ए0 मराठी सहित				 प्रशिक्षित

21	शिक्षा शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा–11,12) के लिये	1– शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0 ए0) अथवा 2– एम0 एड0 के साथ बी0ए0 अथवा बी0 एस0 सी0 3– एल0टी0 अथवा बी0टी0 अथवा बी0 एड0 के साथ मनोविज्ञान में एम0 ए0	
22	समाज शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	1– एम0 ए0 (समाज शास्त्र) अथवा 2– समाज शास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0ए0 (आनर्स)	प्रशिक्षित प्रशिक्षित
23	सिन्धी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	इण्टरमीडिएट परीक्षा में सिन्धी अथवा फारसी सहित बी0ए0	एल0टी0 सी0टी0 अथवा आर0एस0टी0सी0
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये	इण्टरमीडिएट परीक्षा में सिन्धी अथवा फारसी सहित इण्टरमीडिएट	सी0टी0 अथवा एस0 टी0 सी0
24	सैन्य विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडियट (कक्षा 11–12) के लिये	1–डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने एक वर्ष के लिये कमीशन प्राप्त किया हो। अथवा 2– कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इण्टरमीडिएट अथवा परिषद् से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अथवा 3– कोई यू0 ओ0टी0 सी0 अथवा ए0 एफ0 (1) अथवा एन0 सी0 सी0 अधिकारी अथवा 4– हाईस्कूल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वायसराय कमीशन अथवा 5– हाईस्कूल स्तर तक का अंग्रेजी ज्ञान सहित आई0 एन0 ए0 का आफिसर ट्रेनिंग सर्टीफिकेट रखने वाला। या 6– सैन्य विज्ञान या प्रतिरक्षा अध्ययन एम0 एस–सी0 या सैन्य शिक्षा में एम0 ए0	

		टिप्पणी – मद 6 के अधीन अर्हता नये व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान अध्यापक को जो संबंधित विषय में स्नातक हो या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिसे कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, उपर्युक्त मद (6) में दी गयी अर्हता से छूट होगी।
25	संगीत अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	(क) संगीत में एम0 ए0 या (ख) भातखंडे विद्यापीठ, लखनऊ की निपुण परीक्षा, या (ग) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा, या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा--- 1– भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा। अथवा 2– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा अथवा 3– गन्धर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा 4– माधो संगीत विद्यालय,ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न) अथवा 5– शंकर गन्धर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा 6– इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा अथवा (ड) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बी0 ए0 अथवा

(च) प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद का बी0 टी0 डिप्लोमा

अथवा

(छ) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल0 टी0 एम0 डिप्लोमा

हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा——

1– भातखंडे संगीत विद्यापीठ,लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा

अथवा

2– प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा

अथवा

3– गंधर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा

अथवा

4– माधो संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न)

अथवा

5– शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा

अथवा

6– इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा

(ख) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी0 टी0 डिप्लोमा

(ग) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल0 टी0 एम0 डिप्लोमा

बालिका विद्यालयों में 31 मार्च,1957 से पूर्व कार्य करने वाले पुरूष संगीत अध्यापक किसी भी संस्था में संगीत अध्यापक के पद के पात्र समझे जायं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि अपनी नियुक्ति के समय वे परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हैं तथा उन्होंने 31 मार्च, 1957 से पूर्व 3 वर्ष की अविरल सेवा की हैं। 31 मार्च,1957 के पश्चात् निर्धारित नवीन न्यूनतम योग्यतायें उनके लिए लागू न होंगी।

अथवा

(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर

		प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा, उपर्युक्त डिप्लोमा सम्पन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून,1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जायेगें।	
26	संस्कृत अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11--12) के लिये	1– संस्कृत में एम0 ए0 अथवा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी (अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) अथवा हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी का सम्पूर्ण आचार्य 2– प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान	प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9--10) के लिये	1– बी0ए0 संस्कृत सहित तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा 2– वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एल0टी0 या बी0टी0 या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा	
27	औद्योगिक रसायन अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11--12) के लिये	1– बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम0 एस0–सी0 (प्राविधिक) अथवा 2– एम0 एस–सी0 (रसायन शास्त्र) तथा राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से औद्योगिक रसायन में एल0 टी0 अथवा 3– एफ0 एच0 बी0टी0आई0 के साथ बी0 एस–सी0 अथवा ए0 एच0बी0टी0आई0, कानपुर के साथ बी0 एस–सी0 अथवा 4– राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 के साथ बी0 एस–सी0 (औद्योगिक रसायन) अथवा 5– राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 डिप्लोमा के साथ बी0 एस–सी0 (प्राविधिक)	प्रशिक्षित

	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये	1– बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0एस0सी0 (औद्योगिक रसायन) अथवा 2– राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से औद्योगिक रसायन से एल0टी0 के साथ बी0 एस–सी0 (रसायन शास्त्र) अथवा 3– एफ0 एच0 बी0 टी0 आई0 के साथ बी0 एस–सी0 अथवा ए0 एच0बी0टी0आई0, कानपुर के साथ बी0 एस–सी0	
28	कुलाल विज्ञान अध्यापक,हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (कक्षा 9–12) के लिए	कुलाल विज्ञान के साथ बी0 एस–सी0, एल0टी0 (रचनात्मक) अथवा कुलाल विज्ञान के साथ बी0 एस–सी0 (प्राविधिक)	प्रशिक्षित
29	जीव विज्ञान अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	1– वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम0 एस–सी0 अथवा	प्रशिक्षित
		2– कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम0 एस–सी0, बी0 एस–सी0 में जन्तु विज्ञान अथवा	प्रशिक्षित
		3– कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम0 एस–सी0, बी0 एस–सी0 में वनस्पति विज्ञान अथवा 4–किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस0–सी0	प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान) के साथ बी0एस0 सी0	
30	भू–विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	एम0एस–सी0 (भूगर्भ शास्त्र)	प्रशिक्षित
31	भौतिक विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	1–एम0 एस–सी0, (भौतिक विज्ञान) अथवा 2–किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस–सी0	प्रशिक्षित

32	रसायन विज्ञान अध्यापक,इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	1– रसायन विज्ञान में एम0एस–सी0 अथवा 2– रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0एस–सी0 (आनर्स) अथवा 3– किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस–सी0	प्रशिक्षित प्रशिक्षित
33	विज्ञान अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9 और 10) के लिए	भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बी0 एस–सी0	प्रशिक्षित
34	विज्ञान के प्रदर्शक	बी0 एस–सी0	प्रशिक्षित
35	आशुलेखन – टंकण अध्यापक (क) अंग्रेजी में (ख) हिन्दी में	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का आशुलेखन टंकण के साथ इण्टरमीडिएट वाणिज्य–ग–वाणिज्य द्वितीय वर्ग की वरीयता––– इण्टरमीडिएट तथा निम्नलिखित में से एक अर्हता (1) नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी का शीघ्र लिपि में हिन्दी संकेत लिपि विशारद अथवा (2) हिन्दी साहित्य सम्मेलन,इलाहाबाद का शीघ्र लिपि विशारद अथवा आशु टंकण (हिन्दी) के साथ इण्टरमीडिएट वाणिज्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के ग–वाणिज्य–दो वर्ग की वरीयता देते हुए	
36	वाणिज्य अध्यापक–– इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	 एम0 काम0 प्रशिक्षित बी0 काम0	
37	कताई और बुनाई अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	क–कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा ख– इण्टरमीडिएट तथा (1) राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन प्रोद्योग में डिप्लोमा तथा हाईस्कूल कक्षाओं में	

		विषय में 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव (2) राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट, कानपुर का डिप्लोमा अथवा (3) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये	(क) कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0 अथवा (ख) 1– कताई और बुनाई के साथ इण्टरमीडिएट अथवा 2– राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट, कानपुर से इण्टर–मीडिएट प्राविधिक, अथवा 3– हाईस्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन उद्योग में डिप्लोमा, अथवा 4– हाईस्कूल तथा उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)

टिप्पणी– हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत् योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों का स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिये। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

38	काष्ठ कला अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	(क) काष्ठ में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0. अथवा (ख) इण्टरमीडिएट और (1) राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली से [illegible] केबिनेट मेकिंग डिप्लोमा (2) राजकीय [illegible] स्कूल, इलाहाबाद (अब [illegible] वुड वर्किंग

		इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद)
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(क) काष्ठ कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0 अथवा (ख) 1– काष्ठ कला के साथ इण्टरमीडिएट 2– हाईस्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली की एलीमेन्टरी कबिनेट मेकिंग सर्टीफिकेशन, अथवा 3– हाईस्कूल तथा राजकीय कारपन्टर स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद) से जनरल वुड वर्किंग सर्टीफिकेट।

टिप्पणी – हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत योग्यतायें रखने वाले **अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति** से पूर्व **शिक्षा** निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापक विज्ञान सम्बन्धी **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

39	ग्रन्थ शिल्प अध्यापक,इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय,लखनऊ एल0टी0
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये	1– ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 अथवा टी0सी0 अथवा 2– ग्रन्थ शिल्प से साथ इण्टर– मीडिएट सी0 टी0
4	चर्मकला अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	चर्मकला सहित इण्टरमीडिएट तथा लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट कानपुर, आगरा अथवा मेरठ से एडवान्स्ड कोर्स
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	हाईस्कूल तथा उद्योग विभाग द्वारा सचालित लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट कानपुर, आगरा अथवा मेरठ का डिप्लोमा

टिप्पणी–चर्मकला की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को समान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन **विज्ञान** सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

41	धातुकला अध्यापक,इण्टरमीडिएट	क– धातुकला में विशेष योग्यता

	(कक्षा 11--12) के लिये	सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल0टी0 अथवा ख– 1– धातु कला के साथ इण्टरमीडिएट तथा राजकीय आकुपेशनल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद में जनरल मैकेनिकल का ए पाठ्यक्रम। 2-- इण्टरमीडिएट तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्थान से धातु कला में डिप्लोमा।	
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये	(क) धातु कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल0टी0 अथवा सी0टी0 **अथवा** (ख) हाईस्कूल तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के पश्चात् सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से दिया जाने वाला डिप्लोमा।	

टिप्पणी–'ख' अन्तर्गत् योग्यता रखने वाले अध्यापकों **को सामान्यतः** स्थायीकरण से पूर्व **शिक्षा निदेशक** द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

42	धुलाई, रफू और बखिया तथा रंगाई शिक्षक हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल, इन्स्टीट्यूट, कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा बालकों की संस्थाओं के लिए उद्योग विभाग द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता अथवा पोलीटेक्निक,रामपुर और बापू इन्डस्ट्रियल स्कूल, देहरादून अथवा उसके समकक्ष बालिकाओं की संस्थाओं के लिए प्रमाण पत्र।	
43	रंगाई तथा छपाई अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष।	

टिप्पणी– ऊपर की योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

44	सिलाई अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	(क) सिलाई के साथ इण्टरमीडिएट (ख) इण्टरमीडिएट तथा 1– प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन से डिप्लोमा अथवा	सी0टी0 सिलाई में विशेष योग्यता

		2– आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टी–ट्यूट लखनऊ से डिप्लोमा तथा हाईस्कूल कक्षाओं में विषय के 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव,
		अथवा
		3– सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात् दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा।
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये	(क) 1– इण्टरमीडिएट सी0टी0 (इण्टरमीडिएट में सिलाई सहित अथवा सी0टी0 में सिलाई में विशेष योग्यता)
		(ख) हाईस्कूल तथा
		(1) प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन से डिप्लोमा
		अथवा
		(2) आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टीट्यूट आर्य समाज रोड, लखनऊ से डिप्लोमा
		अथवा
		(3) सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा

टिप्पणी– (ख) के अन्तर्गत योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

45	नृत्य अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित––
		(1) भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा
		(2) प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा
		(3) माधो संगीत विद्यालय,ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद्
		(4) अखिल भारतीय गन्धर्व महा–विद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद्
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा, निम्न–लिखित में से कोई एक योग्यता सहित-
		1– भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद परीक्षा

		2– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा, 3– माधो संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद 4– अखिल भारतीय गन्धर्व महा-विद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद (ख) नृत्य के साथ बी0 ए0।	
46	मूर्ति कला अध्यापक, इण्टरमीडिएट कक्षा (11–12) के लिए	हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से मूर्तिकला विषय सहित ललित कला में डिप्लोमा।	
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय जैसे – मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन से मूर्तिकला में प्रमाण–पत्र अथवा डिप्लोमा।	
47	रंजन कला अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से चित्र लेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा।	
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	हाइस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से चित्र लेखन सहित विद्यालय (जैसे– मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन) से रंजन कला सहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा।	
48	कृषि अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए---		
	(1) कृषि	एम0 एस–सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित
	(2) कृषि अभियंत्रण	बी0 एस–सी0 (कृषि अभियंत्रण)	प्रशिक्षित
	(3) गणित	गणित अथवा स्टेटिस्टिक्स में एम0 ए0 अथवा एम0 एस–सी0	प्रशिक्षित
	(4) हिन्दी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, (जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के लिए)	इन विषयों में वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होगीं जो मुख्य विषयों के लिए इसी सूची में दी गई है।	
	(5) प्रदर्शक कृषि	कृषि में बी0 एस–सी0	
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	बी0 एस–सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित
49	कृषि गोपालन अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	एम0 एस–सी0 (कृषि)	एल0टी0(बेसिक
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	बी0 एस–सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित एल0टी0(बेसिक

50	बागवानी अध्यापक, इण्टरमीडिएट तथा हाईस्कूल (कक्षा 9–12) के लिए	बी0 एस–सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित
51	वस्त्र उद्योग अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	स्नातक तथा कताई–बुनाई सहित इण्टरमीडिएट परीक्षा, साथ में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई के क्षेत्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग विद्यालय का डिप्लोमा।	प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	कताई–बुनाई के साथ हाईस्कूल परीक्षा	रचनात्मक अथव एल0टी0(बेसिक)
52	सामान्य वस्त्रोद्योग अध्यापक	उपर्युक्त 51 के समान	
53	गुजराती अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	एम0 ए0, गुजराती	
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	बी0 ए0 गुजराती	प्रशिक्षित
54	शारीरिक शिक्षा अध्यापक,इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	1– स्नातक तथा 2– राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण (एल0टी0) महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व–विद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि / डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता।	
	हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सी0पी0एड0 प्रमाण–पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता।	
55	सामाजिक विज्ञान, हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	निम्नलिखित किन्हीं प्रशिक्षित दो विषयों के साथ बी0 ए0। 1– इतिहास 2– राजनीति शास्त्र 3– भूगोल 4– अर्थशास्त्र	
*56	सामुदायिक रहन–सहन तथा सबंधित विज्ञान, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	एम0 ए0 (इतिहास) अथवा एम0 ए0 (समाज शास्त्र) अथवा एम0 ए0 (राजनीति शास्त्र) अथवा एम0 ए0 (अर्थशास्त्र)	

*दिनाँक 29–11–97 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–परिषद–9 / 479 दिनाँक 28–10–97 द्वारा सम्मिलित

**57	कम्प्यूटर अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	एम.टेक.(कम्प्यूटर विज्ञान) अथवा बी.ई. / बी.टेक.(कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अथवा एम.सी.ए. अथवा एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से अथवा "बी" लेविल आफ डी.ओ.ई.ए.सी.सी.। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बी.एम.एस. (कम्प्यूटर कोर्स कम्पोनेन्ट कनसंसटिंग आफ एट लिस्ट 1/3 आफ साइंस कोर्स) किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ "ए" लेविल आफ डी.ओ.ई.ए.सी.सी.।
	***हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	बी0 एस–सी0 कम्प्यूटर विज्ञान के साथ अथवा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ अथवा बेचलर कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ अथवा डी0ओ0ए0ई0 से "ए" लेविल कोर्स के साथ स्नातक अथवा पी0जी0 (डिप्लोमा) (कम्प्यूटर विज्ञान के साथ) किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से। नोटः– बी0एड0 के साथ उपर्युक्त में से किसी भी योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जायेगी।

**दिनॉकः07–03–98 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–परिषद्–9/752 दिनांक 28–2–98 द्वारा सम्मिलित।

***दिनांक 08–09–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–परिषद–9/314 दिनांक 27–08–2001 द्वारा सम्मिलित

प्राविधिक विषयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यतायें:–

	(1) सामान्य अभियंत्रण लेक्चरर हाईस्कूल के लिए	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था के अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)
	(2) वास्तु अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण (इंटरमीडिएट कक्षाओं) के लिए लेक्चरर (3) नक्शानवीन में लेक्चरर	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता–प्राप्त संस्था के अभियंत्रण की संबंधित शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) डिप्लोमा अथवा
(3)	नक्शानवीन में लेक्चरर	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से नक्शानवीनी अथवा अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)
(4)	रेखांकन शिक्षक	हाईस्कूल परीक्षा के बाद नक्शानवीनी अथवा अभियंत्रण में डिप्लोमा
(5)	मिस्त्री	लोहारी, सांचे का काम, खराद का काम, सज्जीकरण आदि में से एक दो व्यवासायों में कम से कम दो वर्ष के कार्य का अनुभव, मान्यता प्राप्त संस्था से व्यवसाय या व्यवसायों में प्रमाण–पत्र रखने वालों को वरीयता दी जायेगी।
(6)	मुद्रण कार्य के अध्यापक (कक्षा 9 से 12)	1– स्नातक विज्ञान में वरीयमान जिन्होंनें राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 में ग्रन्थ शिल्प तथा मुद्रण में अपना–अपना विशेष विषय दिया हो और जिन्हें कम से? कम 6 मास का कियात्मक प्रशिक्षण किसी मुद्रण संस्थान में हो,

2– एक उच्चतर स्तर के मुद्रण संस्थान में कम्पोजिंग, मुद्रण और जिल्दबाजी के कम से कम पांच वर्ष के कियात्मक प्रशिक्षण के साथ हाईस्कूल।

अथवा

3– मुद्रण प्रयोग के किसी मण्डलीय विद्यालय का डिप्लोमा रखने वाले।

(1) हाईस्कूल प्राविधिक के लिये अध्यापक

(1)	काष्ठ कला में	एक मान्यता प्राप्त संस्था से (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) विशेष विषय में डिप्लोमा।
(2)	बुनाई में	उपर्युक्त्
(3)	चर्म कला	1– उपर्युक्त् अथवा 2– हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित फूटवियर टेक्नोलाजी (लेदर गुड्स मैनफैक्चर सहित) का दो वर्ष का डिप्लोमा।
(4)	विद्युतकार के लिए विद्युत वायरिंग	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अथवा विद्युत अभियंत्रण में (तीन वर्ष का) डिग्री अथवा डिप्लोमा।
(5)	हलके यांत्रिक	
(6)	बढ़ईगीरी	
(7)	धातु फलक कर्म	
(8)	वेल्डिंग और सोल्डरिंग	

(2) इण्टरमीडिएट प्राविधिक के लिये लेक्चरर

(1)	वस्त्र निर्माण	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से वस्त्र उद्योग में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)
(2)	वस्त्रों का रासायनिक प्रोयोग	
(3)	प्राथमिक इलेक्ट्रानिक्स	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त

		संस्था से विद्युत अभियंत्रण अथवा दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री अथवा डिप्लोमा।
(4)	प्राथमिक मोटरयान अभियंत्रण	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री अथवा डिप्लोमा।

टिप्पणी– (क) लैटिन और फ्रान्सीसी के अध्यापकों के लिये न्यूनतम योग्यतायें नहीं निर्धारित की गयी हैं।

(ख) आनर्स स्नातक (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) कक्षा 11 और 12 को उन विषयों के पढ़ाने के पात्र समझे जायेंगे जिनमें उन्होंने आनर्स किया है।

अन्य अध्यापक

(1)	अध्यापक जूनियर कक्षाओं (कक्षा 6 7 और 8) के लिये	इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा सी0टी0, बी0टी0सी0 या जे0टी0सी0 या इसके समकक्ष कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता।
*(2)	हटा दिया गया।	
*(3)	ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्व प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत् वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में होने वाली रिक्तियों की भर्ती हेतु (कक्षा 1 से 5 तक)।	स्नातक, बी0 टी0 सी0

* (दिनांक 01 मार्च,2003 के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–परिषद्–9/741 दिनांक 26 फरवरी, 2003 द्वारा संशोधित)।

परिशिष्ट–ख

(अध्याय दो के विनियम 2 (4) के सन्दर्भ में)

क– ऐसे व्यक्ति का विवरण जो पद पर अन्तिम बार था :–

1– पदनाम।

2– वेतनमान।

3– रिक्त होने का दिनांक और उसका कारण।

4– रिक्ति का प्रकार–छुट्टी, अस्थायी या मौलिक।

5– पद के लिये विहित अर्हतायें।

6– पिछले पदधारी का नाम तथा वेतन।

7– अभ्युक्ति।

ख– नियुक्त किये गये व्यक्ति का विवरण :–

1– नाम।

2– जन्म दिनांक।

3– अर्हतायें–परीक्षायें, उन्हें उत्तीर्ण करने के दिनांक के साथ–साथ विषय, श्रेणी सहित।

4– उस वेतनक्रम में जिससे पदोन्नति की गयी हो, ज्येष्ठता के अनुसार स्थिति।

5– ऐसी अवधि दिनांक सहित जिसके लिये नियुक्ति की गयी हो।

6– अनुज्ञात वेतन और वेतनमान।

7– अभ्युक्ति।

परिशिष्ट–ग

(अध्याय दो के विनियम 10 (च) तथा 11 (1) के संदर्भ में)

संस्था का नाम ....साक्षात्कार का स्थान ....पद का विवरण जिसके लिये साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार का दिनांक.................................

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम पते सहित	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है।	जन्म दिनांक
1	2	3	4

उत्तीर्ण	परीक्षा	विषय	वर्ष	श्रेणी	वेतनमान	पूर्व अनुभव अवधि संस्था का नाम	.................से ....तक
5	6	7	8	9	10	11	12

अन्य कार्यकलाप	दिये गये गुण विषयक अंक	चयन समिति के सदस्यों का पर्यवेक्षण	साक्षात्कार अंक
13	14	15	16

गुण विषयक और साक्षात्कार के अंकों का योग	क्या सदस्य चयन से सहमत है (हैं या नहीं) यदि नहीं तो संक्षेप में कारण बताइये	अभ्युक्ति, यदि कोई हो।
17	18	19

प्रमाणित किया जाता है कि मैनें चयन से सम्बन्धित सभी अभिलेखों की जांच कर ली है और विशेष रूप से परीक्षा कर ली है कि कोई भी अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के आधार पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने के विधि सम्मत दावे से वंचित नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद नाम ....

पता ....

परिशिष्ट–घ

(अध्याय दो के विनियम 10 (घ) के सन्दर्भ में)

किसी संस्था के प्रधान और अध्यापक के लिये गुण विषयक माप मान संस्था के प्रधान के लिये गुण विषयक अंक

साक्षात्कार में बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक	..	..	50
	1	2	3
हाईस्कूल	10	7	4
इन्टरमीडिएट	20	15	8
स्नातक परीक्षा	30	23	12

स्नातकोत्तर उपाधि	40	30	16
	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण उपाधि डिप्लोमा	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2	3	10
	3	2	10
	अन्य	..	8

शिक्षण अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिये
2 अंक और अधिकतम 15 अंक।
प्रशासनिक अनुभव – प्रति वर्ष के लिये
2 अंक और अधिकतम 15 अंक
इण्टरमीडिएट के अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक—

साक्षात्कार में बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक	--	—	50
	1	2	3
हाईस्कूल	10	7	4
इन्टरमीडिएट	20	15	8
स्नातक परीक्षा	30	23	12
स्नातकोत्तर उपाधि	50	38	20
	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	10
	1	2	9
	2	1	8
	2	2	6

	2	3	5
	3	2	—
	अन्य	—	4
शिक्षण अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।			
सह– पाठ्यचर्या कार्य कलाप	—	—	15
हाईस्कूल के अध्यापकों से लिये गुण विषयक् अंक			
साक्षात्कार के लिये बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक् अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक		..	50

	1	2	3
हाईस्कूल	15	12	6
इन्टरमीडिएट	25	18	10
स्नातक उपाधि	40	30	16
स्नातकोत्तर उपाधि	20	15	18
	सिद्वान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2	3	10
	3	2	
	अन्य	—	8
शिक्षण अनुभव–– प्रतिवर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।			
सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप	—	8	5
सी0टी0 ग्रेड अध्यापकों और अन्य के लिए गुण विषयक अंक			
साक्षात्कार में बुलाने के लिये गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक	..	..	50

	1	2	3
हाईस्कूल	40	31	16
इण्टरमीडिएट	60	45	24
	सिद्वान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2	3	10
	3	2	
	अन्य	..	..

शिक्षण अनुभव -- प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक
और अधिकतम 15 अंक।

सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप 15

सभी मामलों में सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप के लिए दिये गये गुण विषयक् अंकों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :–

III	सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप	सक्रिय रूप से भाग लिया	
(क)	खेल / खेलकूद	विद्यालय एकादश	1
		कालेज एकादश	2
		विश्वविद्यालय एकादश	3
		राज्य एकादश	5
(ख)	स्काउटिंग	द्वितीय श्रेणी	1
	और	प्रथम श्रेणी	3
		राष्ट्रपति	5
	राष्ट्रीय कडेट कोर या पी0 एस0 डी0	कारपोरल	1
		सार्जेट	2
		कम्पनी सार्जेट मेजर	3
		बटालियन सार्जेट मेजर	4
		अन्डर आफीसर	5
	(ग) अन्य दक्षता अर्थात्	विद्यालय स्तर	1
	वाद–विवाद, नाट्यकला	कालेज स्तर	2
	यूनियन पार्लियामेन्ट	विश्वविद्यालय स्तर	3
		राज्य स्तर	5

अवधेय (1) गुण विषयक अंकों की गणना करने के लिये इंडियन स्कूल सार्टीफिकेट परीक्षा को हाईस्कूल के समकक्ष् और पी0 यू0 सी0 को इन्टरमीडिएट के समकक्ष् समझा जायेगा।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने कोई परीक्षा पूरक परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो उन्हें यदि सम्बन्धित परीक्षा में कोई श्रेणी न दी गई हो तो उनके गुण अंक "तृतीय श्रेणी" के अन्तर्गत् और यदि कोई श्रेणी दी गई हो तो गुण अंक उस श्रेणी के अन्तर्गत् प्रदान किये जायेगें।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी ने दो या अधिक विषयों में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की हो तोः–

(क) यदि वह प्रवक्ता पद का अभ्यर्थी हो तो जिस विषय को पढाने हेतु वह अभ्यर्थी है केवल उस विषय की मास्टर्स डिग्री के आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(ख) यदि वह एल0टी0 ग्रेड के पद का अभ्यर्थी हो तो जिस मास्टर्स डिग्री की श्रेणी अच्छी हो उसके आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(4) एम0एड0 अथवा पी0 एच0 डी0 डिग्री धारी अभ्यर्थियों को निम्नवत् अतिरिक्त गुण अंक केवल उस दशा में प्रदान किये जायेगें जबकि वे संस्था के प्रधान अथवा प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी हो, किन्तु अतिरिक्त अंक इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जायेगें कि अतिरिक्त अंक मिलाकर किसी अभ्यर्थी के गुण अंक 150 से अधिक न हों–

(क) मास्टर्स डिग्री के साथ एम0 एड0 होने पर 5 अतिरिक्त अंक,

(ख) मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र (Education) या मनोविज्ञान (Psychology) में पी0एच0डी0 या डी0फिल0 होने पर 10 अतिरिक्त अंक,

(ग) मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान में पी0एच0डी0 या डी0फिल0 के अतिरिक्त यदि एम0 एड0 हो तो 15 अतिरिक्त अंक,

(घ) यदि प्रवक्ता पद हेतु कोई अभ्यर्थी मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान से भिन्न ऐसे विषय में पी0 एच0 डी0 या डी0 फिल0 हो जिस विषय को पढाने हेतु वह अभ्यर्थी हो तो 10 अतिरिक्त अंक।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री के अतिरिक्त एम0एड0 डिग्री भी हो तो एम0 एड0 हेतु उसे 5 अतिरिक्त गुण अंक प्रदान किये जावेगें। (उसे स्नातक डिग्री व बी0 एड0 डिग्री के गुण अंक मिलेगें ही)। यह अतिरिक्त अंक भी इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जावेगे कि कुल गुण अंक 150 से अधिक न हों।

(6) सी0 टी0 ग्रेड पद के अभ्यर्थी जो स्नातक भी हों को निम्नवत् अतिरिक्त गुण अंक इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जावेगें कि कुल गुण अंक 150 से अधिक न हों:–

	1	2	3
स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि जो भी श्रेष्ठ हो	**15**	**10**	**5**

(7) प्रशिक्षण उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी जिन्हें 1–3 या 3–1 श्रेणियां मिली हो को 11 गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(8) जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण योग्यता से छूट दी गई हो, उन्हें "अन्य" की श्रेणी के अन्तर्गत् 8 गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(9) जिन अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से छूट दी गयी हो उन्हें सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित न्यूनतम गुण अंक अर्थात् तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित गुण अंक प्रदान किये जावेगें।

(10) जो अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (P.G.D.) प्राप्त हो उन्हें संबंधित विषय की स्नातकोत्तर डिग्री के तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित गुण अंक के आधे अंक प्रदान किये जायेगें। किन्तु यह सुविधा केवल प्रवक्ता और एल0टी0 ग्रेड के पदों के अभ्यर्थियों को ही प्रदान की जायेगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के पास आचार्य, साहित्यरत्न, विशारद, मध्यमा, विद्याविनादिनी आदि की योग्यता हो तो इसे उस योग्यता के समकक्ष मान्य स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री अथवा इण्टर या हाईस्कूल हेतु निर्धारित गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(12) ऐसे अभ्यर्थी जो जे0टी0सी0/बी0टी0सी0 ग्रेड से सी0टी0 ग्रेड में पदोन्नत हुये हों और उन्होनें सी0टी0 ग्रेड अध्यापक के रूप में पांच वर्ष की सेवा कर ली हो उन्हें भी परिशिष्ट–क के द्वितीय पैरा में उल्लिखित शब्द "प्रशिक्षित" के अन्तर्गत् माना जायेगा।

(13) जहां किसी पद के लिये आवेदक, यथास्थिति, कोई नेत्रहीन व्यक्ति या कोई विधवा हो तो उसे 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगे।

(14) जहां आवेदक ने कोई परीक्षा कम्पार्टमेन्टल अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और उसे कोई श्रेणी प्रदान न की गयी हो या केवल उत्तीर्ण घोषित किया गया हो, तो उसे गुण–विषयक् अंक इस प्रकार प्रदान किये जायेगें मानो वह परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की गयी थी।

(15) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान पद के लिये आवेदन किया हो तो उसे उपखंड (5) के अधीन रहते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगें:–

(1) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त एम0 एड0 उपाधि रखता हो तो एम0एड0 के लिये 5 अतिरिक्त अंक।

(2) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त किसी विषय में पी0एच0डी0 या डी0फिल0 हो तो पी0–एच0 डी या डी0 फिल0 के लिए 10 अतिरिक्त अंक।

(3) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि और पी0 एच0 डी0/डी0फिल0 के अतिरिक्त एम0एड0 की उपाधि रखता हो तो पी0एच0डी0/डी0फिल0 के लिए 10 अतिरिक्त अंक और एम0एड0 के लिये 5 अतिरिक्त अंक।

(16) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता पद के लिये आवेदन किया हो तो उसे निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगें:–

(1) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त एम0एड0 की उपाधि रखता हो तो एम0एड0 के लिए 5 अतिरिक्त अंक।

(2) यदि स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त वह शिक्षा या मनोविज्ञान या उस विषय में जिसमें उसने प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया हो, पी0एच0डी0 या डी0 फिल0 हो तो, पी0एच0डी0 / डी0 फिल0 के लिये 10 अतिरिक्त अंक।

(3) यदि वह उपर्युक्त् उपखंड (2) में निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और पी0एच0डी0 / डी0फिल0 के अतिरिक्त एम0एड0 उपाधि रखता हो तो पी0एच0डी0 / डी0फिल0 के लिए 10 अतिरिक्त अंक और एम0एड0 के लिये 5 अतिरिक्त अंक।

(17) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिए आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषय के अंक उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेगें जिनमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एम0 एड0 की उपाधि अन्य स्नातकोत्तर उपाधि की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी में हो तो आवेदक उपखंड (3) के अधीन किसी अतिरिक्त अंक का हकदार न होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदक केवल एम0एड0 हो और उसके पास कोई स्नातकोत्तर उपाधि न हो तो एम0एड0 के लिये स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में गुण विषयक् अंक प्रदान किये जायेगें।

(18) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता के लिये आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0 एड0 से भिन्न) रखता हो तो गुण विषयक् अंक उस विषय में जिसमें उसने प्रवक्ता के पद के लिये आवेदन किया हो, स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

(19) जहां किसी व्यक्ति ने एल0 टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषयक् अंक उस विषय में जिसमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो, स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेगें।

(20) जहां किसी अध्यापक के पद के लिये आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति किसी विषय के लिये निहित एक से अधिक वैकल्पिक अर्हतायें रखता हो तो उसे उन वैकल्पिक अर्हताओं के

सम्बन्ध में केवल एक ऐसी उपाधि, प्रमाण–पत्र या डिप्लोमा के लिये जिसमें अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो गुण–विषयक् अंक प्रदान किये जायेगें।

(21) जहां किसी व्यक्ति के पास आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न, विशारद्, मध्यमा या विद्याविनोदिनी की अर्हता हो वहां उसे स्नातकोत्तर या स्नातक उपाधि के लिये या इण्टरमीडिएट या हाईस्कूल अर्हता के लिये जिनके समतुल्य प्रथम उल्लिखित अर्हताओं को परिषद् द्वारा मान्यता दी गयी है, गुण विषयक् अंक प्रदान कर दिये जायेगें।

(22) जहां किसी व्यक्ति ने सी0टी0 ग्रेड में किसी पद के लिये आवेदन किया हो, वह उसे उसकी स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि जो भी प्रथम श्रेणी में हो, के सम्बन्ध में अथवा यदि स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में हो तो किसी एक उपाधि के सम्बन्ध में 15 अतिरिक्त गुण अंक दिये जायेगें, द्वितीय अथवा तृतीय में उपरोक्त उपाधियाँ होने की दशा में कोई अतिरिक्त गुण अंक नहीं दिया जायेगा।

(23) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिये या एल0 टी0 या सी0टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये या सी0टी0 श्रेणी से निम्न स्तर श्रेणीी के लिये आवेदन किया हो, और अपने प्रशिक्षण उपाधि डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में सिद्वान्त और व्यवहार में क्रमशः प्रथम और तृतीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो, वहां उसे 11 गुण विषयक् अंक दिये जायेगें।

(24) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया हो और अपने प्रशिक्षण उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में सिद्वान्त और व्यवहार में क्रमशः प्रथम और द्वितीय श्रेणी या तृतीय और प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो वहां उसे 5 1/2 गुण विषयक् अंक दिये जायेगें।

(25) जहां प्रशिक्षण अर्हता के सम्बन्ध में किसी उपाधि प्रमाण–पत्र या डिप्लोमा में केवल प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी उल्लिखित हो, वहां आवेदक (सिद्वान्त और व्यवहार के लिये) क्रमशः I-I, II-II, या III-III के बराबर गुण विषयक् अंक का हकदार होगा।

(26) जहां किसी पद के लिए किसी आवेदक को अपेक्षित प्रशिक्षण अर्हता की छूट दी गयी हो या उसने अपने प्रशिक्षण उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण--पत्र के सम्बन्ध में सिद्वान्त और व्यवहार में तृतीय श्रेणी प्राप्त की हो, या वह परिशिष्ट–क की कम संख्या–1 के खंड (2) में संस्था के प्रधान के लिये निहित अर्हतायें रखता हो, जहां से परिशिष्ट में दी गयी गुण विषयक् सारणी में शीर्षक "प्रशिक्षण" के सामने शीर्षक "अन्य" के अधीन गुण विषयक् अंक दिये जायेगें।

(27) जहां किसी आवेदक को किसी पद के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की छूट दी गयी हो, वहां ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में उसे न्यूनतम गुण विषयक अंक दिये जायेगें अर्थात् जो अंक तृतीय श्रेणी के लिये विहित हो।

(28) जहां प्रवक्ता पद के लिये या एल0टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये किसी आवेदक के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में, स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, वहां उसे ऐसे डिप्लोमा के लिये, ऊपर उल्लिखित किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के सम्बन्ध में तृतीय श्रेणी के लिये विहित गुण विषयक् अंक के आगे गुण विषयक अंक दिये जायेगें।

(29) कोई आवेदक केवल एक प्रशिक्षण अर्हता अर्थात् प्रशिक्षण उपाधि, प्रमाण–पत्र या डिप्लोमा, इसमें जो भी उच्चतम् प्रशिक्षण अर्हता के होने पर लिये गुण विषयक् अंक पाने का हकदार होगा। उदाहरणार्थ यदि आवेदक सी0टी0 या और बाद में वह बी0एड0 उपाधि या एल0टी0 प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले तो वह **केवल उच्चतम प्रशिक्षण** अर्हता के लिये गुण विषयक अंक का हकदार होगा।

टिप्पणी – इस उपखंड के प्रयोजनार्थ, एम0 एड0 को प्रशिक्षण अर्हता नहीं समझा जायेगा।

(30) खंड (1), (3), (4) या (10) के अधीन अतिरिक्त गुण विषयक अंक इस शर्त पर दिये जायेगें कि समस्त गुण विषयक अंकों का योग 150 से अधिक न हो।

(31) संस्था के प्रधान–पद के लिये प्रशासनिक अनुभव में प्रयोजनार्थ केवल निम्नलिखित अनुभव का विचार किया जायेगा––

(1) जहां आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की या किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल की हैसियत से कार्य किया हो।

(2) जहां आवेदक शिक्षा विभाग में किसी राजपत्रित पद पर रहा हो।

(3) जहां आवेदक कम से कम तीन वर्ष तक एन0 सी0 सी0 में कमीशन अधिकारी के रूप में किसी पद पर रहा हो। वहां समस्त उपर्युक्त् अनुभव।

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (3) में निर्दिष्ट प्रशासनिक अनुभव की स्थिति में गुण विषयक अंक देने के लिए प्रथम तीन वर्ष के अनुभव को एक वर्ष माना जायेगा और प्रत्येक अनुवर्ती एक वर्ष को एक वर्ष समझा जायेगा।

(32) किसी पद के लिये शिक्षण अनुभव के प्रयोजनार्थ, केवल ऐसे समस्त अनुभव पर विचार किया जायेगा जिसे आवेदक किसी मान्यता प्राप्त संस्था में, जिसमें प्राथमिक विद्यालय भी हो, अध्यापक की हैसियत से कार्य करके अर्जित किया हो। किसी मान्यता प्राप्त एवं प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में अर्जित अनुभव का विचार केवल जे0 टी0 सी0 / बी0टी0सी0 श्रेणी में अध्यापक पद के लिये किया जायेगा। यदि आवेदक ने संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद के लिये आवेदन किया हो तो "शिक्षण अनुभव" के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के उसके अनुभव का भी विचार किया जायेगा।

(33) उपर्युक्त् उपखंउ (19) और (20) के प्रयोजनार्थ--

(क) छः मास से कम का अनुभव कोई गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह नहीं बनायेगा, किन्तु छः मास या अधिक, किन्तु एक वर्ष से कम का अनुभव एक वर्ष के लिये गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह बनायेगा।

(ख) किसी संस्था के निर्देश में पद "मान्यता प्राप्त" का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा या विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या सृजित किसी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त से है जिसके अन्तर्गत् सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल आफ इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, दिल्ली, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्व कोई उपाधि महाविद्यालय भी है।

परिशिष्ट--ड़

(अध्याय दो के विनियम 18(1) के सन्दर्भ में)

रजिस्ट्रीकृत आवरण में

संख्या ....   दिनॉकः ....

संस्था का नाम ....

स्थान ....

जिला ....

विषय -- संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन .... के पद के लिये किया गया है। संस्था की प्रबन्ध समिति ने अपने संकल्प संख्या .... दिनॉकः .... द्वारा आपको ....रूपये के मानक्रम में ....रूपये के प्रारम्भिक वेतन तथा नियमावली के अधीन यथा अनुमन्य महंगाई भत्ते पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर .... तक अस्थायी रूप से .... के रूप में नियुक्त कर लिया है।

आपसे इस पत्र के प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के समक्ष उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

भवदीय,

प्रबन्धक।

प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिक .... सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक .... को सूचनार्थ अग्रसारित।

अध्याय तीन

सेवा की शर्तें

(धारा 16–छ)

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा पदोन्नति

1– **प्रधानाध्यापक, आचार्य तथा अध्यापक** – प्रबन्ध समिति द्वारा स्कूल, वर्ष आरम्भ होने से पूर्व होने वाले किसी प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक के स्पष्ट रिक्त स्थान की मौलिक रूप से पूर्ति आने वाले 31 जुलाई तक कर दी जानी चाहिये। 07 अगस्त तक सम्भावित रिक्त स्थान की पूर्ति इसी प्रकार आने वाले 31 अगस्त तक होनी चाहिए।

2–(1) किसी संस्था में नियुक्ति हेतु लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वही होगी जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय कर्मचारियों के लिये समय–समय पर निर्धारित की गई हो।

(2) प्रधान लिपिक एवं लिपिक श्रेणी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत संस्था में कार्यरत लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा यदि कर्मचारी पद हेतु निर्धारित अर्हता रखता हो तथा वह आगे पद पर 5 वर्ष की अविरल मौलिक सेवा कर चुके हों तथा उनका सेवा अभिलेख अच्छा हो पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

इस सम्बन्ध में यदि कोई कर्मचारी प्रबन्ध समिति के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित हो तो वह उसके विरूद्ध, ऐसे निर्णय या आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है निरीक्षक ऐसे अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे। निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा और प्रबन्धाधिकरण द्वारा शीघ्र कार्यान्वित किया जाऐगा।

टिप्पणी – पचास प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा और आधे या आधे से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

3– शासन के अधीन सेवा से अथवा एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था की सेवा से विमुक्त, प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक, अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्त नहीं किया जायेगा।

4– कोई भी अध्यापक, जो प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य अथवा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य का सम्बन्धी है, संस्था में अस्थायी अथवा स्पष्ट रिक्त स्थान पर नहीं नियुक्त किया जाएगा और न संस्था में किसी की प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य नियुक्त किया जायगा जो प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य का सम्बन्धी हो।

इस विनियम के प्रयोजन के लिये "सम्बन्धी" में निम्नलिखित का तात्पर्य है :

पिता, बाबा, ससुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, पुत्री, पौत्री, पत्नी, दादी, भतीजा, चचेरा या ममेरा भाई, साला, बहनोई, पति, देवर, ज्येष्ठ, नन्द, साली, पुत्र–वधु, बहिन, भावज, चचेरा भाई की पत्नी, माँ, सास, चाची या मौसी।

5– अध्यापक वर्ग में से कोई अथवा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध–समिति के पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

6– नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति से समस्त नियुक्तियां औपचारिक आदेशों अथवा नियुक्ति–पत्रों के अन्तर्गत की जायेगी।

7– स्पष्ट रिक्त स्थान में मौलिक नियुक्ति हेतु चुना हुआ व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवीक्षाधीन रखा जायगा।

8– (1) संस्था के प्रधान या अध्यापक के लिये चाहे वह सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया हो अथवा पदोन्नति द्वारा परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी।

(2) उक्त अवधि––

(क) ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाईयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जाय, 27 नवम्बर, 1976 से।

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में, मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

9– संस्था का कोई भी अध्यापक अथवा प्रधान अपनी नियुक्ति में स्थायी नहीं किया जायगा जब तक कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को अपने एक विषय के रूप में लेकर अथवा एक हिन्दी क्षेत्रीय भाषा वाले राज्य में स्थित परीक्षा निकाय की हिन्दी (नियमित, प्रारम्भिक नहीं) के साथ समकक्ष परीक्षा अथवा निम्नांकित परीक्षाओं में से कोई एक उत्तीर्ण न हो :–

(अ) गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन द्वारा संचालित अधिकारी अथवा शिरोमणि परीक्षा।

(आ) गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी अथवा अलंकार परीक्षा।

(इ) राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अथवा बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।

(ई) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित हिन्दी साहित्य के साथ विशारद् परीक्षा अथवा हिन्दी साहित्य के साथ साहित्यरत्न परीक्षा।

(उ) उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कोविद अथवा (हिन्दी के साथ) विशेष योग्यता परीक्षा।

(ऊ) पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब की प्रभाकर परीक्षा।

(ए) हिन्दी (प्रथम भाषा के रूप में) के साथ इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, कैमब्रिज स्कूल, सर्टीफिकेट परीक्षा।

(ऐ) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित भूतपूर्व हिन्दी में डिपार्टमेन्टल, स्पेशल वर्नाक्यूलर परीक्षा।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् निदेशक की आख्या पर विचार करने के पश्चात् विशेष परस्थितियों में पर्याप्त कारणों पर छूट दे सकती है।

10–परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी किया जायगा यदि वह ऊपर के विनियम–9 की शर्तो को पूरा करता है, उसने परिश्रम से कार्य किया है, उसने स्वयं को नियुक्त हुए पद के योग्य सिद्ध किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

11–यदि परिवीक्षाकाल की समाप्ति से पूर्व किसी प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक की सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है अथवा प्रधानाध्यापक या आचार्य का परिवीक्षा–काल नीचे के विनियम 12 के अन्तर्गत् बढाया नहीं जाता है, तो उसे अपने पदों एवं पदक्रम में परिवीक्षा काल की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा।

12–प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य का परिवीक्षा–काल अधिकतम 12 मास के लिये बढ़ाया जा सकता है।

13–जिस तिथि को एक अध्यापक का स्थायीकरण नियत है, उससे कम से कम छः सप्ताह पूर्व प्रधानाध्यापक या आचार्य उसके स्थायीकरण का कागज–पत्र तैयार करेगा और उन्हें अपनी अभियुक्तियों, अध्यापक की शील पंजी की प्रतियों तथा नियुक्तिक्रम के साथ प्रबन्धक के पास भेजेगा जो उन्हें प्रबन्ध समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के स्थायीकरण के कागज–पत्र प्रबन्धक द्वारा तैयार किये जायेगें तथा समिति के समक्ष् प्रस्तुत किये जायेगें। प्रबन्ध–समिति का निर्णय प्रत्येक मामले में प्रस्ताव के रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

14– किसी [illegible] को स्थायी किये जाने के प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की एक प्रति उसे दी जायेगी तथा एक अन्य प्रति अध्यापक के सम्बन्ध में निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को तथा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक अथवा उप शिक्षा निदेशक (महिला) को प्रेषित की जायेगी। संबंधित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में इस आशय की प्रविष्टि भी की जायेगी।

15– किसी आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक के परिवीक्षाकाल में एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण होने पर उनकी परिवीक्षा भंग न होगी और उसके स्थायीकरण की कार्यवाही उस संस्था द्वारा की जायेगी, जिसमें वह स्थानान्तरित हुआ है।

(16 से 20 हटाया गया)

21– आचार्य, प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों का अधिवर्ष वय 60 होगा। यदि किसी आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक का उपर्युक्त् अधिवर्ष वय 2 जुलाई और 30 जून के मध्य में किसी तिथि को पड़ता है तो उसे, उस दशा को छोड़ कर जबकि वह स्वयं सेवा विस्तरण न लेने हेतु लिखित सूचना अपने अधिवर्ष वय की तिथि से 2 माह पूर्व दे दें, 30 जून तक सेवा विस्तरण स्वयंमेव प्रदान किया गया समझा जायेगा ताकि ग्रीष्मावकाश के उपरान्त जुलाई में प्रतिस्थानी की व्यवस्था हो सके। इसके अतिरिक्त सेवा विस्तरण केवल उन्हीं विशिष्ट दशाओं में प्रदान किया जा सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

यदि किसी लिपिक अथवा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के अधिवर्ष वय की तिथि किसी माह के मध्य किसी तिथि को पडती है तो उसका सेवा विस्तरण उस मास की अन्तिम तिथि तक प्रदान किया गया समझा जायेगा। किन्तु यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि किसी माह की पहली तारीख को पड़े तो उसे पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा।

22– (निकाला गया)

23– शासन के अधीन सेवा से अथवा एक शैक्षिक संस्था की सेवा से विमुक्त लिपिक, पुस्तकाध्यक्ष अथवा निम्न कर्मचारी को अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, जहां नियुक्ति खोजी जा रही है अथवा उप शिक्षा निदेशक (महिला) जो भी स्थिति हो, की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं नियुक्त किया जायेगा।

सेवा की समाप्ति

24– अस्थायी रूप से एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्त अथवा अवकाश रिक्त में अथवा सत्र के एक भाग के लिये होने वाली रिक्ति में नियुक्त कर्मचारी की सेवा, यदि नियमानुसार उसका विस्तार न हुआ हो तो उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये उसकी नियुक्ति हुई थी अथवा जब रिक्ति समाप्त हो, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायगी और इस प्रकार की समाप्ति के लिये किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

25– अस्थायी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन के अतिरिक्त) अथवा अपनी परिवीक्षा की अवधि में परिवीक्षाधीन की सेवा किसी भी समय उसे एक मास की नोटिस अथवा उसके बदले में एक मास का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

26–(1) स्थायी कर्मचारी की सेवा उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर, जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका अन्त करने के आधार पर समाप्त की जा सकती है, पद का अन्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है:–

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण निश्चित छटनी।

(ख) एक विषय का हटाया जाना।

(ग) श्रेणी अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2) खण्ड (1) में उल्लिखित नोटिस की अवधि संगणित करने के लिये अथवा उसके बदले में दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करने में ग्रीष्मावकाश का समय छोड़ दिया जायेगा।

27– सामान्यतः एक स्थायी प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य की सेवा की समाप्ति का नोटिस दिसम्बर के प्रथम दिवस तथा आने वाले वर्ष की फरवरी के अन्तिम दिवस के बीच अथवा स्थायी अध्यापक का किसी वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस तथा मार्च के अन्तिम दिवस के बीच नहीं दिया जायेगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि दीर्घ शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में दिसम्बर, जनवरी फरवरी और मार्च के स्थान पर क्रमशः अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर पढ़ा जाय।

28– समिति स्थायी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति निरीक्षक का उस समय तक नही प्रस्तावित करेगी जब तक कि इस उद्देश्य से विशेष रूप से संयोजित बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव नहीं पारित हो जाता है।

29– कोई कर्मचारी नोटिस देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर, जिसके लिये वह प्रबन्ध द्वारा उसकी सेवायें समाप्त किये जाने की स्थिति में अधिकारी होता, त्याग पत्र दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि––

(1) कोई कर्मचारी जनवरी, फरवरी तथा मार्च के मास में समाप्त होने वाला नोटिस नहीं देगा।

(2) ग्रीष्मावकाश नोटिस की अवधि में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(3) राजकीय सेवा अथवा किसी स्थानीय निकाय की सेवा की नियुक्ति हेतु चुने गए कर्मचारी को आवश्यक नोटिस देने की आवश्यकता न होगी और उसे नई नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय से अपनी सेवा से त्याग–पत्र देना होगा यदि पद के लिए उचित सरणी से प्रार्थना पत्र दिया गया है।

उपरोक्त प्राविधान लिपिक, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित है, पर लागू होगें. किन्तु चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक खंड के प्राविधान लागू नहीं होगें।

(4) प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि नोटिस के दावे में छूट दे दें।

30– किसी कर्मचारी को त्याग पत्र देने की अनुमति नहीं मिलेगी यदि उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाहियॉ अनिर्णित है जब तक कि उसे प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसा करने की विशेष अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती है।

दण्ड, जांच तथा निलम्बन

31– कर्मचारियों को प्राप्य दण्ड, जिसके लिए निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकती है :––

(क) वियुक्ति।

(ख) पृथक्करण अथवा प्रमुक्ति।

(ग) श्रेणी में अवनति।

(घ) परिलब्धियों में कमी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपरोक्त कोई दण्ड देने हेतु प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक सक्षम् होगा। सक्षम् अधिकारी द्वारा दण्ड दिये जाने की दशा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध समिति को अपील की जा सकेगी। यह अपील दण्ड सूचित किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रस्तुत हो जानी चाहिये और उस पर प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णय कर अपील की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम् 6 सप्ताह के भीतर दे दिया जायेगा। समस्त आवश्यक अभिलेखों पर विचार करने एवं कर्मचारी की, यदि वह प्रबन्ध समिति के समक्ष् स्वयं उपस्थित होना चाहे, सुनवाई के पश्चात् प्रबन्ध समिति अपील पर निर्णय देगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यह भी अधिकार होगा कि उसकी अपील पर किये गये प्रबन्ध समिति के निर्णय के विरूद्व वह जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका को, निर्णय सूचित किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर अभ्यावेदन कर सकेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि प्रबन्ध समिति उपर्युक्त् निर्धारित छः सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय उपरोक्त अपील पर न दे तो संबंधित कर्मचारी अपना अभ्यावेदन सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को उपरोक्त छः सप्ताह की अवधि बीत जाने पर दे सकता है।

जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह के भीतर निर्णय दे दिया जायेगा और यह निर्णय अन्तिम होगा।

अभ्यावेदन के प्रस्तुतीकरण विचार एवं निर्णय के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन के साथ इस अध्याय के विनियम 86 से 98 लागू होगें।

32–(1) कर्मचारी की सेवा से घोर अनधीनता, जानबूझकर अथवा गम्भीर कर्तव्य की उपेक्षा, घोर दुराचरण अथवा दण्डनीय कार्य के लिये बेईमानी, भ्रष्टाचार, निधियों का दुर्विनियोग, यौन प्रतिकूलता अथवा नैतिक अधमता जैसे कार्यो के आधार पर सेवा से वियुक्त किया जा सकता है।

(2) कर्मचारी को ऊपर उल्लिखित आधारों पर तथा प्रशासन अथवा शैक्षणिक कार्य की अदक्षता अथवा अनधिकृत शिक्षण अथवा सेवा पर नौकरी से पृथक किया जा सकता है।

(3) कर्मचारी को प्रशासन में न्यूनता, असंतोषजनक कार्य अथवा आचरण, पाठ्यानुवर्ती कार्य–कलाप की अभिरूचि अथवा परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन में कमी अथवा संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा जैसे आधारों पर श्रेणी में अवनत् किया जा सकता है अथवा उसकी परिलब्धियों में कमी की जा सकती है। यह कमी एक निम्नस्तर पर अथवा वेतन के कालमान अथवा वेतन के कालमान के निम्नतर सोपान में हो सकती है।

33–(1) कर्मचारी को एक वेतन कालमान में किसी अवधि के लिये अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वेतन वृद्वि रोक कर भी दण्डित किया जा सकता है।

(2) ऐसा आदेश कर्मचारी को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उसके विरूद्व निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को अपील की जा सकती है और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

34– दण्ड दिये जाने का निश्चय करने में अपराध को कम करने वाली बातें, यदि कोई हों तथा कर्मचारी की सेवा के विगत् अभिलेख को ध्यान में रखा जा सकता है।

35– शिकायत अथवा गम्भीर प्रकृति के आरोपों की प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने पर समिति, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के विषय में प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य अथवा प्रबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्ति करेगी, (अथवा प्रबन्धक स्वयं जांच करेगा यदि समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत् उसे यह अधिकार प्रतिनिहित हो गये हैं) और प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के विषय में एक छोटी उपसमिति होगी जिसे आख्या यथाशीध्र प्रस्तुत करने के निर्देश होगें।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सम्बन्ध में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा किसी वरिष्ठ अध्यापक को जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

36–(1) वे आधार, जिन पर कार्यवाही करना प्रस्तावित है, एक निश्चित आरोप अथवा आरोपों के रूप में करके दोषी कर्मचारी को प्रेषित किये जायेगें और जो इतने स्पष्ट और सही होगें कि दोषी कर्मचारी को उसके विरूद्व तथ्यों एवं परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत कर देगें। आरोप पत्र प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उसे अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य देना होगा और यह बताना होगा कि क्या वह स्वयं व्यक्तिगत् रूप से कुछ कहना चाहता है। यदि वह

अथवा जांच अधिकारी चाहता है तो उन आरोपों के सम्बन्ध में, जो स्वीकार नहीं किये गये हैं, मौखिक जांच की जायेगी। उस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य सुने जायेगें जिन्हें जांच अधिकारी आवश्यक समझता है। दोषी व्यक्ति साक्षी से जिरह करने का, स्वयं साक्ष्य देने का और ऐसे साक्षियों को बुलाने का, जिन्हें वह चाहे, अधिकारी होगा, प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी पर्याप्त कारणें से, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेगें, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है। कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और जांच का विवरण तथा उसके आधार होगें। जांच करने वाला जांच अधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक कर्मचारी को दिये जाने वाला दण्ड के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भी कर सकता है।

(2) खण्ड (1) वहां लागू नहीं होगा जहां संबंधित व्यक्ति फरार हो गया हो अथवा जहां अन्य कारणें से उससे पत्र व्यवहार करना अव्यवहारिक है।

(3) खण्ड (1) के किसी अथवा समस्त प्रतिबन्धों से पर्याप्त कारणों सहित, जिनका लिखित रूप से अभिलेख होना चाहिये, छूट दी जा सकती है जहां उसकी आवश्यकताओं का ठीक--ठीक पालन करने में कठिनाई हो और उन आवश्यकताओं की जांच अधिकारी के मत से दोषी व्यक्ति के प्रति बिना अन्याय हुए, छोड़ा जा सकता है।

37-- जांच अधिकारी से कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही कर्मचारी को नोटिस देने के बाद प्रबन्ध समिति की बैठक कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति पर विचार करने के लिये होगी और उस मामले पर निर्णय लेगी। कर्मचारी को, यदि वह चाहता है, समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की आज्ञा दी जायेगी जिससे वह अपना अभियोग प्रस्तुत कर सके और बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। तब समिति पूर्ण आख्या, समस्त सम्बन्धित कागज पत्र सहित निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी।

किन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में निरीक्षक/निरीक्षिका की स्वीकृति हेतु कोई आख्या नहीं भेजी जायेगी। इनके सम्बन्ध में उपरोक्त सारी कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

38-- यदि किसी स्थिति में यह अनुभव किया जाता है कि मामले में नोटिस सेवा नियुक्ति द्वारा अधिक भली प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है, तो यह निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका की स्वीकृति से किया जा सकता है।

39--(1) संस्था के प्रधान या अध्यापक के निलम्बन से सम्बन्धित रिपोर्ट में जो धारा 16--छ की उपधारा(6) के अधीन निरीक्षक को प्रस्तुत की जायेगी, निम्नलिखित विवरण दिये जायेगें और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होगें:--

(क) निलम्बित किये गये व्यक्ति के नाम के साथ–साथ निलम्बन के समय तक उसकी मूल नियुक्ति के दिनांक से उसके द्वारा धृत पदों (श्रेणी सहित) का विवरण जिसके अन्तर्गत् निलम्बन के समय पर धृत पदावधि के प्रकार अर्थात् अस्थायी, स्थायी या स्थानापन्न से सम्बन्धित विवरण भी है,

(ख) ऐसी रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति जिसके आधार पर ऐसे व्यक्ति को अन्ततः स्थायी किया गया था या दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो,

(ग) ऐसे सभी आरोपों के ब्योरे जिनके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था;

(घ) ऐसी शिकायतों रिपोर्टो और जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रतियां जिनके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था,

(ड़) प्रबन्ध समिति के उस संकल्प की प्रमाणित प्रति जिससे ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था,

(च) ऐसे व्यक्ति को जारी किये गये निलम्बन के आदेश की प्रमाणित प्रति,

(छ) यदि ऐसा व्यक्ति पहले भी निलम्बित किया गया था तो जिन आरोपों के आधार पर और जितनी अवधि के लिये वह पिछले अवसरों पर निलम्बित रहा, उनके ब्योरे के साथ–साथ ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जिनके आधार पर वह बहाल किया गया था।

(2) संस्था के प्रधान या अध्यापक से भिन्न किसी अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा धारा 16–छ का उपधारा (5) के खण्ड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट कारणों से निलम्बित किया जा सकता है।

*(3) उप विनियम (2) के अन्तर्गत् निलम्बन का कोई आदेश प्रभाव में नहीं रहेगा जब तक कि ऐसे आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर निरीक्षक द्वारा उसका, लिखित रूप से अनुमोदन न कर दिया जाय।

40–(क) कर्मचारी का अरोप अथवा आरोपों को उसके विरूद्व औपचारिक कार्यवाहियां आरम्भ करने का निर्णय लेने की तिथि से सामान्तया 15 दिनों के भीतर दे देना चाहिये।

(ख) कर्मचारी को सामान्यतः अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दे देना चाहिये और किसी भी दशा में इस कार्य के लिये एक मास से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिये।

(ग) लिखित वक्तव्य देने के एक मास के भीतर सामान्यतः साक्षी की जांच मौखिक परीक्षा सहित पूर्ण हो जानी चाहिये।

*अधिसूचना संख्या– 1320/15–7–96–1(50ए)/89 दिनांकः 08–07–96 द्वारा धारा 9(4) के अन्तर्गत् जोडा गया।

(घ) जांच करने वाली एजेन्सी की आख्या, जहां वह स्वयं दंड प्राधिकारी नहीं है, यथा सम्भव शीघ्रता के साथ और सामान्यतः जांच समाप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिये।

(ड़) दण्ड प्राधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना निर्णय ले लेना चाहिये।

41– निलम्बित कर्मचारी को अपने वेतन का आधा निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

42– निलम्बित कर्मचारी को बहाल होने पर अपने वेतन तथा प्राप्त निर्वाह भत्ते का अन्तर दिया जायेगा।

43– निलम्बित कर्मचारी, दण्ड प्राधिकारी की स्वमति से निलम्बन की अथवा किसी अन्य बाद की तिथि से दण्डित किया जा सकता है।

44– निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा अधिनियम की धारा 16–छ की उपधारा (3) (ए) में उल्लिखित कार्यवाही के लिये अथवा किसी लिपिक वर्ग के कर्मचारी के विरूद्व किये गये दण्ड प्रस्ताव पर निर्णय करने हेतु पूर्ण रूप में प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति छः सप्ताह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को अपने निर्णय की सूचना प्रेषित कर दी जायगी। यदि प्रबन्धाधिकरण से अपूर्ण कागज पत्र प्राप्त होते हैं तो स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी प्रस्ताव को पूर्णरूप में पुनः परस्तुत करने को कहेगा और इस विनियम में प्रस्तावित छः सप्ताह की अवधि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के पास पूर्ण कागज पत्र पुनः प्राप्त होने की तिथि से संगणित की जायेगी। ये कागज पत्र या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किये जायेगें।

44–क–(1) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता/सकती है या उसे घटाया बढ़ा सकता/सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका , आदेश जारी करने के पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी को इस बात का एक अवसर देगें कि वह नोटिस के प्राप्ति के दिनांक के 15 दिन के भीतर कारण बतायें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय :

(2) कोई भी पक्ष खंड (1) के अधीन निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका के आदेश के विरूद्व आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर संभागीय उप–शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझें, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो अन्तिम होगा। सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा किसी कर्मचारी के अपील पर निर्णय 3 माह की अवधि के भीतर दे दिया जायेगा।

45– समिति निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर लागू करेगी, प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक/शिक्षा उप

निदेशक (महिला) प्रबन्धक द्वारा प्रत्यावेदन किये जाने पर, अपील पर विचार किये जाने तक, कर्मचारी के निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन के शेष अंश को रोक सकता है।

वेतनमान तथा वेतनों का भुगतान

46– कर्मचारियों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये जायेगें।

47– कर्मचारी का वेतन संस्था में प्रथमतः सेवाभार ग्रहण करने पर उसके पद से संलग्न काल–मान का आरम्भिक सोपान निर्धारित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने इससे पूर्व अन्य संस्था में कार्य किया है तथा वेतनवृद्धियां अर्जित की हैं, तो उसे इन वेतन–वृद्धियों का लाभ शासन अथवा विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है।

यह भी प्रतिबन्ध है कि अग्रिम वेतन–वृद्धियॉ विशेष दशाओं में शासन की पूर्व स्वीकृति से ही दी जायेगी।

48– एक उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर कर्मचारी का आरम्भिक वेतन नये वेतनमान के निम्नतम् पर निर्धारित किया जायेगा, यदि उसका वेतन इस न्यूनतम से कम है, अन्यथा नये काल मान के उसके वेतन से अगले सोपान पर।

49 समिति कर्मचारी के एक मास के वेतन का भुगतान अगले मास की 20वीं तिथि तक कर देगी।

50– वेतन का भुगतान नकद या चेक द्वारा किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी, नकद के स्थान पर चेक द्वारा नियमित भुगतान चाहता है तो बैंक की सुविधायें स्थानीय रूप से उपलब्ध होने पर समिति द्वारा इसका आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा। अपना वेतन चेक द्वारा अथवा नकद प्राप्त करके कर्मचारी इस भुगतान के प्रतीक स्वरूप यथाविधि टिकट लगे हुये, यदि आवश्यक हो, वेतन पंजी पर हस्ताक्षर करेगा।

*51– संस्था में स्थानापन्न अथवा मौलिक रूप से की गई अवरिल सेवा, वेतन के कालमान एवं वार्षिक वेतनवृद्धि के लिये संगणित की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि कर्मचारी की ग्राह्य से अधिक बिना वेतन के अवकाश की अवधि अथवा चिकित्सकीय आधार अथवा निजी कार्य पर लिये गये अवकाश की अवधि के लिये वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। किसी विशेष वर्ष में अवकाश की अवधि में पड़ने वाली वेतन वृद्धि की तिथि उस तिथि तक स्थगित कर दी जायेगी, जिसको कर्मचारी अवकाश की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण करता है।

अध्यापक वेतन वृद्धि की तिथि के दो माह पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित स्वमूल्यॉकन प्रपत्र पर सूचनायें भरकर प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रबन्धतंत्र को देगा। प्रबन्धतंत्र आवश्यक अभिलेख जिसे वह उचित समझे, मांगेगा तथा वेतन वृद्धि समय से अनुमन्य किये जाने हेतु प्रधानाचार्य/अध्यापक को निर्देश देगा। यदि वेतन वृद्धि की तिथि तक कोई निर्देश नहीं देता तो मान लिया जायेगा कि अनुमति दे दी गई है।

**52– कर्मचारी को वेतन के कालमान में वार्षिक वेतन वृद्धियां ग्राह्य होगी, जब तक कि उसकी वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड नहीं दिया जाता है अथवा वह दक्षतारोक पर निरूद्ध नहीं किया जाता है।

ऐसे किसी कर्मचारी को वेतनवृद्धि ग्राह्य नहीं होगी अथवा उसकी दक्षता रोक पार नहीं की जायेगी, जिसे सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों को निर्धारित समय के पूर्व प्रकाशित (प्रकटित) करने अथवा कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक होने अथवा परिषद् परीक्षाओं में परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों को नकल कराने अथवा नकल कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायक होने अथवा अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरणों से संबंधित अवैध सामग्री नष्ट करने अथवा

---

*दिनांक 12–01–1991 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद्–9/862 दिनांक 20–12–1990 द्वारा संशोधित।

प्रकरण को दबाने अथवा जिला प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों अथवा सचल दलों के निरीक्षण कार्य में बाधा डालने तथा उनके साथ हिंसा, मारपीट करने अथवा संकलन/मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तकों के गायब होने अथवा जानबूझकर गायब किये जाने अथवा उत्तर पुस्तकों में किसी भी प्रकार की हेरा–फेरी करने अथवा परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के आरोप में दोषी पाया गया हो।

**53– किसी आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को दक्षता रोक पार करने की आज्ञा नही दी जायेगी जब तक कि वह अपने को छात्रों एवं अध्यापकों के लिए योग्य पथ प्रदर्शक तथा दक्ष पर्यवेक्षक नहीं सिद्व कर लेता। संस्था में उचित वातावरण का निर्माण नहीं कर लेता, संतोषजनक शैक्षिक मान दण्ड उपलब्ध नहीं कर लेता, पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों का संतोषजनक संगठन नहीं कर लेता, अपने को प्रगतिशील शैक्षिक विचार और विकास की धारा के साथ नहीं रखता तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं होती।

ऐसे किसी आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को दक्षता रोक पार करने को अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जिसे सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों को निर्धारित समय के पूर्व प्रकाशित (प्रकटित) करने अथवा कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक होने अथवा परिषदीय परीक्षाओं में परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों को नकल कराने अथवा नकल कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक होने अथवा अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरणों से सम्बन्धित अवैध सामग्री नष्ट करने अथवा प्रकरण को दबाने अथवा जिला प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों अथवा सचल दलों के निरीक्षण कार्य में बाधा डालने तथा उनके साथ हिंसा, मारपीट करने अथवा संकलन/मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तकों के गायब होने अथवा जानबूझकर गायब किए जाने अथवा उत्तर पुस्तकों में किसी भी प्रकार की हेरा फेरी करने अथवा परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के आरोप में दोषी पाया गया हो।

**54– किसी अध्यापक को दक्षता रोक पार करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने की एक सुयोग्य अध्यापक नहीं सिद्व कर लेता, छात्रों पर स्वस्थ प्रभाव नहीं रखता, अनुशासन बनाये रखने में तथा पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों में सहयोग नहीं देता, संस्था के प्रति स्वामिभक्त नहीं होता तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं होती।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उन अध्यापकों को भी दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जिन्हें सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों की निर्धारित समय के पूर्व प्रकाशित (प्रकटित) करने अथवा परिषदीय परीक्षाओं में परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों को नकल करने अथवा नकल कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायक होने अथवा अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरणों से सम्बन्धित अवैध सामग्री नष्ट करने अथवा प्रकरण को दबाने में अथवा जिला प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों अथवा सचल दलों के निरीक्षण कार्यो में बाधा डालने अथवा उनके साथ हिंसा, मारपीट करने अथवा संकलन/मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तकों के गायब होने अथवा जानबूझकर गायब किये जाने अथवा उत्तर पुस्तकों में किसी भी प्रकार की हेरा फेरी करने अथवा परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के आरोप में दोषी पाया गया हो।

*54–(क) यदि किसी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को विनियम 53 या 54 के अधीन दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा नहीं दी गई हैं तो वह आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है। निरीक्षक ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् ऐसा आदेश. दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

**दिनांक 27–01–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या: परिषद्–9/637दिनांक 27–12–2000 द्वारा संशोधित।

*54–(कक) विनियम 54 (क) के अधीन निरीक्षक द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्व अपील सुनने का अधिकार सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को होगा और वह अपेक्षित अभिलेखों को निरीक्षक द्वारा दिये गये किसी आदेश को सही होने या उसके औचित्य के सम्बन्ध मे अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकता है, और उसका परीक्षण कर सकता है। वह दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् उस पर ऐसा निर्णय दे सकता है, जिसे वह उचित समझे। इस विषय पर सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा और उसे प्रबन्धाधिकरण द्वारा कियान्वित किया जायेगा।

नोट–उक्त 54(कक) गैर सहायता प्रापत अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।

*54–(ख) किसी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापिका या अध्यापक को विनियम 53 व 54 के अधीन दक्षता रोक पार करने की आज्ञा देने की प्रकिया वही होगी जो राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित है परन्तु दक्षता रोक अनुमन्य किये जाने के दो माह के पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित स्वमूल्यांकन प्रपत्र भरकर प्रबन्धतंत्र को देना होगा और प्रबन्ध तंत्र एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक अभिलेख जिसे वह उचित समझे, मॉग सकता है तथा दक्षता रोक पार करने की तिथि से पूर्व अपना निर्णय दे देगा।

**एक संस्था से दूसरी में स्थानान्तरण

55– किसी अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी संस्था का कोई स्थायी अध्यापक जो किसी दूसरी संस्था के अध्यापक के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण चाहता है, अध्यापक के मामले में संस्था के प्रधान को और प्रधानाचार्य के मामले में संस्था के प्रबन्धक को, उस सम्भाग के जिसमें उसकी संस्था स्थित है, सम्भागीय उप निदेशक को सम्बोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण के लिये तैयार और इच्छुक दूसरे अध्यापक की लिखित सहमति होगी।

56– जहॉ आवेदन पत्र संस्था के प्रधान को प्रस्तुत किया गया है, वहॉ वह उसे अपनी संस्तुति के साथ संस्था के प्रबन्धक को अग्रसारित करेगा।

57– संस्था का प्रबन्धक मामले को प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखेगा और प्रबन्धतंत्र द्वारा सहमति दिये जाने के पश्चात् वह विनियम 55 में उल्लिखित आवेदन पत्र को प्रबन्धतंत्र के संकल्प की, जिसमें उसकी सहमति इंगित की गयी हो, एक प्रति सहित आवेदक की सेवा–पुस्तिका और चरित्र पंजी की एक–एक प्रति के साथ उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित करेगा जिसमें उसकी संस्था स्थित है।

58– निरीक्षक विनियम 57 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र को इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में नहीं करायेगा और उसे जहां वह संस्था भी, जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया हो, उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित हो, वहां वह ऐसे प्रबन्धतंत्र से परामर्श करके और उसकी लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात् अपनी संस्तुति के साथ अपने सम्भाग के सम्भागीय उप निदेशक को अग्रसारित करेगा।

---

*दिनॉक:12–1–91 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0–परिषद्–9/862 दिनॉक:20–12–90 द्वारा संशोधित।

**दिनांक:14–03–92 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0–परिषद्–9/888 दिनॉक:22–02–92 द्वारा संशोधित।

59–(1) विनियम 59 के अधीन निरीक्षक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर सम्भागीय उप निदेशक इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में इसे दर्ज करायेगा और––

(क) यदि सम्बन्धित संस्थाओं के प्रबन्धतंत्रों की सहमति उपलब्ध है, तो स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा,

(ख) यदि वह संस्था, जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया है उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अन्य जिले में स्थित है, तो सम्बन्धित निरीक्षक के माध्यम से ऐसी संस्था के प्रबन्धतंत्र से परामर्श करेगा और ऐसी संस्था के प्रबन्धतंत्र की लिखित सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा, या

(ग) यदि स्थानान्तरण में एक से अधिक सम्भाग अन्तर्गत है तो आवेदन पत्र अपर निदेशक (माध्यमिक) को अग्रसारित करेगा।

(2) अपर निदेशक (माध्यमिक) उप विनियम (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र की प्राप्ति पर सम्बन्धित दूसरी संस्था के प्रबनधतंत्र से उस सम्भाग के उपनिदेशक के माध्यम से परामर्श करेगा और उस संस्था के प्रबन्धतंत्र की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात् स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा।

(3) उप विनियम (1) या उप विनियम (2) के अधीन जारी किया गया आदेश प्रबन्धतंत्र का आदेश होगा और अन्तिम होगा।

60– एक संस्था से दूसरी संस्था में अध्यापकों के पारस्परिक स्थानान्तरण के एक मास के भीतर प्रभावित होने वाली संस्था के प्रबन्धकों द्वारा एक दूसरे को सम्बन्धित निरीक्षक और सम्भागीय उप निदेशक को सूचना देते हुये ऐसे स्थानान्तरित अध्यापकों की सेवा–पुस्तिका, चरित्र–पंजी, छुट्टी का लेखा, भविष्य निधि लेखा, सामूहिक जीवन बीमा लेखा और अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र भेजे जायेगें।

61–(1) स्थानान्तरित अध्यापक यात्रा–भत्ता का हकदार नहीं होगा फिर भी उसे 160 किलो मीटर के लिये एक दिन की दर से यात्रा समय जो अधिकतम तीन दिन तक होगा, स्वीकृत किया जायेगा। यात्रा समय के वेतन का भुगतान, किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, उस संस्था द्वारा किया जायेगा जहां वह स्थानान्तरण होने पर कार्य ग्रहण करेगा।

(2) इस अध्याय के अधीन पारस्परिक आधार पर स्थानान्तरित अध्यापक––

(क) उस संस्था का कर्मचारी हो जायेगा जहां वह स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसका वेतन और सेवा की अन्य शर्तें जब तक कि सम्यक रूप से उन्हें परिवर्तित न कर दिया जाय, वही होगी जिसके लिये वह यदि स्थानान्तरित न किया गया होता, हकदार होता।

(ख) अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संस्था में उसी संवर्ग और श्रेणी में कार्यरत् अन्तिम अध्यापक से कनिष्ठ हो जायेगा।

(ग) उपर्युक्त् खण्ड (ख) के अधीन रहते हुये वह उस संस्था में जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गयी सेवाओं के लिये समस्त लाभों का हकदार होगा और उस संस्था में, जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गयी सेवाओं को उस संस्था में, जिसमें वह स्थानान्तरित किया गया है, की गयी सेवा समझी जायेगी।

टिप्पणी–(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी संस्था के सम्बन्ध में प्रबनधतंत्र का तात्पर्य प्रबन्धतंत्र की समिति से या उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है, जिसमें उस संस्था का प्रबन्ध करने और उसके कार्य–कलापों का संचालन करने की शक्ति निहित की गयी हो।

(2) पारस्परिक स्थानान्तरण किसी एक सहायता प्राप्त संस्था से दूसरी सहायता प्राप्त संस्था में और किसी एक असहायता प्राप्त संस्था से दूसरी असहायता प्राप्त संस्था में ही सम्भव हो सकेगा।

62– विखण्डित।

शिक्षण अंशकालीन सेवा एवं अन्य लाभ

*63– सहायि्यक मान्यता प्राप्त संस्था का कोई प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक व्यक्तिगत् शिक्षण (ट्यूशन) नहीं करेगा।

*64– विनियम 63 का उल्लंघन घोर कदाचार समझा जायेगा और इस अध्याय के विनियमों के उपबन्धों के अनुसार दण्डनीय होगा।

*65– निकाल दिया गया।

66– कर्मचारी, परिषद्, शिक्षा विभाग अथवा मान्यता प्राप्त परीक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित पारिश्रमिक युक्त कार्य स्वीकार कर सकता है अथवा साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के कार्य से उसके सामान्य कर्तव्यों में व्यवधान न पड़े।

---

*दिनांकः 25–7–92 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0–परिषद्–9/461 दिनांकः 14–7–92 द्वारा विनियम 63 से 65 तक उपान्तरित।

67– कर्मचारी को शिक्षा निदेशक के आदेशों के अनुसार, यदि कोई हो, शैक्षिक, प्रशिक्षण सम्बन्धी अथवा व्यावसायिक परीक्षाओं की जो शिक्षण अथवा प्रशासन में उसकी दक्षता सुधारने में सहायक हो, तैयारी करने तथा उनमें बैठने की अनुमति प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दी जा सकती है।

कार्य एवं सेवा का अभिलेख रखना

68– प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक चरित्र–पंजी तथा एक सेवा–पुस्तिका रखी जायेगी। चरित्र–पंजी का प्रपत्र परिशिष्ट–ग में दिये हुये के अनुसार होगा। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध मे सेवा पंजी एवं चरित्र–पंजी उसी प्रपत्र में रखी जायेगी जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय कर्मचारियों के लिये निर्धारित है।

69– अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में उसकी चरित्र–पंजी में वार्षिक प्रविष्टियां संस्था के प्रधान द्वारा की जायेगी जब कि संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में ये प्रविष्टियां प्रबन्धक द्वारा की जायेगी। उनके द्वारा आकस्मिक प्रविष्टियां किसी भी समय पर की जा सकती है।

70– सम्बन्धित व्यक्ति के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित प्रपत्र में एक सत्यनिष्ठा का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा–––

"मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिससे श्री ....की सत्यनिष्ठा पर आंच आये। ईमानदारी के लिये उनकी सामान्य प्रसिद्वि अच्छी है और मैं उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता हूँ।"

71– प्रमाण–पत्र देने वाले प्राधिकारी को इन प्रमाण–पत्रों के देने अथवा रोक लेने में अत्यधिक ध्यान देना चाहिये और इसे एक गम्भीर और अत्यन्त आवश्यक मामला समझना चाहिये। सत्यनिष्ठा के प्रमाण–पत्र को रोकने से पूर्व प्रमाण–पत्र देने वाले प्राधिकारी की जानकारी में आने वाले प्रत्येक शिकायत अथवा आरोप की भली–भांति जांच होनी चाहिये और यदि वह स्थापित हो जाय अथवा उसकी पुष्टि हो जाय तो सम्बन्धित व्यक्तियों के सामने स्पष्टीकरण हेतु रखी जानी चाहिये। यदि व्यक्ति का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न हो और उनकी सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया हो तो उसकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण–पत्र रोका जा सकता है।

72– जहां एक वर्ष विशेष में किसी व्यक्ति की चरित्र–पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है, उस पूरे वर्ष की प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों प्रविष्टियां प्रविष्ट किये जाने के 30 दिन के भीतर सूचित की जायेगी और उसकी प्राप्ति की स्वीकृति ली जायेगी। इसी प्रकार सत्यनिष्ठा के प्रमाण–पत्र रोके जाने की सूचना भी दी जायेगी।

73– चरित्र–पंजी की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्व प्रत्यावेदन प्रबन्ध समिति को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

74– राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित प्रपत्र पर एक सेवा–पुस्तिका संस्था के कर्मचारी को उसके अपने मूल्य पर प्रथम नियुक्ति पर दी जायेगी और चरित्र–पंजी के साथ अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान की तथा संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबन्धक की परिरक्षा में रखी जायेगी।

75– संस्था के कर्मचारी को किसी भी समय अपनी सेवा–पुस्तिका की जांच करने की अनुमति दी जायेगी, यदि वह इस बात के लिये संतुष्ट होना चाहे कि उसकी सेवा–पुस्तिका भली–भॉति रखी जा रही है। वह अपनी सेवा–पुस्तिका को वार्षिक वेतन–वृद्वि, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और सेवा में कोई भी व्यवधान (जैसे अवकाश) उसकी अवधि के पूर्ण विवरण सहित अभिलिखित होगा। अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के विषय में संस्था के प्रधान द्वारा तथा संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबनधक द्वारा सेवा–पुस्तिका की समस्त प्रविष्टियां प्रमाणित की जायेगी।

76– संस्था के कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका उसके अवकाश–ग्रहण अथवा सेवा समाप्ति के समय उसमें इस विषय की प्रविष्टि करने के बाद उसे दे दी जायेगी।

निर्वाह–निधि

77– इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन जैसा कि शिक्षा संहिता (1958 संस्करण) के परिशिष्ट–आठ में हैं, पेंशन रहित सेवा के स्कूल/कालेज अध्यापकों के लिये, निर्वाह–निधि योजना यथासम्भव समस्त कर्मचारियों के लिये लागू होगी।

78– प्रतिमास कर्मचारी के वेतन के भुगतान के समय प्रबन्ध का अंशदान कर्मचारी के अंशदान के साथ उसके खाते में जमा किया जायेगा।

79– प्रबन्धक प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 31 दिसम्बर तक कर्मचारी को उसके निर्वाह–निधि खाते के पास बुक दिखाने की व्यवस्था करेगा और उसके परिशीलन के प्रतीक स्वरूप उसके हस्ताक्षर नियमित रूप से करा लेगा।

80– कर्मचारी का खाता, जो निर्वाह–निधि योजना के अधीन अंशदानिक है, एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित होने पर दूसरी संस्था में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और वह निर्वाह–निधि स्थानान्तरित होकर पहुंचने वाली संस्था में अंशदान करता रहेगा।

81–(क) कर्मचारी की सेवा–निवृत्त होने, त्यागपत्र देने, स्थानान्तरित होने अथवा सेवा–विमुक्ति होने पर उसके निर्वाह–निधि खाते की पासबुक उसके अवमुक्त होने की तिथि से

दो सप्ताह के भीतर प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका के लिये अग्रसारित कर दी जायेगी।

(ख) जिला निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा खाते की जांच करने तथा उसका आवश्यक अभिलेख रखने के पश्चात् कर्मचारी को उसके निर्वाह निधि खाते की पासबुक प्रबन्धक से प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर भेज दी जाएगी।

82–(क) कर्मचारी को शासन के अंशदान का भुगतान करने के लिये प्रबन्धक यथाविधि तैयार करके बिल को निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका के पास कर्मचारी के अवमुक्त होने के तिथि से दो मास के भीतर भेज देगा।

(ख) निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा आवश्यक सन्निरीक्षा के पश्चात् बिल 15 दिन के भीतर महालेखकार को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

अपील

83 से 85– निरस्त

86– अपील ज्ञापिका में संक्षेप में अपील के आधार तथा वांछित अनुतोष या उल्लेख किया जायेगा जिन आदेश के विरूद्ध अपील की गयी है उसकी तथा लेख–पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, के साथ अपीलकर्ता द्वारा अपील ज्ञापिका दो प्रतियों में सम्बन्धित सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षा उप निदेशक (महिला), जिसे आगे के विनियमों में अपील अधिकारी कहा जायेगा, को प्रस्तुत की जायेगी।

87– अपील ज्ञापिका की प्रतिलिपि सहित, अपील की नोटिस अपील अधिकारी द्वारा उत्तरवादी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी और उससे नोटिस में हुई तिथि तक उत्तर देने को कहा जायेगा।

88– उत्तरवादी लेखपत्रों की प्रतियों सहित, यदि कोई हों, उत्तर की दो प्रतियां अपील अधिकारी को नोटिस में निर्धारित तिथि तक अथवा अपील अधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य तिथि तक देगा।

उत्तर की एक प्रतिलिपि अपीली को उसके प्रार्थना पर दी जायेगी।

89– अपील अधिकारी निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका से समस्त आवश्यक कागज पत्र मंगा लेगा और सुनिश्चित कर लेगा कि वे सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो जाते हैं।

90– अपील अधिकारी अपील सुनने की तिथियाँ नियत करेगा और वह समय–समय पर तिथियों में परिवर्तन करेगा अथवा सुनवाई स्थगित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जब भी किसी पक्ष की अनुपस्थिति में तिथि नियत की जाती है तो उस पक्ष को कम से कम एक सप्ताह की नोटिस अवश्य दी जायगी जब तक कि इसके विपरीत दोनों पक्षों में सहमति न हो जाय.

यह भी प्रतिबन्ध है कि एक पक्ष को इस प्रकार के किसी नोटिस की आवश्यकता न होगी जब एक सुनवाई की तिथि पर तिथि नियत की जाती है और वह पक्ष उस तिथि के नोटिस के होते हुए भी अनुपस्थित है।

91– किसी भी पक्ष को, अधिकार के रूप में, अपील अधिकारी के समक्ष किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा जो निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका के समक्ष [illegible] प्रस्तुत किया था, परन्तु अपील अधिकारी किसी ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है जिसे वह अभि[illegible] के [illegible] निर्णय तक पहुँचने में सहायक समझे।

92– अपील अधिकारी अपील के अनिर्णीत रहने के दौरान में किसी समय किसी भी पक्ष से किसी ऐसे उद्वरण, सूचना, आख्या स्पष्टीकरण, मामले से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को कह सकता है, जो उस पक्ष के पास अथवा उसके अधिकार में है और उस पक्ष को अधियाचन का पालन अपील अधिकारी द्वारा नियत उचित अवधि में करना पडेगा।

93– अपील अधिकारी के समक्ष किसी पक्ष का वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जायेगा।

94– अपील अधिकारी किसी अपील को एक पक्षीय सुन और निर्णीत कर [illegible] है यदि कोई पक्ष नोटिस दिये जाने पर भी सुनवाई की नियत तिथि पर नहीं उपस्थित होगा।

95– अपील अधिकारी का निर्णय लिखित रूप में होगा। उसमें संक्षेप में निर्णय के विषय, निर्णय और अंतिम आदेश उल्लिखत होगें।

96– निरस्त।

97– निर्णय की प्रतियां यथासंभव शीघ्रता के साथ सम्बन्धित पक्षों और निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका को भेजी जायेगी।

98–(1) सूचना प्राप्त होने के दो मास के भीतर प्रबंध, अपील अधिकारी के निर्णय को लागू करेगा। ऐसा न होने पर निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका उसके लिये अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा कर्मचारी के लिये खुले किसी मार्ग पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए उसे वहा तक लागू करेगा जहां तक कि उस संस्था को प्राप्य सहायक अनुदान से उसका भुगतान हो सकता है।

(2) उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रबंध द्वारा अपील अधिकारी के निर्णय को लागू न किया जाना इण्टरमीडिएट एजुकेशन ऐक्ट की धारा–16–घ की उपधारा (2) के अर्थ के अधीन के दोष माना जायेगा।

99–(1) आचार्य, प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, व्यक्तिगत कार्य अवकाश तथा असाधारण अवकाश उतनी अवधि के लिये तथा उन प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है जो राज्य सरकार समय–समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के इन्हीं श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निश्चित करें या अपने किसी विशिष्ट आदेशों द्वारा किन्हीं अपवादों सहित, जो किसी विशेष परिस्थितिवश अपेक्षित हों, निर्धारित करें। आकस्मिक अवकाश आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के मामले में प्रबन्धक द्वारा तथा अन्य कर्मचारियों के मामले मे आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अन्य अवकाश प्रबन्धक द्वारा (आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/अग्रसारित किये जाने पर) स्वीकृत किये जायेगें। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्य अवकाश भी आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

परन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार ऐसा अवकाश और ऐसी शर्तो पर जो वह उचित समझे, स्वीकृत कर भी सकती है।

(2) अवकाश अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जा सकता परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए समोदन प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत किये गये अवकाश को भी रद्द कर सकता है।

टिप्पणी:–

यदि कोई आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक, राज्य विधान मंडल या संसद का सदस्य हो तो उसे विधान मंडल, संसद अथवा उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु उसके द्वारा ऐसी बैठक तथा उसमें भाग लेने हेतु जाने के अपने इरादे की सूचना दिये जाने पर, उसे संस्था से अवमुक्त कर दिया जायेगा और संस्था से उनकी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में उसे ऐसे अवकाश पर समझा जायेगा जैसा उसे देय हो तथा जिसके लिये वह आवेदन करें। यदि उसे कोई अवकाश देय न हो तो ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में बिना वेतन के अवकाश पर समझा जायेगा।

100–लिपिक, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में आचार्य/प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्राधिकारी होगा। लिपिकों, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित है, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति परिवीक्षा (जिसकी अवधि एक वर्ष होगी) स्थायीकरण एवं सेवा नियम आदि के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित

ऊपर के विनियम 1.4 से 8,10,11,15, 24 से 26,30, 32 से 34, 36 से 38, 40 से 43, 45 से 52, 54, 66, 67, 70 से 73 तथा 76 से 82 लागू होगें, किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनियम 77 से 82 के प्राविधान तभी लागू होगें जब इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेगें। इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनियम 9,12,13,14, 16 से 20, 27, 28,, 54, 55 से 65 तथा 97 के प्राविधान लागू नहीं होगें।

*101-नियुक्ति प्राधिकारी, निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर स्टाफ मे किसी रिक्ति को नहीं भरेगा।

*102– किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था में शिक्षणेत्तर पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी की सेवा–निवृत्ति के फलस्वरूप होने वाली रिक्ति की सूचना उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक से तीन मास पूर्व दी जाएगी और मृत्यु, पद त्याग के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से हुई किसी रिक्ति की सूचना उसके होने के दिनांक से सात दिन के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरीक्षक को दी जाएगी।

*103– यदि किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था के शिक्षण या शिक्षणेत्तर स्टाफ के किसी कर्मचारी की जो विहित प्रकिया के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के एक सदस्य को जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो, भर्ती की विहित प्रकिया में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्त किया जा सकेगा यदि ऐसा सदस्य पद के लिए विहित आवश्यक अर्हतायें रखता हो और नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त हो।

स्पष्टीकरण–इस विनियम के प्रयोजनार्थ "कुटुम्ब का सदस्य" का तात्पर्य मृतक की विधवा/विधुर, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री से होगा।

टिप्पणी–यह विनियम और विनियम 104 से 107 उन मृत कर्मचारियों के संबंध मे भी लागू होगा जिनकी मृत्यु 1 जनवरी,1981 की या उसके पश्चात् हो गई हो।

*104–किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध तंत्र या यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक मृत्यु होने की दशा में मृत्यु होने के सात दिन के भीतर निरीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद, वेतनमान, नियुक्ति का दिनांक, मृत्यु का दिनांक उसके नियोजनक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का नाम उनकी शैक्षिक अर्हतायें और आयु आदि दिया जाएगा। निरीक्षक अपने द्वारा रक्खे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टियॉ दर्ज करेगा।

*105–विनियम 104 में निदिष्ट मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य संबंधित निरीक्षक को शिक्षणेत्तर संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र पर

समिति द्वारा विचार किया जाएगा और समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की संस्तुति किए जाने के पश्चात् उस संस्था के जिसमें आवेदक को विनियम 106 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार सेवायोजित किया जाना है, प्रबन्धतंत्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति में निम्नलिखित होंगे:-

1-	निरीक्षक	अध्यक्ष
2-	जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में लेखाधिकारी	सदस्य
3-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

*106- मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथा सम्भव उसी संस्था में की जायगी जहां मृत कर्मचारी अपने मृत्यु के समय सेवारत् था। यदि ऐसी संस्था में शिक्षणेत्तर संवर्ग में कोई रिक्ति न हो तो उसकी नियुक्ति, जिले के किसी अन्य मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था में जहां ऐसी रिक्ति हो की जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि संबंधित जिले के किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था में ऐसी रिक्ति तत्समय विद्यमान न हो तो उस संस्था में जहां मृतक अपनी मृत्यु के समय सेवारत् था नियुक्ति किसी अधिसंख्य पद के विरूद्व तुरन्त की जाएगी। ऐसे अधिसंख्य पद को इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और उसे तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कोई रिक्ति उस संस्था में या जिले की किसी अन्य मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था में उपलब्ध न हो जाय और ऐसी स्थिति में अधिसंख्य पद के पदधारी द्वारा की गई सेवा की गणना वेतन निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए की जाएगी।

*107- जिन मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था द्वारा जिसको निरीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है, वह आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को सूचना देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

**108-प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, शिक्षक अथवा कर्मचारी, जिन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन तथा मूल्यांकन केन्द्र से सम्बन्धित परिषद् अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कोई दायित्व/कार्य सौंपा जायेगा, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों को लाने, ले जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी सम्मिलित है, उनको सेवा का अंग माना जायेगा। उक्त कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जान-बूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

**109-परिषदीय परीक्षाओं में जिन व्यक्तियों की ड्यूटी केन्द्र व्यवस्थापक/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक के रूप में लगाई जायेगी, ऐसे व्यक्ति केन्द्र व्यवस्थापक/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षण कार्य हेतु सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करने में आना-कानी करें या जान-बूझकर अनुपस्थित हों, तो ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

---

* विनियम 101 से 107 तक राजाज्ञा संख्या: 4001/15-7-2(1)/90 दिनांक 30-07-1992 द्वारा अधिनियम की धारा 9(4) द्वारा स्वीकृत-विज्ञप्ति संख्या: परिषद्-9/592 दिनांक 22-08-1992 द्वारा प्रकाशित।

** दिनांक 19-02-2000 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या: परिषद्-9/744 दिनांक 14-02-2000 द्वारा सम्मिलित।

परिशिष्ट–क

(अध्याय–तीन के विनियम 51 तथा 54 (ख) के संदर्भ में)

स्वमूल्यांकन प्रपत्र

अवधि जिसका स्वमूल्यांकन किया जा रहा है :–

(1) सामान्य सूचनायें—

(क) विद्यालय का नाम

(ख) अध्यापक का नाम, प्रथम नियुक्ति तिथि ....पदनाम.....................वेतनक्रम......
..............................वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि...................................

(ग) शैक्षिक योग्यता ....

(घ) उक्त अवधि में कितने दिन उपस्थित रहे..........................

(2) शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन परीक्षाफल का वर्ष:

क्रम संख्या	कक्षा का नाम तथा वर्ग / अनुभाग जिसका अध्यापन किया है	विषय	छात्रों की सम्मिलित संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत	श्रेणी संख्या प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6	7(1)	7(2)	7(3)

(3) शैक्षिक स्तर को उठाने हेतु कृत प्रयास:

क्रमांक संख्या	मद / विषय	प्रतिक्रिया
1	2	3
1–	नियमित समय–सारिणी के अनुसार भरसक प्रयास करने पर भी कक्षाओं में पाठ्यक्रम का कितना अंश छूट गया।	
2–	गत वर्ष पाठ्यक्रम के इस छूटे हुए अंश को पूरा करने के लिए की गई अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या / विषय व कक्षानुसार उल्लेख कीजिये।	
3–	पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित कठिनाईयों के संबंध में आपने किससे कितनी बार परामर्श किया।	
4–	आप भी अनुभव करते होगें कि आज चारों ओर नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई है। आप अपने छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए क्या करते हैं।	

5— सम्बन्धित अवधि में छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिये क्या किया।

6— शिक्षण के समय सहायक सामग्रियों का तथा छात्रों के स्थानीय पर्यावरण का किस प्रकार प्रयोग किया।

7— कमजोर वर्गों को कितने उपचारात्मक पाठ पढ़ाये गये।

8— विद्यालय के किन कार्यक्रमों का संचालन आपने इस अवधि में किया।

9— निम्नलिखित के सन्दर्भ में आपने क्या प्रयास किया और उनका क्या प्रभाव हुआ? — प्रयास / प्रभाव

(क) बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार

(ख) कक्षा की स्वच्छता में सुधार

(ग) विद्यालय की स्वच्छता में सुधार

10— क्या आप बच्चों के सतत् मूल्यांकन का क्रमबद्ध हैं रूप से अभिलेख रखते हैं तथा उससे अभिभावकों को सूचित करते हैं। — अभिलेख रखते हैं / नहीं रखते। अभिभावकों को सूचित करते हैं / नहीं करते हैं।

11— विद्यालय तथा समुदाय को परस्पर निकट लाने के आपने क्या–क्या प्रयास किये।

12— सामान्यतया प्रति सप्ताह छात्रों को कितने दिन गृह कार्य देते हैं, क्या छात्रों को कार्यभार बढ जाने की आशंका से सप्ताह में पढ़ाये गये कुछ प्रकरण गृह कार्य के लिये छूट जाते हैं।

13— चाहते हुए भी सम्बन्धित अवधि में विभिन्न विद्यालयों या व्यक्तिगत! कारणों से समयाभाव के कारण कितने गृहकार्य का संशोधन आप नहीं कर सके।

14— सामान्य शिक्षण से पूरा लाभ न उठा पाने वाले बच्चों की सहायता आप कैसे करते हैं।

15— परीक्षाफल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप सतत् परिश्रम करते रहते होंगें, इस संबंध में अपनाये गये प्रभावी उपायों को उल्लेख करें।

(4) व्यक्तिगत् शैक्षिक प्रगति तथा उपलब्धियां——

1— इस अवधि में आपने किन–किन संदर्भ पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया।

2— आपने यदि किसी शैक्षिक सेमिनार गोष्ठी में भाग लिया हो तो उसका विवरण दें।

3— नवीनतम् शिक्षण विधियों की जानकारी के लिये क्या आपने कोई प्रोजक्ट चुना है?यदि हां, तो विवरण दें।

4- आपने यदि कोई पुस्तक लेख, आदि लिखा हो तो विवरण दें।

5— अपनी शैक्षिक प्रगति से आप किस सीमा तक संतुष्ट हैं। इसका मूल्यांकन करें। — अत्यन्तसतुष्ट / काफी सन्तुष्ट / साधारण संतुष्ट / असन्तुष्ट।

(5) अन्य विद्यालय कार्य---

1-- शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त क्या आपको विद्यालय में कोई अन्य कार्यभार सौंपा गया है? यदि हां, तो उल्लेख करें।

2-- आप द्वारा संचालित साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत् विभिन्न स्तरों जनपदों, मण्डल, राज्य, राष्ट्र स्तर पर प्रति-निधित्व करने वाले छात्रों का उल्लेख करें।

3-- आप कितने दिन विद्यालय में समय पर उपस्थित नहीं हो सके?

4-- आपने कितने दिन निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय छोड दिया?

5-- सामूहिक प्रार्थना में आप कितने दिन सम्मिलित नहीं हुए?

6-- विद्यालय में उन कार्य दिनों का उल्लेख करें जिनमें आपके सहयोग की सराहना की गई।

7-- विद्यालय के उन कार्यों/क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनमें आप विभिन्न कारणें से रूचि नहीं ले पाते।

8-- क्या आपको पिछले वर्ष राज्य या किसी अन्य संस्था में सम्मानित किया है?

9-- क्या आपने पिछले वर्ष विद्यालय के लिए कोई विशेष कार्य किया है?

10-- अन्य विवरण जो अपने बारे में देना चाहते हैं।

तिथिः

पूर्ण हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद नाम ....

परिशिष्ट-ख – (निकाल दिया गया)।

चरित्र-पंजी का प्रपत्र

परिशिष्ट-ग

(अध्याय तीन के विनियम 63 के अन्तर्गत्)

चरित्र-पंजी का प्रपत्र

(क) आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा (मैट्रन सहित) अध्यापक

गोपनीय – उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकगण के कार्य एवं आचरण पर वार्षिक आख्याः

(1) संस्था का नाम

(2) कर्मचारी का पूरा नाम

(3) पिता का नाम

(4) उत्तीर्ण परीक्षायें, विश्वविद्यालय, परिषद, संस्था इत्यादि के नाम सहित, वर्ष एवं श्रेणी (यह अद्यावधिक रखा जाना चाहिए)।

(5) शासन, शिक्षा विभाग अथवा सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रदत्त किसी कार्य अथवा योग्यता प्रमाण-पत्र का अभिलेख।

(6) विशेष योग्यता, यदि कोई हो, जैसे स्काउटिंग, फर्स्टएड, रेडक्रास इत्यादि।

(7) जन्मतिथि तथा स्थान

(8) स्थायी निवास, तथा पता
(9) वर्तमान संस्था में सेवा प्रारम्भ करने की तिथि
(10) वर्तमान पद में स्थायी नियुक्ति की तिथि
(11) पूर्व सेवा का स्थानों तथा तिथि सहित विवरण
(12) (क) प्रथम मान्यता प्राप्त संस्था में निर्वाह–निधि योजना में सम्मिलित होने की तिथि।
(ख) वर्तमान संस्था में निर्वाह निधि लेखा के स्थानान्तरण की तिथि
(13) वर्तमान पद
(14) 31 मार्च, 19 को वेतनक्रम तथा वेतन

संस्था के प्रधान / प्रबन्धक के हस्ताक्षर

जन्मतिथि सामान्यतः हाईस्कूल प्रमाण–पत्र अथवा शासन के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त किसी अन्य प्रमाण–पत्र में लिखित तिथि होना चाहिये।

टिप्पणी–– इस प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा तथा अध्यापक / मैट्रन के सम्बन्ध में आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिये।

तिथि 19

(आ) 20 जून, 19 को समाप्त होने वाले स्कूल वर्ष के लिए कर्मचारी के कार्य एवं आच[illegible] आख्या।

अध्यापक का नाम ....

उसके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में अभ्युक्तियां तथा हित की अन्य अभ्युक्तियां भी:–

वर्ष	संस्था के प्रधान की अभ्युक्तियां अध्यापक के सम्बन्ध में	प्रबन्धक की अभ्युक्तियां संस्था के प्रधान के संबंध में	प्रतिकूल अभ्युक्तियां, यदि कोई हो अथवा चेतावनी देने की, यदि कोई हो, तिथि
1	2	3	4

अभ्युक्तियों में, पद में, कार्यक्षमता, परीक्षाफल, पाठ्यानुवर्ती कार्यकलाप में भाग, सहयोगियों एवं जनता से सम्बन्ध तथा संस्था की भावना एवं अनुशासन पर प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र.................................

प्रधानाध्यापक / आचार्य अथवा
प्रबन्धक के हस्ताक्षर दिनांक

दिनॉक:

*भाग–दो–क
अध्याय–चार
अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली 1986
अध्याय – एक– प्रारम्भिक

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) यह विनियमावली अभिभावक – अध्यापक एसोसिएशन (संशोधन) विनियमावली, 1988 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– जब तक कि विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में––

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 से है।

(2) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था के अध्यापक से है और इसमें प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और तकनीकी सहायक भी सम्मिलित हैं।

(3) "अभिभावक" का तात्पर्य किसी संस्था में अध्ययनरत् छात्र के स्थानीय अभिभावक से है।

(4) "अध्यक्ष" "उपाध्यक्ष", उपमंत्री या कोषाध्यक्ष का तात्पर्य इस विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार चुने गये एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमंत्री या कोषाध्यक्ष से है।

(5) "एसोसियेशन" का तात्पर्य प्रत्येक संस्था में गठित अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन से है, जिसके सदस्य अभिभावकगण और अध्यापकगण होगें।

(6) "संस्था" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित किसी इण्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेण्डरी स्कूल या हाईस्कूल से है।

(7) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य किसी संस्था की प्रबन्ध समिति से है। जिन संस्थाओं में प्रबन्ध समिति नहीं है उनमें प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में इस विनियमावली में किये गये उपबन्ध लागू नहीं होगें।

3– एसोसिऐशन के उद्वेष्य – एसोसियेशन के निम्नलिखित उद्धेश्य होगें––

(1) संस्था और स्थानीय समाज के पारम्परिक संबंध को बढ़ाना।

(2) संस्था की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना और स्थानीय समाज के भौतिक, आर्थिक और नैतिक सहयोग से उनके निराकरण के लिए प्रयास करना।

(3) संस्था में नई शैक्षिक योजनाओं के संचालन और कियान्वयन के लिए स्थानीय समाज का सहयोग प्राप्त करना।

---

* राजकीय गजट दिनांक 07 11–1992 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद्–9/897 दिनांक 23 अक्तूबर, 1992 द्वारा संशोधित

(4) स्थानीय समाज की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पहचानकर उनके अनुकूल नवीन विषयों को पाठ्य विषयों में समावेश करने की संस्तुति करना।

(5) "विद्यालय यथार्थ में स्थानीय समाज का आलोक स्तम्भ है।" इस भावना को सन्तुष्ट करना।

(6) संस्था में अध्ययनरत् छात्रों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए योजनायें एवं कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन एवं सहयोग देना, और

(7) प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य को संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए परामर्श एवं सहयोग देना, जिसमें संस्था के प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं हैं।

अध्याय–दो – कार्यकारिणी का गठन

4– कार्यकारिणी और उसके पदाधिकारी और सदस्य–एसोसिएशन के उद्धेश्यों की पूर्ति और उसके कार्य के सम्पादन के लिए एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी होगी जिसके पदाधिकारी और सदस्य निम्नलिखित होगें :–

(1) अध्यक्ष (कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों में से देवनागरी वर्णमाला के अनुसार चुना जायेगा)।

(2) उपाध्यक्ष – प्रधानाचार्य (पदेन)।

(3) मंत्री (देवनागरी वर्णमाला के कमानुसार कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(4) उपमंत्री (सह संयोजक) (देवनागरी वर्णमाला के कमानुसार कार्यकारिणी अभिभावक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(5) कोषाध्यक्ष (देवनागरी वर्णमाला के कमानुसार कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(6) **सदस्य निम्नवत् होगें :–**

(अ) अभिभावक सदस्य–कक्षा 6 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा–7 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा 8 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा 9 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा–10 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 11 में सबसे कम एवं कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के अभिभावक सदस्य होगें। दूसरे वर्ष कक्षा 6 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले और कक्षा 7 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। इसी तरह प्रत्येक वर्ष कम बदलेगें।

(ब) प्रयास यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की एक ग्राम सभा से एक सदस्य होगा तथा शहरी क्षेत्र में एक वार्ड से एक अभिभावक सदस्य होगा।

(स) हाईस्कूल में स्नातक वेतनक्रम के दो अध्यापक और यदि इण्टर कालेज है तो तीन अध्यापक जिसमें दो स्नातक वेतनक्रम के और एक प्रवक्ता वेतनक्रम के सदस्य होगें।

(द) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य (प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी छोड़कर) होगा।

5– विलुप्त

6– विलुप्त

7– विलुप्त

7ए–(1) शैक्षिक सत्र के आरम्भ में 15 जुलाई के पूर्व प्रत्येक छात्र अपने अभिभावक का विवरण एक निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य को देगा। छात्र के कक्षा–अध्यापक इस प्रपत्र की प्रथम प्रति विद्यालय के अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगें तथा द्वितीय प्रति अपने हस्ताक्षर करके छात्र को लौटा देगें।

एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में वही अभिभावक भाग ले सकेगें जिनका नाम उसे प्रपत्र पर अंकित होगा और जो वह प्रपत्र प्रस्तुत करेगें।

7ए–(2) विलुप्त।

7ए–(3) यदि किन्हीं कारणों से जुलाई माह के अन्तिम शनिवार या रविवार को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव न हो तो किसी अन्य तिथि को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जायेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये मंत्री द्वारा विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। 21 दिन की गणना सूचना जारी किए जाने के दिनांक से की जायेगी।

8– कार्यकारिणी के गठन की तिथि – (1) प्रत्येक वर्ष अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव नियम–4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कारणवश अगस्त माह के प्रथम रविवार को बैठक आयोजित करना सम्भव न हो तो प्रधानाचार्य द्वारा उसकी लिखित सूचना जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जिला विद्यालय निरीक्षक को विलम्ब का कारण बताते हुए देनी होगी।

(2) हटाया गया।

(3) यदि किन्हीं कारणों से अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव नहीं हो सकेगा तो किसी अन्य तिथि को रविवार के दिन आयोजन किया जा सकेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये उपाध्यक्ष द्वारा एसोसियेशन के सभी सदस्यों को जुलाई के तीसरे सप्ताह तक विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व

सूचना देनी आवश्यक होगी, 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी।

स्पष्टीकरण-- विनियम 7-ए के उप-विनियम (3) के इस उपविनियम के अन्तर्गत अभिभावकों की सूचना छात्रों के माध्यम से उपाध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से दी जाएगी और सूचना की एक प्रति सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

9- विलुप्त।

10- विलुप्त।

11- कार्यकारिणी की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना - यदि किन्हीं कारणों से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों या सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे कार्यकारिणी द्वारा एसोसियेशन के सदस्यों में से विनियम-4 के अनुसार भरा जायेगा।

12- कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य उपाध्यक्ष को लिखित आवेदन पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है।

परन्तु त्याग पत्र तब तक प्रभावी नही माना जायेगा जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जायेगा।

13- **त्याग-पत्र के स्वीकार किये जाने की प्रकिया** - किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य का त्याग-पत्र प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष उसे कार्यकारिणी के विचार के लिए भेजेगा। कार्यकारिणी का विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात उपाध्यक्ष त्याग-पत्र को स्वीकार करेगा।

14- **आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक** - एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार होगा जो सामान्यतः अगस्त मास के प्रथम रविवार और जनवरी मास के प्रथम रविवार को होगा। आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की कार्य सूची (एजेण्डा) परिशिष्ट-1 में दिये गये विवरणानुसार होगी।

15- **आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता** - एसोसियेशन की प्रथम (अगस्त माह की) आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगें और उसके बाद की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यख द्वारा प्रस्तावित कार्यकारिणी के पदाधिकारी-अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी।

अध्याय-तीन

कार्यकारिणी के कृत्य, कर्तव्य एवं अधिकार

16- कार्यकारिणी के कर्तव्य - कार्यकारिणी के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित होगें:-

(1) अध्यापकों और अभिभावकों की कक्षावार बैठक आयोजित करना। कक्षावार बैठक आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार किया जाएगा जो सामान्यतः जनवरी और अगस्त माह के

प्रथम रविवार को होगा। कक्षावार बैठक की कार्यसूची **परिशिष्ट**--2 में दिए गए विवरणानुसार होगी।

(2) संस्था के शिक्षण स्तर एवं आवश्यकता का आंकलन करके उनको बढाने तथा समाधान करने का निर्णय लेना।

(3) संस्था के गत् तथा चालू वर्ष के शिक्षण दिवसों की समीक्षा करना।

(4) संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन जुटाना।

(5) भौतिक संसाधनों में भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय पुस्तकें, खेल का मैदान काष्ठोपकरण, पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन कक्षों आदि की व्यवस्था करना है

(6) संस्था के पाठ्येत्तर क्रिया–कलापों--जैसे राष्ट्रीय और महापुरूषों के जन्म–दिन, धार्मिक त्यौहार, सामुदायिक कार्य आदि के आयोजन में समाज का योगदान प्राप्त करना।

(7) संस्था की सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना।

(8) संस्था के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग देना तथा श्रेष्ठ छात्रों, श्रेष्ठ अध्यापकों, श्रेष्ठ अभिभावकों को सम्मानित करना।

(9) संस्था के संचालन में जिसमें संस्था के प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नही है प्रबन्ध समिति और प्रधानाचार्य को परामर्श और अपेक्षित सहयोग देना।

17– कार्यकारिणी की बैठक – (1) कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को विद्यालय परिसर में होगी। इसके अतिरिक्त सात दिन की पूर्व सूचना जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सहमति से उपमंत्री (सहसंयोजक) द्वारा दी जायेगी, पर किसी भी समय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकेगी। कार्यकारिणी की बैठक की कार्यसूची **परिशिष्ट–3** में दिये गए विवरणानुसार होगी।

(2) कार्यकारिणी, मासिक बैठक में अगले मास का कार्यक्रम तैयार करेगी और पिछले महीने के निर्णयों के कार्यान्वियन की प्रगति को देखेगी।

(3) कार्यकारिणी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा और सर्वसम्मति से निर्णय न हो सकने की दशा में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

18– एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा और कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवृत्त उपाध्यक्ष द्वारा नामित कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्य द्वारा अलग–अलग रजिस्टरों में लिखा जाएगा तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। दोनों कार्यवृत्त रजिस्टर उपाध्यक्ष के संरक्षण में रखे जायेगें।

19– बैठक में भाग लेने के लिये हकदार व्यक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक और अन्य अधिकृत राजपत्रित अधिकारी कार्यकारिणी के आमंत्रण पर बुलाये गये व्यक्ति कार्यकारिणी की

बैठक अथवा एसोसिऐशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में किसी भी समय भाग ले सकते हैं और राय दे सकते हैं।

20– विशेष बैठक बुलाया जाना– कार्यकारिणी की विशेष बैठक या आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की विशेष बैठक कार्यकारिणी अथवा एसोसियेशन के एक चौथाई सदस्यों की प्रार्थना पर उपाध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सकती है।

21– कार्यकारिणी एवं एसोसियेशन का कारोबार एसोसिएशन तथा कार्यकारिणी का समस्त कारोबार हिन्दी में सम्पादित किया जायेगा।

22– छात्रों की समस्याये और उनका समाधान –

(1) कार्यकारिणी प्रत्येक मास उच्चतम एवं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले सभी कक्षाओं के छात्रों को अपनी बैठक मे आमंत्रित कर छात्र समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेगी और उनका समाधान करेगी।

(2) कार्यकारिणी से खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में विशिष्ट रूचि रखने वाले छात्रों को समय–समय पर अपनी बैठक में आमंत्रित करेगी और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर इनका समाधान करेगी।

23– शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर कक्षाअध्यापकों की आमंत्रित करना – शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी प्रत्येक कक्षा अध्यापक (Class Teacher) को समय–समय पर आमंत्रित करेगी और विषय समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में प्रयास करेगी।

24– आमंत्रित करने का अधिकार – कार्यकारिणी समय–समय पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, खेलकूद निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, सामुदायिक विकास विभाग या विकास कार्यो से सम्बन्धित अन्य एजेन्सीज के प्रतिनिधि को अपनी बैठक में विचार–विमर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है।

25– कार्यकारिणी का कार्यकाल – कार्यकारिणी का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष होगा।

अध्याय–चार

एसोसियेशन के वित्तीय संसाधन और लेखा परीक्षा

26– संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन कार्यकारिणी संस्था के लिए समाज के उदार और सम्पन्न व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान लेने के लिए अधिकृत होगी।

(1) दान प्राप्त करने के लिए संस्था के एसोसियेशन के नाम छपी हुई रसीद दी जायेगी। इस रसीद को कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर होगें।

(2) एसोसियेशन कोष के नाम पर अनुसूचित अथवा पोस्ट आफिस में संयुक्त खाता खेला जायेगा जिसमें प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा। खाते का रख–रखाव उपाध्यक्ष द्वारा किया

जायेगा। पांच सौ की वार्षिक धनराशि का आहरण कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इससे अधिक धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। पांच सौ रूपये से अधिक के आहरण पर कार्यकारिणी का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा।

(3) एसोसियेशन कोष में जमा धनराशि का उपयोग कार्यकारिणी द्वारा संस्था की समस्याओं का निराकरण, आवश्यकताओं का निराकरण, आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास कार्य में किया जायेगा। हर वर्ष बजट पहले कार्यकारिणी में और तत्पश्चात् आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) एसोसियेशन कोष में जमा धनराशि तथा उसमें से किये गये व्यय का लेखा उपाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में एक रोकड़ बही में रखा जायेगा, यह रोकड़ बही मांगे जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को उपाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

27– लेखा परीक्षक – प्रत्येक वर्ष लेखों का संप्रेक्षण करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा किसी राजकीय अधिकृत आडिटर को नियुक्त किया जायेगा, जो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा। यह नियुक्ति प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास तक की जायेगी और प्रत्येक माह के लेखे का संप्रेक्षण साथ–साथ कराया जायेगा। कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात् सामान्य सभा में उक्त लेखा एवं सम्प्रेक्षण आख्या का विवरण एसोसियेशन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय–पॉच

विविध

28– संस्था की प्रबन्ध समिति में कार्यकारिणी सदस्यों का आमंत्रण –

1– एसोसियेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था की प्रबन्ध समिति के विशेष आमंत्री अथवा सदस्य के रूप में भाग लेगें।

2– संस्था की प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि प्रबन्ध समिति की प्रशासन योजना में दो अभिभावक सदस्यों की सदस्यता के लिये प्रावधान कराये और जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक विनियमावली के उपर्युक्त 28(1) के अनुसार एसोसियेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रबन्ध समिति में विशेष आमंत्री के रूप में बुलायें।

29– **संस्था के विभिन्न कार्यकलापों में अभिभावक सदस्यों का प्रतिनिधित्व** – संस्था में गठित की जाने वाली विभिन्न विषय समितियों, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित समितियों के प्रत्येक विषय में से एक–एक अभिभावक का नामन, जो पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में रूचि रखता हो, कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।

30– **अभिभावकों को सम्मानित किया जाना** – एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में अथवा कार्यकारिणी की बैठक में अधिकतम उपस्थित अभिभावक सदस्य तथा

संस्था के लिये अधिकतम सहयोग देने वाले अभिभावकों को संस्था द्वारा समय–समय पर सम्मानित किया जायेगा।

31– छात्रों की प्रगति – (1) प्रत्येक वर्ष मास अगस्त के प्रथम रविवार को आयोजित एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा कार्यकारिणी एवं अन्य कार्यवाही के उपरान्त कक्षवार अभिभावक अध्यापक बैठक में विभक्त की जायेगी और प्रत्येक कक्षा के छात्रों को आगामी सत्र की पढाई के सम्बन्ध में योजना बनायेगी जिसका कार्यान्वयन संस्था की प्रबन्ध समिति एवं अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन की कार्यकारिणी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यदि एसोसियेशन द्वारा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्यक्रम के संबंध में प्रबन्ध समिति सहमत न हो अथवा अन्य किसी बात पर एसोसियेशन और प्रबन्ध समिति में मतभेद हो तो संस्था के उपाध्यक्ष दोनों के विचारों का विवरण देते हुये अपनी आख्या के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजेंगे और इस सम्बन्ध मे जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तु यह प्रावधान संस्था की प्रबन्धकीय प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले में लागू नहीं होगा।

(3) हटाया गया।

32– संशोधन – इस विनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन शासन की पूर्वानुमति से बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।

परिशिष्ट–एक

अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन की अगस्त माह के प्रथम रविवार तथा जनवरी माह के प्रथम रविवार को आयोजित आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक का एजेण्डा।

1– गत आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के कार्यवृत्त का पढा जा·. व उसकी पुष्टि।

2– प्रधानाचार्य द्वारा पिछली बैठक के बाद से सम्पन्न कार्य–कलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

3– अभिभावक – अध्यापक एसोसियेशन के उद्द्येश्यों का पढा जाना एवं यह विचार किया जाना कि किस हद तक इसकी पूर्ति हो रही है।

4– वार्षिक विद्यालय पंचाग की घोषणा एवं उपस्थित व्यक्तियों को उसकी विशेषताओं से अवगत् किया जाना (अगस्त की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा) तथा वार्षिक विद्यालय पंचांग के अनुपालन की स्थिति जनवरी की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा।

5– गृह तथा परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफलों की चर्चा एवं उनमें सुधार लाने पर विचार।

6– कोषाध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखा की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

7– सम्प्रेक्षक द्वारा वार्षिक लेखा की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

8– कार्यकारिणी का गठन।

परिशिष्ट–दो

कक्षावार अभिभावक – अध्यापक सम्मेलन हेतु प्रस्तावित एजेण्डा

1– शिक्षण स्तर में सुधार के लिए अपनाये गये कार्यक्रमों की जानकारी एवं समीक्षा।

2– कक्षा के परीक्षाफल की समीक्षा।

3– पाठ्यक्रम का समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किए जाने की योजना एवं समीक्षा।

4– सत्रवार अध्यापक हेतु पठ्यांश का निर्धारण एवं उसकी घोषणा

5– कमजोर छात्रों के लिए निदानात्मक व्यवस्था पर चर्चा।

6– कक्षा के समस्याग्रस्त छात्रों के अध्यापकों से विद्यालय में सम्पर्क एवं अनुरक्षण के कार्यक्रम।

7– कक्षा के समस्याजनक बिन्दुओं में सुधार के सुझावों पर विचार।

8– उत्कृष्ट छात्रों की पहचान एवं उनके विकास की योजनाओं पर विचार।

9– प्रतिभावान छात्रों द्वारा पढाई में कमजोर छात्रों की सहायता देने की योजना बनाना व उस पर विचार तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजना बनाना व उनके अभ्यास की व्यवस्था पर विचार।

परिशिष्ट–तीन

कार्यकारिणी की बैठकों के लिए प्रस्तावित एजेण्डा

1– गत् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

2– पिछली बैठक/बैठकों में लिए गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।

3– अगले माह के लिए शैक्षिक उन्नयन की योजनाओं पर विचार तथा कार्यकारिणी के उद्द्देश्यों के अनुरूप अन्य बिन्दुओं पर, योजनाओं पर विचार व निर्णय किया जाना।

4– विद्यालय के लिए अपनाये गये शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन।

5– वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान और स्वैच्छिक संचालन उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

6-- कक्षा-9 व कक्षा-11 के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र, छात्राओं एवं खेल तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेषता प्राप्त छात्रों/छात्राओं को आमंत्रित कर उनकी समस्याओं (छात्र समस्याओं) पर विचार व उनका समाधान।

7-- उत्तम शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

8-- उत्कृष्ट छात्रों व उनके अभिभावकों को सम्मानित एवं अलंकृत करने के कार्यक्रमों का निर्धारण।

9-- समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की कक्षावार योजना पर विचार व उनके अभ्यास की व्यवस्था किया जाना।

10-- कार्यकारिणी की अगली बैठक की तिथि तय करना।

भाग दो – ख
अध्याय--एक
परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात, विषय अथवा संदर्भ में प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित शब्दों का निम्नांकित अर्थ होगा :--

(1) "सभापति" का अर्थ सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश है।

(2) "कालेज" का अर्थ परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है।

(3) "विभाग" का अर्थ उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग है।

(4) विलोपित।

(5) "अभिभावक" का अर्थ प्राकृतिक अथवा विधिक अभिभावक अथवा इन विनियमों के लिए सम्बन्धित संस्था के प्रधान द्वारा एक छात्र के अभिभावक के रूप में अनुमोदित व्यक्ति है।

(6) "प्रधानाध्यापक" का अर्थ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल का प्रधान है।

(7) "हाईस्कूल" का अर्थ परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है।

(8) विलोपित।

(9) "आचार्य" का अर्थ कालेज का प्रधान है।

(10) "व्यक्तिगत परीक्षार्थी" का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो बिना अपेक्षित उपस्थिति के एक परीक्षा में बैठना चाहता है, जिसके लिए मान्यता प्राप्त संस्था में नियमित उपस्थिति निर्धारित है।

(11) "नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम" का अर्थ परिषद् द्वारा निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम है।

(12) "छात्र पंजी" का अर्थ छात्र की प्रगति का अभिलेख रखने वाली पंजी है, जो उस संस्था द्वारा, जिसका कि वह है, निर्धारित प्रपत्र पर रखी जाती है।

(निर्धारित प्रपत्र उ0प्र0 शिक्षा संहिता में दिया हुआ है।)

(13) 'सचिव' का अर्थ सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश है।

(14) "सत्र का अर्थ" नयी कक्षायें बनाने से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि है, जिसमें एक संस्था अध्यापन हेतु खुली रहती है।

(15) "शैक्षिक वर्ष" का अर्थ 1 जुलाई से उसके पश्चात् आने वाली 30 जून तक की अवधि है।

(16) "उम्मीदवार" का अर्थ परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने की इच्छा रखने वाला अथवा उसमें प्रविष्टि प्राप्त करने वाला व्यक्ति है।

(17) "क्षेत्रीय सचिव" का तात्पर्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों के सर्वोच्च पद को धारण करने वाले अधिकारी से है और इसमें क्षेत्रीय सचिव के समस्त या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

अध्याय—दो
परिषद्

1— परिषद् की बैठक साधारणतः नवम्बर और फरवरी मासों में होगी।

2— नवम्बर मास में हुई परिषद् की बैठक परिषद् की वार्षिक बैठक समझी जाएगी।

अध्याय—तीन
सचिव

1— परिषद् की समस्त बैठकें सचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

2— सचिव, सभापति के प्राधिकार से परिषद् के सरकारी पत्र—व्यवहार का संचालन करेगा।

3— परिषद् के लिए देय समस्त शुल्क एवं पावना तथा सचिव के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियॉ अविलम्ब सरकारी कोषागार में जमा कर दी जायेंगी।

4— सचिव अनुवर्ती अध्यायों के विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् की परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत् परीक्षा केन्द्रों और मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण भी है और परीक्षाफल का प्र[illegible], उसकी घोषणा करने या उन्हें रोकने के लिए प्रबन्ध करेगा, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसके लिए आवश्यक हों।

5– सचिव परिषद् की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करेगा और परिषद् या परीक्षा समिति के निर्देशों या अनुदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, उन पर कार्यवाही करेगा।

6– सचिव को परीक्षाफल समिति द्वारा पारित ऐसे परीक्षाफल में मिली किसी गलती या लोप या भिन्नता को युक्ति युक्त समय के भीतर जो साधारणतया परिषद् की मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के प्रकाशित होने के दिनांक से छःमास से अनधिक होगा, दूर करने की शक्ति होगी।

7– सचिव, परिषद् की ओर से सफल उम्मीदवारों को परिषद् की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में देगा और बाद में उसकी प्रविष्टियों में कोई शुद्धि करेगा, बशर्ते कि प्रमाण–पत्र में किसी ऐसी गलत प्रविष्टि, किसी अविचारित लिपिकीय भूल या लोप के कारण या किसी ऐसी लिपिकीय भूल के कारण की गई हो जो असावधानी से परिषद् के स्तर के या उस संस्था के, जहां से अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो, स्तर पर अभिलेख में हो गई हो। यह शुद्धि सचिव द्वारा उसी स्थिति में की जा सकेगी जबकि अभ्यर्थी ने सम्बन्धित परीक्षा के प्रमाण–पत्र को परिषद् द्वारा निर्गमन करने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही लिपिकीय त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और उसकी प्रति पंजीकृत डाक से सचिव, परिषद् को भी प्रेषित की हो।

8– यदि सचिव को यह समाधान हो जाय कि किसी उम्मीदवार का मूल प्रमाण पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है या अनुपयोगी हो गया है तो वह परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विहित शुल्क लेकर उसकी द्वितीय प्रति दे सकता है। वह विहित शुल्क लेकर परिषद् की परीक्षा के अंक पत्र की द्वितीय प्रति भी दे सकता है।

9– परिषद् का पुस्तकालय, सचिव की देख–रेख में होगा और वह समय–समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाठ्य पुस्तकों इत्यादि के लिए विचारार्थ प्राप्त पुस्तकों को सम्बन्धित समितियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

10– सचिव, प्रतिवर्ष 31 मई, तक विभाग को परिषद् की परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों की सूची वैकल्पिक विषय अथवा विषयों को निर्दिष्ट करते हुए जिनमें मान्यता प्राप्त हुई है, देगा।

11– सचिव, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जाय अथवा उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

12– सचिव को परिषद् की किसी समिति और उसकी उप–समिति की किसी बैठक में पदेन सदस्य सचिव के रूप में उपस्थित होने, भाग लेने और बोलने का हक होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि विभिन्न विषयों की पाठ्यक्रम समितियों, अनुचित साधनों के मामले के निस्तातरण के लिए समितियों और स्त्री शिक्षा समिति की स्थिति में यह अपनी ओर से उनकी किसी बैठक में भाग लेने और बोलने के लिये अपर सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है।

13-- सचिव को अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, परिषद् की किसी समिति या उसकी किसी उप समिति की बैठक बुलाने की शक्ति होगी जब कभी उसकी राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

अध्याय–चार

परिषद् की समितियां

1– इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त, परिषद् निम्नलिखित अन्य समितियाँ नियुक्त करेगी–

(एक) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम समिति।

(दो) परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग, सामूहिक नकल किए जाने और प्रतिरूपण के संदिग्ध मामलों और अन्य तत्सदृश या सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए समितियां:

(तीन) परिषद को स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों पर सलाह देने के लिए एक समिति।

2– परिषद् द्वारा किसी पाठ्यक्रम समिति में नियुक्त सदस्यों की संख्या, जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाय तीन से कम और सात से अधिक न होगी, सिवाय निम्नलिखित विषयों के पाठ्यक्रम समितियों की स्थिति में जिनमें सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या वहीं होगी जो प्रत्येक के सामने उल्लिखित है :–

	न्यूनतम	अधिकतम
(क) कृषि	7	9
(ख) प्राविधिक विषय	9	11
(ग) रचनात्मक विषय	11	11

3– किसी विषय की पाठ्यक्रम समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:–

(क) परिषद् के ऐसे सदस्य, जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों, सम्बद्व विषय के पाठ्यक्रम समिति में निर्वाचित किए जायेगें।

(ख) यदि परिषद् के ऐसे सदस्य, जो सम्बद्व विषय के विशेषज्ञ हों, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो बाहर से सम्बद्व विषय के विशेषज्ञ, जिनके नाम का प्रस्ताव परिषद् के सदस्यों

द्वारा किया जाय, नियुक्त किए जायेगें, परन्तु ऐसे विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में निवास करते हों और सम्बद्व समिति की सदस्यता स्वीकार करें।

(ग) रचनात्मक विषय के पाठ्यक्रम समिति की स्थिति में, सदस्य ऐसी रीति से नियुक्त किए जायेगें कि रचनात्मक वर्ग के प्रत्येक विषय का प्रतिनिधित्व कम से कम तदविषयक एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाय।

(घ) जहां खंड (ख) के अधीन परिषद के सदस्यों द्वारा किसी विशिष्ट विषय या विषयों के विशेषज्ञों के नाम पर्याप्त संख्या में प्रस्तावित न किये जायं, वहां अध्यक्ष को उस विषय या उन विषयों के विशेषज्ञ को अपेक्षित सीमा तक नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

(ङ) परिषद् का कोई सदस्य या बाहरी विशेषज्ञ दो से अधिक पाठ्यक्रम समितियों में कार्य नहीं करेगा।

(च) सभापति को किसी पाठ्यक्रम समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति को निरसित करने का अधिकार होगा यदि यह ज्ञात हो जाय कि सदस्य पाठ्यक्रम समिति के उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है जिसमें वह नियुक्त किया गया था परन्तु ऐसी किसी नियुक्ति को निरसित नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बद्व सदस्य को यह बताने का अवसर न दे दिया जाय कि वह सम्बद्व विषय का विशेषज्ञ है।

स्पष्टीकरण-- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, किसी विषय के विशेषज्ञ का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन्टरमीडिएट कक्षाओं में उस विषय को पढाने के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

4– यदि परिषद् के ऐसे सदस्यों की संख्या जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों, या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किसी विषय के बाहरी विशेषज्ञों की संख्या ऐसे विषय के पाठ्यक्रम समिति के गठन के लिये अपेक्षित सदस्य संख्या से अधिक हो तो परिषद् द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

5– इस अध्याय के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट समितियों के सदस्यों की समयावधि नहीं बढायी जायेगी और वह वही होगी जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 के अधीन परिषद् के सदस्यों की है परन्तु कोई भी सदस्य अथवा संयोजक अपने पद से सभापति के नाम त्याग–पत्र देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। वह त्याग पत्र सभापति को प्राप्त होने की तिथि से लागू होगा। समिति का कोई सदस्य या संयोजक जो परिषद् का सदस्य न रह तत्काल से सम्बद्व समिति का सदस्य या संयोजक नहीं रह जायेगा। इसके फलस्वरूप हुई रिक्ति

की पूर्ति हेतु नियुक्ति अधिनियम एवं विनियम की अर्हता के सदस्य उपलब्ध अथवा अवशेष नहीं रहने की स्थिति में परिषद के अवशेष सदस्यों में से ही की जायगी।

6– परिषद की प्रत्येक समिति का एक संयोजक होगा जो परिषद द्वारा जब तक कि अन्यथा विहित न हो, सम्बद्ध समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा, परन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक समिति में संयोजक का कार्य नहीं करेगा। किसी समिति के संयोजक के पद पर न रहने की स्थिति में, परिषद का अध्यक्ष का कार्य चलाने के लिए सम्बद्ध समिति के सदस्यों में से एक प्रतिस्थानी नाम निर्दिष्ट करेगा जब तक कि परिषद द्वारा किसी अन्य संयोजक का निर्वाचन न कर दिया जाय या परिषद अध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थानी के रूप में नाम निर्दिष्ट संयोजक का अनुमोदन न कर दें।

7– जहां अन्यथा विहित हो उसके सिवाय समस्त समितियों का निर्वाचन गुप्त–मत पत्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा "एकल संक्रमणीय मत" द्वारा निर्वाचन की रीति को नियंत्रित करने वाली अनुसूची परिषद की उपविधियों की उपविधि 4 परिशिष्ट'क में दी गई है।"

8– जब कभी निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल धारा 4(1) के अन्तर्गत समाप्त होने के कारण ऐसे सदस्यों के स्थान रिक्त हो गये हों और बोर्ड का पुनर्गठन किसी कारणवश न हो सका हो और धारा 13 में उल्लिखित किसी समिति का पुनर्गठन करना आवश्यक हो तो इन विनियमों में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी ऐसी समितियों का पुनर्गठन विनियमों में निर्धारित संख्या से कम सदस्यों से भी किया जा सकता है।

अध्याय पांच

पाठ्यक्रमों की समितियां

1– परिषद् निम्नलिखित विषयों में पाठ्यक्रमों की समितियां नियुक्त करेगी, जिनका वर्गीकरण उस रूप में तथा उन परिवर्द्धनों एवं परिवर्तनों के साथ किया जायेगा जो परिषद समय–समय पर निश्चित करें––

1– हिन्दी

2– गणित

3– गृह विज्ञान

4– अरबी और फारसी

5– उर्दू

6– इतिहास

7– नागरिक शास्त्र

8– भूगोल

9– मराठी और गुजराती

10– लैटिन और फ्रांसीसी

11– अंग्रेजी

12– भौतिक विज्ञान

13– रसायन विज्ञान

14– जीव विज्ञान

15– कृषि (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त कृषि के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समस्त विषय सम्मिलित है)

16– चित्रकला, रंजनकला तथा मूर्तिकला

17– वाणिज्य (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त वाणिज्य के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समस्त विषय सम्मिलित हैं)।

18– अर्थशास्त्र

19– संस्कृत

20– सैन्य विज्ञान

21– भू–गर्भ शास्त्र

22– प्राविधिक विषय (हिन्दी के अतिरिक्त सब विषय)

23– समाज शास्त्र

24– रचनात्मक विषय (रचनात्मक वर्ग के अन्तर्गत समस्त विषय)

25– बंगला, उडिया और आसामी

26– शिक्षा, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान

27– संगीत तथा नृत्य

28– नैपाली और पाली

29– कश्मीरी, पंजाबी और सिंधी

30– कन्नड और तेलुगू

31– मलयालम और तमिल

32– जर्मन और रूसी

33– चीनी और तिब्बती

34– बेसिक विषय (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त बेसिक वर्ग के अन्तर्गत् समस्त विषय सम्मिलित हैं)।

35– शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा (इस समिति में सदस्य इस भांति नियुक्त होगें जैसा परिषद् निर्णय करे)।

36– सांख्यिकी

37– सामाजिक विज्ञान।

2– अध्ययन के ऐसे अन्य विषयों के लिए पाठ्यक्रमों की समितियों का गठन होगा जो समय–समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किये जायेंगें।

3– प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति परिषद् के विचारार्थ सम्बन्धित विषय का पाठ्य विवरण प्रस्तावित करेगी तथा पाठ्य विवरण के अनुरूप परिषद् द्वारा संस्तुति अथवा नियत किये जाने हेतु उचित पुस्तकों की इतनी संख्या भी प्रस्तावित करेगी जितनी समिति ठीक समझे।

4– पाठ्यक्रमों की समितियों की बैठकें प्रतिवर्ष साधारणतः सितम्बर और दिसम्बर मास के बीच होगी और आने वाले वर्ष में परिषद द्वारा जारी किये जाने वाले प्रालेख पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों के प्रस्ताव तैयार करेगी। समितियों द्वारा किये गये प्रस्तावों को पहले पाठ्यचर्या समिति के पास यथाशीर्ध भेजा जायेगा। पाठ्यचर्या समिति इन प्रस्तावों पर विचार करेगी और उनके सम्बन्ध में अपने संवीक्षण प्रस्तुत करेगी। पाठ्यक्रम समितियों के प्रस्ताव, पाठ्यचर्या समिति के संवीक्षणों सहित परिषद् के समक्ष उनकी आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखे जायेगें।

5– परिषद् द्वारा अन्तिम रुप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरण–पत्रिका में प्रकाशित किये जायेंगें जिसे सचिव द्वारा उस परीक्षा को जिसके लिये वे पाठ्यक्रम विहित किये गये है, तिथि से लगभग दो वर्ष पूर्व जारी किया जायेगाः–

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् हाईस्कूल परीक्षा और इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये पृथक–पृथक या दोनों परीक्षा के लिये संयुक्त विवरण पत्रिका प्रकाशित कर सकती है :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् किसी परीक्षा के समस्त विषयों के सम्ब... विवरण–पत्रिका प्रकाशित करने के बजाय केवल एक या अधिक विषयों के लिये विवरण ... प्रकाशित कर सकती है।

6–(1) परिषद् अपने द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिन्हें वह आवश्यक समझे, पाठ्य पुस्तकें और अन्य सम्बन्धित सामग्री, यदि कोई हो, तैयार करा सकती है और क्रमशः सम्बद्व पाठ्यक्रम समिति और ... द्वारा उनका अनुमोदन किये जाने के पश्चात् परिषद् राज्य सरकार के प्राधिकार से उन्हें प्रकाशित करायेगी। तदुपरान्त परिषद् उन्हें पाठ्य पुस्तक के रूप में विहित करेगी।

(2) खंड (1) के अधीन किसी विषय की प्रत्येक पुस्तक को जिसके अन्तर्गत् मौलिक रचनायें और संकलन भी है, तैयार करने के लिये निम्नलिखित बोर्ड गठित किये जायेंगे, अर्थात----

(एक) सम्पादक/लेखक मंडल और,

(दो) परामर्शदाता मंडल।

(3) (क) उप खंड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पादक/लेखक मंडल में निम्नलिखित होंगे--

1-- एक अध्यापक जो वास्तव में हाईस्कूल कक्षाओं को सम्बद्ध विषय पढाता हो,

2- एक अध्यापक जो वास्तव में इण्टरमीडिएट कक्षाओं को सम्बद्ध विषय पढाता हो,

3 - स्नातकोत्तर, डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय का सम्बद्ध विषय का एक अध्यापक,

4-- किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक अध्यापक,

5-- दो शैक्षिक विशेषज्ञ/विषय--विज्ञ।

(ख) हाईस्कूल कक्षाओं के लिये पुस्तक तैयार करने के लिये गठित सम्पादक/लेखक मण्डल में इन्टरमीडिएट कक्षा के किसी अध्यापक को जो सम्बद्ध विषय को पढाता हो, सम्मिलित करना अनिवार्य होगा, किन्तु इण्टरमीडिएट कक्षा के लिये पुस्तक तैयार करने के लिए गठित सम्पादक/लेखक मंडल में सम्बद्ध विषय का हाईस्कूल का कोई अध्यापक सम्मिलित नही किया जायेगा।

(ग) अध्यक्ष को उप खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सम्पादक/लेखक मंडल में एक सदस्य और, यदि वह आवश्यक समझे, नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी। उसे सम्पादक/लेखक मंडल में किसी रिक्ति को स्वविवेक से, जब कभी वह हो, भरने की भी शक्ति होगी।

(4) परामर्शदाता मंडल में तीन सदस्य होंगे जो सम्बद्ध विषय के [illegible] विद्वानों में से नियुक्त किये जायेंगे।

(5) खंड (2) में निर्दिष्ट मंडलों के गठन के लिये सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति अपेक्षित संख्या के पांच गुने नाम का प्रस्ताव करेगी। अध्यक्ष उक्त नामिका में से प्रत्येक वर्ग के लिये अपेक्षित सदस्यों को नियुक्त करेगा। परन्तु यदि उसकी राय में उच्च प्रतिष्ठ विद्यालयों और विषय विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह नामिका के बाहर से व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(6) यदि सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति पुस्तक को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व यह आवश्यक समझे तो वह पाण्डुलिपि को तैयार करते समय सम्पादक/लेखक मंडल को अपना सुझाव दे सकती है।

(7) किसी पुस्तक की पाण्डुलिपि अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने के पश्चात्, उसे क्रमशः सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और तत्पश्चात् परिषद् उसे राज्य सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित करायेगी।

(8) परिषद् द्वारा तैयार की गयी किसी पुस्तक को उसके प्रचलन के अनन्तर चार परीक्षायें हो जाने के पश्चात्, पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, बदला जा सकता है परन्तु उनमें छोटे-मोटे परिवर्तन परिषद् द्वारा जब तथा जैसा आवश्यक हो किये जा सकते हैं।

7- विनियम 6 में किसी बात के होते हुये भी जब भी परिषद् आवश्यक समझे वह राज्य सरकार की स्वीकृति से तथा सरकारी गजट में अख्यापन द्वारा, अपने द्वारा संचालित परीक्षा की एक वर्ष के लिये किसी विषय में पुस्तकों का आमंत्रण कर सकती है। परिषद् यदि आवश्यक समझे तो ऊपर के विनियम 4 के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों की सम्बन्धित समिति के समक्ष विचारार्थ रख जाने के लिये समीक्षा भी करा सकती है। ऐसे मामलों में समीक्षकों की नियुक्ति तथा विचारार्थ पुस्तकें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा शुल्क का भुगतान अग्रलिखित विधि से नियन्त्रित होगा :

(1) पाठ्यक्रम समिति अभीष्ट समीक्षकों से कम से कम तिगुने की नामिका तैयार करेगी और उसे सचिव द्वारा सभापति को प्रस्तुत करेगी। जिन समीक्षकों का नाम नामिका में सम्मिलित किया जायगा वे उस विषय में भली-भांति योग्यता प्राप्त होने चाहिये, जिसमें उन्हें पुस्तक की समीक्षा करनी है। समीक्षकों की नियुक्ति नामिका में से सभापति द्वारा की जायेगी।

(2) पाठ्यक्रम समिति का कोई भी सदस्य उस समिति में विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तक का समीक्षक नहीं होगा।

(3) जहां एक व्यक्ति परिषद् अथवा पाठ्यचर्या समिति अथवा एक विशेष विषय में पाठ्यक्रम समिति का सदस्य है, परिषद् के उस विषय में पुस्तक आमंत्रित करने के निर्णय के एक मास पश्चात् किसी समय तथा परिषद् द्वारा ऐसी पुस्तक को स्वीकृत अथवा नियत किये जाने से पूर्व, उसकी ऐसी कोई पुस्तक जिसका कि वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा परिषद् के मत में जिनमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ है, उस विषय में परिषद की किसी भी परीक्षा के लिये विचार किये जाने योग्य न होगी।

(4) कोई व्यक्ति जिसने विचारार्थ पुस्तक प्रस्तुत की है उस समय तक समीक्षक नहीं होगा, जब तक कि उसकी पुस्तक विचाराधीन है।

(5) समीक्षकों/प्रकाशकों तथा लेखकों के नामों के सम्बन्ध में अत्यधिक गोपनीयता रखी जायेगी।

(6) प्रत्येक समीक्षक पुस्तक से गुण और दोष विस्तार से बतायेगा और यदि कोई पुस्तक अस्वीकृत की जानी है तो अपना स्पष्ट मत लिखित रूप से व्यक्त करेगा।

(7) प्रत्येक समीक्षक उपयुक्त पुस्तकों की गुणागुण के क्रम में लगायेगा।

(8) एक समीक्षक को समीक्षा के लिये हाईस्कूल की 10 तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं की 8 से अधिक पुस्तकें नहीं दी जायेगी। हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं की प्रत्येक पुस्तक की समीक्षा करने का पारिश्रमिक निम्नलिखित के अनुसार होगाः

हाईस्कूल

30 रूपये यदि पुस्तक में 100 पृष्ठ तक है।

45 रूपये, यदि पुस्तक में 101 से 200 पृष्ठ तक है।

60 रूपये, यदि पुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक है।

इन्टरमीडिएट

40 रूपये, यदि पुस्तक 100 पृष्ठ तक है।

55 रूपये, यदि पुस्तक में 101 से 200 पृष्ठ तक है।

75 रूपये, यदि पुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक है।

(9) प्रत्येक पुस्तक की तीन समीक्षकों की नामिका द्वारा समीक्षा की जायेगी।

(10) विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों के लिये लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा निम्नलिखित शुल्क, समीक्षा शुल्क के रूप में दिया जायेगाः

हाईस्कूल

भाषा विषयों की प्रत्येक पाठ्य–पुस्तक के लिये 300 रूपये।

भाषा विषयों की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिये 200 रूपये।

अभाषा विषयों की प्रत्येक पुस्तक के लिये 200 रूपये।

इन्टरमीडिएट

भाषा विषयों की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिये 350 रूपये।

भाषा विषयों की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिये 250 रूपये।

अभाषा विषयों की प्रत्येक पुस्तक के लिये 250 रूपये।

(11) निम्नलिखित दशाओं के अतिरिक्त जहां 20 रूपये की कटौती के पश्चात शुल्क की वापसी हो सकती है, प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा एक बार पुस्तकों की समीक्षा के लिये दिया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(क) जहां ऐसे विषयों के पुस्तकों के सम्बन्ध में समीक्षा--शुल्क जमा कर दिया गया है जिसमें समीक्षा शुल्क नहीं लगाया जाता है;

(ख) जहां प्रकाशकों तथा लेखकों ने निर्धारित समीक्षा शुल्क से कम जमा किया है जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है,

(ग) जहा ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध में समीक्षा–शुल्क दे दिया गया है, जो आमंत्रित नहीं की गई थी,

(घ) जहां समीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया है परन्तु पुस्तकें परिषद् को नहीं प्रस्तुत की जा सकी,

प्रतिबंध यह है कि जहां निर्धारित समीक्षा–शुल्क से अधिक दे दिया गया है, अधिक धनराशि साधारणतः 20 रूपये की कटौती के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

8-- इस अध्याय के विनियमों के अन्तर्गत किसी बात के होते हुये भी परिषद को किसी वर्ष की परीक्षा के लिये कोई पुस्तक अथवा पुस्तकें नियत अथवा स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

9-- एक समिति संबंधित विषय अथवा विषयों के संबंध में परीक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध किसी मामले की ओर परिषद् का ध्यान आकृष्ट कर सकती है।

10-- परिषद् की प्रार्थना पर किन्हीं दो अथवा अधिक पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें हो सकती हैं और किसी मामले पर, जिससे पृथकतः तथा संयुक्त रूप से संबंधित है, संयुक्त आख्या दे सकती है।

अध्याय–छः

परीक्षा समिति

1– परीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–

(क) परिषद् के छः सदस्यों जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाये।

(ख) परिषद का सचिव समिति का पदेन संयोजक होगा।

2-- परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, परीक्षा समिति का निम्नलिखित कर्तव्य होंगे ––

(क) परिषद्, की परीक्षाओं का आयोजन करने के लिये तिथियों की संस्तुति करना;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति या घटना की स्थिति में, अध्यक्ष को परीक्षा की किसी तिथि में परिवर्तन करने या किसी विषय या प्रश्नपत्र में परीक्षा को निरसित करने का आदेश देने या उस विषय या प्रश्न–पत्र में फिर से परीक्षा का आयोजन करने की शक्ति होगी;

(ख) परीक्षकों और परिमार्जक बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना और परिषद् के अनुमोदन के लिये परीक्षकों की और परिमार्जकों की सूची तैयार करना;

(ग) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये सारणीयक (टेबुलेटर) और परितुलनकर्ता (कोलेटरों) के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना;

(घ) ऐसे उम्मीदवारों की, जिन पर परिषद् की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का संदेह या रिपोर्ट हो, उत्तर पुस्तकों के मार्जन के लिये मार्जक के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना;

(ङ) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रपत्र विहित करना;

(च) परिषद् की परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को दिये जाने वाले प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र विहित करना;

(छ) मौखिक और कियात्मक परीक्षाओं के, यदि कोई हो, लिये जाने का ढंग निर्धारित करना;

(ज) परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों को स्थापित करने और तोडने के लिये अपनायी जाने वाली नीति के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत नीति के अनुसार क्षेत्रीय सचिव परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक से प्रस्ताव मंगाकर परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों को स्थापित करेंगे :–

प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव, अपने द्वारा निम्नांकित रूप में, अपनी अध्यक्षता में गठित उप समिति के माध्यम से तैयार करेंगे:–

(1) सम्बन्धित जनपद जिला विद्यालय निरीक्षक।

(2) सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य।

(3) मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा गठित उपर्युक्त उप समिति द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अपने द्वारा निम्नांकित रूप में गठित उप समिति की सहायता से निर्मित करेंगे।

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक — अध्यक्ष

(2) जिले के दो वरिष्ठतम् प्रधानाचार्य सदस्य

(प्रधानाचार्य की नियुक्ति चक्रानुक्रम से की जायेगी)

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह भी है कि सचिव को यह शक्ति होगी कि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा एवं परीक्षा कार्यो के सुव्यवस्थित संचालन हेतु किसी परीक्षा केन्द्र, मूल्यांकन केन्द्र, तथा संकलन केन्द्र अथवा किन्हीं परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे/उन्हें तोड अथवा नवीन रूप में स्थापित कर सकता है।

(झ) अनुग्रहांक देने के लिए नियम बनाना;

(ञ) उम्मीदवारों को श्रुतलेखक देने के लिए नियम बनाना;

(ट) परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षाफल को प्रकाशित करने के लिये प्रबन्ध करना;

(ठ) किसी दुराचरण या उपेक्षा के लिये दोषी पाये गये परीक्षकों, परिमार्जको सारणीयकों, परितुलनकर्ताओं और मार्जकों को दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(ड) परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार करना और उन पर संस्तुति देना, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें।

3– परीक्षा–समिति, व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के परिषद् की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति के प्रार्थना–पत्र की छान–बीन के लिये एक उप–समिति नियुक्त करेगी।

अध्याय–छः "क"

परीक्षाफल समिति

1– परीक्षाफल समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा:–

(क) परिषद् का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा,

(ख) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय,

(ग) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य–सचिव होगा।

2– परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन, परीक्षाफल समिति का कर्तव्य होगा कि––

(1) अपने को आश्वस्त करने के पश्चात् कि परीक्षाफल सब मिलाकर तथा विभिन्न विषयों में सामान्य मापदण्डों के अनुरूप है, परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफलों की सन्निरीक्षा एवं उन्हें पारित करना तथा जहां आवश्यकता हो वहां विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक कम करना।

(2) प्रश्न–पत्रों के विरूद्ध आरोपों की सन्निरीक्षा करना जहां तक कि उनसे परीक्षाफल पर प्रभाव पडता है।

(3) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जो कियात्मक अथवा लिखित परीक्षा में एक अथवा दो प्रश्न–पत्रों में अथवा एक पूरे विषय में नहीं बैठ सके।

(4) उन परीक्षार्थियों के मामले में निर्णय करना जिन्होनें गलत प्रश्न–पत्रों के उत्तर दिये हों।

(5) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिन्हें केन्द्र अधीक्षकों द्वारा परीक्षा आरम्भ होने

के आधा घंटा पश्चात प्रविष्टि की अनुमति दी गयी है।

(6) किसी विशिष्ट परीक्षार्थी की परीक्षा के लिये की गयी विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय करना।

(7) उन मामलों में निर्णय करना जहां कुछ पर्याप्त कारणोंवश परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया था।

(8) उन मामलों में निर्णय करना जहां प्रश्न–पत्र निर्धारित समय से पूर्व खोले गये थे।

(9) उन उम्मीदवारों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिनकी उत्तर पुस्तकें खो गई हैं या जो सम्बद्व परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि से दो मास की अवधि के पश्चात् भी न मिल रही हों।

(10) उन मामलों में परीक्षाफल को रोकना, जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन पत्र में मिथ्या कथन किया हो या परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के उद्वेश्य से नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या परीक्षा के दौरान कपट या प्रतिरूपण किया हो या जो नैतिक पतन समन्वित अपराध या अनुशासनहीनता के दोषी पाये गये हों, जो परीक्षा केन्द्र पर घातक शस्त्र या चाकू लाये हों, या जिन्होंने परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर, परीक्षा–कक्ष/विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर, हमला किया हो, या हमला करने की धमकी दी हो या जिन्होनें अपभाषा का प्रयोग किया हो या जिन्होनें दोषपूर्ण या मिथ्या आधारों पर नियमों के उल्लंघन में श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त की हो और ऐसी ही अन्य आकस्मिकताओं में जहां ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, और

(11) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जिन्हें परिषद् समय–समय पर उसे प्रतिनिहित करें।

अध्याय – छः (ख)
अनुचित साधनों के मामलों के निस्तारण के लिए समितियाँ

*(1) परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में निस्तारण के लिए समितियां होगीं। ऐसी समितियों का गठन नीचे उल्लिखित प्रकार से अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। समितियों की संख्या अनुचित साधन प्रयोग के मामलों की संख्या के आधार पर अवधारित होगी––

(एक) परिषद् का एक सदस्य/शिक्षा विभाग के प्रथम श्रेणी का एक कार्यरत् अधिकारी, जो समिति का संयोजक होगा।

(दो) पाठ्यक्रम समितियों का एक विषय विशेषज्ञ जो समिति का सदस्य होगा।

(तीन) परिषद् के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट परिषद् के उपसचिव/सहायक सचिव, इसी स्तर के शिक्षा विभाग के अन्य कार्यरत् अधिकारी।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समिति द्वारा निस्तारित किए जाने वाले कार्य का आवंटन यथा समय सचिव द्वारा किया जायेगा।

(2) परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये विनियम–1 में निर्दिष्ट समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें:–

**1– ऐसे मामलों पर जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन पत्र में मिथ्या कथन किया हो या किसी परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के निमित्त नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या अनुदानित परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने के बजाय अनाधिकृत ढंग से अथवा जालसाजी से केन्द्र परिवर्तन कराकर या स्वेच्छा से किसी अन्य परीक्षा केन्द्र से सम्मिलित हुआ हो या संस्थागत् छात्र अथवा व्यक्तिगत् अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र भरने के पश्चात् प्रावधानों के प्रतिकूल विद्यालय परिवर्तन किया हो अथवा परीक्षा में कलम, पेन्सिल अथवा ड्राइंग/ज्यामितीय उपकरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अविहित सामग्री मुद्रित अथवा हस्तलिखित अपने पास रखने का दोषी पाया गया हो, अथवा परीक्षा में किसी भी माध्यम से अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या सचल दल, केन्द्र व्यवस्थापक अथवा कक्ष निरीक्षक द्वारा नकल करने अथवा अविहित सामग्री रखने का दोषी पाया गया हो परीक्षा के दौरान कपट या समन्वित किसी अपराध या अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो या जो परीक्षा केन्द्र पर घातक शस्त्र या चाकू लाये हों या जिन्होनें परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर परीक्षा कक्ष/विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर हमला किया हो या हमला करने की धमकी दी हो या अपभाषा का प्रयोग किया हो या दोषपूर्ण अथवा मिथ्याधारों पर नियमों का उल्लंघन कर किसी श्रुतलेखक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित हुए हों या उत्तर पुस्तिका में हेरा–फेरी की हो या उत्तर पुस्तिका नष्ट कर दी हो या उत्तर पुस्तिका लेकर भाग गया हो अथवा एक परीक्षा वर्ष में एक से अधिक विद्यालयों से संस्थागत् अथवा व्यक्तिगत् अथवा दोनों प्रकार के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरा हो या इन्हीं आधारों पर परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, विचार करना और शास्ति देना जो निम्नलिखत में से कोई एक या अधिक हो सकती है––

(क) परीक्षार्थी की संबंधित परीक्षा/परीक्षाफल को निरसित करना।

(ख) सम्बन्धित परीक्षा, उत्तरवर्ती परीक्षा से जिनमें परिषद् की उच्चतर परीक्षा भी सम्मिलित है, परीक्षार्थी को अपवर्जित करना।

(ग) परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र परीक्षार्थी से वापस लेना।

टिप्पणी––

उपर्युक्त् विनियमों में प्रयुक्त अविहित सामग्री का तात्पर्य परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में कलम, पेन्सिल अथवा ड्राइंग/ज्यामितीय उपकरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री मुद्रित अथवा हस्तलिखित सामग्री रखना अविहित सामग्री मानी जायेगी।

---

* दिनांक 07–11–1998 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद्–9/440 दिनांक 31–10–1998 द्वारा संशोधित।

** दिनांक 06–10–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद्–9/430 दिनांक 22–09–2001 द्वारा संशोधित

2– केन्द्र अधीक्षक, संस्था के प्रधान, अन्तरीक्षक, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरूद्व परिषद् की परीक्षा में की गई उनकी किसी चूक, उपेक्षा या अनियमितता पर विचार करना और उनमें से किसी को दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

3– ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो पूर्ववर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, किन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे सम्बन्धित है, और

4– ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जिन्हें परिषद् समय–समय पर उसे प्रतिनिहित करें।

3– विनियम–2 में निर्दिष्ट मामलों में व्यवहार की जाने वाली प्रकिया वैसी होगी, जैसी परिषद् विहित करे किन्तु किसी परीक्षार्थी या व्यक्ति को शास्ति या दण्ड दिये जाने के पूर्व, जब तक कि उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, परीक्षार्थी या सम्बद्व व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करना असाध्य न हो, उसे अभिकथित आरोप के संबंध में, अपने आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा।

4– विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की मुख्य परीक्षा से सम्बन्धित विनियम–2 के खंड (एक) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी मामले का, जो ऐसी परीक्षा के अनुवर्ती दिसम्बर की समाप्ति तक समिति द्वारा अनिरस्तारित रह गया हो, निस्तारण परीक्षा–समिति द्वारा किया जायेगा।

5– जहां सरकार के शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या किसी डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के विरूद्व कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो, वहां परिषद् सम्बद्व कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए उस मामले को शिक्षा विभाग के अध्यक्ष या संस्था या डिग्री कालेज के प्रधान या सम्बद्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्दिष्ट करेगा।

---

* अध्याय–सात

(परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता)

1– मान्यता समिति या समितियों का गठन निम्नवत् होगा––

(1) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा कि इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः वर्गो में से प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय।

(2) परिषद् के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय सचिव पदेन समिति के सदस्य सचिव होगें:

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव यदि वे खण्ड (2) के अन्तर्गत् नाम निर्दिष्ट न भी हों, और सम्बन्धित सम्भाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक निरपवाद रूप से समितियों की बैठक में सम्मिलित होगें, जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।

टिप्पणी---

परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालयों पर होगी:

2-- परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें--

(1) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मान--दण्ड और नियम विहित करना :

प्रतिबन्ध यह है कि यह मान--दण्ड और नियम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगें,

(2) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना.

(3) संस्थाओं के प्रधान और अध्यापकों के पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हताओं से छूट देने के आवेदन पत्रों पर परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विचार करना और उसके सम्बन्ध में संस्तुति करना, और

(4) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किये जायें।

स्पष्टीकरण-

पद "मान्यता प्रदान करना" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए प्रथम बार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने में है।

3-- (क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिया जायेगा जो सम्यक् रूप से भरा गया और सम्बद्व अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं को खोलने का प्रस्ताव हो, पूर्ववर्ती वर्ष की 31 अगस्त तक परिषद् के सचिव के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र की दो प्रतियां सम्बद्व संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को शीध्र भेजी जानी चाहिए।

3-- (ख) मान्यता प्रदान किये जाने के लिए आवेदन पत्र परिषद् के सचिव द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन--शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किये जाने के साक्ष्य स्वरूप कोषागार चालान न लगा हो--

	रूपये
(एक) प्रथम बार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये मान्यता के निमित्त।	10,000.00
(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त।	5,000.00
(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वन टाइम मान्यता के निमित्त	10,000.00
(चार) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त न्यूनतम रू0–5000.00 के अधीन रखते हुए रूपये–2500.00 प्रति विषय।	प्रतिवर्ग

(ग) 31 अगस्त के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को केवल प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए 500 रू0 का विलम्ब शुल्क का भुगतान करने पर ही ग्रहण किया जायेगा, किन्तु 30 नवम्बर के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(ड) राज्य सरकार द्वारा अनरक्षित संस्थाओं को आवेदन शुल्क या विलम्ब शुल्क से छूट रहेगी।

(च) किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी यदि प्रस्तावित हाईस्कूल की प्रशासन योजना निदेशक द्वारा अनुमोदित न हुई हो। परन्तु ऐसी नवीन संस्थायें जहां पर जूनियर कक्षायें संचालित नहीं की जा रही हैं अथवा जिन्हें जूनियर हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त नहीं है, वे हाईस्कूल (कक्षा–9,10) की कक्षाओं हेतु सीधे मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रस्तावित नीचे सीधे नवीन हाईस्कूल के लिए उसकी प्रशासन योजना परिषद् के सचिव को मान्यता प्रदान किये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हो।

(छ) निरस्त।

4– विनियम 3 के खंड (क) के अधीन मान्यता के लिए आवेदन पत्र की दो प्रतियां प्रापत होने पर निरीक्षण ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, आवेदन पत्र की एक प्रति पर मान्यता के लिए संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर तक आख्या देगा/देगी और संस्तुति करेगा/करेगी और उसे परिषद् के सचिव के पास भेजेगा/भेजेगी और आवेदन पत्र की अन्य प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रखेगा/रखेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि मान्यता समिति के समक्ष मान्यता प्रदान करने के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक से निम्न पद का न होगा, जहां आवश्यक हो मान्यता प्रदान करने के लिए संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनी आख्या दे सकता है और संस्तुति कर सकता है:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि केवल कम्प्यूटर विषय को मान्यता के संदर्भ में संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कि उनके संस्था में कम्प्यूटर शिक्षा मानकीय अपेक्षानुसार दी जा रही है तथा इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दी गयी हो तो ऐसी संस्थाओं को कम्प्यूटर विषय की मान्यता पत्र निर्गत कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना मान्यता समिति को उसकी अगली बैठक में दी जायेगी।

5- मान्यता के लिए आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से रहेगें, जिन पर निरीक्षण प्राधिकारी अपनी आख्या एवं संस्तुति देगें--

(क) क्या उस स्थान में संस्था के लिए वास्तविक आवश्यकता है,

(ख) प्रबन्ध निकाय का संविधान यदि कोई हो,

(ग) प्रबन्धक-मंत्री अथवा पत्र-व्यवहार करने वाले का नाम जैसे स्थिति हो,

(घ) अध्यापकों की योग्यतायें तथा उनके वेतन की दरें,

(ड़) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है,

(च) शिक्षण के विषय अथवा विषयों के नाम, संसथा जिनकी व्यवस्था करना चाहती है,

(छ) कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था,

(ज) छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन और अनुशासन तथा क्रीड़ा क्षेत्र की व्यवस्था,

(झ) संस्था की वित्तीय स्थिति तथा आय स्त्रोत एवं धनराशि,

(ञ) लिए जाने वाले शुल्क की दर तथा निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिए प्राविधान यदि कोई हो,

(ट) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा में खंड में छात्रों की संख्या,

(ठ) पर्याप्त साज-सज्जा तथा उपकरण की अपेक्षित व्यवस्था की जाय,

(ड़) पर्याप्त पुस्तकालय की अपेक्षित व्यवस्था की जाय,

(ढ़) विगत् दो वर्षो का हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा का वर्गवार परीक्षाफल जिसमें सम्मिलित और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षाफल में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत, जहां संस्था ने उपर्युक्त् परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार भेजें हों, दिया जायेगा।

6- कोई अन्य सूचना जो परिषद् आवेदन पत्र के सम्बन्ध में मांगे, संस्था निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करेगी।

7– निरीक्षण प्राधिकारी अपनी आख्या प्रेषित करते समय यह उल्लेख करेगा कि उसके विचार से मान्यता दी जाय अथवा नहीं तथा किन विषयों में और किन शर्तो पर दी जाय।

8– प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करेगी––

(क) वह हाईस्कूल के सम्बन्ध में विभाग के निरीक्षक अधिकारियों द्वारा तथा इण्टरमीडिएट कालेज के सम्बन्ध में विभाग के निरीक्षंण अधिकारियों द्वारा जिनके साथ निदेशक औपचारिक निरीक्षण के लिए विनियम चार में उल्लिखित सूची में सक एक अथिा अधिक व्यक्तियों को सहयुक्त कर सकता है निरीक्षण कराने को तैयार रहेगी।

(ख) समस्त सूचना तथा परिलेख, जो विभाग अथवा परिषद् द्वारा मांगे जायेगें यथाविधि प्रस्तुत किये जायेगें।

(ग) यह शिक्षा संहिता के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते हैं तथा अधिनियम और विनियमों से असम्बद्व नहीं है तथा विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार कार्य करेगी।

(घ) एक संस्था का संदान (एन्डाउमेन्ट) निम्न रूपों में हो सकता है:

(1) नकद (फिक्सड डिपाजिट) अथवा दसवर्षीय सुरक्षा जमा प्रमाण–पत्र अथवा दसवर्षीय ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण–पत्र अथवा इसी प्रकार के अन्य रूपों में जिनमें ब्याज वास्तव में प्रतिवर्ष दिया जाता है कई वर्षो के लिये एकत्र नहीं होने दिया जाता है अथवा (2) अचल सम्पत्ति के रूप में जिसमें पर्याप्त आय होती हो। संदान की वार्षिक आय पर उपार्जित ब्याज संस्था का पोषण–कोष में प्रबन्ध द्वारा नियमित रूप से जमा किया जायेगा। संदान संस्था के नाम में और समस्त भारों से मुक्त होना चाहिये। यदि नकद अथवा ऊपर के (1) में वर्णित रूपों में हो तो संदान सम्बन्धित निरीक्षक के पद के नाम से प्रतिश्रुत (प्लेज्ड) किया जाना चाहिए। अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रबन्धक अथिा अन्य प्राधिकारी की, जो संस्था की ओर से सम्पत्ति को बेचने में सक्षम् हो, सम्पत्ति का इकरारनामा निरीक्षक के पक्ष में यह प्रण करते हुए करना होगा कि कथित सम्पत्ति प्राधिकारी को बिना लिखित आज्ञा के स्थानान्तरित अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी और इसी आशय का शपथ–पत्र भी लेना होगा।

टिप्पणी–

इन संस्थाओं को जिनका संदान जमींदारी उन्मूलन बार्डो के रूप में है, इस संशोधित विनियम के प्रारम्भ होने से पांच–पांच वर्ष का समय दिया जायेगा, जिससे अब स्वीकृत रूपों में से किसी में धर्मस्व को पूरा कर दे।

(ड) संस्था का आरक्षित कोष नकद अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में रहेगा तथा निरीक्षक के पदनाम से प्रतिभूति कर दिया जायेगा।

(च) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जायें वह किसी प्रतिद्वन्द्वी परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के लिए परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हो। यह शर्त मान्यता प्राप्त आंग्ल भारतीय विद्यालयों के सम्बन्ध में इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा पर लागू नहीं होगी।

(छ) वह छात्रालय वासियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं देखभाल की तथा अपने परिसर की सफाई की सामान्यता उचित व्यवस्था करेगी।

(ज) वह परिषद की परीक्षाओं के संचालन (परिषद के संकलन एवं मूल्यांकन आदि सम्मिलित हैं) के लिये परिषद/विभाग द्वारा मांग जाने पर अपने शिक्षक वर्ग, भवन एवं उपस्कर आदि को परिषद के अधीन प्रस्तुत कर देगी तथा परिषद द्वारा प्रदत्त समस्त निर्देश/आदेश का अनुपालन करेगी।

(झ) बालिकायें बालकों की संस्थाओं में निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं प्रविष्टि की जायेंगी।

(ञ) वह बिना निरीक्षक की अनुमति के कक्षायें विद्यालय सीमा के बाहर नहीं लगायेंगी।

(ट) वह किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षा नहीं खोलेगी जब तक कि परिषद से मान्यता न प्राप्त हो जाय।

9- यदि परिषद् सन्तुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता की सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाली सूची में प्रविष्ट कर ले तथा सचिव संस्था और सम्बन्धित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन-किन विषयों में किन शर्तों पर तथा किन परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्राप्त हुई है।

उपबन्ध यह है कि परिषद साधारणतः उस संस्था को अपनी परीक्षाओं के लिए मान्यता देने से मनाकर देगी जहां निरीक्षक ने अपनी संस्तुतियां रोक दी हों।

10- कोई संस्था, जिसे परिषद् द्वारा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद् की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद् के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद संस्था को ऐसी शर्तों पर बन्द किए जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को जिसे वह उचित समझे अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

11–(क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16–घ के खंड की उपधारा (3) के अन्तर्गत् किसी संस्था का मामला परिषद् को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है, तो परिषद्, विभाग के द्वारा प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरूद्व ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम 11 (क) के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रबन्ध के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् परिषद् या तो उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त संस्था की सूची में से काट देगी अथवा सचिव को निदेशक के द्वारा उस संस्था के प्रबन्धक को चेतावनी देने का आदेश देगी कि जब तक परिषद् द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को दूर नहीं करती है, उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में से काट दिया जायेगा अथवा एक अथवा वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) यदि ऊपर के विनियम 11 (ख) के अनुसार परिषद् द्वारा नियत अवधि के भीतर अथवा इतने अतिरिक्त समय के भीतर जो उसके द्वारा दिया जाय, संस्था विभाग के द्वारा अनुपालन की आख्या देने में तथा परिषद् का यह आश्वस्त करने में कि वह यथावांछित हो रही है, असमर्थ होती है, तो परिषद् उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची से काट देगी अथवा एक अथवा अन्य वैकल्पिक विषयों में उसकी मान्यता का प्रत्याहरण कर लेगी।

(घ) मान्यता हेतु निर्धारित शर्तो के पालन नहीं करने की स्थिति में अथवा परिषद् के निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में निरीक्षक/मण्डलीय शिक्षाधिकारियों की संस्तुति पर अथवा परिषद् के सचिव/क्षेत्रीय सचिव के मान्यता प्रत्याहरण के प्रस्ताव पर मान्यता समिति विचार करेगी।

12– परिषद्, निदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था की मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों/परीक्षार्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

13– इन विनियमों में जो कुद है उसके होते हुए भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान वैकल्पिक विषयों में उन्हें छोड़कर जिनमें परिषद् ने पहले से हाईस्कूल परीक्षा के लिए कक्षा 9 और 10 में सीमा निर्धारित कर दी है दूसरी मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उन कक्षाओं में पढने वाले छात्रों को प्रविष्ट कर सकते हैं, जिनमे वे वैकल्पिक विषय नहीं पढ़ाये जाते हैं, इस प्रकार प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या सम्बन्धित संस्थाओं के प्रधानों द्वारा कक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन नियत की जाएगी।

पाद टिप्पणी–

मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जाएगी जिस तिथि से संस्थाधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को कक्षा खोलने की लिखित सूचना देते हैं।

परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानक

भवन-- संस्था के पास प्रत्येक कक्ष के लिए निम्नलिखित माप के पक्के कक्ष होंगे--

(क) 8 मी0X6 मी0 या 48 वर्ग मीटर के (विशेष परिस्थितियों में चौड़ाई 5 मी0 तक मान्य हो सकता है परन्तु फर्श का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 41 वर्ग मीटर (पर्वतीय तथा अविकसित क्षेत्र के एवं बालिका विद्यालयों के लिए तथा जिन विद्यालयों में कुल छात्र संख्या के 50 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्ययनरत् है, के लिए 36 वर्गमीटर से कम नहीं होगा) किन्तु पुराने कक्ष 36 वर्ग मीटर (पर्वतीय तथा अविकसित क्षेत्रों के एवं बालिका विद्यालयों के लिए तथा जिन विद्यालयों में कुल छात्र संख्या के 50 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थी अनुसूचित/जनजाति के अध्ययनरत् है के लिए 32 वर्ग मी0 मान्य समझे जायेंगे)।

(ख) हाईस्कूल की मान्यतार्थ वैकल्पिक विषयों के लिए एक कक्ष (आकार में 6 मीटर X 5 मीटर या क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर)।

(ग) 2 प्रशासकीय कक्ष (4 मी0 X 3 मी0)

(घ) प्रयोगशाला जहां आवश्यकता हो प्रत्येक विषय के लिए 9 X 6 मीटर हाईस्कूल विज्ञान हेतु एक गृह विज्ञान हेतु एक तथा इण्टर के प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के लिए एक--एक एवं गृह विज्ञान हेतु एक प्रयोगशाला होनी चाहियें।

(ड) संगीत, नृत्य तथा कला के लिए एक कामन कक्ष होना आवश्यक है जो आकार में वैकल्पिक कक्ष के समान 6 X 5 मीटर।

(च) किराये के भवन विशेष परिस्थिति में 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगर क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर जहां स्थानाभाव है तथा मान्यता प्रदान करना अति आवश्यक हो, मान लिया जाय, यदि 5 वर्ष के अधिक का लिखित अनुबन्ध उपलब्ध हो। परन्तु इन संस्थाओं के लिए आवश्यक होगा कि वे कम से कम 5 वर्ष के अन्दर अपना भवन अवश्य बना लें। नई मान्यता देते समय किराये के भवन पर विचार न किया जाय।

प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक वर्ग तथा छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा मूत्रालय की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिय।

कीड़ा स्थल--

प्रत्येक नवीन मान्यता के इच्छुक विद्यालय में खेल-कूद तथा शारीरिक व्यायाम हेतु समुचित व्यवस्था विद्यालय में या उसके समीप होना आवश्यक होगा।

नवीन हाईस्कूल--

1- प्रथम बार हाईस्कूल के लिये सुरक्षित कोष, प्राभूत तथा प्रशासन योजना को प्रस्तुत किये जाने के प्रतिबन्धों से किसी प्रकार की शिथिलता न दी जायेगी।

2- विद्यालय में निम्नलिखित की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये–7

क- काष्ठोपकरण।

ख- पाठ्य सहयोगी पुस्तकों से उक्त पुस्तकालय।

ग- शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक अपेक्षित शिक्षण सामग्री।

घ- वाणिज्य, कृषि, सिलाई विषय के अध्यापन हेतु अपेक्षित आवश्यक उपकरण की व्यवस्था।

3 छात्र संख्या आस–पास के जूनियर हाईस्कूल के विद्यालयों से अपेक्षित छात्र संख्या कक्षा–9 में प्रवेश हेतु उपलब्ध हो जाय।

नवीन इण्टरमीडिएट

1 प्रामृत सुरक्षित कोष तथा प्रशासन योजना के प्रतिबन्धों की पूर्ति मान्यता के विषय पर विचार करने से पूर्व ही हो जाय।

2- इण्टरमीडिएट के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय अपेक्षित छात्र संख्या को ध्यान में रखा जाय।

3- गत दो वर्षों का हाईस्कूल का आवेदित वर्ग का औसत परीक्षाफल 40 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो तथा विद्यालयों के सभी वर्गों को मिलाकर कुल औसत परीक्षाफल 40 प्रतिशत से (सभी प्रविष्ट और उसमें से उत्तीर्ण सभी छात्रों का आधार मानकर) कम न हो।

4 विद्यालय में निम्नलिखित का समुचित व्यवस्था होनी चाहिये––

क- काष्ठोपकरण।

ख- पाठ्य सहयोगी पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय।

ग- शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक अपेक्षित शिक्षण सामग्री।

घ- प्रयोगात्मक कार्य वाले विषयों के लिए साज–सज्जा।

इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग––

(1) हाइस्कूल की प्रयोगशाला के अतिरिक्त प्रयोगात्मक विषयों के लिए अलग–अलग पूर्ण व्यवस्था हो।

(2) हाईस्कूल के लिए यन्त्रादि के अतिरिक्त इण्टरमीडिएट के लिए अपेक्षित यन्त्रादि क्रय किये जा चुके हैं।

इण्टरमीडिएट रचनात्मक वर्ग––

प्रत्येक शिल्प के लिए प्रयोगशाला तथा न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाय।

इण्टरमीडिएट गृह विज्ञान––

एक प्रयोगशाला 9 X 6 मीटर की, विशेष परिस्थिति में चौड़ाई 5 मीटर तक मान्य हो सकती है।

इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग---

1- प्रयोगशालायें (यदि वैज्ञानिक वर्ग के अन्तर्गत निम्न विषयों में विद्यालय मान्यता प्राप्त न हो)---

अ- भौतिक विज्ञान 9 मी0 x 6 मी0

ब- रसायन विज्ञान 9 मी0 x 6 मी0

स- जीव विज्ञान 9 मी0 x 6 मी0

2- कृषि कक्ष 7.2 मी0 x 6 मी0।

3- कृषि के उपकरण वैज्ञानिक सामग्री एवं यन्त्रादि।

4- काष्ठोपकरण।

5- पशुशाला।

6- सिंचाई के साधनों से युक्त कृषि योग्य अच्छी उपजाऊ भूमि कम से कम एक एकड़।

सामान्य नियम

1- मान्यतायें- शत्-प्रतिशत अध्यापक परिषद् की योग्यता सूची के अनुसार निर्धारित योग्यता से युक्त होने चाहिए।

2- इण्टरमीडिएट की मान्यता उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक हाईस्कूल के दो वर्षों का परीक्षा परिणाम उपलब्ध न हो जाय।

3-(क) वित्तीय प्रबन्ध के लिये हाईस्कूल के लिए 15,000 रू0 के तथा इण्टरमीडिएट कालेज के लिए 5,000 रू0 के अतिरिक्त संदान का प्रावधान करना आवश्यक होगा, जिससे कम से कम क्रमश: 900 रू0 तथा 1200 रू0 की वार्षिक आय हो।

(ख) प्रबन्ध के लिए हाईस्कूल के लिए 3,000 रू0 की तथा इण्टरमीडिएट कालेज के लिए 2,000 रू0 की अतिरिक्त धनराशि निरीक्षक के पद में प्रतिश्रुत होना चाहिए।

4- इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों की मान्यता हेतु इण्टरमीडिएट के उस वर्ग का, जिसमें मान्यता आवेदित हो, परीक्षाफल 40 प्रतिशत हो तथा विद्यालय का सभी वर्गों का मिलाकर कुल औसत परीक्षाफल 40 प्रतिशत से कम न होगा। साथ ही जिस वर्ग या विषय की मान्यता आवेदित है, उसी वर्ग विषय की शर्तों की पूर्ति मान्यता हेतु आवश्यक है न कि पूर्व में आवेदित वर्ग या विषय की।

5 उन विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जहां शासकीय अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा हो, अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

6– हाईस्कूल की नवीन मान्यता वनटाइम दी जायगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता सर्वप्रथम केवल छः विषयों में प्रदान की जायेगी। यदि शर्ते पूर्ण हैं तो वन टाइम मान्यता दी जा सकती है।

7– विद्यालयों को एक बार में इण्टरमीडिएट की मान्यता उन समस्त वर्गो में दी जा सकती है जिनके लिए वह अपेक्षित शर्तो की पूर्ति करता हो।

8– उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद् के नियम संग्रह (केलेन्डर) के अध्याय सात के विनियमों में निर्धारित सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति आवश्यक होगी। ये नियम परिषद् द्वारा पूर्व निर्धारित अन्य शर्तो के, यदि वे इन नियमों के प्रतिकूल न हों, अतिरिक्त होगें।

9– जिस वर्ष कक्षा खोलने हेतु मान्यता आवेदित हो उस वर्ष की 31 दिसम्बर के बाद उपरोक्त किन्हीं भी प्रतिबन्धों की पूर्ति की दिशा में की गई प्रगति पर मान्यता देते समय विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक मान्यता के समस्त प्रकरणों पर निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा। 30 जून के पश्चात् मान्यता के किसी प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

10– पूर्व प्रदत्त किसी वर्ग/विषय की मान्यता, जिसमें कक्षा संचालित न की गई हो अथवा कुछ समय तक कक्षा संचालित करने के बाद बन्द कर दी गई हो तो कक्षा संचालित न करने की दशा में मान्यता पत्र निर्गत होने के दो वर्ष तक और यदि कक्षा संचालित करने के बाद बन्द कर दी गई हो तो कक्षायें बन्द होने के दो वर्ष तक ही प्रभावी रहेंगी। इस अवधि में कक्षायें संचालित नहीं की जाती तो प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

11– छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, साज–सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जा सकता है, परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता–पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक की प्रदान की जा सकती है।

12–(अ) इण्टरमीडिएट वन टाइम मान्यता हेतु प्रत्येक संस्था पूर्ववर्ती सामान्य नियमों का पालन करते हुए निम्नांकित शर्तो का अनुपालन करेगी–7

(1) मानविकी वर्ग के साथ वैज्ञानिक, वाणिज्य तथा कृषि वर्ग को वन टाइम मान्यता प्रदान की जायेगी यदि विद्यालय इस हेतु सभी शर्तो को पूरा करता हो तथा इस निमित्त निर्धारित शुल्क वर्गवार राजकीय कोष में जमा कर दिया गया हो।

(2) वन टाइम मान्यता हेतु गत् दो वर्षो का हाईस्कूल का परीक्षाफल 45% (प्रतिशत) से किसी भी दशा में कम न हो। परीक्षाफल केवल सम्मिलित एवं उत्तीर्ण छात्रों के आधार पर देखा जायेगा।

(३) वन टाइम मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था को आवेदित वर्ग के सभी विषयों में मान्यता स्वतः प्रदत्त समझी जायेगी।

(ब) मानक एवं शर्तें

पूर्ववर्ती शर्तों / मानकों के रहते हुए वन टाइम मान्यता हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नांकित का होना अनिवार्य होगा––

(क) मानविकी वर्ग–––

1– दो शिक्षण कक्ष––	8X6 मीटर माप का
2– गृह विज्ञान, भूगोल, सैन्य विज्ञान कम्प्यूटर विषय हेतु	9X6 मीटर माप का अलग––अलग
3– काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, चर्मशिल्प तथा सिलाई विषय हेतु	8X6 मीटर माप का अलग––अलग

4–– उपर्युक्त के अतिरिक्त एक वैकल्पिक कक्ष आवश्यक होगा।

(ख) वैज्ञानिक वर्ग :

(1) 8X6 मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कम्प्यूटर विषय हेतु 9X6 मीटर माप के कक्षों का अलग––अलग होना आवश्यक होगा।

(2) एक कक्ष वैकल्पिक कक्ष के रूप में 6X5 मीटर का होना आवश्यक होगा।

(3) हाईस्कूल के वैज्ञानिक यंत्रादि के अतिरिक्त इण्टरमीडिएट के लिए अपेक्षित यंत्रादि विज्ञान एवं कम्प्यूटर हेतु क्रय किये जा चुके हों।

(ग) वाणिज्य वर्ग

(1) 8X6 मीटर माप के दो शिक्षण कक्षा तथा 6X5 मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(2) यदि मान्यता कम्प्यूटर सहित है तो 9X6 मीटर माप की एक प्रयोगशाला होनी आवश्यक होगी।

(3) वाणिज्य वर्ग तथा कम्प्यूटर के लिए अपेक्षित यंत्रादि / सामग्री होना आवश्यक होगा।

(घ) कृषि वर्ग

(1) 8X6 मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान हेतु 9X6 मीटर माप के कक्षों को अलग–अलग होना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त 7.2 x6 मीटर माप का एक कृषि कक्ष होना अनिवार्य होगा।

(2) कृषि के उपकरण, वैज्ञानिक सामग्री एवं यंत्रादि, काष्ठोपकरण, पशुशाला तथा सिंचाई के साधनों से युक्त कृषि योग्य उपजाऊ भूमि न्यूनतम एक एकड़ होना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी–––

उपर्युक्त मानकों में उल्लिखित "पर्वतीय तथा अविकसित क्षेत्र" के अन्तर्गत् निम्नलिखित क्षेत्र माने जावेगें :––

1– पर्वतीय क्षेत्र– अल्मोडा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी–गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों का सम्पूर्ण क्षेत्र, नैनीताल जनपद में तराई क्षेत्र को छोडकर शेष भाग तथा देहरादून जनपद की केवल चकराता तहसील।

2- अविकसित क्षेत्र--

(क) बुन्देलखण्ड।

(ख) इलाहाबाद, इटावा, आगरा तथा मथुरा जनपदों के ग्रामीण अचल का ट्रांस यमुना क्षेत्र।

(ग) मिर्जापुर जनपद का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है।

(घ) मिर्जापुर जनपद में राबर्ट्सगंज का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है।

(ड) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी बालाम पहाड़।

(च) मिर्जापुर जनपद के परगना सक्तेशगढ और चुनार के परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के ग्राम।

---

*दिनांक 29-7-2000 के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/129 दिनांक 15 जुलाई, 2000 द्वारा संशोधित तथा दिनांक 28-09-2002 के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/396 दिनांक 26 सितम्बर, 2002 द्वारा पुनः निम्नवत् संशोधित :-

---

अध्याय-सात

|परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता|

{1} मान्यता समिति या समितियों का गठन निम्नवत् होगा-

(क) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय।

(ख) परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव पदेन समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव यदि वे खण्ड(ख) के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट न भी हो और संबंधित सम्भाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक समितियों की बैठक में सम्मिलित होंगे,अब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।

टिप्पणी परिषद की मान्यता समिति की बैठक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0, इलाहाबाद स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों पर होगी।

{2}- परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(एक) (क) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और नियम विहित करना,

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता प्रत्याहरित करने के सम्बन्ध में नियम बनाना;

प्रतिबन्ध यह है कि मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात ही प्रभावी होगी।

(दो) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना,

(तीन) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना, जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किए जाय।

स्पष्टीकरण- "मान्यता प्रदान करना" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए प्रथमबार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है।

*(3) (क) किसी संस्था द्वारा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्वि–वार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा, जो सम्यक् रूप से वांछित प्रमाण–पत्रों सहित भरा जायेगा और सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस वर्ष के, जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुँच जानी चाहिए। आगामी 1 जनवरी से 31 मार्च तक निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे।

उदाहरणार्थ - यदि कोई संस्था जुलाई, 2004 से कक्षा–9 की कक्षायें संचालित करना चाहती है, तो उसको 31 दिसम्बर, 2003 तक बिना विलम्ब शुल्क के अथवा 31 मार्च, 2004 तक विलम्ब शुल्क के साथ मान्यता हेतु आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर ऐसी संस्था को जुलाई, 2004 से प्रारम्भ होने वाले द्वि–वार्षिक परिषदीय सत्र से वर्ष 2006 की परीक्षा हेतु मान्यता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी संस्था द्वारा 31 मार्च के बाद मान्यता हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराया जाता है तो उस प्रार्थना पत्र पर अगले वर्ष प्रारम्भ होने वाले द्वि–वार्षिक सत्र हेतु ही मान्यता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी संस्था द्वारा 31 मार्च के बाद मान्यता हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराया जाता है तो उस प्रार्थना पत्र पर अगले वर्ष प्रारम्भ होने वाले द्वि–वार्षिक सत्र हेतु ही मान्यता पर विचार किया जायेगा। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 के मध्य में जो भी आवेदन पत्र मान्यता हेतु प्राप्त होगें उनके मान्यता के प्रकरण पर जुलाई, 2005 से प्रारम्भ होने वाले द्वि–वार्षिक परिषदीय सत्र जिसकी परीक्षा वर्ष 2007 में होगी, हेतु विचार किया जायेगा।

*(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा :–

1--	15 नवम्बर तक प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की सूची	18 नवम्बर तक
2--	31 दिसम्बर तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची	03 जनवरी तक
3--	01 जनवरी से 31 मार्च तक प्रापत आवेदन पत्रों की सूची (विलम्ब शुल्क सहित)	03 अप्रैल तक

*(ग)--मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन–पत्र स्वीकार नही किया जायेगा, जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किए जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो।

आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा:–

"0202--शिक्षा खेलकूद,कला तथा संस्कृति
01-- सामान्य शिक्षा
102-- माध्यमिक शिक्षा
10-- मान्यता शुल्क"

(एक)	प्रथमबार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये	--- 10,000/– रु0
(दो)	इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त–	5,000 रूपये
(तीन)	इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वन टाइम मान्यता के निमित्त-	10,000रूपये प्रतिवर्ग
(चार)	इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त	न्यूनतम 5,000 रूपये के अधीन रखते हुए 2,500 रूपये प्रति विषय

(पॉच) 01 जनवरी से 31 मार्च के मध्य जमा किये जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ निम्नांकित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा :–

(1) 01 जनवरी से 31 मार्च 2,000/-- रु0 तक।

(छः) राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष--पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन--पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

(ड) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को आवेदन से छूट रहेगी।

(च) हाईस्कूल के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु कोई आवेदन–पत्र ग्रहण नही किया जायेगा जब तक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक से प्रशासन योजना अनुमोदित न कर दी गई हो।

---

* दिनांक 19 जुलाई, 2003 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या: परिषद्–9/153 दिनांक 08 जुलाई, 2003 द्वारा विनियम 3(क), (ख), (ग) संशोधित।

'4(क) विनियम 3 के खण्ड(क) के अधीन मान्यता के लिए आवेदन–पत्र की दो प्रतियाँ प्राप्त होने पर निरीक्षक ऐसी स्थलीय जाँच करने के पश्चात् जिसे उचित समझे, आवेदन–पत्र की एक प्रति पर मान्यता के लिए संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 15 मार्च तक प्राप्त समस्त आवेदन–पत्रों पर अपनी आख्या देगा और संस्तुत करेगा और उसे परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास भेजेगा। आवेदन–पत्र की अन्य प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

(ख) निरीक्षक द्वारा केवल उन्हीं संस्थाओं के मान्यता आवेदन–पत्र स्वीकार किए जायेंगे जो परिषद् विनियमों/मानक/शर्तो के प्रावधानों के अनुकूल पूरित होंगे तथा जिनके साथ संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया गया शपथ–पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के विपरीत भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(ग) मान्यता समिति के समक्ष मान्यता आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उप शिक्षा निदेशक से निम्न पद का न होगा,संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध मे अपनी आख्या दे सकता है और संस्तुति कर सकता है।

/(5) संस्था द्वारा मान्यता के लिए आवेदन–पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगें तथा प्रत्येक विवरण पर निरीक्षण अधिकारी अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति देगें:–

(1) जिस विकास खण्ड में विद्यालय खोलने हेतु मान्यता का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उस विकास खण्ड के कुल हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या ।

(2) प्रबन्ध समिति का संविधान,यदि कोई हो।

(3) प्रबन्धक/मंत्री अथवा पत्रव्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम,जैसी स्थिति हो।

(4) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।

(5) शिक्षण के वर्ग/विषय अथवा विषयों के नाम,संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है।

(6) संस्था हेतु उपलबध भूमि/भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडा स्थल संस्था के नाम होने का निजी स्वामित्व के संबंध में रजिस्ट्री की प्रमाणित छाया प्रति अथवा परगनाधिकारी / तहसीलदार/ अपर तहसीलदार का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(7) प्रभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथा निर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।

(8) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या।

(9) संस्था के भवन का फोटो जो चारों दिशाओं से लिया गया हो।

(10) मानक के अनुसार साज--सज्जा,उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।

(11) मान्यता हेतु आवदन, करने वाले संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक होगा।

(12) मान्यता हेतु आवदन करने वाली संस्था इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7 कक के प्रावधानों को पूर्णतया अंगीकार करने तथा विद्यालय में पठन--पाठन हेतु शिक्षण की व्यवस्था स्वयं करने का प्रवन्ध रानिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(13) इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु विगत दो वर्षों का हाईस्कूल का परीक्षाफल,जिसमें सम्मिलित तथा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता हेतु विद्यालय के विगत दो वर्षों का इण्टरमीडिएट परीक्षा का वर्गवार पृथक--पृथक परीक्षाफल दिया जाना होगा।

(14) निरीक्षक नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के चारों दिशाओं के सम्मुख खडे होकर फोटो खिंचवायेगा, जिसकी प्रति निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी। निरीक्षण के समय संस्था की चहारदीवारी की फोटो भी दी जाय।

(15) संस्था के प्रवन्धक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में दस रूपये के स्टेम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दिया जाना होगा:-

"मै (पूरानाम)--------------------आत्मज---------------

प्रवन्धक ,विद्यालय का नाम ----------------------------------

शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि संस्था को-------------------

की मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण--पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, वे सभी सत्य है। संस्था का प्रयोग छात्रों के नियमित पटन-पाठन के लिए ही किया जायेगा तथा मान्यता प्राप्त होने पर

विभाग/परिषद् के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदनपत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गई मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी।

ह0 प्रबन्धक

संस्था का पूरानाम तथा पता

(16) मान्यता आवेदन–पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन–पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता आवेदित की गई है। आवेदित मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(17) संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी।

(18) हाईस्कूल की नवीन मान्यता वन–टाइम दी जायेगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता सर्वप्रथम केवल छः विषयों में प्रदान की जायेगी। यदि शर्तें पूर्ण हैं, तो वन–टाइम मान्यता दी जा सकती है। इण्टरमीडिएट स्तर पर वन–टाइम मान्यता ऐसे वर्गो के सभी विषयों में प्रदान की जा सकती है, यदि संस्था अपेक्षित अर्हता की पूर्ति करता हो।

(19) विद्यालय को एक बार में इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता उन समस्त वर्गो में दी जा सकती है,जिनके लिए वह अपेक्षित शर्तो की पूर्ति करता हों।

(20) जिला विद्यालय निरीक्षक 31 मार्च तक प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन – पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को उसी वर्ष की 31 मई तक प्राप्त करायेंगे।

(20अ) परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येकदशा में करा लिया जायेगा।

(21) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन को सशर्त मान्यता (प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ) प्रदान की गई है, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगली कक्षाओं/वर्ग/विषय के

मान्यता आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, जब तक शासन/परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति न कर दी गयी हो।

(22) संस्था मान्यता आवेदन–पत्र के संबंध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा माँगी गई समस्त सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेगी।

(23) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा हो,अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

(6) कोई अन्य सूचना जो परिषद द्वारा आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में माँगी जाय,संस्था निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से परिषद को प्रस्तुत करेगी।

(7) निरीक्षक अपनी आख्या में संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं, का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र अथवा टाउन एरिया का है। निरीक्षण अधिकारी आख्या की प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगें।

(8) संस्थाओं को मान्यता केवल हिन्दी माध्यम से शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी।

(9) परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्ते होंगी:-

(अ) हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे (कक्षा–9 –10) की मान्यता वन टाइम हेतु

(क) अनिवार्य शर्ते–

1– **पंजीकरण** – समिति का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

2– **प्रशासन योजना** – विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम् अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।

3– **प्राभूत कोष** -- प्राभूत कोष के रूप में 15,000–00 रू0 केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।

4– **सुरक्षित कोष** -- सुरक्षित कोष के रूप में 3000–00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा तथा निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा।

5– **भवन**– संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के पक्के कक्ष होगें :–

(क) 8×6मी0 या 48 वर्ग मीटर के दो शिक्षण कक्ष (कक्षा 9 –10 के लिये सीधे मान्यता हेतु) (बालिका विद्यालयों में 6×6मी0 या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष विशेष परिस्थिति में मान्य होगें) जो विद्यालय जूनियर स्तर की स्थाई मान्यता प्राप्त हैं

उनके लिये जूनियर के कक्षा–कक्षों के अतिरिक्त उक्त माप के दो कक्षों का होना अनिवार्य होगा।

(ख) 6×5मी0 या 30 वर्गमीटर के एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।

(ग) 4×3मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष ।

(घ) 9×6मी0 माप के विज्ञान एवं गृहविज्ञान हेतु अलग–अलग प्रयोगशाला कक्ष। जूनियर स्तर की स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये 9×6मी0 माप की जूनियर स्तर की एक प्रयोगशाला अलग से होना आवश्यक होगा।

(ड) 6×5मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का संगीत, सिलाई, कला, कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।

(च) 8×6मी0 या 48 वर्ग मीटर माप का पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय हेतु एक कक्ष।

भूमि– विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत् है :–

1– शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका /टाउन एरिया) में 1,000 वर्ग मीटर अथवा चौथाई एकड तथा

2– ग्रामीण क्षेत्र में 4,000 वर्ग मीटर अथवा एक एकड भूमि होना अनिवार्य है।

भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।

कीडास्थल :– शहरी क्षेत्र के लिये एक बालीबाल खेलने हेतु मैदान (162 वर्गमीटर से कम न होगा) तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिय 648 वर्गमीटर का मैदान होना अनिवार्य होगा। कीडास्थल विद्यालय परिसर में होना आवश्यक है।

6– **आवेदन शुल्क** – मान्यता हेतु निर्धारित आवदेन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा।

नोटः– उपर्युक्त् अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) **सामान्य शर्ते** :

1– **काष्ठोपकरण** – 80 सेट सज्जा होना अनिवार्य होगा तथा यह व्यवस्था जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त होगी।

2– शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।

3– **पुस्तकालय** – 3000–00 रू0 मूल्य के हाईस्कूल स्तरीय पुस्तकों (पाठ्य पुस्तकों से इतर) का होना आवश्यक होगा।

4-- सामान्य शिक्षण सामग्री: जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त हाईस्कूल स्तरीय 2000--00 रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।

5-- विज्ञान शिक्षण सामग्री: जूनियर कक्षाओं के अतिरिक्त हाईस्कूल स्तरीय 10,000/-- रू0 की वैज्ञानिक यंत्रादि/उपकरण होना आवश्यक है।

6-- गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री: रू0 5000/-- रू0 मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।

7-- संगीत, कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरण: रू0 5000--00 मूल्य के उपकरण होने आवश्यक होगें।

8-- छात्र संख्या: जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा- 6,7,8 में कम से कम 150 छात्र होने आवश्यक होगें (बालिका विद्यालयों में यह संख्या 85 से कम न होगी)।

टिप्पणी:

1- पुस्तकालय, सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री/उपकरण का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा इतनी ही धनराशि अलग-अलग मद में कवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बन्धक होने पर ही स्वीकार होगा।

2- निरीक्षक द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण निरीक्षक द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

(ब) इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग (~~केवल ... विषयों में~~) तथा अतिरिक्त विषय हेतु

(क) **अनिवार्य शर्तें** :-

1- पंजीकरण समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत् पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2-- हाईस्कूल को मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक होगा।

भवन:-

(क) प्रत्येक वर्ग के लिए (कक्षा 11 व 12 के लिए) 8 मी0×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष होने आवश्यक होगें। बालिका विद्यालयों के लिए कक्षा कक्षों की माप 8×5 मीटर या 40 वर्ग मीटर मान्य होगी।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु होना आवश्यक होगा।

(घ) कृषि वर्ग हेतु 1 एकड़ भूमि केवल विद्यालय के नाम होना अनिवार्य होगा।

(ड) विज्ञान एवं कृषि वर्ग हेतु प्रयोगशालायें कामन होगीं।

3– प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष: इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष 50,00/– तथा सुरक्षित कोष 2,000/– (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य है।

4– परीक्षाफल: गत दो वर्षो का हाईस्कूल का परीक्षाफल का औसत 40 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो तथा यदि मान्यता इण्टर अतिरिक्त वर्ग में आवेदित हो तो इण्टर स्तर पर मान्य सभी वर्गो को मिलाकर (हाईस्कूल के अतिरिक्त) औसत परीक्षाफल 40 प्रतिशत से कम न होगा। यह परीक्षाफल हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट में पृथक–पृथक केवल संस्थागत सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के आधार पर आगणित किया जायेगा।

नोट– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) **सामान्य शर्ते**

1– **छात्र संख्या** – इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या 150 अथवा कक्षा 9 तथा 10 में दो–दो उप विभाग होना आवश्यक होगा।

2– शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।

3– **काष्ठोपकरण** – कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए। वैज्ञानिक वर्ग के प्रत्येक विद्यालय के लिए तीन–तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक है।

4– **पुस्तकालय** – इण्टरमीडिएट स्तर के 5000/– मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) प्रत्येक वर्ग के लिए होना आवश्यक होगा।

5– **सामान्य शिक्षण सामग्री** – इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 2000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

6– **विज्ञान उपकरण** – इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग हेतु 25000/– रू0 मूल्य के विज्ञान उपकरण होना आवश्यक होगा।

7– **गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री** – इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 5000/– रू0 मूल्य की सामग्री होना आवश्यक होगा।

8– **कृषि उपकरण** – इण्टरमीडिएट कृषि हेतु 10000/– रू0 के उपकरण/कृषि यंत्रादि होने आवश्यक होगें।

9– कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

नोट-- इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व, प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) हेतु (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग)
मानविकी वर्ग हेतु

अनिवार्य शर्ते --

1- **पंजीकरण** -- समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2-- हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तों के साथ-साथ निम्नॉकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:--

भवन:--

क-- 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष । बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

ख-- 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर मापका एक वैकल्पिक कक्ष।

ग-- 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक नृत्य कला कक्ष।

घ-- 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का गृह विज्ञान, भूगोल, सैन्य विज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प तथा चर्म शिल्प आदि के लिए एक प्रयोगशाला अलग-अलग होना आवश्यक होगा।

ङ-- 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का एक कम्प्यूटर कक्ष जिसमें 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

3-- **प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध** -- इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोट-- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्ते:

1-- **काष्ठोपकरण** -- कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए।

2-- सौचालय एवं पीने के पानी के लिये हेण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।

3-- **पुस्तकालय** -- इण्टरमीडिएट स्तर के 5000/-- मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) होना आवश्यक होगा।

4— **सामान्य शिक्षण सामग्री** -- 2000/--रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

5— गृह विज्ञान, भूगोल, सैन्य विज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प तथा चर्म शिल्प – प्रत्येक विषय के लिए 5000/-- रू0 मूल्य की शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

वैज्ञानिक वर्गः

अनिवार्य शर्तेः—

1— **पंजीकरण** – समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत् पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2— हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ--साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः—

भवन :—

क— 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष 1 बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

ख— 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर मापका एक वैकल्पिक कक्ष।

ग— 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, विद्युत अभियंत्रण के तत्व/यांत्रिक अभियंत्रण के तत्व आदि के लिए अलग--अलग प्रयोगशालायें होना अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी। प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिवन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः— उपर्युक्त् अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तेः

1— काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

2— शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हेण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।

3— विज्ञान उपकरण हेतु 25000/— रूपये मूल्य का वैज्ञानिक उपकरण होना आवश्यक होगा।

4— प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजे होना आवश्यक होगी।

वाणिज्य वर्गः

अनिवार्य शर्तेः

1— **पंजीकरणः—** समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत् पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2– हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

भवन :

क– 8X6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6X6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

ख– 6X5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

ग– 9X6 मीटर या 54 वर्ग मीटर का एक कम्प्यूटर कक्ष अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

(दो)– प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः– उपर्युक्त् अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तेः

1– काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

2– शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।

कृषि वर्गः

अनिवार्य शर्ते :–

1– पंजीकरणः समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत् पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2– हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ–साथ निम्नॉकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः–

भवन :

1– 8X6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6X6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

2– 6X5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

3– 9X6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु।

4– 8X6 मीटर या 48 वर्ग मीटर मापका एक कृषि कक्ष।

5– सिंचाई के साधनों से युक्त कृषि योग्य उपजाऊ भूमि न्यूनतम एक एकड़।

(दो) प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

<u>सामान्य शर्तेः</u>

1– काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

2– शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।

3– कृषि के उपकरण एवं यंत्रादि हेतु 10000/– तथा वैज्ञानिक सामग्री एवं पशुशाला आदि के लिये 2500/– मूल्य के संसाधन होने आवश्यक होगें।

4– प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजें होनी आवश्यक होगी।

<u>कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/इण्टर)</u>

1– प्रयोगशाला में एक मशीन पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेगें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मशीनों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।

2– प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूपसे निम्नवत् होगी :–

क– प्रति विद्यालय 5 कम्प्यूटर (p_3) मशीन।

ख– एक DMP (132 कालम)।

ग– Ups प्रति मशीन 500 VA के आधार पर होना आवश्यक है।

घ– पाठ्यक्रम के अनुसार साफ्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है, जैसे – हाईस्कूल के लिए विन्डोज MS office G.W. basic इण्टरमीडिएट के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त Tarbsc, c++

ङ– प्रयोगशाला के लिए प्रति मशीन के लिए न्यूनतम 2½ वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला साफ सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।

च– प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

छ– प्रति कम्प्यूटर मशीन पर कार्य करने हेतु एक सामान्य मेज तथा दो स्टूल की आवश्यकता होगी।

3– छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं का आनुपातिक वृद्धि किया जाना चाहिए। केवल कम्प्यूटर विषय को मान्यता के संदर्भ में संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिये जाने पर कि उनके संस्था में कम्प्यूटर शिक्षा मानकीय अपेक्षानुसार दी जा रही है तथा इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दी गयी

हो तो ऐसी संस्थाओं की कम्प्यूटर विषय की मान्यता का मान्यता--पत्र निर्गत कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना मान्यता समिति की उसकी अगली बैठक में दी जायेगी।

(10) यदि परिषद सन्तुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता का सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाले सूची में प्रविष्ट कर लें तथा सचिव संस्था और संबंधित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन--किन विषयों में किन शर्तो पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्राप्त हुई है। मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जायगी जिस तिथि से संस्थाधिकारी लिखित रूप में कक्षा संचालन की सूचना परिषद/निरीक्षक को देगा।

(11) मान्यता प्राप्त संस्था विनियमों एवं निर्धारित शर्तो के अधीन रहते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करेगी :--

(क) परिषद द्वारा जिस तिथि से संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाती है वह उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जब संस्थाधिकारी कक्षा संचालन की लिखित सूचना निरीक्षक को देगा।

(ख) संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद द्वारा विहित अर्हता परिषद विनियमों के अध्याय- दो के विनियम –1 के परिशिष्ट–क में विहित अर्हता के अनुसार नियुक्त होने चाहिए।

(ग) संस्था शिक्षा संहिता के ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते है तथा अधिनियम एवं विनियमों के प्राविधानों से असम्बद्ध नहीं है।

(घ) संस्था विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी।

(ड़) संस्था द्वारा मान्य कक्षायें विद्यालय परिसर के अन्दर ही चलाई जायेंगी।

(च) संस्था मान्य वर्ग/विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षायें संचालित नहीं करेगी और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायेगी। केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षायें ही संचालित की जायेगी।

(छ) छात्र संख्या में वृद्धि होने पर नये अनुभाग खोलने के पूर्व कक्षा-- कक्ष, काष्ठोपकरण एवं अन्य शिक्षण सामाग्रियों की अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी ।

(ज) संस्था परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में (परिषद के संकलन एवं मूल्यांकन कार्य आदि सम्मिलित है) अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी तथा परिषद/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक, भवन एवं उपस्करण आदि को परिषद के अधीन प्रस्तुत करेगी तथा परिषद द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करेगी।

(झ) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जाये, वह किसी प्रतिद्वन्दी परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट)

के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी, जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हो। यह शर्त मान्यता प्राप्त आंग्ल भारतीय विद्यालयों के सम्बन्ध में इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा पर लागू नहीं होगी।

(ञ) जिन संस्थाओं द्वारा प्राभृत के रूप में अचल सम्पत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बन्धक है ऐसी अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(ट) परिषद द्वारा संस्था को जिन अभ्यर्थियों के पठन–पाठन के लिए मान्यता प्रदान की गयी है संस्था में उसी प्रकार के अभ्यर्थियों का प्रवेश/अध्यापन कराया जायेगा अर्थात बालक के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय में बालक तथा बालिका के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय में बालिका अभ्यर्थी ही अध्ययन के पात्र होगें।

प्रतिबन्ध यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ स्थानीय रूप से बालिका विद्यालय उपलब्ध नहीं है, बालिकायें बालकों की संस्था में निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर प्रविष्ट की जा सकेगी। ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र के बालिका विद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयो म बालकों का प्रवेश किसी भी दशा में नहीं लिया जायेगा।

(ठ) परिषदीय परीक्षाओं में सामूहिक नकल/प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने की दोषी पायी गयी किसी भी संस्था की मान्यता परिषद शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।

(ड) संस्था द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने अथवा परिषद/विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी गम्भीर अनियमितता बरतने का दोषी पाये जाने पर संबंधित संस्था की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ढ) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर पर मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते तो प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(ण) इण्टर स्तर पर पूर्व प्रदत्त किसी वर्ग/विषय की मान्यता, जिसमें कक्षा संचालित न की गयी हो अथवा कुछ समय तक कक्षा संचालित करने के बाद बन्द कर दी गयी हो तो कक्षा संचालित न करने की दशा में मान्यता पत्र निर्गत होने के दो वर्ष तक और यदि कक्षा संचालित करने के बाद बन्द कर दी गयी हो, तो कक्षायें बन्द होने के दो वर्ष तक ही प्रभावी रहेंगी। इस अवधि में कक्षायें संचालित नहीं की जाती, तो प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(त) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, साज–सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत

समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव द्वारा किया जा सकता है परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है।

(थ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को परिषद नियम संग्रह/पाठ्य विवरण, निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0,इलाहाबाद से प्राप्त कर निर्धारित पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम की अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक होगा।

(द) मान्यता प्राप्त संस्था, विद्यालय में पठन-पाठन एवं अन्य सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय रहेगी तथा विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल उन्नत करने की दिशा में सदैव तत्पर रहेगी।

(ध) जिन संस्थाओं को परिषद/शासन द्वारा सशर्त मान्यता प्रदान की गयी है ऐसे विद्यालयों को निर्धारित शर्तो को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शर्तो के निर्धारित अवधि में पूरा न करने की दशा में संस्था की मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है अथवा निलम्बित की जा सकती है।

12- कोई संस्था, जिसे परिषद द्वारा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद संस्था को ऐसी शर्तो पर बन्द किये जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

13-(क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16-घ के खंड की उपधारा (3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है, तो परिषद प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम 12(क) के अनुसार परिषद द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रबन्धक द्वारा एक माह के भीतर संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा परिषद को प्रेषित करेगा। परिषद प्रबन्धक से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक की आख्या यथास्थिति अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगी। संस्था की मान्यता प्रत्याहरित होने की दशा में परिषद उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त सूची से काट देगी अथवा संस्था के प्रबन्धक को चेतावनी देते हुये यह आदेश देगी कि परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को यदि दूर नहीं करती है, तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित करते हुये उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं

की सूची से काट दिया जायेगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

(ग) परिषद निदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था का मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि संस्था की मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

14– प्रत्येक संस्था निरीक्षण अधिकारी द्वारा गठित पैनल द्वारा अपने विद्यालय के निरीक्षण/आकस्मिक निरीक्षण के लिए तैयार रहेगी। निरीक्षण अधिकारी पैनल निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध अवकाश प्राप्त संस्थाओं के प्रधान/अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों का पैनल गठित करेगा। एक पैनल में सदस्यों की संख्या संयोजक सहित तीन से पाँच हो सकती है। पैनल निरीक्षण के समय संस्था द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे। पैनल निरीक्षण की आख्या यथाशीघ्र परिषद/विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

15– जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षण के समय पूर्व में प्राप्त संस्था के फोटो के अनुसार भवन के समक्ष खड़े होकर अपना तथा भवन का फोटो खिंचवाकर अपनी आख्या के साथ संलग्न करेंगे जिससे पूर्व फोटो का सत्यापन हो सके।

अध्याय–आठ
वित्त –समिति

1– वित्त समिति परिषद के वित्त सम्बन्धी समस्त मामलों में परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी।

2– उसमें निम्नलिखित होंगे––

(क) परिषद का एक सदस्य जो राज्य विधान सभा का सदस्य हो––– संयोजक।

(ख) परिषद के छः सदस्यों जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणीयों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय।

(ग) परिषद का सचिव उसका पदेन सदस्य–सचिव होगा।

3– वित्त समिति, परिषद के विचारार्थ, विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य बातों के लिये वसूल किये जाने वाले शुल्क के लिए संस्तुति करेगी।

4– वित्त समिति, परिषद के विचारार्थ, परिषद के विभिन्न लाभकारी कार्यों के लिये पारिश्रमिक दर की भी संस्तुति करेगी।

5– वित्त समिति परिषद द्वारा उसे निदिष्ट किये गये परिषद सम्बन्धी किसी अन्य वित्तीय मामले के सम्बन्ध में विचार करेगी और अपनी संस्तुति देगी।

अध्याय–नौ
पाठ्यचर्या–समिति

1– पाठ्यचर्या समिति में निम्नलिखित होंगे––

(1) परिषद के छः सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिदिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय।

(2) विभाग के विशेषज्ञीय संस्थाओं के निदेशक/प्रधानाचार्य और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि जो परिषद के सदस्य हों।

(3) उन विषयों से भिन्न जिनमें निर्वाचन के पूर्ववर्ती वर्ष में रजिस्ट्रीकृत उम्मीदवारों की संख्या में पचास हजार से कम हो, विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों के संयोजक, परन्तु वे परिषद के सदस्य हों।

(4) परिषद का सचिव पदेन सदस्य–सचिव के रूप में।

2– परिषद की स्वीकृति और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, पाठ्यचर्या समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) परिषद की प्रत्येक परीक्षा के लिये अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों की कुल संख्या पर विचार करना।

(ख) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट सोपानों के पाठ्यक्रमों के स्तर को सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना।

(ग) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ऐसी पाठ्यचर्या की संस्तुति करना जिससे कि विश्वविद्यालय और व्यावसायिक दोनों का मार्ग प्रदर्शन हो सके।

(घ) नये विषयों को सम्मिलित करने और विद्यमान विषयों को निकालने के प्रस्तावों पर विचार करना।

(ड.) विषयों का वर्ग बनाने और एक वर्ग को दूसरे से परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार करना।

(च) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय में बनाये जाने वाले प्रश्न पत्रों की संख्या निश्चित करना और प्रत्येक प्रश्न--पत्र के लिये समयावधि निश्चित करना।

(छ) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय और किसी विषय के प्रत्येक भाग के लिये अधिकतम और न्यूनतम अंक प्रस्तावित करना।

(ज) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् विभिन्न विषयों में लिखित परीक्षा के विस्तार की सीमा की संस्तुति करना।

(झ) शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समितियों की संस्तुति पर विचार करना;और

(ञ) संस्था के अध्यापकों, संस्था के प्रधानों और अन्य कर्मचारियों के लिये न्यूनतम अर्हतायें विहित करना।

अध्याय–दस

महिला शिक्षा समिति

1– महिला शिक्षा समिति में परिषद की समस्त महिला सदस्य होंगी तथा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (ब) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका समिति की संयोजिका होगी। इसकी बैठकों में संयुक्त शिक्षा निदेशिका (महिला), उ0प्र0 विशेष रूप से आमन्त्रित होगी।

2– महिला शिक्षा समिति, महिलाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विषयों या ऐसे मामलों में परिषद को परामर्श देगी, जो उसे परिषद या उसकी किसी समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें।

अध्याय–ग्यारह
छात्रों का निवास

1– जहॉं आवास उपलब्ध है, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था का प्रत्येक छात्र उसके द्वारा व्यवस्थित छात्रावास में अथवा संस्था के प्रधान द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास में अथवा माता–पिता अथवा अभिभावक के साथ निवास करेगा।

2– जहॉं किसी मान्यता प्राप्त छात्रावास में आवास उपलब्ध नहीं है, संस्था का प्रधान किसी छात्र अथवा छात्रों की वासगृहों में, जो उनके व्यवस्थापकों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों के लिये आरक्षित हों, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निवास करने की अनुमति दे सकता है :–

(क) कि वासगृहों का सम्बन्धित संस्था के प्रधान अथवा उस कार्य के लिये नियुक्त किसी अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है, तथा

(ख) कि व्यवस्थापक छात्रों की देखभाल के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था अथवा संस्थाओं के प्रधान अथवा प्रधानों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुकूल चलने को तैयार है।

अध्याय बारह

[परीक्षाओं सम्बन्धी सामान्य विनियम]

1-- परिषद निम्नलिखित परीक्षायें संचालित करेगी--

(क) हाईस्कूल परीक्षा,

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा,

*(ग) विखण्डित

(घ) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा।

2- परिषद की परीक्षा ऐसे केन्द्रों पर तथा उन तिथियों पर तथा ऐसे समय पर होगी जो परिषद समय-समय पर निश्चित करेगी।

**(2-क) निरस्त।

3- परिषद की परीक्षाओं के परीक्षण अंशतः मौखिक एवं क्रियात्मक तथा अंशतः लिखित होंगे। मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षण परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढंग से परिषद द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित किये जायेंगे। लिखित परीक्षा प्रश्न--पत्रों द्वारा होंगे तथा प्रश्न--पत्र पर, जहां परीक्षा हो रही है, एक साथ दिये जायेंगे।

3-(क)-- परिषद द्वारा संचालित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण--पत्र अथवा डिप्लोमा परीक्षार्थी को उस समय तक नहीं दिया जायेगा जब तक वह उक्त परीक्षा के लिए उनसे सम्बन्धित विनियमों के अनुसार प्रत्येक विषय में योग्यता न प्राप्त कर ले।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश पाने के पश्चात अपात्र समझा जायेगा/जायेगी उसकी अभ्यर्थिता/परीक्षा रदद कर दी जायेगी और उसका परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण--पत्र भी वापस ले लिया जायेगा/रदद कर दिया जायेगा।

*3-(ख)-- परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा-9 तथा 11 में प्रवेश लेते समय विहित प्रपत्र पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपनी पात्रता तथा जन्मतिथि से सम्बन्धित वैध एवं प्रमाणित साक्ष्य संस्था के प्रधान को तत्समय उपलब्ध करायेंगे। संस्था के प्रधान संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी का पंजीकरण अपने विद्यालय पर करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 10.00 (दस रुपये) संस्था के प्रधान को देना होगा।

टिप्पणी-- पंजीकरण फार्म के साथ ही पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा एवं राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

*3--(ग)-- संस्थाओं के प्रधान विद्यालय की निर्धारित क्षमता (मान्य कक्षाओं) के अनुरूप दिनांक 30 सितम्बर तक पंजीकृत अभ्यर्थियों से भरवाये गये प्रपत्र की एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से विलम्बतम् 10 अक्टूबर तक परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

---

* राजाज्ञा संख्या 2063/15-7--1-243/91टी0सी0 दिनांक 27-8-2002 द्वारा सम्मिलित।

** राजाज्ञा संख्या 4131/15-7--2002/1(4)/99 दिनांक 6 मार्च 2003 विज्ञप्ति सं0 परिषद--9/795 दिनांक 25 मार्च 2003 द्वारा निरस्त।

*3-(घ)- परिषद कक्षा-9 तथा 11 में पंजीकृत समस्त अभ्यर्थियों के विवरणों की सम्यक जाँच करेगी तथा वांछित संशोधन, यदि कोई हो, करेगी तथा इन विवरणों के आधार पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण संख्या अनुदानित कर सम्बन्धित संस्था को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रत्येक दशा में आगामी 28 फरवरी तक उपलब्ध करायेगी, तदनुसार संस्था के प्रधान अपने विद्यालय के प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी पंजीकरण संख्या से अवगत करायेंगे। पंजीकरण संख्या अभ्यर्थी का स्थायी अभिलेख होगा तथा आवश्यकतानुसार पंजीकरण संख्या से ही पत्र-व्यवहार किया जायेगा।

*3-(ड.)- कक्षा-10 तथा 12 की संस्थागत परीक्षा में वहीं अभ्यर्थी बैठने के पात्र होंगे जिन्होंने सम्बंधित संस्था में यथास्थिति कक्षा-9 तथा 11 में अपना पंजीकरण कराया हो। संस्था के प्रधान अपंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि अन्य परिषदों से कक्षा 10 या 12 में स्थानान्तरित अभ्यर्थी का कक्षा 10 तथा 12 में ही पंजीकरण होगा।

संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए नियम

4-(एक) परिषद द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी जिसमें पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ***पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना** के छात्र भी सम्मिलित माने जायेंगे, संस्था के प्रधानों को अधिक से अधिक प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क देंगे तथा विषय अथवा विषयों को, जो वह परीक्षा के लिए ले रहे है, व्यक्त करते हुए सचिव द्वारा विहित प्रपत्र पर तथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आवेदन-पत्र भरेंगे। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने पर संस्था के प्रधान को सम्बन्धित छात्र का नाम संस्था से काटने का अधिकार होगा। किसी संस्था से अपना आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् किसी संस्थागत छात्र को केवल उस दशा को छोड़कर जब कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसे उसके अभिभावक के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था किसी दूसरे स्थान को किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर प्रमाणपत्र पर अपनी संस्तुष्टि के उपरान्त ऐसा करने की अनुमति दी गयी हो विद्यालय परिवर्तन का अधिकार न होगा।

---

*दिनांक 9 12 2000 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद 9/554 दिनांक 22 9 2000 द्वारा संशोधित एवं वर्ष 2002 की परीक्षा से प्रभावी।

*राजाज्ञा संख्या 2355/15-7-2000 1-77 92 दिनांक 22-01 2001 द्वारा शैक्षिक सत्र 2000-2001 से सतत अध्ययन सम्पर्क योजना समाप्त की गई।

(दो) संस्था का प्रधान परीक्षार्थियों का आवेदन–पत्र शुल्क ट्रेजरी चालान सहित अधिक से अधिक 14 अगस्त तक सचिव को भेजेगा। 14 अगस्त के बाद आवेदन–पत्र भेजने पर संस्था **20.00** रू0 प्रति आवेदन–पत्र की दर से विलम्ब शुल्क देगा।

संस्था का प्रधान विलम्ब शुल्क के साथ अधिक से अधिक 31 अगस्त तक आवेदन–पत्र भेजेगा।

(तीन) ऐसे छात्र जो इस परिषद की पूरक परीक्षा उत्तीर्ण कर उसी वर्ष की मुख्य परीक्षा में प्रवेश चाहते है, आवेदन–पत्र पूरक परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 10 दिनों की अवधि के अन्दर भरेंगे।

संस्था का प्रधान ऐसे समस्त आवेदन–पत्र पूरक परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के अन्दर सचिव को भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों से अपने अभिभावकों के स्थानान्तरण के कारण वर्ष के 15 अगस्त के पश्चात आने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिषद की परीक्षाओं में संस्थागत परीक्षार्थियों के रूप में प्रवेश पाने की अन्तिम तिथि परीक्षाओं की तिथि से पूर्व 31 दिसम्बर होगी।

(चार) सचिव संस्थागत परीक्षार्थियों के उपयोग हेतु आवेदन–पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा तथा सामान्य प्रकिया से विलम्ब होने की स्थिति में वह ऐसी कार्यवाही करेगा, जो तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उचित समझे।

(पॉच) संस्था के प्रधान आवेदन–पत्रों एवं सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के साथ सचिव को यह दिखाते हुए निम्नलिखित प्रमाण–पत्र भेजेगा :–

(क) कि संस्था में बालक/बालिका का प्रवेश शिक्षा संहिता के नियमों तथा परिषद के विनियमों के अनुसार है,

(ख) कि उसने एक मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन का एक नियमित पाठ्यकम पूर्ण किया है,

(ग) कि उसने पाठ्य विवरण में निर्धारित प्रयोग वास्तविक रूप से किये है।

(छः) ऐसे छात्रों को, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में दो बार अनुत्तीर्ण हो जाते है, पुनः किसी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपस्थिति

5–(1) मान्यता प्राप्त संस्था, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठयानुवर्ती कार्य–कलाप के दिवस भी सम्मिलित है, प्रतिबन्ध यह है कि "पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना" के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध

में कार्य दिवसों को उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठ्य सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा।

(2) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कोई छात्र हाईस्कूल के लिए प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक वह दो शैक्षिक वर्षों के दरम्यान प्रत्येक विषय में, जिसमें उसे परीक्षा में सम्मिलित होना है, वादनों की निर्धारित/आवंटित कुल संख्या के, जिसमें कियात्मक कार्य के वादन भी सम्मिलित होंगे, कम से कम 75 प्रतिशत वादनों में उपस्थित न रहा हो।

पुनश्च-- आंग्ल भारतीय विद्यालयों से आने वाले छात्रों के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा से पूर्व के वर्ष की प्रथम जनवरी से परिगणित की जायेगी।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कोई भी छात्र इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। जब तक कि वह दो शैक्षिक वर्षों में जिसमें उसकी परीक्षा होनी है, दिये जाने वाले व्याख्यानों में से (जिसमें कियात्मक कार्य, यदि कोई हो, के घण्टे भी सम्मिलित हैं) कम से कम 75 प्रतिशत में सम्मिलित न हुआ हो।

कृषि वर्ग के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में उपस्थिति का प्रतिशत भाग एक तथा दो के लिए अलग-अलग परिगणित किया जायेगा।

(**टिप्पणी--** काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित सर्टीफिकेट आफ सेकेण्डरी एजूकेशन परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की उपस्थिति की गणना परीक्षा के पूर्व के वर्ष की पहली जनवरी से परिगणित की जायेगी।)

(4) परिगणन के लिए एक घण्टे के व्याख्यान को एक व्याख्यान, दो घण्टे व्याख्यान को दो व्याख्यान और इसी प्रकार परिगणित किया जायेगा। कियात्मक कार्य में लगा एक घण्टा एक व्याख्यान के रूप में परिगणित होगा। घण्टे का तात्पर्य स्कूल अथवा कालेज के समय चक्र में शिक्षण के घण्टे से है।

(5) ऊपर के खण्ड (2) और (3) में संदर्भित दो शैक्षिक वर्षो का क्रमिक होना आवश्यक नहीं है। यह संस्थाओं के प्रधानों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है कि वे उन छात्रों की उपस्थिति, जिन्होंने कक्षा 9 अथवा 11 में एक से अधिक वर्ष पढ़ा है, कक्षा 10 अथवा 12 की उपस्थिति के साथ किसी एक वर्ष की उपस्थिति को परिगणित कर लें। उन छात्रों को जिन्हें एन0सी0सी0, पी0एस0डी0 अथवा प्रादेशिक सेना के शिक्षा अथवा कीड़ा दल, बालचर रैलियों अथवा सेन्ट जान एम्बुलेन्स शिविर और प्रतियोगतायें अथवा ग्रामों में कृषि विस्तार सेवा अथवा शैक्षिक परिभ्रमण में जाने की अनुमति दी जाती है, कक्षा में उपस्थिति के लिए वांछित लाभ दिया जायेगा।

पुनश्च---[1] इस विनियम के अन्तर्गत कक्षा में उपस्थिति का समस्त लाभ उपस्थिति अथवा व्याख्यान पंजिका में इस सम्बन्ध में टिप्पणी सहित दिखाना चाहिए। इस प्रकार के लाभ से समस्त लेख भली-भाँति रखे जाने चाहिए।

[2] चुने हुये छात्रों के वर्ग के लिए तथा पूरी कक्षा के लिए रखी लगायी गई विशेष कक्षा की उपस्थिति के लाभ की अनुमति न होगी।

(6) परिषद की हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा निरूद्ध छात्रों के सम्बन्ध में केवल एक शैक्षिक वर्ष का प्रतिशत परिगणित किया जायगा। उस शैक्षिक वर्ष की उपस्थिति, जिसके अन्त में छात्र परीक्षा में बैठना चाहता है, परिगणित की जायगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन छात्रों की दशा में जिन्होंने परिषद की हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन न किया हो, परन्तु उनके नाम संस्था की उपस्थिति पंजी में हो अथवा आवेदन पत्रों के प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात भी परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों, दो शैक्षिक वर्षों का प्रतिशत परिगणित किया जायगा।

"निरूद्ध" का तात्पर्य किसी भी कारण से हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में रोके जाने से है।

(7) छात्र द्वारा इस परिषद् के अधिक्षेत्र से बाहर किसी संस्था में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा की तैयारी में अर्जित उपस्थिति हाईस्कूल परीक्षा के लिए उपस्थिति के प्रतिशत की गणना परिगणित कर ली जायेगी।

(8) हाईस्कूल परीक्षा में अंकों की सन्निरीक्षा के फलस्वरूप सफल घोषित छात्र के सम्बन्ध में प्रथम शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षा का परिणाम सूचित किये जाने के दस दिन पश्चात् प्रारम्भ हुआ समझा जायगा।

*(9) ऐसे छात्र जो पूरक परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण कर उसी वर्ष मान्यता प्राप्त संस्था की दसवीं, ग्यारहवीं या बारहवीं कक्षा में प्रवेश लेंगे, उनकी उपस्थिति की गणना पूरक परीक्षाफल घोषित होने के दसवें दिन से होगी।

टिप्पणी-- इस परिषद अथवा अन्य किसी समकक्ष परीक्षा निकाय के रूके हुए परीक्षाफल घोषित होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्था के कक्षा ग्यारह में प्रवेश पाने वाले छात्र की उपस्थिति की गणना भी परीक्षाफल घोषित होने के दसवें दिन से होगी।

(10) कोई छात्र, जो विनियम 4 अध्याय--चौदह में उल्लिखित किसी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सम्बद्ध कालेज में सत्र के किसी भाग में रहा है, परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कालेज में प्रविष्ट हो सकता है और उस कालेज में उनकी उपस्थिति के व्याख्यान इण्टरमीडिएट परीक्षा में वांछित उपस्थिति के प्रतिशत के लिये परिगणित कर लिए जायेंगे।

---

* दिनांक 12 जुलाई, 2003 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/165 दिनांक 11 जुलाई, 2003 द्वारा सम्मिलित एवं वर्ष 2003 की परीक्षा से प्रभावी

(11) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों का नितान्त असंतोषजनक कार्य करने वालों को छोड़कर परीक्षार्थियों को रोकने की अनुमति नहीं है, जिन्होंने परिषद की किसी परीक्षा में प्रवेश की शर्तो को पूरा कर लिया है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के अन्तर्गत कक्षा को पूरी संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक छात्र नहीं रोके जायेंगे। मान्यता संस्थाओं के प्रधान छात्रों को रोकने के अधिकार का प्रयोग लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह पूर्व तक कर सकते है और उनके इस निर्ण के विरूद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी। मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान, सचिव को एक बार स्थिति की सूचना देने के पश्चात् अपने निर्णय को संशोधित नहीं करेंगे।

(12) ऊपर के खण्ड (1) में सम्मिलित शर्तो के होते हुए भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान ऐसे छात्रों को परिषद की होने वाली परीक्षा में बैठने से रोक सकते है, जो शरीर शिक्षा,एन0सी0सी0 अथवा पी0एस0डी0 के लिए दिए हुए समस्त सामान तथा वर्दिया नहीं लौटाते हैं अथवा उनके खो जाने पर परिषद की परीक्षा से पूर्व 15 फरवरी तक उनका मूल्य नहीं दे देते है।

(13) न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पाल किया जायेगा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान उपस्थिति की कमी का मर्षण अधिकतम---

[क] हाईस्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए 10 दिन का, और [ख] इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए प्रत्येक विषय में दिए गए 10 व्याख्यान (क्रियात्मक कार्य के घण्टो सहित यदि हो) कर सकता हैं, ऐसे समस्त मामलों की सूचना जिसमें इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) को परिषद के सभापति के रूप में दी जायेगी।

तथापि उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में जिनकी केवल एक वर्ष की उपस्थिति ही परिगणित होनी है, मर्षण की यह सीमा केवल आधी अर्थात पॉच दिन अथवा पॉच व्याख्यान, जैसी स्थिति हो, रह जायेगी।

पुनश्च– (क) 75 प्रतिशत दिन अथवा व्याख्यान जिनमें एक परीक्षार्थी को उपस्थिति रहना है अथवा (ख) उनकी उपस्थिति में कमी परिगणित करने में एक दिन अथवा व्याख्यान को भिन्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

विषय परिर्वतन

6-- मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान कक्षा 9 में विषय/विषयों में परिवर्तन की तथा कक्षा 11 में एक ही वर्ग में अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विषय परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। कक्षा 10 में एक ही विषय/विषयों तथा कक्षा 12 में एक ही वर्ग में विषय अथवा विषयों के अथवा एक वर्ग

से दूसरे वर्ग में परिवर्तन की साधारणतः अनुमति नहीं दी जाती है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में मुख्य रूप से अनुत्तीर्ण अथवा रोके गये परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिवर्तन की आज्ञा दी जा सकती है और इस प्रकार ऐसे मामलों की सूचना परिषद को कारणों सहित दी जानी चाहिए। एक से अधिक विषय परिवर्तित करने की आज्ञा बहुत ही कम दी जानी चाहिए। परीक्षार्थी के एक विषय की उपस्थिति, जिसे वह बाद में संस्था के प्रधान की अनुमति से परिवर्तित करता है। नये विषयों की उपस्थिति के साथ नये विषय में इसकी उपस्थिति का प्रतिशत परिगणित करने के लिए परिगणित की जायेगी। परीक्षा में बैठने का आवेदन–पत्र सचिव के पास अग्रसारित कर देने के पश्चात् विषय में परिवर्तन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।

छात्रों का प्रवेश एवं प्रोन्नति

7– कोई छात्र जिसने कभी किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा नहीं पायी है अथवा जिसने कक्षा–10 में प्रोन्नति होने से पूर्व मान्यता प्राप्त संस्था को छोड़ दिया परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हाईस्कूल परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गयी है और उसमें बैठ नहीं सका, कक्षा–10 में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार कोई छात्र जिसने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन नहीं किया अथवा कक्षा–12 में प्रोन्नति होने से पूर्व जिसने मान्यता प्राप्त संस्था को छोड़ दिया परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इण्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गयी और उसमें बैठ नही सका, कक्षा–12 में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

7–(क) मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान का, छात्रों का कक्षा–9 से 10 अथवा 11 से 12 में प्रोन्नति करने का निर्णय प्रत्येक वर्ष के जून के अन्त तक अन्तिम रूप से हो जायेगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी
प्रवेश के नियम

8– व्यक्तिगत परीक्षार्थी अर्थात् परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में निर्धारित और अपेक्षित उपस्थिति के बिना परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित शर्तो पर परिषद की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे :

(1) कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठना चाहता है, आगामी परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व 14 अगस्त तक एक आवेदन–पत्र परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क सहित उस संस्था के प्रधान द्वारा जो परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र है, सचिव के पास प्रेषित करेगा। आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर परीक्षार्थी द्वारा विधिवत् भरा जाना चाहिए, जिसमें उनके द्वारा लिए जाने वाले विषयों का स्पष्ट उल्लेख हो। आवेदन–पत्र निम्नलिखित के साथ सचिव को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रेषित किया जायेगा :

*[क] इण्टर परीक्षा के लिए विनियम– 2 अध्याय चौदह में वर्णित अथवा हाईस्कूल परीक्षा के लिए विनियम 10 (1) अध्याय बारह में वर्णित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण–पत्र की यथार्थ–प्रतिलिपि।

[ख] परीक्षार्थी की अंतिम संस्था यदि कोई हो, द्वारा ली गई छात्र पंजी की मूल प्रति।

[ग] जिस श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा विभागीय पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित हो, उनकी पत्राचार पाठ्यक्रम के अनुसरण के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र की यथार्थ प्रतिलिपि (जो परीक्षा की तिथि पर वैध और मान्य हो)।

उन संस्थाओं के प्रधान जो परिषद की परीक्षाओं के पंजीकरण केन्द्र हैं ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र जो पात्र है, जॉच करने तथा सचिव द्वारा विहित प्रपत्रों की पूर्ति करके उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से अग्रसारित करेंगे। अपूर्ण अथवा अशुद्ध अथवा अनर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्रों को अग्रसारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा, तथा इसकी सूचना परिषद को दी जायेगी, अग्रसारण अधिकारी परीक्षा में बैठने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र इस प्रकार अग्रसारित करेगें कि परीक्षाओं की तिथि से पूर्व प्रत्येक दशा में अधिक से अधिक 14 सितम्बर तक पहुँच जाये। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर किसी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण एवं अशुद्ध तथा विलम्ब से आवेदन–पत्र तथा अन्य निर्दिष्ट पत्रजात प्रेषित करने वाले अग्रसारण अधिकारियों के विरूद्ध परिषद को जैसा कि वह निर्णय करें, कार्यवाही (जिनमें अग्रसारण पारिश्रमिक में कटौती भी सम्मिलित है) करने का अधिकार होगा, अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो कहीं सेवा में है, अग्रसारित कराने के पूर्व अपने अधिकारियों से उन्हें प्रमाणित करायेंगे। तथ्यों को छिपाना अपराध होगा और इससे परीक्षाफल निरस्त किया जा सकता है।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र प्राप्त करने की विधि

(1) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए परिषद की किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति हेतु निर्धारित आवेदन–पत्रों की प्रतियॉ नियत मूल्य देकर सीधे उत्तर प्रदेश के उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करना चाहिये, जिसमें परीक्षार्थी परीक्षा में बैठना चाहता है।

*राजाज्ञा संख्या 4131/15–7–2002(4)/99 दिनांक 6 मार्च,2003 विज्ञप्ति सं0 परिषद–9/795 दिनांक 25 मार्च 2003 द्वारा संशोधित।

(2) विशेष दशाओं में अग्रसारण अधिकारी 25.00 रूपया विलम्ब शुल्क के रूप में लेकर 31 अगस्त तक आवेदन–पत्र ले सकते है, परन्तु उनके द्वारा यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर आवेदन–पत्र सचिव के पास अधिक से अधिक 14 सितम्बर तक अवश्य पहुँच जाने चाहिये।

(3) व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी भी दशा में आवेदन–पत्र सचिव को सीधे नहीं भेजेंगे। सचिव द्वारा सीधे प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र रद्द समझे जायेगे।

अग्रसारण अधिकारियों का पारिश्रमिक

9– ऐसी संस्था के प्रधान, जो परिषद को परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र है, अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति को इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये जाये इस अध्याय के विनियम 8 में विहित विधि से आवेदन–पत्र की समय से प्राप्ति, विहित अर्हताओं तथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र आदि की जॉच तथा समय से प्रेषण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। इस हेतु उन्हें पॉच रूपये प्रति परीक्षार्थी की दर से पारिश्रमिक देय होगा जिसमे से वे दो रूपये प्रति परीक्षार्थी की दर से उपर्युक्त कार्य में अपनी सहायता करने वाले व्यक्ति को देगें। अग्रसारण अधिकारी आवेदन–पत्र सचिव को भेजने के पश्चात् पारिश्रमिक पावना–पत्र सचिव को भेजेगें। ऊपर निर्दिष्ट कार्य में अशुद्धता अथवा विलम्ब आदि के लिए अग्रसारण अधिकारी के पारिश्रमिक में कटौती अथवा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी। अग्रसारण अधिकारी परीक्षार्थी से किसी प्रकार का अग्रसारण शुल्क नकद नहीं लेंगे। परीक्षार्थी से परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क, चन्दा अथवा दान नहीं लिया जायेगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की पात्रता

*10–(1) परिषद अथवा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा–9 की परीक्षा अथवा अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षार्थी उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही हाईस्कूल में व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में बैठने के लिये पात्र होगें।

*(2) कोई परीक्षार्थी जिस वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है यदि उसके पूर्व के वर्ष की 31 जुलाई के पश्चात् उसने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में (आंग्ल भारतीय विद्यालय को छोड़कर) अध्ययन किया है तो वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा।

*(3) आगामी होने वाली हाईस्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट हाने की अनुमति उन परीक्षार्थियों को नहीं दी जायेगी, जिन्हें कक्षा–10 के लिये प्रोन्नित प्राप्त होने में सफलता नहीं मिला है।

---

*राजाज्ञा संख्या 4131/15–7–2002(4)/99 दिनांक 6 मार्च,2003 विज्ञप्ति सं0 परिषद–9/795 दिनांक 25 मार्च 2003 द्वारा संशोधित।

आंग्ल–भारतीय विद्यालय

11– किसी आंग्ल–भरतीय विद्यालय को छोड़ने वाला परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा में उस शैक्षिक वर्ष के पूर्व तक प्रविष्टि न हो सकेगा, जिसमें कि वह कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा में प्रवेश का पात्र होता, यदि वह आंग्ल–भारतीय विद्यालय में अध्ययन करता रहता। आंग्ल–भारतीय विद्यालय में छात्र के रूप में अध्ययन करने वाले अथवा किसी ऐसे छात्र का आवेदन–पत्र, जिसका अंतिम विद्यालय आंग्ल–भारतीय विद्यालय था, आंग्ल–भारतीय विद्यालयों के निरीक्षक द्वारा उस संस्था के आचार्य के लिए अग्रसारित होना चाहिये, जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है।

राज्य से बाहर के परीक्षार्थी

12– ऊपर के विनियम 10 अध्याय बारह के अधीन परिषद के प्रादेशिक अधिक्षेत्रों के बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि वे अब भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा कुछ पर्याप्त कारणों से अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से प्रव्रजित हो गये हों। ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र उन सम्बन्धित राज्यों के मण्डलीय विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अग्रसारित होने चाहिये, जिन्हें परीक्षार्थियों के उत्तर प्रदेश में वास्तविक निवास को प्रमाणित करना चाहिये। पचास पैसे के निबन्धन शुल्क के साथ आवेदन–पत्र तथा परीक्षा का निर्धारित शुल्क 1 सितम्बर तक सीधे सचिव के पास न भेजकर उस संस्था के प्रधान को अग्रसारित होना चाहिये, जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है।

केन्द्र परिवर्तन और विषय परिवर्तन

13– साधारणतः व्यक्तिगत परीक्षार्थी को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विषय अथवा केन्द्र परिवर्तित करने की आज्ञा न दी जायेगी।

किसी समकक्ष परीक्षा में एक साथ बैठना

14– किसी परीक्षार्थी को जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद की किसी परीक्षा तथा अन्य निकाय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा में बैठना चाहता है, परिषद की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा कियात्मक कार्य पूरा करने का प्रमाण–पत्र

15– इन विनियमों के शर्तो के होते हुए भी कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद की किसी परीक्षा के लिए कियात्मक कार्य अथवा कियात्मक परीक्षा वाले विषय का ले सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि यदि चुना हुआ विषय भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान अथवा जीव विज्ञान

अथवा औद्योगिक रसायन अथवा कुलाल विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान अथवा चित्रकला और मूर्ति कला अथवा सैन्य विज्ञान अथवा भू–गर्भ विज्ञान है तो उसे परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था में परीक्षा के लिये उस विषय में निर्धारित समस्त क्रियात्मक एवं लिखित कार्य उसी सत्र में जिसमें वह परीक्षा में बैठना चाहता है, पूरा न ना चाहिये और इस सम्बन्ध में संस्था के प्रधान का एक प्रमाण–पत्र परीक्षा की ति से पूर्व की जनवरी के अन्त तक प्रस्तुत करना चाहिये। किसी परीक्षार्थी को जो एक ार परीक्षा में बैठ चुका है तथा अनुत्तीर्ण हो चुका है, उस विषय के क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा के सम्बन्ध में जिसमें वह पहले ही परीक्षा दे चुका है, प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी समिति

16– अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र जो अग्रसारण अधिकारियों से यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर प्राप्त हों, विनियम 3 अध्याय छः के अधीन नियुक्त उप समिति के पास संनिरीक्षा के लिए भेजे जायेंगे। संनिरीक्षा के पश्चात् उप समिति द्वारा ये आवेदन–पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत किये जायेंगे।

अतिरिक्त विषयों में प्रवेश की पात्रता

*17– इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी निम्नलिखित श्रेणी के परीक्षार्थी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकते है :–

(1) कोई परीक्षार्थी जिसने हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है बाद की हाईस्कूल परीक्षा में एक अथवा अधिकतम पॉच विषयों में (कम्प्यूटर विषय छोड़कर) प्रविष्ट हो सकता है और ऐसा परीक्षार्थी यदि सफल हो जावे तो वह अतिरिक्त लिए उत्तीर्ण विषय अथवा विषयों में परीक्षा उर्त्तीण होने का प्रमाण–पत्र पाने का अधिकारी होगा और उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

(2) कोई परीक्षार्थी जिसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है बाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में एक अथवा अधिकतम चार विषयों (कम्प्यूटर वर्ग तथा व्यवसायिक वर्ग के विषयों को छोड़कर) बैठ सकता है और वह परीक्षार्थी यदि सफल हो जाये तो उसके द्वारा उपहृत किये गये विषय अथवा विषयों में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र पाने का अधिकारी होगा और उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो।

(3) इस विनियम के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी उन विषय अथवा विषयों का चयन नहीं कर सकेगें, जो उनके द्वारा पूर्व की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में जिसमें वह उत्तीर्ण हुए थे, लिये गये थे। साथ ही परीक्षार्थी आधुनिक भारतीय, विदेशी

तथा शास्त्री भाषा समूहो के प्रत्येक समूह में से केवल एक ही भाषा का चयन कर सकेगें।

(4) परीक्षार्थी, इस विनियम में अन्तर्गत एक बार में केवल एक ही परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) में प्रविष्ट हो सकेगें।

(5) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी इस विनियम के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होगें।

(6) इस विनियम के अन्तर्गत परीक्षार्थी के किसी विषय अथवा विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर कोई अनुग्रहांक (ग्रेस) देय नहीं होगा।

(7) निम्नलिखित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है:–

(क) विश्वविद्यालयों तथा भारत में विधिवत् स्थापित शिक्षा परिषदों की इण्टरमीडिएट परीक्षा।

(ख) *सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा वर्ष 2001 तक संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।

(ग) एम0 एस0 विश्वविद्यालय, बडौदा द्वारा संचालित एफ0 वाई0 बी0 ए0, एफ0वाई0 बी0 काम0 तथा एफ0 वाई0 वी0 एस–सी0 परीक्षायें।

(घ) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा संचालित एक अतिरिक्त विषय के साथ उत्तीर्ण प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल परीक्षा।

(ड.) काउन्सिल फार इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित इंडियन स्कूल, सर्टीफिकेट (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा।

(च) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक अथवा अनुरूप परीक्षा, यह अनुरूपता, छात्र द्वारा उस विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा के लिए आवश्यक बाद के अध्ययन के वर्षो की संख्या से अवधारित होगी।

(छ) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम की प्री–डिग्री साहित्यिक तथा वैज्ञानिक वर्ग की परीक्षा।

(ज) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा के परीक्षाओं को उनके समकक्ष अंकित विवरण के अनुसार –

(1) प्री–मेडिकल परीक्षा–विज्ञान समूह जीव विज्ञान के साथ।
(2) प्री–इंजीनियरिंग परीक्षा– विज्ञान एवं गणित समूह के साथ।
(3) बी0 ए0/बी0 एस0–सी, बी काम0 भाग–1।
परीक्षा क्रमशः साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग के समकक्ष।

---

*दिनांक 30–11–2002 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद–9/494 दिनांक 12–11–2002 द्वारा संशोधित।

(झ) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन,नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा।

(ञ) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन,मणिपुर इम्फाल द्वारा संचालित स्पेशल हायर सकेन्डरी (बारह वर्षीय) पाठ्यक्रम परीक्षा।

(ट) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजेकेशन,अगरतल्ला द्वारा संचालित हायर सेकेन्डरी (बारह वर्षीय) परीक्षा।

(ठ) राष्ट्रीय ओपेन स्कूल, नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेन्डरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम पाँच विषयों में उत्तीर्ण की गयी हों।

(ड) रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।

श्रेणियाँ

18– इन विनियमों में, जहाँ इससे प्रतिकूल प्रावधान हो, उसे छोडकर परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के नाम तीन श्रेणियों में रखें जायेंगे। कोई परीक्षार्थी जो सम्पूर्ण योगांक के 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक से उत्तीर्ण होता है, सम्मान सहित उत्तीर्ण हुआ भी दिखाया जायेगा।

19– जो परीक्षार्थी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, बाद की एक अथवा अधिक परीक्षाओं में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकता है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसे ऐसे प्रत्येक अवसर पर सचिव को आश्वस्त करना होगा कि उसने परिषद की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तो की पूर्ति कर दी है।

*19–(क)– हाईस्कूल (कक्षा 9 एवं 10) तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में अभ्यर्थी केवल एक ही माध्यम (संस्थागत अथवा व्यक्तिगत) से आवेदन–पत्र भर कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। किसी भी दशा में अभ्यर्थी को एक परीक्षा वर्ष में एक से अधिक संस्था/संस्थाओं से संस्थागत अथवा व्यक्तिगत अथवा दोनों प्रकार से आवेदन–पत्र भरने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। तथ्यों को छिपाना अपराध होगा। इस विनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा उनके विवरण यदि परिषदीय अभिलेखों में अंकित हो गये हैं, तो उन्हें विलुप्त करा दिया जायगा अथवा अभ्यर्थी के परीक्षा में अनियमित रूप से सम्मिलित होने की दशा में परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

---

*दिनांक 04–08–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद–9/250दिनांक 28–07–2001 द्वारा सम्मिलित।

*20— परिषदीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को निम्न व्यवस्थाओं के अनुसार अनुग्रहांक देय होगा——

(क) **हाईस्कूल परीक्षा के संदर्भ में :—**

परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थी यदि किन्हीं दो विषयों में अनुत्तीर्ण रहे और अनुत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में उसे पृथक—पृथक 25 प्रतिशत या अधिक अंक मिले हों तो उसे उन अनुत्तीर्ण हुए विषयों में पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक तक पाने के लिए उसके सम्पूर्ण योग के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अंक अनुग्रहांक के रूप में देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा और श्रेणी दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थियों को एक अथवा दोनों विषयों में केवल आठ अंक की अधिकतम सीमा तक ही अनुग्रहांक देय होगा। जिसका वितरण उनकी अर्हतानुसार एक अथवा दोनों विषयों में आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(ख) **इण्टर परीक्षा (समान्य तथा व्यावसायिक) के संदर्भ में :—**

(1) परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थी यदि केवल एक विषय जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती है में अनुत्तीर्ण रहे और उस विषय में उसे 25 प्रतिशत या अधिक अंक मिले हो तो उसे अनुत्तीर्ण हुए विषय में पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित उत्तीर्णांक तक अंक पाने के लिए उसके सम्पूर्ण योग के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अक अनुग्रहांक के रूप में देकर उत्तीण घोषित किया जायेगा और श्रेणी दी जायेगी।

(2) परिषद की परीक्षा में प्रविष्ट किसी परीक्षार्थी को जो ऐसे विषयों का चयन करता है जिसमें लिखित के साथ—साथ प्रयोगात्मक परीक्षा भी होती है को अनुग्रहांक हेतु प्रयोगात्मक वाने केवल एक विषय जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहता है, में लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग—अलग 25 प्रतिशत या अध्यिक अंक पाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्रयोगात्मक वाने विषयों में परीक्षार्थी द्वारा लिखित तथा प्रयोगात्मक दोनों खण्डों में अलग—अलग 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही वह अनुग्रहांक पाने के लिए हकदार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी को एक खण्ड लिखित अथवा प्रयोगात्मक खण्ड में से किसी एक ही खण्ड में अनुग्रहांक देय होगा।

---

*दिनांक 24 मई, 2003 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/55 दिनांक 20–05–2003 द्वारा संशोधित वर्ष 2003 की परीक्षा से प्रभावित।

किसी भी दशा में परीक्षार्थी को दोनों खण्डों (लिखित तथा प्रयोगात्मक) में अनुत्तीर्ण होने पर अनुग्रहांक देय नहीं होगा। ऐसे परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण हुए विषय में पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित उत्तीर्णांक तक अंक पाने के लिए उसके सम्पूर्ण योग के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अंक अनुग्रहांक के रूप में देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा और श्रेणी दी जायेगी। प्रयोगात्मक विषयों में लिखित तथा प्रयोगात्मक खण्डों हेतु पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित पृथक-पृथक पूर्णांक के आधार पर 25 प्रतिशत अंकों का निर्धारण किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी को केवल एक विषय में आठ अंक की सीमा तक ही अनुग्रहांक उनकी अर्हतानुसार दे होगा।

(ग) परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में श्रेणी प्रदान की योजना निम्नवत् होगी:-

सम्मान सहित उत्तीर्ण होने के लिए वांछित न्यूनतम अंक	:	सम्पूर्ण योग का 75 प्रतिशत या अधिक
प्रथम श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम अंक	:	योगांक का 60 प्रतिशत
द्वितीय श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम अंक	:	योगांक का 45 प्रतिशत
तृतीय श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम अंक	:	योगांक का 33 प्रतिशत जहाँ इसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

नोट-1- एक विषय में योगांक का 75 प्रतिशत होने पर विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जाती है।

2- इण्टरमीडिएट कृषि तथा व्यवसायिक वर्ग की परीक्षा के लिए विस्तृत योजना पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक विवरण पत्रिका में पृथक से दिए गए है।

*(घ) परिषद द्वारा किसी एक पूर्ण परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थी जिसे केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने की दशा में पूरक परीक्षार्थी घोषित किया गया है, को अनुत्तीर्ण हुए विषय में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र माना जायेगा।

*(ङ) परिषद द्वारा घोषित पूरक परीक्षार्थी उसी वर्ष में होने वाली पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विषय की परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे पूरक परीक्षार्थी यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें अनुपूरक परीक्षा से उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा, परन्तु उन्हें कोई श्रेणी नहीं प्रदान की जायेगी। ऐसे परीक्षार्थियों को यह सुविधा केवल उसी वर्ष की पूरक परीक्षा हेतु देय होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ष 2003 की परीक्षा के पूर्व वर्षों के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूरक परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की दशा में आगामी वर्ष की सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

*(च) पूरक परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को अपना आवेदन–पत्र व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में भरकर परीक्षा शुल्क के कोष–पत्र के साथ पंजीकरण केन्द्र पर जमा करना होगा।

*(छ) ऐसे परीक्षार्थी को जो पूरक परीक्षा के पश्चात् अंको की सन्निरीक्षा के फलस्वरूप पूरक परीक्षा के पात्र घोषित किए जाते है, पूरक परीक्षार्थी के रूप में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

*(ज) पूरक परीक्षार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं की कक्षा–11 में प्रवेश के पात्र तक तक नहीं समझे जायेगें, जब तक कि वे पूर्ण रूप से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते हैं।

*(झ) कोई परीक्षार्थी जिसे इण्टरमीडिएट कृषि भाग–एक की परीक्षा में पूरक परीक्षार्थी घोषित किया गया है, उसी वर्ष में आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा में निर्धारित शुल्क देकर सम्मिलित हो सकता है। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उस विषय में अर्जित अंक मुख्य परीक्षा में स्थानान्तरित कर दिए जायेगें और वह कृषि भाग–एक की परीक्षा में उत्तीर्ण समझा जायेगा।

*(ञ) कोई परीक्षार्थी जिसे इण्टरमीडिएट कृषि भाग–दो की परीक्षा में पूरक परीक्षार्थी घोषित किया गया है, उसी वर्ष में आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा में निर्धारित शुल्क देकर सम्मिलित हो सकता है और यदि परीक्षार्थी पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तो वह कृषि भाग–दो की परीक्षा में उत्तीर्ण समझा जायेगा, किन्तु कोई श्रेणी प्रदान नहीं की जायेगी।

*(ट) इण्टरमीडिएट कृषि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को उनका परीक्षाफल कृषि भाग–एक तथा भाग–दो में प्राप्त अंको के आधार पर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी खण्ड में पूरक परीक्षार्थी घोषित होने तथा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दशा में श्रेणी नहीं दी जायेगी।

---

* दिनांक 12 जुलाई, 2003 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद्–9/165 दिनांक 11 जुलाई, 2003 द्वारा सम्मिलित एवं वर्ष 2003 की परीक्षा से प्रभावी।

संनिरीक्षा उसकी कार्य–विधि

*21– हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थी जो अपनी उत्तर–पुस्तके संनिरीक्षित कराना चाहते है, निम्नलिखित नियमों के अनुसार करा सकते है:--

(क) कोई परीक्षार्थी जो परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट हुआ है, विषयों के अपने अंको की संनिरीक्षा के लिए आवेदन–पत्र दे सकता है।

(ख) ऐसे समस्त आवदेन–पत्रों के साथ कोष पत्र की एक प्रतिलिपि यह दिखाते हुए की चालीस रूपया विषय के प्रति प्रश्नपत्र की दर से निर्धारित शुल्क दे दिया गया है। अवश्य ही संलग्न होनी चाहिये। प्रयोगात्मक की संनिरीक्षा हेतु चालीस रूपया का शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय पृथक से देय होगा। उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थान से आवेदनपत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में यह शुल्क सचिव के कार्यालय में रेखित पोस्टल आर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया की इलाहाबाद शाखा पर रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।

(ग) ऐसे आवेदनपत्र के साथ एक सादा लिफाफा पते सहित (जिस पते पर परीक्षार्थी संनिरीक्षा परिणाम की सूचना चाहता है) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिस पर रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा हो। समस्त आवेदन–पत्र परीक्षाफल घोषणा की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर अवश्य दिये जाने चाहियें।

(घ) संनिरीक्षा हेतु आवेदित समस्त मामलों का निस्तारण परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर, तक सम्पन्न कर दिया जायेगा। संनिरीक्षा की समाप्ति पर परीक्षार्थियों को उनके द्वारा आवेदनपत्र में उल्लिखित पते पर संनिरीक्षा परिणाम की सूचना दी जायेगी।

(ङ.) संनिरीक्षा का तात्पर्य उत्तर पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन नहीं है। संनिरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों में यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तक में क्या अलग–अलग प्रश्नों में दिये गये अंको का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि नहीं हुई है। संनिरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तकों में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

---

*दिनांक 13–1–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद–9/579 दिनांक 7–12–2000 द्वारा संशोधित तथा वर्ष 2001 की परीक्षा से प्रभावी।

शुल्क

- 22– परिषद द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित शुल्क लिए जायेंगे––

• 1– हाईस्कूल परीक्षा	:	(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 80 रूपये। (ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 100 रूपये
2– विखण्डित		
• 3– इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रत्येक	:	(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी से 90 रूपये। (ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 150रूपये।
*4–(क) विखण्डित		
*(ख) विखण्डित		
• (ग) इण्टरमीडिएट कृषि (भाग–1) परीक्षा		किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 80 रूपये।
• (घ)इण्टरमीडिएट कृषि(भाग–1) परीक्षा	:	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से रू0150
• (ड.) इण्टरमीडिएट कृषि (भाग–2) परीक्षा		किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 80 रूपये।
• (च) इण्टरमीडिएट कृषि (भाग–2) परीक्षा	:	प्रत्येकव्यक्तिगत परीक्षार्थी से 150रूपये।
• (छ) विनियम 9 (क) अध्याय चौदह के अन्तर्गत	:	केवल अंग्रेजी में इण्टरमीडिएट परीक्षा 25 रूपये।
• (ज) विनियम 9 (क) अध्याय चौदह के अन्तर्गत	:	शेष विषयों में इण्टरमीडिएट परीक्षा 100रूपये।
**5– पूरक परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों से शुल्क	:	250 रूपये।
6– विखण्डित		
††7– मार्च/अप्रैल की मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों की परीक्षा	:	200 रूपये प्रति विषय।
8– परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की संनिरीक्षा का शुल्क	:	40 रूपये विषय के प्रति प्रश्नपत्र।

---

††दिनांक 30–11–2002 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद–9/494 दिनांक 12–11–2002 द्वारा संशोधित वर्ष 2004 की परीक्षा से प्रभावी।

**दिनांक 12 जुलाई,2003 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति स0 परिषद–9/165 दिनांक 11 जुलाई,2003 द्वारा सम्मिलित। वर्ष 2003 की परीक्षा से प्रभावी।

*दिनांक 21–09–2002 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या: परिषद–9/335 दिनांक 12–09–2002 द्वारा विखण्डित।

• राजाज्ञा संख्या 4887/15–7–2003–1(239)/1991 दिनांक 14 अक्तूबर, 2003 द्वारा संशोधित तथा दिनांक 25–10–2003 के राजकीय गजट में विज्ञप्ति संख्या: परिषद–9/459 दिनांक 20–10–2003 द्वारा प्रकाशित।

9–(क) किसी संस्थागत परीक्षार्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त व्योरेवार अंकों के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क	:	1 रूपये इस शुल्क का आधा सम्बन्धित संस्था के प्रधान द्वारा रख लिया जायेगा, जो परिषद से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक परीक्षार्थी को उसके व्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित प्रपत्र में प्रेषित करेंगे। संस्था के प्रधान द्वारा रखे गए शुल्क का विवरण निम्नवत् होगा।
	(क)	नामावली बनाने हेतु 12.5 प्रतिशत।
	(ख)	संख्या सूचक चक्र निर्माण हेतु 12.5 प्रतिशत।
	(ग)	प्राप्तांक पत्रों को तैयार करने तथा उसकी जॉच हेतु 50 प्रतिशत।
	(घ)	प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक टिकट तथा लेखन–सामग्री इत्यादि की मदों में व्यय हेतु 25 प्रतिशत।

यंत्रीकरण वाले संस्थाओं को स्थिति में शुल्क को केवल 25 प्रतिशत धनराशि संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जैसी स्थिति हो, रोक ली जायेगी, जिसका प्रयोग प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक व्यय तथा लेखन–सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।

(ख) किसी संस्थागत परीक्षा के अंक–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	20रूपये।
10–(क) किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त ब्योरेवार अंकों के प्रेषण का शुल्क	02रूपये, इस शुल्क का आधा सम्बन्धित केन्द्र के अधीक्षक द्वारा रख लिया जायेगा, जो परिषद के सचिव से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी को उसके ब्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित पत्र में प्रेषित करेंगे। केन्द्र अधीक्षक द्वारा रखे गये शुल्क की धनराशि का विवरण निम्नवत् होगा। (क) नामावली बनाने हेतु 12.½ प्रतिशत (ख) संख्या सूचक चक्र के निर्माण हेतु 12.½ प्रतिशत (ग) प्राप्तांक पत्रों को तैयार करने तथा उसकी जॉच हेतु 50 प्रतिशत। (घ) प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक टिकट तथा लेखन–सामग्री

	आदि की मदों में व्यय हेतु 25 प्रतिशत। यंत्रीकरण वाले संस्थाओं को स्थिति में शुल्क को केवल 25 प्रतिशत धनराशि संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा, जैसी स्थिति हो, रोक ली जायेगी जिसका प्रयोग प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक व्यय तथा लेखन–सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।
(ख) किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के अंक–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	20 रूपये

(अंक–पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपि सचिव के कार्यालय से प्रेषित की जायेगी जिसके लिए आवेदन–पत्र दिया जाना चाहिये।)

(ग) विखण्डित

11– विलम्ब शुल्क	25 रूपये (किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा देय जो परिषद की किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति का अपना आवेदन–पत्र विनियमों में निर्धारित तिथि के पश्चात परन्तु अधिकतम 31 अगस्त तक देता है।)
12– प्रवेश–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	2 रूपये।
*13–परिषद द्वारा एक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को निर्गत प्रमाण–पत्र में नाम परिवर्तन कराने का शुल्क	20 रूपये।
14– इस अध्याय के विनियम 28 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	50 रूपये प्रत्येक परीक्षा के लिए।
15– जिस वर्ष में परीक्षा हुई थी उसकी 31 मार्च से 5 वर्ष के अन्दर न लिए गए प्रमाण–पत्र का शुल्क	20 रूपये।

---

* दिनांक 27–1–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/635 दिनांक 27 दिसम्बर 2000 द्वारा टिप्पणी निरस्त तथा नाम परिवर्तन का शुल्क 20 रूपया निर्धारित किया गया।

16— किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिए प्रव्रजन प्रमाण—पत्र निर्गत होने का शुल्क	20 रूपये।
17— संस्था के प्रधानों का परीक्षाफल पत्रा की द्वितीय प्रतिलिपियां प्रेषित करने का शुल्क	10 रूपए प्रथम 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंक के लिए बाद के 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिए 5 रूपये।
18— व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन—पत्र अग्रसारण हेतु शुल्क	5 रूपये।

शुल्क की वापसी

23— किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिए एक बार दिया हुआ शुल्क निम्नलिखित को छोडकर वापस न होगा :

(क) दशायें, जिसमें पूरे शुल्क की वापसी हो जायेगी —–

[एक] परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी की मृत्यु।

[दो] कोई परीक्षार्थी, जो आगे होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क देने के पश्चात् संनिरीक्षा के फलस्वरूप अथवा अपने रोके हुए परीक्षाफल के मुक्त होने पर सफल घोषित कर दिया जाता है।

[तीन] कोई परीक्षार्थी, जो पूर्व परीक्षा के लिए दिये गये शुल्क, जिसमें वह अस्वस्थता के कारण प्रविष्ट न हो सका, के रोके जाने की समय से सूचना प्राप्त न होने के कारण नया शुल्क जमा कर देता है।

(ख) दशायें, जिसमें एक रूपया कम करके वापसी होगी :

[एक] जब कोई परीक्षार्थी भूल से शुल्क को "0202–शिक्षा खेल–कला और संस्कृति, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 02–बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क" शीर्षक में जमा कर दें यद्यपि वह किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित परीक्षा मे प्रविष्ट होना चाहता/चाहती है।

[दो] ऐसे परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जिनका आवेदन—पत्र परिषद अथवा अग्रसारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो।

[तीन] जब कोई परीक्षार्थी परिषद की किसी परीक्षा के लिए विहित शुल्क से अधिक जमा कर दें।

[चार] जब परिषद की किसी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलती से शुल्क जमा कर दिया जाय।

पुनश्च–(क) "शुल्क" का तात्पर्य केवल परीक्षा शुल्क से है और उसमें अंक शुल्क अथवा विलम्ब शुल्क सम्मिलित नहीं है।

(ख) शुल्क की वापसी का आवेदन–पत्र शुल्क को कोषागार में जमा करने के दो वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत हो सकेगा।

(ग) शुल्क की वापसी के लिए उस अभ्यर्थी के सम्बन्ध में किसी आवेदन–पत्र की आवश्यकता नहीं हैं जिसका आवेदन–पत्र परिषद द्वारा रद्द कर दिया गया है।

शुल्क –स्थगन

24– आवेदन–पत्र देने पर परिषद किसी परीक्षार्थी को, जो किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने से असमथ रहा, आगामी होने वाली परीक्षा में प्रवेश की अनुमति उसके शुल्क को स्थगित रखकर निम्नलिखित दशाओं में दे सकता है।

(एक) विखण्डित।

(दो) विखण्डित।

(तीन) परीक्षार्थी परीक्षा के समय भयकर रूप से रूग्ण था और उसको समथ चिकित्सा प्राधिकारी ने यथाविधि प्रमाणित किया हैं। परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क स्थगित रखने के आवेदन–पत्र संस्था के प्रधान अथवा सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक द्वारा परिषद के सचिव कार्यालय में परीक्षा वर्ष की 1 मई तक पहुँच जाने चाहिये।

पुनश्च–(क)– एक बार स्थगित किया गया शुल्क पुनः स्थगित नहीं हो सकेगा।

(ख)– मुख्य परीक्षा के तुरन्त बाद में हाने वाली पूरक परीक्षा का शुल्क स्थगित करने का आवेदन–पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर होगी। अधिक जमा किये शुल्क की वापसी न होगी।

प्रवेश–पत्र तथा उन्हें प्राप्त करने की विधि

25– सचिव अपने को आश्वस्त करने के उपरान्त कि परीक्षार्थी ने परिषद की परीक्षा में प्रवेश हेतु समस्त अपेक्षाओं को पूर्ति कर दी है, उसे प्रवेश–पत्र देगा जिसे परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत करके परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने प्रवेश–पत्र परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों से लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से 48 घन्टे पूर्व प्राप्त कर लेंगे, ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन अथवा उसके अंश पर 1 रूपये अर्थदण्ड देना होगा।

यदि सचिव आश्वस्त हों कि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश–पत्र खो गया अथवा नष्ट हो गया है तो निर्धारित शुल्क दिये जाने पर उसकी द्वितीय प्रतिलिपि दे सकते हैं।

वहिष्करण एवं निष्कासन

26-- इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी--

(एक) कोई परीक्षार्थी जो एक शैक्षिक वर्ष के भीतर किसी समय वहिष्कृत कर दिया गया है, उस शैक्षिक वर्ष में होने वाली परीक्षा में प्रवेश नहीं पा सकेगा।

(दो) किसी ऐसे परीक्षार्थी को, जिसकी परिषद की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए उसका प्रार्थना-पत्र भेज दिए जाने के पश्चात् संस्था से निष्कासित कर दिया गया है और जिसका किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश नहीं हुआ है, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ज्ञातव्य--- (क) यदि उपर्युक्त दण्ड उसे परीक्षाकाल में अथवा उसके पश्चात् परन्तु उस शैक्षिक वर्ष की समाप्ति से पूर्व दिया जाता है जिसमें परीक्षा होती है, तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) किसी परीक्षार्थी को जो परिषद द्वारा मान्य किसी परीक्षा निकाय से पारित है किसी परीक्षा में उस अवधि की समाप्ति से पूर्व, जिसके लिए वह दण्डित है, प्रवेश नहीं मिल सकेगा।

27-- (विखण्डित)

प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति

*28-- परिषद आवेदन-पत्र देने पर तथा इस अध्याय के विनियम **22(14)** के अनुसार निर्धारित शुल्क देने पर किसी परीक्षार्थी का प्रमाण-पत्र की दूसरी **प्रति निम्नलिखित** दशाओं में दे सकता है---

(एक) प्रमाण-पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में।

(दो) प्रमाण-पत्र के खराब हो जाने, विरूपित होने अथवा कट-फट जाने की दशा में परिषद को अवरूद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है।

(तीन) प्रमाण-पत्र की प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में जो अन्य प्रकार से मजबूत हैं और परिषद को निरस्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

(चार) आगामी विनियम 32 के प्रविधान के अनुसार अस्वामिक प्रमाण-पत्र नष्ट कर दिये जाने की दशा में।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ग (एक) एवं (दो) और (चार) में परीक्षार्थी अपने आवेदन-पत्रों के साथ शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। यदि परीक्षार्थी की आयु 20 वर्ष या इससे कम है तो शपथ-पत्र उसके पिता (यदि वह जीवित हैं) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक द्वारा (यदि पिता जीवित नहीं है) निष्पादित किया जायेगा। दोनों ही दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ-पत्र की यथा विधि अभिपुष्टि करनी होगी।

यह भी प्रतिबन्ध है कि वर्ग (एक) के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के द्वारा इस सत्य को इस राज्य के एक दैनिक समाचार-पत्र के एक संस्करण में विज्ञप्ति कराना होगा और इस समाचार-पत्र के संस्करण की प्रति जिसमें विज्ञप्ति निकली है परिषद के कार्यालय को पूर्व प्रतिबन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी।

प्रव्रजन प्रमाण–पत्र

29– व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों को निर्धारित शुल्क देने पर निम्नलिखित प्रपत्र में सचिव द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश
प्रव्रजन प्रमाण–पत्र

व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के रूप में परिषद् की परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के लिये :

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र/पुत्री........................ अनुक्रमांक......................ने 19.... में हुयी हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा ....केन्द्र से व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की।

परिषद् को उसके उत्तर प्रदेश से बाहर किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था में प्रविष्ट होने में कोई आपत्ति नहीं है।

इलाहाबाद –   सचिव।

ज्ञातव्य – संस्थागत् परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्टि होने वाले परीक्षार्थियों के लिये प्रव्रजन प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। जिस संस्था में परीक्षार्थी ने अध्ययन किया उसका जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित स्थानानतरण प्रमाण पत्र प्रव्रजन प्रमाण पत्र का कार्य करता है।

30– इस अध्याय के विनियम 28 के होते हुये भी परीक्षार्थी द्वारा प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

प्रमाण–पत्रों का वितरण

31– प्रमाण पत्रों का वितरण परिषद् की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रमाण पत्र आचार्य अथवा केन्द्र जैसी स्थिति हो, को भेजा जायेगा, जो परीक्षार्थी को देंगे। जो परीक्षार्थी डाक से अपना प्रमाण–पत्र चाहते हैं वे आचार्य/केन्द्र अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक टिकट तथा लिफाफा भेजकर अथवा निर्धारित प्रावधानानुसार प्राप्त कर सकेंगे।

अस्वामिक प्रमाण–पत्र

*32– आवेदन पत्र तथा इस अध्याय के विनियम 22 (15) के अन्तर्गत् निर्धारित शुल्क देने पर परिषद किसी परीक्षार्थी को जिसमें उस वर्ष की 31 मार्च से जिसमें की परीक्षा हुई थी पाँच वर्ष के भीतर न लिये गये मूल प्रमाण पत्र को निर्गत कर सकती है। इसके लिये आवेदन सचिव के यहां से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र पर संस्थागत् परीक्षार्थी के संबंध में संस्था के प्रधान द्वारा तथा व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के संबंध में केन्द्र के अधीक्षक द्वारा एक शपथ पत्र सहित जिसमें यह उल्लेख हो कि उसके प्रमाण पत्र की मूल प्रति अथवा दूसरी प्रतिलिपि नहीं प्राप्त की है, दिया जाना चाहिये।

यदि परीक्षार्थी 20 वर्ष या उससे कम आयु का है तो शपथ पत्र उसके पिता (यदि जीवित हों) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक द्वारा (यदि पिता जीवित न हों) निष्पादित किया जायेगा। दोनों दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ पत्र को यथाविधि अभिपुष्टि करनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी परीक्षार्थी ने निर्धारित अवधि के भीतर अथवा प्रमाण–पत्र संबंधित संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र अधीक्षक से प्राप्त नहीं किया है वह उसे 05 वर्ष की अवधि के बीतने के पश्चात् तुरन्त परिषद् कार्यालय में वापस भेज दें। छात्र को परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उसे प्रमाण पत्र दिया जायेगा। परिषद् द्वारा समस्त अस्वामिक प्रमाण पत्रों को परिषद् कार्यालय से उनके निर्गत होने की तिथि से 20 वर्ष बीतने के पश्चात् नष्ट कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् यदि कोई परीक्षार्थी अपना प्रमाण–पत्र चाहता है तो उसे उक्त प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र देना होगा।

---

* दिनांक 13–1–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्–9/599 दिनांक 7–12–2001 द्वारा संशोधित।

न्यूनतम आयु

*33– यदि किसी परीक्षार्थी की आयु उस वर्ष की प्रथम जुलाई को जिसमें वह परीक्षा में सम्मिलित होना चाहे 14 वर्ष अथवा उससे अधिक नहीं हो तो वह 1971 तथा उसके आगे की हाईस्कूल परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

(* राजाज्ञा संख्या मा0–630/15–7–1608–56–72 दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 द्वारा अन्य आदेश जारी होने तक निलम्बित है।)

34-- (निरस्त)

पत्राचार शिक्षा

35-- विभाग द्वारा स्थापित पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन और परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों को अध्ययन में सुविधा देने के लिए पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी।

पत्राचार शिक्षा संस्थान का प्रमुख दायित्व

पत्राचार शिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना, पाठ लेखन, परिमार्जन, मुद्रण एवं आवश्यकतानुसार आवृत्तियों में मुद्रित पाठों के प्रेषण की व्यवस्था करना, अभ्यर्थियों को निदेशन प्रदान करने की व्यवस्था करना, पत्राचार पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक उपयुक्तता प्रमाण पत्र देना तथा समय–समय पर निदेशक/शासन द्वारा अधिसूचित अन्य कार्यो का सम्पादन करना होगा।

36–(1) परिषद् परीक्षाओं की, जिस परीक्षा की जिस वर्ग के, जिस श्रेणी के, व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के लिए जिन विषयों में पत्राचार शिक्षा व्यवस्था किये जाने की अधिसूचना शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाय, उस परीक्षा के, उस वर्ग के, उस श्रेणी के ऐसे व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के लिए जो विनियम 37 के अन्तर्गत् नहीं आते हैं, पत्राचार शिक्षा हेतु अपना पंजीकरण कराकर पत्राचार शिक्षण अन्तर्गत् दिये गये पाठों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा।

(2) उपर्युक्त् श्रेणी के व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की जायेगी। पत्राचार पाठयक्रम अनुसरण की अवधि सामान्यतः दो शैक्षिक सत्र होगी। अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

37–(1) पत्राचार शिक्षण की अनिर्वायता से निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तिगत परीक्षार्थी मुक्त रहेंगे----

क– हाईस्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में----

(1) विगत वर्षो की हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(2) विनियम 17 तथा विनियम 20 अध्याय 12 के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी अथवा आंशिक परीक्षार्थी।

(3) अध्याय 12 के विनियम 10 (1) (अ) (चार) के अन्तर्गत आने वाले परीक्षार्थी।

(4) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 9 तथा 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो किन्तु परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन न किये हों (किन्तु संस्था की उपस्थिति पंजी में नाम हो) अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् भी परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों।

(5) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 9 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(6) हिन्दी से भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी।

(7) नेत्रहीन (अन्धे) तथा चलने फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी।

(8) भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत् परीक्षार्थी।

ख– इण्टरमीडिएट परीक्षा के सम्बन्ध में :

(1) विगत वर्षो की इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(2) विनियम 17 तथा विनियम 20 अध्याय 12 के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी अथवा आंशिक परीक्षार्थी।

(3) अध्याय 14 के विनियम 3 के प्रतिबन्धात्मक खंड तथा विनियम 3 (ख) के अन्तर्गत आने वाले परीक्षार्थी।

*(4) विखण्डित

*(5) विखण्डित

(6) नेत्रहीन (अन्धे) तथा चलने–फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी।

(7) भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत परीक्षार्थी।

प्रतिबन्ध यह है कि पत्राचार शिक्षण व्यवस्था की अनिवार्यता से मुक्ति प्राप्त उपयुक्त (क) और (ख) के अभ्यर्थी चाहें तो निर्दिष्ट विधि से निर्धारित शुल्क जमा करके पत्राचार के अंतर्गत लिये गये विषयों में पाठ प्राप्त कर सकते है।

*(2) इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने इच्छुक ऐसे परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 11 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, पत्राचार शिक्षा हेतु अपना पंजीकरण कराके पत्राचार शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनुसरण करना तथा तत्सम्बन्धी अनुसरण प्रमाण–पत्र परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करा अनिवार्य होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों के लिये पत्राचार शिक्षण की अविध एक शैक्षिक सत्र से अधिक न होगी।

---

*दिनांक 13–01–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या: परिषद्–9/599 दिनांक 07–12–2002 द्वारा संशोधित।

38—(1) पत्राचार शिक्षण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर पंजीकरण पत्राचार शिक्षण तथा अन्य शुल्क वसूल किया जायेगा।

(2) पत्राचार शिक्षा संस्थान के विभिन्न पारिश्रमिक कार्यों के लिये मानदेय तथा पारिश्रमिक का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर किया जायेगा।

39— पत्राचार शिक्षा संस्थान,उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजना के अन्तर्गत राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों को नियमित संस्थागत छात्र के रूप में माना जायेगा।

प्रमाण—पत्र में नाम परिवर्तन

*40— परिषद सफल उम्मीदवारों द्वारा विहित प्रक्रियानुसार आवेदन—पत्र देने तथा इस अध्याय के विनियम 22 (13) में निर्धारित शुल्क देने पर प्रमाण—पत्र में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन नाम परिवर्तन कर सकता है—

(क) आवेदन—पत्र उचित सरणी द्वारा दिया जायेगा तथा जिस वर्ष में परीक्षा हुई थी उसकी 31 मार्च से तीन वर्ष के भीतर परिषद के सचिव के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। आवेदक को एक टिकट लगे हुए कागज पर शपथ—पत्र देना होगा, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथाविधि प्रमाणित होना चाहिए, जिसमें नाम में परिवर्तन के वैध कारण दिये होंगे तथा जो एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा यथा विधि प्रमाणित होगा और परीक्षार्थी जहाँ वह निवास करता है, वहाँ के स्थानीय दैनिक पत्र की तीन विभिन्न तिथियों के संस्करणों में अपने नाम के परिवर्तन को विज्ञापित करेगा, इससे पूर्व कि उसे परिवर्तित नाम का नया प्रमाण—पत्र प्राप्त हो। सम्बन्धित तिथियों के समाचार —पत्रों की प्रतियां आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(ख) परिषद द्वारा नाम परिवर्तन के आवेदन—पत्र निम्नलिखत को छोडकर अन्य किन्हीं कारणों के स्वीकार नहीं किये जायेंगे—

नाम में भद्दापन हो अथवा नाम से अपशब्द की ध्वनि निकलती हो अथवा नाम असम्मानजनक प्रतीत होता हो अथवा अन्य ऐसी स्थिति होने पर ।

(ग) परीक्षार्थियों द्वारा नाम के पहले या बाद में उप नाम जोड़ने, धर्म अथवा जाति सूचक शब्दों को जोड़ने अथवा सम्मान जनक शब्द या उपाधि जोड़ने जैसे किसी भी प्रकार के आवेदन—पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार धर्म अथवा जाति परिवर्तन के आधार पर अथवा विवाहित छात्र/छात्राओं के विवाह के फलस्वरूप नाम परिवर्तन हो जाने पर परिषद द्वारा नाम में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(घ) उत्तर प्रदेश शासन से कर्मचारियों का नाम परिवर्तन के आवेदन—पत्र सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष द्वारा सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ के पास भेजा जाना चाहिए।

(ङ) भारतीय संघ के राज्य (उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त) सरकारी कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन आवेदन—पत्र पर किया जायेगा, यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद को सम्बन्धित विभाग के राज्य सचिव अथवा विभाग के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाती है।

(च) केन्द्रीय शासन के कर्मचारी के आवेदन—पत्र देने पर नाम में परिवर्तन कर दिया जायेगा यदि इसी प्रकार का परिवर्तन केन्द्रीय शासन द्वारा कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद को सम्बन्धित मंत्रालय के राज्य सचिव अथवा गृह विभाग के मंत्रालय द्वारा दे दी जाती है।

---

* दिनांक 27—01—2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद—9/635 दिनांक 27—12—2000 द्वारा सम्मिलित।

(छ) यदि किसी परीक्षा के लिए नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो अन्य परीक्षाओं के प्रमाण–पत्र में जो परीक्षार्थी को पहले अथवा बाद में निर्गत हुए हों, बिना नये शपथ–पत्र के परन्तु प्रति प्रमाण–पत्र के लिए 20 रूपये शुल्क देने पर नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा।

(ज) शपथ–पत्र तथा नाम में परिवर्तन का प्रार्थना–पत्र परीक्षार्थी के पिता अथवा यदि उनकी मृत्यु हो गयी हो, अभिभावक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

अध्याय तेरह

हाईस्कूल परीक्षा

(प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा–9 तथा 10)

[1] हाईस्कूल परीक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को नीचे दिये हुए अनुसार सात विषयों में परीक्षा ली जायेगी---

(एक) हिन्दी अथवा प्रारम्भिक हिन्दी (हिन्दी से छूट पाने वाले छात्रों के लिए)।

(दो) एक आधुनिक भारतीय भाषा (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, नैपाली)।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, तिब्बती, चीनी)।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, लैटिन)।

(तीन) गणित अथवा प्रारम्भिक गणित अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए)।

टिप्पणी––

(क) वे छात्र/छात्रायें जो किसी विकलांगता, पूर्ण नेत्रहीनता अथवा विकलांग हाथ से पीड़ित हों, जिससे वे अनिवार्य विषयों गणित में ज्यामितीय आकृतियां न खींच पाते हों अथवा विज्ञान/गृहविज्ञान में क्रियात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, इन विषयों के स्थान पर छठे विषय के रूप में निर्धारित अतिरिक्त विषयों की सूची में से अन्य अतिरिक्त विषय चयन करने की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की है कि ऐसे छात्र/छात्रा अपनी विकलांगता के समर्थन में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा साथ ही यदि अग्रसारण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतया सन्तुष्ट हों।

(ख) नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए प्रत्येक प्रश्न–पत्र तीन घण्टे के स्थान पर साढ़े तीन घण्टे का होगा।

(ग) निकाला गया। (परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 7 सितम्बर, 2002 में लिये गये निर्णय अनुसार निकाला गया।)

*(घ) मूक बधिर छात्र दूसरी अनिवार्य भाषा के स्थान पर एक अन्य विषय वैकल्पिक विषयों की सूची में से उपहृत कर सकते हैं।

[चार] विज्ञान

[पाँच] सामाजिक विज्ञान

[छः] निम्नलिखित विषयों में से कोई एक अतिरिक्त विषय–

(क) एक शास्त्रीय भाषा– (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या– दो पर नहीं लिया गया है।)

(संस्कृत, पालि, अरबी, फारसी, लैटिन)

अथवा

एक आधुनिक भारतीय भाषा– (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या– दो पर नहीं लिया गया है।)

(गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उडिया, कन्नड, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली।)

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा– (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है।)

(अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, तिब्बती, चीनी)

(ख) संगीत गायन
(ग) संगीत वादन
(घ) वाणिज्य
(ड.) चित्रकला
(च) कृषि
(छ) गृह विज्ञान (बालको के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है।)
(ज) सिलाई
(झ) रंजन कला
**(ञ) कम्प्यूटर

---

*दिनांक 28–4–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/881 दिनांक 28–3–2001 द्वारा सम्मिलित।

**दिनांक 09–12–2000 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या: परिषद–9/526 दिनांक 13–11–2000 द्वारा कम्प्यूटर विषय जोड़ा गया(कक्षा–9 वर्ष, 2002 से प्रभावी)

[सात]– नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी, उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित ट्रेड्स में से कोई एक––

1– टेक्सटाइल डिजाइन
2– पुस्तकालय विज्ञान
3– पाक शास्त्र
4– फोटोग्राफी
5– बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी
6– मधुमक्खी पालन
7– पौधशाला
8– आटोमोबाइल
9– धुलाई–रंगाई
10– परिधान रचना
11– खाद्य संरक्षण
12– एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण
13– आशुलिपि एवं टंकण
14– बैकिंग
15– टंकण
16– फल संरक्षण
17– फसल सुरक्षा
18– रेडियो एवं टेलीविजन
19– मुद्रण
20– बुनाई तकनीक

टीप– (1) क्रमांक सात के विषय/ट्रेड में विद्यालय स्तर पर आन्तरिक मूल्यांकन होगा। इस विषय/ट्रेड की वाह्य परीक्षा नहीं होगी। इस विषय में ग्रेड प्रदान किया जायेगा, जिसका उल्लेख अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र में होगा।

(2) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी/उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित ट्रेडस/विषय में उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र अग्रसारित कराते समय आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अथवा प्रवेश–पत्र प्राप्त करते समय सम्बन्धित पंजीकरण केन्द्र पर जमा करना आवश्यक नहीं होगा।

*(3) क्रमांक एक (हिन्दी अथवा प्रारम्भिक हिन्दी), तीन (गणित अथवा प्रारम्भिक गणित) (गृह विज्ञान छोड़कर) तथा पॉच (सामाजिक विज्ञान) में दो प्रश्न–पत्र 50–50 अंको के तथा क्रम चार (विज्ञान) में 35–30–35 अंकों के तीन प्रश्न–पत्र एवं क्रम दो (अंग्रेजी) में 50–50 अंकों के दो प्रश्न–पत्र होंगे। शेष अन्य विषयों में 100 अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा।

---

* सामाजिक विज्ञान मे दो प्रश्नपत्र तथा विज्ञान में तीन प्रश्नपत्र वर्ष 2001 की परीक्षा से तथा अंग्रेजी में दो प्रश्नपत्र वर्ष 2002 की परीक्षा से प्रभावी।

** [2] उपयुर्क्त पाठ्यक्रमों के अनुसार कक्षा 9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम पृथक–पृथक निर्धारित है कक्षा 9 के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यालय स्तर पर आंतरिक परीक्षा ली जायेगी। कक्षा 10 के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर हाईस्कूल परीक्षा की सार्वजनिक परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित होगी।

[3] कक्षा 9 तथा कक्षा 10 स्तर पर विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषयों की प्रयोगात्मकं विषयक कार्य केवल विद्यालय स्तर पर होगा तथा इसका आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा जिसका विधिवत् उल्लेख अंक–पत्र में होगा। परिषद द्वारा इन विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षायें सम्पादित नहीं होगी।

[4] नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में विद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रदान किया जायेगा जिसका उल्लेख अंक–पत्र / प्रमाण–पत्र में होगा।

[5] समस्त अध्यापकों के द्वारा जो हाईस्कूल परीक्षा के लिये तैयार कराने वाली कक्षाओं के शिक्षण मे नियुक्त है, डायरियां रखी जायेगी, जिनमें उनके द्वारा पढ़ाये गये प्रत्येक विषय में हुआ कार्य दिखाया जायेगा और इन डायरियों का मौखिक अथवा कियात्मक परीक्षकों अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा, जो परिषद द्वारा प्रतिनियुक्त किये जायें,निरीक्षण किया जायेगा।

समाजिक विज्ञान में दो प्रश्नपत्र वर्ष 2001 की परीक्षा से, विज्ञान में तीन प्रश्नपत्र वर्ष 2001 को परीक्षा से तथा अंग्रेजी में दो प्रश्नपत्र वर्ष 2002 की परीक्षा से प्रभावी।

[6] उप सात्रिक परीक्षाओं के लिये बनाये गये प्रश्न–पत्रों तथा समस्त परीक्षार्थियों को लिखित उत्तर पुस्तकों का भी परीक्षण इस ढंग से तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि परिषद निर्देश दे।

[7] समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। हाईस्कूल परीक्षा के समस्त परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देगें इस प्रतिबन्ध के साथ कि परिषद के सभापति तथा विभाग के ऐसे अन्य अधिकरी, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वमति से उन परीक्षार्थियों की, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है अंग्रेजी अथवा उर्दू में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दे सकते है। भाषाओं को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी में बनाये जायेंगे।

**दिनांक 29 मार्च,2003 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद–9 / 795 दिनांक 25 मार्च,2003 द्वारा संशोधित।

प्रतिबन्ध यह होगा कि परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश के आंग्ल भारतीय विद्यालयों के नियम संहिता द्वारा अनुशसित संस्थाओं को शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति परिषद दे सकती है। आवेदन–पत्र देते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा सचिव से प्रार्थना करने पर ऐसे परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न–पत्रों के अंग्रेजी रूपान्तर की व्यवस्था की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह भी है कि परिषद द्वारा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को ब्रेल लिपि में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है।

टिप्पणी– (1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्समबन्धी लिपि में देगें जिससे प्रश्न–पत्र का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रश्न–पत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

(2) परिषद के सभापति ने विनियम 7 अध्याय तेरह के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द अधीक्षकों को निम्नलिखित वर्गो के परीक्षार्थियों की परीक्षाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में अंग्रेजी में प्रश्न–पत्रों का उत्तर देने की अनुमति देने का अधिकार दे दिया है :

[एक] परीक्षार्थी जिनकी मातृ भाषा हिन्दी न होकर एक अन्य भाषा है।

[दो] परीक्षार्थी, जिन्होंने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय (गणित सहित) लिए है।

[तीन] आंग्ल भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थी।

[चार] परीक्षार्थी जिन्हें परिषद के विनियमों के विनियम 8 अध्याय तेरह के अन्तर्गत परिषद की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी लेने से छूट मिल गई है।

(3) परिषद के सभापति ने ऊपर के नियम के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश की ऐसे परीक्षार्थियों को जिनकी मातृ भाषा उर्दू है, परिषद की परीक्षाओं में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने का अनुमति देने का अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है।

(4) परिषद के सभापति ने ऊपर के विनियमों के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को दृष्टि–बाधित परीक्षार्थियों को ब्रेल लिपि में प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है।

(5) ऐसे समस्त मामले जिनमें संस्थाओं के प्रधानों अथवा केन्द्र अधीक्षंको अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति दी जाती है, परिषद को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

[8] इन विनियमों की शर्तो के होते हुये भी हाईस्कूल परीक्षा में निम्नलिखित वर्गो के परीक्षार्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट दी जा सकती है :

(1) विदेशी राष्ट्रिक को तथा

(2) भारतीय राष्ट्रिक को जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थें, जिससे कि वे हाईस्कूल परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सके।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों को हिन्दी का निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हिन्दी अथवा अन्य वैकल्पिक विषय, जो नियमानुकूल हो, अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर लेना चाहिये।

ज्ञातव्य---

(1) इस विनियम में उल्लिखित छूट परिषद के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे।

अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी नियम

परिषद की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी से छूट के नियम अध्याय तेरह विनियम 8 में दिये हुए है। उपर्युक्त विनियमों के अन्तर्गत परिषद ने अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी निम्नांकि नियम बनाये है---

1- परीक्षार्थी, जिन्होंने एक आंग्ल भारतीय अथवा पब्लिक स्कूल में कम से कम 3 वर्ष अध्ययन किया हो तथा स्तर आठ अर्थात कैम्ब्रिज सर्टीफिकट परीक्षा अथवा इण्डियन स्कूलन सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा संचालित इण्डियन स्कूल सर्टीफकेट परीक्षा जिस वर्ष में होता है, उससे चार वर्ष पूर्व का स्तर उत्तीर्ण कर लिया है।

2- परीक्षार्थी जो एक ऐसे राज्य के स्थायी निवासी है, जहॉ हिन्दी प्रादेशिक भाषा नहीं है तथा जिनके अभिभावक हाईस्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा वर्ष से पहले की वर्ष के 1 सितम्बर, को कम से कम 5 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रब्रजन कर चुके है।

3- परीक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, परन्तु जिन्होंने अस्थायी रूप से अन्य राज्य को प्रब्रजन किया है और वहॉ निवास किया है, यदि वे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक अध्ययन करने तथा उस विद्यालय में उच्च हिन्दी न लेने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते है :

अनिवार्य हिन्दी से छूट प्रदान करने के लिये अधिकृत अधिकारी

1- सन्दर्भित विनियमों के पुनश्च (1) के अनुसारण में परिषद के सभापति ने निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखित राष्ट्रिकों को अनिवार्य हिन्दी से छूट देने का अधिकार दे दिया है :

(क) जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश– भारतीय राष्ट्रिक, जो (व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के परीक्षार्थी)।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान– विदेशी राष्ट्रिक, जो उनकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं

(ग) उन संस्थाओं के प्रधान, जो परीक्षा केन्द्र है– विदेशी राष्ट्रिक, जो उस केन्द्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं।

2– संस्थागत परीक्षार्थियों को, जो अनिवार्य हिन्दी से छूट पाने के अधिकारी हो, यथोचित प्राधिकारी से कक्षा में प्रवेश के समय आवेदन करना चाहिए।

3– व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में छूट के लिए प्रार्थना तथा आदेशों की प्राप्ति परीक्षा में प्रविष्टि होने के आवेदन–पत्र भरने से पूर्व ही प्राप्त करनी चाहिये।

विभिन्न प्रकार की हिन्दी लेमे के सम्बन्ध में निर्देश

1– **प्रारम्भिक** हिन्दी (कक्षा 8 के स्तर की) लेकर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को **इण्टरमीडएट** परीक्षा में निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी लेनी होगी।

2– **उत्तर प्रदेश से** हिन्दी के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के बाहर के **किसी प्रदेश** से बिना हिन्दी के अथवा कम अंकों वाली निम्न स्तर की हिन्दी के साथ हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी या मैट्रीकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी लेनी होगी। इसका अर्थ हुआ कि पंजाब की मैट्रीकुलेशन परीक्षा की 150 अंकों की हिन्दी, सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली की आल इण्डिया हायर सेकेण्डरी परीक्षा को 150 अंको की हिन्दी (एम0एल0) अथवा उस बोर्ड की हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अधिक अंको वाली हिन्दी आदि लेकर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट के लिये निर्धारित हिन्दी अथवा **सामान्य हिन्दी** का पाठ्यक्रम लेना होगा।

3– इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी से छूट नहीं दी जायेगी।

अध्याय चौदह

इण्टरमीडिएट परीक्षा

1– **इण्टरमीडिएट** परीक्षा में प्रवेश के लिये या परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का **अध्ययन प्रारम्भ करने** से पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद की हाईस्कूल परीक्षा अथवा हाईस्कूल **प्राविधिक परीक्षा** अथवा विनियम द्वारा उसके (हाईस्कूल परीक्षा) समकक्ष घोषित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

2– निम्नलिखित परीक्षाएं इण्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है–

(1) भारत में विधिवत् स्थापित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रीक्येलेशन परीक्षा, जो परिषद द्वारा इस उद्देश्य से मान्य है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्य हैं–

इलाहाबाद, पंजाब, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, बनारस और अलीगढ :

प्रतिबन्ध यह है कि बम्बई विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंकों से अथवा प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए।

ज्ञातव्य–बनारस हिन्दू तथा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मैट्रीक्येलेशन परीक्षा का तात्पर्य प्रथम की प्रवेश परीक्षा तथा द्वितीय की हाईस्कूल परीक्षा से है।

(2) उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा उस राज्य में विधिवत स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रीक्यूलेशन के समकक्ष स्वीकार की जाती है ;

(3) कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल कहलाती थी) परीक्षाएं ;

(4) चीफ कालेजों का डिप्लोमा ;

(5) मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में यूरोपियन स्कूलों की हाईस्कूल परीक्षा ;

(6) मध्य प्रदेश की हाईस्कूल शिक्षा परिषद की हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(7) हाईस्कूल फाइनल तथा मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा परिषद, बर्मा द्वारा संचालित हाईस्कूल फाइनल तथा मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा, जो पहले बर्मा ऐंग्लो वर्नाक्यूलर हाईस्कूल तथा इंगलिश हाईस्कूल परीक्षा कहलाती थी ;

ज्ञातव्य– उन भारतीय विद्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो बर्मा से निष्क्रान्त है, रंगून विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा में बर्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों, जिन्होंने अलग–अलग विषयों में न्यूनतम अंक तथा बर्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों में योगांक प्राप्त किए हैं– इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के पात्र समझे जाते हैं।

(8) लन्दन विश्वविद्यालय को मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(9) ट्रावनकोर राज्य की इंगलिश स्कूल लीविंग परीक्षा ;

(10) हैदराबाद (दक्खिन) की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है ;

(11) मैसूर का सेकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र घोषित हुआ है ;

(12) राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज,देहरादून (जो पहले सैनिक स्कूल,देहरादून तथा मौलिक रूप से रायल इडियन मिलटरी कालेज कहलाता था) की डिप्लोमा परीक्षा ;

(13) माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा, इस प्रतिन्बध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा ऐसे पाँच विषयों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत है ;

टिप्पणी– दिल्ली परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के निम्नलिखित विषय उत्तर प्रदेश की समान परीक्षा के लिए स्वीकृत विषय समझे जाने चाहिए––

(क) शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान ;

(ख) दो स्वीकृत विषयों के संघटित अंगों से युक्त विषय जैसे प्रारम्भिक नागरिक शास्त्र तथा प्रारम्भिक अर्थशास्त्र, प्रारम्भिक अर्थशास्त्र तथा भारतीय इतिहास इत्यादि ;

(उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने 1937 ई0 तक दिल्ली परिषद की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, पाँच स्वीकृत विषयों की गणना उस समय लागू नियमों के आधार पर की जानी चाहिए।)

(14) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एलूकेशन, अजमेर [जो पहले बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन राजपूताना (जिसमें अजमेर, मारवाड़ भी सम्मिलित थे), मध्य भारत और ग्वालियर,अजमेर कहलाता था तथा बाद में जिसका नाम बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, अजमेर, भोपाल और विन्ध्य प्रदेश, अजमेर रखा गया] की हाईस्कूल परीक्षा ;

(15) भरतीय नौ सेना का हायर एजूकेशन टेस्ट, जो पहले इंडियन मर्कन्टाइल मेरीन ट्रेनिंग शिप "डफरिन" का डफरिन फाइनल पासिंग आउट इक्जामिनेशन अधिशासी अथवा अभियंत्रण कैडेटो के लिए कहलाता था ;

(16) कोचिन राज्य की सेकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सर्टीफिकेट प्राप्तकर्ता मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रम का पात्र घोषित हुआ है ;

(17) नेशनल यूनिवर्सिटी, आयरलैन्ड की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(18) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्खिन) की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है ;

(19) बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट ऐन्ड सेकेन्डरी एजूकेशन, ढाका की हाईस्कूल परीक्षा ;

(20) नेपाल शासन द्वारा संचालित स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(21) मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, शेफील्ड तथा वरमिघम विश्वविद्यालय के संयुक्त बोर्ड की स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा अंग्रेजी, गणित, इतिहास अथवा भूगोल तथा दो अन्य विष्यों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत है ;

(22) संयुक्त मैट्रीक्यूलेशन बोर्ड, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा

(23) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, हैदाराबाद की हायर सेकेन्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी एक प्रयत्न में उत्तीर्ण हुआ है और उसने परीक्षा में सम्पूर्ण योगाकों के कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है तथा वह उस्मानिया विश्वविद्यालय की पूर्व विश्वविद्यालय कक्षा में प्रवेश का पात्र है ;

(24) उत्कल विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(25) प्रमुख एअर कैफ्टसमैन के लिये पुनवर्गीकरण हेतु आई0ए0एफ0 एजूकेशन टेस्ट ;

(26) भारतीय सेना का स्पेशल सर्टीफिकेट आफ एजूकेशन ;

(27) सन् 1946 ई0 से मई 1964 ई0 तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ संचालित विद्याविनोदनी (मैट्रीक्यूलेशन) परीक्षा, इस प्रतिबन्ध में साथ कि वह एडवांस अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण की गई हो तथा पूर्ण परीक्षा एक साथ अथवा एक दूसरे वर्षो के बीच (दो से अधिक खंडो में नहीं) उत्तीर्ण की गई हो ;

पुनश्च– <u>प्रयाग महिला विद्यापीठ के 556, दारागंज, इलाहाबाद तथा 106, हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण–पत्र स्वीकार किये जायेंगे।</u>

(28) लंका की सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, जिसका बाद में नाम जनरल सर्टीफिकेट आफ एजूकेशन (आर्डिनरी लेविल) परीक्षा, लंका रखा गया है ;

(29) बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (एक वर्षीय अथवा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) ;

(30) गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन द्वारा संचालित अंग्रेजी के साथ अधिकारी परीक्षा, जो एक से अधिक वर्ष में खंडो में उत्तीर्ण न की गई हो ;

टिप्पणी– इस विनियम में प्रयुक्त शब्द खंडो से तात्पर्य पूरक परीक्षा से है।

(31) सन् 1946 से मई,1964 तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदनी (मैट्रीक्यूलेशन) परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के विनियमों के अध्याय तेरह के पुराने विनियम 7 के अन्तर्गत केवल अंग्रेजी में हाईस्कूल परीक्षा (जैसा कि 1955 की विवरण पत्रिका में दिया है) ;

पुनश्च-- प्रयाग महिला विद्यापीठ के 556, दारागंज, इलाहाबाद तथा 106, हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

(32) माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल, परीक्षा (जो पहले हाईस्कूल परीक्षा कहलाती थी और राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर द्वारा संचालित होती थी) ;

(33) गुरूकुल विश्वविद्यालय,कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई है ;

टिप्पणी-- इस विनियम में प्रयुक्त शब्द (खण्डों) से तात्पर्य पूरक परीक्षा से है।

(34) जामिया-मिलिया इस्लामियां, दिल्ली द्वारा संचालित जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (जो पहले जूनियर परीक्षा कहलाती थी) इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नही उत्तीर्ण की गई है ;

(35) पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(36) गौहाटी विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(37) पूना, महाराष्ट्र राज्य के सेकेन्डरी स्कूल, सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, बोर्ड द्वारा संचालित (जो पहले बम्बई के सकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित होती थी) सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(38) बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी प्राविधिक परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) ;

(39) जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(40) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मध्य भारत (ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा) ;

(41) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन परीक्षार्थियों के लिये, जिन्होंने मैट्रीक्यूलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमीशन अथवा क्वालीफाइंग परीक्षा ;

(42) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित) पूर्व माध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा, वर्ष, 2001 तक। वर्ष 2002 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।

(43) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित स्कूल फाइनल परीक्षा

(44) आन्ध्र विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(45) बिहार स्कूल इक्जामिनेशन बोर्ड, पटना द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा ;

(46) विश्वभारती विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(47) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, उडीसा द्वारा संचालित हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(48) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (जो पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित) पुरानी खण्ड मध्यमा (प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम) तथा अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा ;

(49) मध्य प्रदेश, जबलपुर के महाकौशल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन द्वारा संचालित सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(50) विदर्भ नागपुर के बोर्ड आफ सकेन्डरी एजूकेशन द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(51) समाज सेवा विनियम के अन्तर्गत पंजाब विश्वविद्यालय, सोलन द्वारा निर्गत मेट्रीक्यूलेशन सर्टीफिकेट ;

(52) पांडिचेरी शासन को निम्नलिखत फ्रेंच परीक्षायें—–

(क) ब्रेवेट एलिमेंटर (फ्रेन्च)।

(ख) ब्रेवेट दि एट यूड्स डलर साइकिल (फ्रेन्च)।

(ग) ब्रेवेट दि एन्साइनमेन्ट प्राइमरी सुपीरियर दि लैग्वे इंडियन (तामिल)।

(घ) दि ब्रेवेट दि लैग्वेइडियन (तेलगू मलयालम)।

(53) केरल राज्य, त्रिवेन्द्रम के बोर्ड आफ पब्लिक इक्जामिनेशन द्वारा संचालित एस0एस0एल0सी0 परीक्षा ;

(54) बंगलादेश सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका (बंगलादेश) की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(55) बडौदा के गुजरात सेकेन्डरी स्कूल, सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(56) सेन्ट्रल बोर्ड आफ एजूकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ;

(57) काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा संचालित विशारद परीक्षा ;

(58) सिन्ध विश्वविद्यालय, पाकिस्तान की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(59) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय, अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद की हायर सेकेन्डरी प्रथम भाग अथवा अन्य अनुरूप परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसकी परीक्षायें परिषद द्वारा मान्य है तथा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र दिया जाता है ;

यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस राज्य की बी0ए0 परीक्षा के लिये आवश्यक बाद के अध्ययन की वर्ष की संख्या से अवधारित होगी ;

(60) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित सेकेन्डरी टेक्निकल परीक्षा।

(61) काउन्सिल फार दी इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित पाँच विषयों के साथ एक बार में उत्तीर्ण इंडियन सर्टीफिकेट आफ सेकेन्डरी एजूकेशन एक्जामिनेशन (स्टैन्डर्ड टेन्थ एक्जामिनेशन)।

(62) पंजाब स्कूल एजूकेशन बार्ड, चण्डीगढ़ की मैट्रीकुलेशन परीक्षा।

(63) बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, नागालैन्ड की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा।

(64) बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, हरियाण, चन्डीगढ़ की मैट्रीकुलेशन, हायर सेकेन्डरी, भाग–एक तथा दो परीक्षा।

(65) हिमांचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन (शिमला) द्वारा संचालित मैट्रीक्यूलेशन हायर सेकेन्डरी, भाग–एक तथा दो परीक्षा।

(66) गुरूकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर,सहारनपुर की "विद्यारत्न परीक्षा"।

(67) पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, चण्डीगढ़ द्वारा संचालित हायर सेकेन्डरी परीक्षा कक्षा–11।

(68) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल द्वारा संचालित हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा।

(69) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, अगरतल्ला की क्रमशः माध्यमिक स्कूल फाइनल परीक्षा तथा हायर सेकेन्डरी परीक्षा (कक्षा–11)।

(70) राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गयी हो।

(71) रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षायें, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा अरबी और मुन्शी परीक्षा फारसी।

2–क– नीचे लिखी हुई शर्तें उन व्यक्तिगत रूप से व्यवसस्थित संस्थाओं पर लागू होगी, जो किसी अधिनियम अथवा चार्टर के अन्तर्गत अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं चल रही है। ये शर्ते उनके द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष विनियम 2, अध्याय चौदह के अन्तर्गत मान्यता दने के उद्देश्य से लागू होगी :–

(1) परिषद का एक प्रतिनिधि उस प्राधिकर में होगा, जो परीक्षा के लिये अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करता है ;

(2) वह संस्था अपने परीक्षा–केन्द्रों की परिषद के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षित किये जाने की अनुमति देगी ;

(3) वह संस्था परिषद के प्रतिनिधियों को परिषद के नियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देगी ;

ये शर्ते उन समस्त संस्थाओं पर लागू होगी, जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन–पत्र देती है तथ उस निकायों के लिये भी जिनकी परीक्षाएं इस अध्याय के विनियम 2 (30) तथा (33) के अन्तर्गत परिषद द्वारा उसकी हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

3– कोई परीक्षार्थी उस समय तक इण्टरमीडिएट परीक्षा में नही प्रविष्ट हो सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा हाईस्कूल अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए दो शैक्षिक वर्ष न बीत गये हों:

प्रतिबन्ध यह है कि जिन परीक्षार्थियों ने कैंब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल कहलाती थी), परीक्षा अथवा इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, नई दिल्ली को काउन्सिल द्वारा संचालित इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (केवल दिसम्बर, 1974 तक) अथवा हायर सेकेन्डरी परीक्षा (एक वर्षीय अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी स्कूल टेक्निकल सर्टीफिकेट परीक्षा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन,अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा डिमास्ट्रेशन मल्टीपरपज हायर सकेन्डरी परीक्षा अथवा भारत में विधिवत् स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा प्रदेश अथवा अर्हता अथवा पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसके तुरन्त बाद में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होता है, इण्टरमीडिएट परीक्षा में पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले शैक्षिक वर्ष में प्रविष्ट हो सकते है।

ज्ञातव्य– इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में भी प्रविष्ट होने के पात्र है, यदि वे वांछित शर्ते पूरी करें।

3–क– विखंडित।

3–ख– इन नियमों को शर्तो के होते हुए भी कोई परीक्षार्थी जिसने परिषद की इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वैज्ञानिक वर्ग के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा में, उस शैक्षिक वर्ष के बाद के वर्ष में बैठ सकता है जिसमें वह पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करता है।ऐसे परीक्षार्थी को हिन्दी में पुनः बैठने की आवश्यकता न होगी और इन विषयों में उसके द्वारा पहले प्राप्त अंकों को सम्मिलित कर लिया जायगा।

4– किसी छात्र को, जो एक शैक्षिक वर्ष भारत में विधिवत् स्थापित ऐसे विश्वविद्यालय अथवा भारत में ऐसे माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध विद्यालय में रहा है, जिसका मैट्रीक्यूलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा परिषद द्वारा मान्य है अथवा जिसने हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की उत्तर मध्यमा कक्षा जो पहले राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी द्वारा संचालित होती

थी, में उत्तर मध्यमा परीक्षा (अंग्रेजी के साथ) का तैयारी में प्रवेश किया है, एक वर्ष की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें वह इस प्रकार रहा है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह समुचित प्राधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि तत्सम्बन्धी वर्ष का लेखा उस विश्वविद्यालय अथवा निकाय में लागू विनियमों के अनुसार जहाँ उसे प्रव्रजन किया है, विधिवत् रखा गया है तथा कथित आचार्य को उसके स्थानान्तरण में कोई आपत्ति नहीं है।

टिप्पणी– कोई छात्र जो ऊपर के प्रस्ताव में उल्लिखित किसी निकाय में सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में सत्र के किसी भाग में रहा है, परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रविष्ट हो सकता है और उस विद्यालय के व्याख्यानों की उपस्थिति की गणना उत्तर प्रदेश के विद्यालय की उपस्थिति के साथ पाठ्यक्रम के नियमित अध्ययन के उद्देश्य से की जायेगी, इस प्रतिबन्ध के साथ कि ऊपर के विनियम में निर्धारित शर्तें पूरी की जाती है।

उपर्युक्त विनियम के उद्देश्य से गौहाटी तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों की इण्टरमीडिएट परीक्षायें भी मान्य हैं।

*(5) इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित के अनुसार पाँच विषयों में परीक्षा ली जायेगी–

इन विषयों के अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम तथा नैतिक शिक्षा का शिक्षण सभी छात्रों के लिए अनिवाय होगा।

1– एक अनिवार्य विषय : हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी

(क) मानविकी वर्ग

(2–5) निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय–

(एक) भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम अथवा नेपाली)।

(दो) एक आधुनिक विदेशी भाषा– अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, तिब्बती अथवा चीनी।

(तीन) एक शास्त्रीय भाषा– संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी अथवा लैटिन।

ज्ञातव्य–

(1) परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में दो से अधिक भाषाएं न ले सकेंगे।
(2) संस्कृत इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह उपर्युक्त में क्रमांक एक वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ली गयी है।

(3) कश्मीरी तथा चीनी के पाठ्यक्रम पारित होने तक परीक्षार्थी इन्हें उपहृत नहीं कर सकेंगे।

---

*दिनांक 13–1–2001 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/599 दिनांक 7–12–2000 द्वारा संशोधित (वर्ष 2003 की परीक्षा से प्रभावी)

(4) इतिहास
(5) नागरिक शास्त्र
(6) गणित
(7) अर्थशास्त्र
(8) संगीत गायन अथवा संगीत वादन अथवा नृत्यकला
(9) चित्रकला आलेखन अथवा चित्रकला प्रावैधिक अथवा रंजनकला
(10) समाजशास्त्र
(11) सांख्यिकी
(12) गृह विज्ञान
(13) भूगोल
(14) कम्प्यूटर
(15) सैन्य विज्ञान
(16) मनोविज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र अथवा तर्कशास्त्र
(17) काष्ठ शिल्प अथवा ग्रन्थ शिल्प अथवा चर्म शिल्प अथवा सिलाई

नोट-- क्रम चौदह पर अंकित विषय कम्प्यूटर में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु इस विषय के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते है।

(ख) वैज्ञानिक वर्ग

(2--5) निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय--
(एक) भौतिक विज्ञान
(दो) रसायन विज्ञान
(तीन) जीव विज्ञान
(चार) गणित
(पॉच) कम्प्यूटर
(छः) वैद्युत अभियंत्रण के तत्व अथवा यान्त्रिक अभियंत्रण के तत्व
(सात) मानविकी वर्ग के विषयों में से कोई एक विषय

1-- क्रम पॉच तथा छः के विषयों में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही प्रवेश पाने के पात्र होंगे परन्तु इन विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।

2-- यदि क्रम चार अथवा पॉच के विषय उपहृत किया है तो मानविकी वर्ग से क्रमशः (छः) अथवा (चौदह) नहीं ले सकेंगे।

(ख) वैज्ञानिक वर्ग (द्वितीय)

समाप्त

(ग) वाणिज्य वर्ग

(2) बहीखाता तथा लेखा शास्त्र

(3) व्यापारिक संगठन एवं पत्र–व्यवहार

(4–5) निम्नलिखित में से कोई दो विषय—–

(एक) अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल

(दो) अधिकोषण तत्व

(तीन) औद्योगिक संगठन

(चार) गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी

(पाँच) कम्प्यूटर

(छः) बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार

(सात) मानविकी वर्ग के विषयों में से कोई एक विषय

टीप–(1) कम एक अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल लेने वाले छात्र मानविकी वर्ग से अर्थशास्त्र विषय नहीं ले सकेंगे।

(2) कम–5 कम्प्यूटर विषय लेने वाले छात्र मानविकी वर्ग से कम्प्यूटर विषय नहीं ले सकेंगा।

(ग) वाणिज्य वर्ग(द्वितीय)

समाप्त किया गया।

(घ) रचनात्मक वर्ग

समाप्त किया गया।

(च) ललित कला वर्ग

समाप्त किया गया।

(छः) कृषि वर्ग

भाग–एक (प्रथम वर्ष) परीक्षा–

1– हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी

2– (क) शस्य विज्ञान (सामान्य कृषि क्षेत्र की फसलें, भूमि एवं खाद)

(ख) वनस्पति विज्ञान

(ग) भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान
(घ) कृषि अभियंत्रण के तत्व
(ड.) गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी

भाग–दो (द्वितीय वर्ष) परीक्षा–

1– हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी
2– (क) शस्य विज्ञान (सिचाई, जल निकास एवं वनस्पति उत्पादन)
(ख) अर्थशास्त्र
(ग) जन्तु विज्ञान
(घ) पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान
(ड.) रसायन विज्ञान

नोट– हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा कृषि भाग–एक (प्रथम वर्ष) में नहीं ली जायगी। इस विषय की परीक्षा कृषि भाग–दो (द्वितीय वर्ष) में दो वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर ली जायेगी।

कृषि वर्ग की परीक्षा की विस्तृत योजना
कृषि भाग एक– (प्रथम वर्ष) परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक सिद्धांत में	न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धांत में	अधिकतम अंक कियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक कियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक योग में
	2	3	4	5	6
1– कृषि–					
(क) प्रथम प्रश्न–पत्र शस्य विज्ञान (सामान्य कृषिक्षेत्र की फसले, भूमि एवं खाद तथा कियात्मक)	50	17	50	16	33
(ख) द्वितीय प्रश्न–पत्र वनस्पति विज्ञान तथा कियात्मक	50	17	50	16	33
(ग) तृतीय प्रश्न–पत्र भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान तथा कियात्मक	50	17	50	16	33
(घ) चतुर्थ प्रश्न–पत्र कृषि अभियंत्रण तथा कियात्मक	50	17	50	16	33
(ड.) पंचम प्रश्न–पत्र गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी	50	17	..	..	..
योग–	250	..	200	..	..

कृषि भाग दो– (द्वितीय वर्ष) परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक सिद्धान्त में	न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धान्त में	अधिकतम अंक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक योग में
1	2	3	4	5	6
1– हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी (32–32–36) के	100	33	..	..	..
2– कृषि–					
(क) षष्ठम् प्रश्न–पत्र शस्य विज्ञान (सिचाई, जल निकास तथा वनस्पति उत्पादन) तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(ख) सप्तम् प्रश्न–पत्र अर्थशास्त्र	50	17	..	..	..
(ग) अष्टम् प्रश्न–पत्र जन्तु विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(घ) नवम् प्रश्न–पत्र पशुपालन तथा पशु–चिकित्सा विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(ड.) दशम् प्रश्न–पत्र रसायन विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
योग–	350	..	200	..	..

नोटः– हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा कृषि भाग–एक प्रथम वर्ष में नहीं ली जायेगी। इस विषय की परीक्षा कृषि भाग–दो द्वितीय वर्ष में दो वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर ली जायेगी।

पुनश्च– (1)कोई परीक्षार्थी कृषि इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रमाण–पत्र का अधिकारी परीक्षा के दोनो भागों को उत्तीर्ण करने के पश्चात् होगा। परीक्षा के द्वितीय भाग (द्वितीय वर्ष) के अन्त में सफल परीक्षार्थी को श्रेणी का निर्धारण परीक्षा के प्रथम तथा द्वितीय भागों के संयुक्त अंकों के आधार पर होगा।

(2) परीक्षार्थियों को समस्त विषयों में तथा सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्न–पत्र और परीक्षा के भाग–1 के विषय की क्रियात्मक परीक्षा में भी पृथकतः उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कोई परीक्षार्थी जब तक कि वह परीक्षा का प्रथम भाग उत्तीर्ण न कर ले तब तक वह परीक्षा के भाग 2 में प्रविष्ट न हो सकेगा।

(3) परीक्षा के भाग 1 में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के नाम भी प्रकाशित किये जायेंगे। कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

(4) परीक्षा के भाग 2 में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पृथकतः सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में तथा परीक्षा के लिए निर्धारित प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षा में प्राप्त करने होगें।

(ज) उत्तर बेसिक वर्ग

समाप्त किया गया।

(6) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी के माध्यम से देगें। इस प्रतिबन्ध के साथ कि परिषद के सभापति तथा ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें वे इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वविवेक से उन परीक्षार्थियों को जिनकी मातृभाषा हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा है और जिन्होंनें हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा तक हिन्दी का अध्ययन नहीं किया है या जिन्होंने वैज्ञानिक या प्राविधिक विषय लिए है, अंग्रेजी द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने की आज्ञा दे सकते है। भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नपत्र हिन्दी में बनाये जायेंगे।

तथापि परिषद, परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के आंग्ल भारतीय विद्यालयों की विनियम संहिता में शासित संस्थाओं की शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा सचिव को प्रार्थना–पत्र देने पर ऐसे परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न–पत्रों के अंग्रेजी रूपान्तर की व्यवस्था की जा सकती है।

टिप्पणी–(1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर भाषाओं तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देंगे, यदि प्रश्नपत्र में ही उसके विपरीत उल्लेख न हों।

(2) परिषद के सभापति ने अध्याय चौदह के विनियम 6 के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्रों के अधीक्षकों को यह अधिकार दे दिया है कि वे पूर्वोक्त वर्गों के परीक्षार्थियों को तथा आंग्ल भारतीय संस्थानों से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में भाषाओं को छोडकर अन्य विषयों में अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दे दें।

(3) उपर्युक्त विनियम के अन्तर्गत सभापति ने उत्तर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी अपने अधिकार, ऐसे परीक्षार्थियों का जिनकी मातृभाषा उर्दू है, परन्तु जिन्होने हिन्दी (प्रारम्भिक पाठ्यक्रम) पढी है, परिषद की परीक्षा में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में प्रतिनिहित कर दिया है।

(7) अध्याय चौदह के विनियम के होते हुए भी वे परीक्षार्थी जो 1953 ई0 या उनसे पूर्व के वर्ष की इण्टरमीडिएट परीक्षा में "विशेष युद्ध विनियमों" शरणार्थी परीक्षार्थियों के लिए विशेष संक्रमणकालीन विनियमों (जैसे कि 1951 ई0 की विवरण पत्रिका में दिये गये हैं तथा राजनीतिक पीड़ितो के लिए विशेष संक्रमणकालीन विनियमों के अन्तर्गत बैठे तथा अनुत्तीर्ण हुए, बाद में किसी वर्ष की इण्टरमीडिएट परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में उस वर्ष के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बैठ सकते हैं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि व परिषद की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए विनियमों में निर्धारित अन्य शर्तो को पूरा कराते है।)

*(8) विखण्डित।

(9) निरस्त।

9–(क)– कोई परीक्षार्थी जिसने अध्याय चौदह के प्राचीन विनियम 9 के अन्तर्गत परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा केवल अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण कर ली है, शेष विषयों सहित इण्टरमीडिएट की आगामी परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है और वह परीक्षार्थी परीक्षा में सफल होने पर अवशिष्ट विषयों में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र पाने का अधिकारी होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को सम्पूर्ण इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण माना जायेगा। उन्हें कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

अध्याय चौदह (क)
इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा
(अन्तिम दो वर्षीय कक्षा 11–12 के पाठ्यक्रम)

(1) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित विषयों तथा ट्रेड में परीक्षा ली जायेगी :

(एक) सामान्य हिन्दी (जो इण्टरमीडिएट मानविकी एवं वैज्ञानिक, वाणिज्य वर्गो के परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित है।)

(दो) निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से कोई एक विषय (100 अंक अध्याय–चौदह में निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रश्न–पत्रों के अनुसार)

1– अरबी
2– अर्थशास्त्र
3– आसामी
4– इतिहास
5– उर्दू
6– उड़िया
7– अंग्रेजी
8– कन्नड़
9– गणित
10– गृह विज्ञान

---

*दिनांक 21–9–2002 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/335 दिनांक 12–9–2002 द्वारा संशोधित।

11– गुजराती
12– चित्रकला
13– जर्मन
14– तर्क शास्त्र
15– तमिल
16– तेलगू
17– नागरिकशास्त्र
18– नैपाली
19– पाली
20– पंजाबी
21– फारसी
22– फ्रांसीसी
23– बंगला
24– भूगोल
25– मनोविज्ञान
26– मराठी
27– मलयालम
28– रूसी
29– लैटिन
30– समाज शास्त्र
31– संगीत वादन
32– संगीत गायन
33– सांख्यिकी
34– संस्कृत
35– सिन्धी
36– सैन्य विज्ञान
37– शिक्षा शास्त्र
38– जीव विज्ञान
39– भौतिक विज्ञान
40– रसायन विज्ञान

41– व्यापारिक संगठन एवं पत्र–व्यवहार
42– औद्योगिक संगठन
43– अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल
44– गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी
45– शस्य विज्ञान

(तीन) समान्य आधारिक विषय (50–50 अंको के दो प्रश्न–पत्र)

(चार) निम्नलिखित व्यावसायिक धाराओं (ट्रेड्स) में से कोई एक––

(क) सैद्धान्तिक (5×60) पॉच प्रश्न–पत्र प्रत्येक 60 अंक कुल 300 अंक।

(ख) प्रयोगात्मक :

आन्तरिक– 200 अंक
बाह्य– 200 अंक
} 400 अंक

*1– खाद्य एवं फल संरक्षण
2– पाक शास्त्र
3– परिधान रचना एवं सज्जा
4– धुलाई तथा रंगाई
5– बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी
6– टैक्सटाइल डिजाइन
7– बुनाई तकनीक
8– नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध
9– पुस्तकालय विज्ञान
10– बुनियादी स्वास्थ्य कार्मिक (पुरूष)
*11– रंगीन फोटोग्राफी
*12– रेडियों एवं रंगीन टेलीवीजन
13– आटोमोबाइल्स
14– मुद्रण
15– कुलाल विज्ञान
16– मधुमक्खी पालन
17– डेरी प्रौद्योगिकी
18– रेशम कीट पालन
19– बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी
20– फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी
21– पौधशाला
22– भूमि संरक्षण
23– एकाउन्टेंसी एवं अंकेक्षण
24– बैकिंग
25– आशुलिपि तथा टंकण
26– विपणन तथा विक्रय कला
27– सचिवीय पद्धति
28– बीमा
29– सहकारिता

*दिनांक 9–3–2002 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद–9/690 दिनांक 6–12–2001 द्वारा संशोधित।

30– टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी
31– कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीकी
32– इम्ब्राइडरी
33– हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं बेजीटेबुल ड्राइंग
34– मेटल क्राफ्ट

(2) व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड्स में रोजगारपरक प्रशिक्षण कराया जायेगा जो सम्बन्धित ट्रेड में दिये गये प्रौद्योगिक कार्य के अनुसार होगा। रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रयोगशाला तथा कार्य–स्थल दोनों स्थानों पर होगा।

(3) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही प्रवेश के पात्र होगें परन्तु व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्टि हो सकेंगे।

(4)इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा का परीक्षा के परीक्षार्थियों को हिन्दी से छूट नहीं प्रदान [illegible]यगी।

(5)इण्टरमी[illegible]सायिक शिक्षा में प्रवेश के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद की हाईस्कूल अथवा काई परीक्षा, जो विनियमों द्वारा उसके समकक्ष घोषित की गई है, उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(6)शिक्षण एवं प्रश्न–पत्रों का उत्तर देने का माध्यम हिन्दी होगा, यदि कोई परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना चाहता है तो उसकी अनुमति होगी।

(7)अध्याय बारह के विनियम लागू होंगे जहॉ तक कि ये इस अध्याय के विनियमों के प्रतिकूल नहीं है।

(8)व्यवसायिक शिक्षा के परीक्षार्थी का परीक्षा अंतिम वर्ष में होगी।

अध्याय–सोलह

प्रकीर्ण

1– परिषद की परीक्षाओं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना परीक्षाओं की विवरण–पत्रिका में दी जायेगी जो प्रति वर्ष परिषद के सचिव, द्वारा निर्गत होता है और जो निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से नियत मूल्य देकर प्राप्त हो सकती है।

2– उत्तर प्रदेश की शिक्षा संहिता के नियम परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षा संस्थाओं पर लागू होंगे, जहॉ तक कि वे इन विनियमों के प्रतिकूल नहीं है।

3– परिषद समय–समय पर ऐसे प्रपत्र एवं पंजी तैयार करेगी जैसा कि आवश्यक समझा जायेगें। इस प्रकार तैयार किये गये प्रपत्र इन विनियमों से संलग्न कर दिए जायेंगे और ऐसे परिवर्तनों के

साथ जैसे कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, उनमें उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों से व्यवहृत होंगे।

भाग–तीन

(इण्टरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, 1921 की धारा 20 के अन्तर्गत बनाई गई परिषद की उपविधिया)।

1– परिषद की समस्त बैठकों में सभापति सहित परिषद का कोरम उसके कुल सदस्यों का एक–तिहाई होगा।

2– यदि कोरम उपस्थित नहीं है तो बैठक के लिये विज्ञापित समय से 30 मिनट पश्चात् कोई बैठक न होगी।यह बात परिषद की समितियों तथा परिषद द्वारा नियुक्त उपसमितियों अथवा उसकी विभिन्न समितियों के सम्बन्ध में भी लागू होगी।

3– यदि किसी बैठक के दौरान, कोई सदस्य कोरम की अनुपस्थित की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तो सभापति बैठक को भंग कर देगा।

4– प्रत्येक प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णीत होगा और मतों के एक समान विभाजित होने की दशा में सभापति का एक द्वितीय मत होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 3 (3) के अन्तर्गत परिषद के सदस्यों के आमेलन, धारा 13 (1) के अन्तर्गत परिषद के सदस्यों के उसकी समितियां में निर्वाचन तथा अधिनियम की धारा 13 (3) के अन्तर्गत व्यक्तियों के समितियों में आमूलन के लिये, निर्वाच आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। निर्वाचन के ढंग को एकल संक्रणय मत द्वारा अनुशासित करने वाली अनुसूची परिशिष्ट क में दी है।

5– यदि कोई सदस्य परिषद की किसी बैठक में सभापति के आदेश अथवा व्यवस्था का निरन्तर अवहेलना करता है अथवा उसकी चुनौती देता है तो सभापति बैठक का मत ले सकता है कि क्या ऐसे सदस्यों को उस दिन के लिये निलम्बित नहीं कर दिया जाय। यदि उपस्थित सदस्य निलम्बन का निर्णय करते है तो सभापति अपराधी सदस्य को निलम्बित घोषित कर देगा और ऐसे सदस्य को अविलम्ब प्रत्याहरण के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

6– कोई प्रस्ताव जो परिषद द्वारा अमान्य कर दिया गया है, अमान्य किये जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर सभापति की अनुमति के सिवाय पुनः प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

7– परिषद की समस्त बैठकों का सभापतित्व परिषद के पदेन सभापति द्वारा किया जायेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सभापति का निर्वाचन करेंगे।

8– परिषद उसकी समितियों तथा उप–समितियों की बैठके, जब तक कि विशेष कारणों से सभापति इसके प्रतिकूल आदेश न दें, इलाहाबाद में ही होगी।

9– विखण्डित।

10– परिषद की बैठकों की लिखित सूचना, बैठक की कार्य–सूची–पत्र के साथ परिषद के समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व भेजी जायगी।

10 (क) अधियाचित बैठकों की लिखित सूचना कार्य सूची–पत्र के साथ परिषद के समस्त सदस्यों की अधियाचना प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायगी।

10 (ख) जिन सदस्यों ने अधियाचना की है उनमें से यदि इतने सदस्य अधियाचना को वापस करने को लिखकर देते हैं जिससे अधियाचना में अन्य सदस्यों की संख्या परिषद के 1, 1/4 सदस्यों से कम हो जाती है, अधियाचना रद्द हो जायगी। प्रतिबन्ध यह है कि अधियाचना को वापस लेने का पत्र सचिव को अधियाचना के एक सप्ताह के अन्दर भेज दिया जाय।

11– सभापति की सहमति के बिना, कार्य–सूची–पत्र में दी हुई कार्यवाही के अतिरिक्त किसी बैठक में कोई अन्य कार्यवाही न होगी।

12– परिषद की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव का नोटिस सचिव के पास बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व अवश्य पहुच जाना चाहिए।

13– प्रस्ताव के लिए उचित नोटिस दिया गया है, इस विषय के समस्त प्रश्नों का निर्णय सभापति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

14 (क) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव जिसका यथाविधि नोटिस नहीं दिया गया है, परिषद की बैठक में नहीं रखा जायेगा––

(1) किसी वाद–विवाद को स्थगित करने का,

(2) किसी बैठक को स्थगित करने का,

(3) किसी बैठक को भंग करने का,

(4) कार्यवाही के क्रम को परिवर्तित करने का,

(5) किसी मामले को विभाग, अथवा विश्वविद्यालय अथवा शासन के किसी प्राधिकारी को विचारार्थ भेजने का,

(6) विचार के आगामी विषय पर बढ़ने का,

(7) कोई समिति नियुक्त करने का,

(8) बैठक की एक समिति में विघटित करने का,

(9) यह प्रस्तावित करना कि प्रश्न अब प्रस्तुत किया जाय।

(ख) ऊपर के (1), (2), (6) अथवा (9) के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव पर बहस के बि । मत लिया जायगा।

(ग) (1), (2), (3), (4), (6), (8) और (9) के अन्तर्गत प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जा सकेंगे।

15– प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकारात्मक रूप में होगा और "कि" शब्द से प्रारम्भ होगा।

16– प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना चहिए अन्यथा वह गिर जायगा। प्रस्ताव का अनुमोदन, सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

17– जब कोई प्रस्ताव, जो ठीक रूप में है, अनुमोदित हो जाता है, बहस किये जाने से पूर्व सभापति द्वारा कथित होगा।

18– यदि सभापति द्वारा प्रस्ताव के कथित होने के उपरान्त कोई सदस्य प्रस्ताव पर बोलने को नहीं खड़ा होता है, तो सभापति उस पर मत लेने की अग्रिम कार्यवाही करेगा।

19– एक प्रस्ताव और उसके एक संशोधन से अधिक बैठक के सामने एक ही समय पर नहीं प्रस्तुत किये जायेंगे।

20– एक बार निबटाया हुआ प्रस्ताव पुनः उसी बैठक अथवा उसकी स्थगित बैठक में नहीं रखा जायेगा।

21– कोई ऐसा संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायेगा जो मूल प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक करें।

22– प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव से सम्बद्ध होना चाहिए जिस पर वह प्रस्तावित किया गया है।

23– कोई संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायेगा जो मौलिक रूप से बैठक द्वारा पहले निपटाया हुआ प्रश्न उठता है अथवा जो उसके पहले से स्वीकृत किसी निश्चय से असम्बद्ध हो।

24– जो संशोधन ठीक रूप से हों, उन्हें किस कम से लिया जायगा यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा।

25– किसी संशोधन का अनुमोदन प्रस्ताव की भांति होना चाहिए अन्यथा वह गिर जायेगा। संशोधन का अनुमोदन सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

26– एक संशोधन जो ठीक रूप में है, जब प्रस्तावित तथा अनुमोदित हो जाता है अध्यक्ष द्वारा कथित होगा।

8– परिषद उसकी समितियों तथा उप–समितियों की बैठके, जब तक कि विशेष कारणों से सभापति इसके प्रतिकूल आदेश न दें, इलाहाबाद में ही होगी।

9– विखण्डित।

10– परिषद की बैठकों की लिखित सूचना, बैठक की कार्य–सूची–पत्र के साथ परिषद के समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व भेजी जायगी।

10 (क) अधियाचित बैठकों की लिखित सूचना कार्य सूची–पत्र के साथ परिषद के समस्त सदस्यों की अधियाचना प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायगी।

10 (ख) जिन सदस्यों ने अधियाचना की है उनमें से यदि इतने सदस्य अधियाचना को वापस करने को लिखकर देते है जिससे अधियाचना में अन्य सदस्यों की संख्या परिषद के 1, 1/4 सदस्यों से कम हो जाती है, अधियाचना रद्द हो जायगी। प्रतिबन्ध यह है कि अधियाचना को वापस लेने का पत्र सचिव को अधियाचना के एक सप्ताह के अन्दर भेज दिया जाय।

11– सभापति की सहमति के बिना, कार्य–सूची–पत्र में दी हुइ कार्यवाही के अतिरिक्त किसी बैठक में कोई अन्य कार्यवाही न होगी।

12– परिषद की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव का नोटिस सचिव के पास बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व अवश्य पहुच जाना चाहिए।

13– प्रस्ताव के लिए उचित नोटिस दिया गया है, इस विषय के समस्त प्रश्नों का निर्णय सभापति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

14 (क) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव जिसका यथाविधि नोटिस नहीं दिया गया है, परिषद की बैठक में नहीं रखा जायेगा––

(1) किसी वाद–विवाद को स्थगित करने का,

(2) किसी बैठक को स्थगित करने का,

(3) किसी बैठक को भंग करने का,

(4) कार्यवाही के क्रम को परिवर्तित करने का,

(5) किसी मामले को विभाग, अथवा विश्वविद्यालय अथवा शासन के किसी प्राधिकारी को विचारार्थ भेजने का,

(6) विचार के आगामी विषय पर बढ़ने का,

(7) कोई समिति नियुक्त करने का,

(8) बैठक की एक समिति में विघटित करने का,

(9) यह प्रस्तावित करना कि प्रश्न अब प्रस्तुत किया जाय।

(ख) ऊपर के (1), (2), (6) अथवा (9) के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव पर बहस के बिना मत लिया जायगा।

(ग) (1), (2), (3), (4), (6), (8) और (9) के अन्तर्गत प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जा सकेंगे।

15– प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकारात्मक रूप में होगा और "कि" शब्द से प्रारम्भ होगा।

16– प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना चहिए अन्यथा वह गिर जायगा। प्रस्ताव का अनुमोदन, सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

17– जब कोई प्रस्ताव, जो ठीक रूप में है, अनुमोदित हो जाता है, बहस किये जाने से पूर्व सभापति द्वारा कथित होगा।

18– यदि सभापति द्वारा प्रस्ताव के कथित होने के उपरान्त कोई सदस्य प्रस्ताव पर बोलने को नहीं खड़ा होता है, तो सभापति उस पर मत लेने की अग्रिम कार्यवाही करेगा।

19– एक प्रस्ताव और उसके एक संशोधन से अधिक बैठक के सामने एक ही समय पर नहीं प्रस्तुत किये जायेंगे।

20– एक बार निबटाया हुआ प्रस्ताव पुनः उसी बैठक अथवा उसकी स्थगित बैठक में नहीं रखा जायेगा।

21– कोई ऐसा संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायेगा जो मूल प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक करें।

22– प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव से सम्बद्ध होना चाहिए जिस पर वह प्रस्तावित किया गया है।

23– कोई संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायेगा जो मौलिक रूप से बैठक द्वारा पहले निपटाया हुआ प्रश्न उठता है अथवा जो उसके पहले से स्वीकृत किसी निश्चय से असम्बद्ध हो।

24– जो संशोधन ठीक रूप से हों, उन्हें किस क्रम से लिया जायगा यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा।

25– किसी संशोधन का अनुमोदन प्रस्ताव की भांति होना चाहिए अन्यथा वह गिर जायेगा। संशोधन का अनुमोदन सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

26– एक संशोधन जो ठीक रूप में है, जब प्रस्तावित तथा अनुमोदित हो जाता है अध्यक्ष द्वारा कथित होगा।

27– भंग करने अथवा स्थगन के प्रस्तावक को उत्तर का अधिकार नही है।

28– जब सभापति यह जान लेगा कि बैठक को संशोधित करने का अधिकारी कोई अन्य अगई होइकोई अ सदस्य नहीं बोलना चाहता है, तो मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक पूरे वाद–विवाद का उत्तउत्त का क उत्त देगा।

29– प्रस्तावक द्वारा उत्तर आरम्भ करने के पश्चात् कोई सदस्य प्रश्न पर नहीं बोलेगा। गा लेगोलेबोलेगा।

30– जब बहस समाप्त हो जाती है, तो सभापति उसका सार प्रकट करने के उपरान्तरान्उप उ उपरा यदि चाहे तो इस प्रकार प्रश्न पर मत ले सकता है––

(1) यदि कोई संशोधन अस्वीकृत हो जाता है, तो सभापति प्रस्ताव और संशोधन न धनशाशशोधन कहेगा और बैठक का मत लेगा।

(2) यदि संशोधन है, तो मूल प्रस्ताव सभापति द्वारा पुनः रखा जायेगा और पहले ले हले पः पहले उपविधियों को अधीन कोई दूसरा संशोधन जो ठीक है, उसके पश्चात् प्रस्तावित कि वित विवित वि जायेगा।

(3) यदि कोई संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो संशोधित प्रस्ताव सभापति द्वारा रा द्वार द्वा द्वारा जायेगा और तब उस पर मौलिक प्रश्न के रूप में बहस होगी, जिस पर मूल प्रस्तावतावस्त प्र प्रस्ता कोई और संशोधन, जो ठीक रूप में हो, जहाँ तक कि वे लागू हो सकेंगे, पहलेहले पा, ो, पहले उपविधियों के अधीन प्रस्तावित किये जा सकते है। जब इस प्रकार समस्त संशोधनोंधनोंधसंशसंशोधनो कार्यवाही हो जायेगी, तब सभापति संशोधित प्रस्ताव पर मौलिक प्रस्ताव के रूप में रूप रू रूप मे लेगा।

31– भंग करने अथवा स्थगन का प्रस्ताव किसी भी समय एक स्पष्ट प्रश्न के रू रूके। ल के रू प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु एक संशोधन के रूप में नहीं और न किसी भी सीकि किसी में रूकावट डालने के लिए हो।

32– यदि भंग करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो बैठक के विचाराधीन कार्यका वोनगेन का समाप्त हो जायगी।

33– यदि स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो बैठक स्थगित हो जायेगीयेगाये ज जायेगी कार्यवाही स्थगित बैठक में पुनः प्रारम्भ की जायेगी।

34– बहस को किसी निर्दिष्ट तिथि तथा समय के लिए स्थगन का प्रस्ताव भी भव तास्ताव भी प्रकार प्रस्तावित किया जा सकता है और यदि स्वीकृत हो जाय तो विचाराधीन प्र प्रन धीनधीन प्र बहस निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक स्थगित हो जायेगी और कार्य–सूची–पत्र के वत्र -प–पत्र के विषयों को लिया जायेगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो बहस पुनः नः पुनः पुन होगी।

35– कोई बैठक अथवा बहस, जो किसी स्थगन के बाद फिर आरम्भ होती है अथवा चलती रहती है स्थगन से पूर्व की समझी जायेगी।

36– कार्यवाही के अगले विषय के लिये बढने का प्रस्ताव किसी समय उसी ढंग से तथा उन्हीं नियमों के अन्तर्गत, जो स्थगन के लिये है, किया जा सकता है। यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो विचाराधीन प्रस्ताव तथा उसका संशोधन यदि कोई हो, गिर जायेगा।

37– प्रस्ताव अथवा संशोधन रखे जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य सभापति से प्रश्न करने की प्रार्थना कर सकता है और यदि सभापति को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर पर्याप्त बहस हो चुकी है तो प्रस्तावक से उसका उत्तर मांगते हुये बहस को समाप्त कर सकता है और प्रश्न पर मत ले सकता है।

38– कोई भी सदस्य प्रस्ताव अथवा संशोधन रखते समय 15 मिनट से अधिक अथवा अनुमोदन करते समय अथवा किसी प्रस्ताव या संशोधन पर बोलते समय अथवा उत्तर देते समय 10 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।

39– सभापति कार्यवाही में किसी समय स्वविवेक से अथवा किसी सदस्य की प्रार्थना पर प्रस्ताव अथवा संशोधन का, जो बैठक के समाने है, क्षेत्र और प्रभाव समझा सकता है। यदि वह चाहे तो वाद–विवाद की समाप्ति पर वाद–विवाद का सार भी प्रकट कर सकता है।

40– कोई सदस्य, जब कोई दूसरा बोल रहा हो, अपने द्वारा प्रयुक्त किसी वाक्यांश का स्पष्टीकरण करने के लिये, जो वक्ता द्वारा गलत समझा गया हो, सभापति की अनुमति से खड़ा हो सकता है, परन्तु वह अपने को केवल ऐसे स्पष्टीकरण तक ही सीमित रखेगा।

41– कोई सदस्य, सभापति का ध्यान किसी वैधानिक प्रश्न पर उस समय भी दिला सकता है जिस समय अन्य सदस्य बैठक को सम्बोधित कर रहा हो, परन्तु ऐसे वैधानिक प्रश्न पर कोई भाषण नहीं दिया जायेगा।

42– सभापति किसी भी वैधानिक प्रश्न का एक मात्र निर्णायक होगा और वह किसी भी सदस्य को व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो बैठक को भंग अथवा उसी दिन कुछ घंटे या अगले दिन के लिए स्थगित कर सकता है।

43– सभापति की अनुमति से किसी सदस्य द्वारा जिसने किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन का नोटिस दिया हो, प्रस्ताव अथवा संशोधन वापस लिया जा सकता है।

44– एक सदस्य के नाम कोई प्रस्ताव अथवा संशोधन, जो बैठक में अनुपस्थित हो, किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जा सकता है।

45– किसी प्रश्न पर मत लेने पर सभापति परिषद के मत का संकेत स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में जानने को हाथ उठवायेगा और अपने मत के अनुसार उसका परिणाम घोषित करेगा।

46– किसी विवादग्रस्त मामले पर समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा किसी समय और बिना पूर्व नोटिस के रखा जा सकता है।

46–(क) परिषद अथवा उसकी समिति की बैठक मे उप–समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव निम्नलिखित को छोड़कर नहीं रखा जायगा––

(1) परिषद की परीक्षाओं में काफी बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में उसी स्थान पर जॉच करने के लिए किसी केन्द्र के एकआध मामलों में अथवा थोड़े से मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा जॉच की जायगी।

(2) उन मामलों के विस्तार से जॉच, जिनकी सावधानी से संनिरीक्षा की जानी है तथा जो परिषद अथवा उसकी समितियों की बैठक में नहीं निपटाये जा सकते है।

46–(ख) ऐसी उप समिति में परिषद के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें परिषद तथा उसकी समितियां प्रत्येक दशा में ठीक समझे, इस प्रतिबन्ध के साथ कि सदस्यता साधारणतया तीन से अधिक न होगी।

टिप्पणी– उपविधि 46–क तथा 46–ख परिषद द्वारा तदर्थ समिति की नियुक्ति में लागू न होगी।

47– किसी समिति के नियुक्ति के प्रस्ताव में उस उद्देश्य का कथन, जिसके लिए समिति को कार्य करना है तथा उसके सदस्यों की संख्या होनी चाहिये। संख्या बढ़ाने अथवा घटाने के संशोधन बिना पूर्व नोटिस के रख जा सकते है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो प्रसताव रखने वाला सदस्य उन व्यक्तियों के नाम बतायेगा, जिन्हें वह समिति में रखना चाहता है। तब यदि आवश्यक हुआ, तो नाम लिया जायगा और वांछित संख्या में सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से होगी जो अधिकतम मत प्राप्त करते है।

48– किसी समिति का संयोजक समिति की नियुक्ति के समय नियुक्त किया जाएगा।

49– परिषद द्वारा नियुक्त किसी समिति के निश्चय एक आख्या में समाविष्ट किये जायेंगे। आख्या परिषद को उसकी आगामी बैठक में यथाविधि नोटिस देकर प्रस्तुत की जायेगी।

50– परिषद के सचिव द्वारा संयोजकों के परामर्श से समितियों तथा उप–समितियों की बैठकों की तिथियाँ नियत की जायेगी।

समिति की बैठकों की निम्नलिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक के कार्य–सूची पत्र के साथ बैठक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार उप–समितियों की बैठकों की लिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी।

51– परिषद की समस्त साधारण समितियो की बैठकें यथासभव परिषद की बैठकों स पूर्व तुरन्त होगी।

52– समिति अथवा उप–समिति का सयोजक समिति को प्रत्येक बैठक की आख्या की एक प्रति सचिव को उपस्थित सदस्यों की सूची सहित प्रेषित करेगा।

53– किसी समिति अथवा उप–समिति का कोरम उसके सदस्यो के एक–तिहाई से कम न होगा।

54– यदि किसी समिति अथवा उप–समिति की बैठक कोरम की कमी के कारण नहीं होती हैं, बैठक किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित कर दी जायेगी जब कि उपस्थित सदस्य कोरम को अनुपस्थिति में भी मूल बैठक मे विज्ञापित कार्यवाही करेगे। किसी बैठक की कार्यवाही, जो कोरम की कमी के कारण नहीं हो पाती है, पत्र–व्यवहार द्वारा भी हो सकती है।

55– पाठ्यक्रम समितियाँ अपनी कार्यवाही अशतः बैठक द्वारा तथा अंशतः पत्र–व्यवहार द्वारा पूरी कर सकती है।

56– परिषद की समितियों अथवा उप–समितियों की बैठकों में प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। मतो के समान विभाजन की दशा मे सभापतित्व करने वाले व्यक्तियों का एक द्वितीय मत होगा।

56–(क)
56–(ख) } विखडित
56–(ग)

57–(घ) जब तक कि कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय को पाठयक्रम समिति का सदस्य है, उस समय तक कोई पुस्तक, जिसका वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा जिसमे उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ है, उस विषय में परिषद की किसी भी परीक्षा में स्वीकृत अथवा संस्तुत न होगी।

57— परिषद की बैठक के बाद यथासम्भव शीघ्रता से बैठक के कार्य वृत का आलेख सचिव द्वारा सभापति को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। तब कार्यवृत मुद्रित कराया जायेगा और समस्त सदस्यों में परिचलित कराया जायेगा। उपस्थित सदस्य कार्यवृत निर्गत होने के 15 दिन के भीतर सचिव को उसकी शुद्धता सम्बन्धी आपत्तियों की सूचना देंगे। कार्यवृत तथा आपत्तियॉं, यदि कोई हों, परिषद की आगामी बैठक में रखी जायेगी और तब कार्यवृत की अन्तिम रूप में पुष्टि की जायेगी।

58— किसी मामले में, सभी इन उप—विधियों में व्यवस्था न हो, सभापति का कार्यविधि के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देने का अधिकार होगा।

परिशिष्ट 'क'

(अध्याय चार के विनियम—7 तथा उपविधि 4 के सन्दर्भ में)

अनुसूची

एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन विधि के सम्बन्ध में उपबन्ध

1— निम्नलिखित अनुच्छेदों में——

(अ) "उम्मीदवार" का अर्थ बैठक में यथाविधि योग्यता प्राप्त नामित व्यक्ति है।

(आ) "सभापति" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का सभापति है।

(इ) "अविरामी उम्मीदवार" का अर्थ निर्वाचित न हुए अथवा किसी नियत समय पर मतदान के लिए न छोड़े गये सदस्य से है।

(ई) "निश्शेषित पत्र" का अर्थ वह मत—पत्र है, जिस पर अविरामी उम्मीदवार के लिए और वरीयता का अभिलेख न हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि पत्र उस दशा में भी निश्शेषित समझा जायेगा ; यदि

(1) दो अथवा अधिक उम्मीदवारों, चाहे वे अविरामी हो या नहीं, के नामों के आगे वहीं संख्या अंकित है और वरीयता के क्रम में वे अगले ही स्थान पर है।

(2) वरीयता के क्रम में अगले उम्मीदवार का नाम, चाहे वह अविरामी हो अथवा नहीं, अंकित है——

(क) एक ऐसी संस्था द्वारा जो मत—पत्र की किन्हीं संख्याओं के बाद क्रम से न हो, अथवा

(ख) दो अथवा दो से अधिक संख्याओं द्वारा।

(उ) "प्रथम वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है जिसके नाम के आगे मत—पत्र पर संख्या 1 अंकित हो, "द्वितीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के

आगे संख्या 2 तथा "तृतीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या 3 हो और इसी प्रकार।

(ऊ) "मूलमत" का अर्थ किसी भी उम्मीदवार के सम्बन्ध मे किसी मत–पत्र से प्राप्त मत से है जिस पर ऐसे उम्मीदवार के लिए प्रथम वरीयता का अभिलेख हो।

(ए) "सचिव" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सचिव से है और उसमें अपर सचिव भी सम्मिलित है।

(ऐ) "कोटा" का अर्थ मतों के निम्नतम–मूल्य से है जो उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त हो।

(ओ) "अतिरिक्त" का अर्थ उस संख्या से है, जो किसी उम्मीदवार के मूल तथा स्थानान्तरित मतों के कोटे से अधिक होना है।

(औ) "स्थानान्तरित मत" का किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में अर्थ ऐसे मत से है जो मत–पत्र पद दिया गया है, जिस पर द्वितीय अथवा बाद के वरीयता के मत का अभिलेख ऐसे उम्मीदवार के लिए है और एसे उम्मीदवार के लिए जिसका मूल्य अथवा मूल्य का अंश प्राप्त होना है।

(अं) "अनिश्शेषित पत्र" का अर्थ है वह मत–पत्र जिस पर एक अविरामी उम्मीदवार के लिए और वरीयता का अभिलेख हो।

2– परिषद अथवा सम्बन्धित समितियों के सदस्य ... यथाविधि संयोजित बैठकों में उपस्थित होंगे, निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम मौखिक रूप से प्रस्तावित किये जायेंगे और उम्मीदवारी की वापसी बैठक में उसी रूप से होगी :

3– यदि प्राप्त नामों की संख्या अथवा वापस लिये गये नामों को यदि कोई हों, घटा कर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के समान हों, तो अध्यक्ष इस प्रकार नामित उम्मीदवारों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा।

4– यदि उपर्युक्त के अनुसार यथाविधि नामित सदस्यों की संख्या वापस लिये गये नामों को घटा कर, यदि कोई हो, भरी जाने वाली रिक्तयों से अधिक है तो निर्वाचन होगा और मत–पत्रों की संनिरीक्षा तथा गणना सचिव द्वारा ऐसे अन्य व्यक्तियों की सहायता से की जायेगी जो सभापति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

5– सचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत निर्वाचन के संचालन के लिए समस्त आवश्यक कार्य करेगा।

6– निर्वाचन अधिकारी सभापति को एक परिलेख प्रस्तुत करेगा जिसमें यथाविधि निर्वाचन सदस्यों के नाम दिखाये जायेंगे।

7– सचिव नामन एवं मत–पत्रों को एक मुहरबन्द पैकेट में रखेगा जो छः मास की अवधि तक संरक्षित रखा जायगा।

8– मतदान मत–पत्र द्वारा होगा। प्रत्येक मत–पत्र में निर्वाचन के लिये यथाविधि नामित समस्त सदस्यों के नाम मुद्रित होंगे।

9– यदि कोई सदस्य असावधानता से कोई मत–पत्र खराब कर देता है तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को लौटा देगा, जो ऐसे असावधानता से अस्पष्ट होने पर उसे दूसरा मत–पत्र दे देगा और खराब हुए पत्र को अपने पास रख लेगा और यह खराब हुआ पत्र तुरन्त ही रद्द कर दिया जायेगा।

10– प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अपना मत देने में प्रत्येक सदस्य---

(क) अपने मत–पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने संख्या लिखेगा जिसे वह मत देता है।

(ख) इसके साथ अपनी पसन्द अथवा वरीयता का कम जितने उम्मीदवारों के लिए वह चाहें, उनके विभिन्न नामों के सामने 2,3,4, आदि संख्या कमानुसार लिख कर प्रकट करेगा।

11– मत–पत्र अवैध हो जायगा---

(क) जिस पर सदस्य अपने हस्ताक्षर करता है अथवा कोई शब्द लिखता है अथवा कोई ऐसा चिन्ह बनाता है जिससे वह पहचानने योग्य हो जाय, अथवा

(ख) जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रपत्र पर नहीं है, अथवा

(ग) जिस पर संख्या 1 नहीं अंकित है अथवा

(घ) जिस पर संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवों के नाम के सामने अंकित की गई है, अथवा

(ङ) जिस पर संख्या 1 तथा कुछ अन्य संख्याएं एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित की गयी है, अथवा

(च) जो अचिन्हित है अथवा अनिश्चय के कारण रद्द है।

12– निर्वाचन अधिकारी इस अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों को पूरा करने में---

(क) समस्त अपूर्णकों की अवहेलना करेगा।

(ख) पहले से निर्वाचित अथवा मतदान से निकाले गये उम्मीदवारों के लिए अभिलिखित वरीयता की ओर ध्यान न देगा।

13– मतदाता के लिए नियम समय के यथाशीघ्र बाद में, निर्वाचन अधिकारी मत–पत्रों की जॉच करेगा और उसमें से अवैध पाये जाने वाले मत–पत्र अध्यक्ष द्वारा संत्यापित होने के पश्चात् अलग रख दिये जायगें। शेष पत्रों को वह प्रत्येक उम्मीदवार के लिये प्राप्त प्रथम वरीयता के अनुसार बण्डलों में विभाजित करेगा। तब वह प्रत्येक बण्डल के मत पत्रों की संख्या की गणना करेगा।

14– इन नियमों द्वारा नियत कार्यविधि की सुविधा के लिए प्रत्येक मत–पत्र सौ रूपये के मूल्य का समझा जायेगा।

15– तब निर्वाचन अधिकरी समस्त बंडलों के पत्रों का मूल्य जोड़ेगा और योग में भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या में एक जोड़ कर भाग देगा और भाज्यफल में एक जोड़ देगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या होगी जो इसके पश्चात् "कोटा" कहलायेगा।

16– यदि इन अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किसी समय निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों को संख्या के समान कुछ उम्मीदवारों ने कोटा प्राप्त कर लिया तो ऐसे उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जायेगा तथा और आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

17–(1) प्रत्येक उम्मीदवार जिसके बंडल का मूल्य प्रथम वरीयता की गणना करने पर कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा, निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(2) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा के समान है, तो पत्रों पर अन्तिम रूप से हुई कार्यवाही मान कर उन्हें अलग रख दिया जायेगा।

(3) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा से अधिक है तो अतिरिक्त को अविरामी उम्मीदवारों के लिए जो मतदाता के वरीयताकम में मत–पत्रों में अगले स्थान पर है, नीचे लिखे अनुच्छेदों में निर्दिष्ट रूप में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

18–(1) यदि और जब भी इन अनुच्छेदों में नियत किसी कार्य के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार के कुछ अतिरिक्त मत आते हैं तो ये अतिरिक्त मत अनुवर्ती उप अनुच्छेदों में नियत ढंग से स्थानान्तरित किये जायेंगे।

(2) यदि एक से अधिक उम्मीदवार के अतिरिक्त मत है तो पहले सर्वाधिक अतिरिक्त पर और अन्य पर अधिकता के कम में विचार होगा इस प्रतिबन्ध के साथ कि मतों के प्रथम गणना में आये प्रत्येक अतिरिक्त मत पर द्वितीय गणना में आये हुए से पहले विचार होगा और इसी प्रकार कम चलेगा।

(3) जहॉ दो अथवा ज्यादा अतिरिक्त मत बराबर है, निर्वाचन अधिकारी अनुच्छेद 23 के अनुसार निर्णय देगा कि पहले किस पर विचार किया जाय।

(4) (क) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किए जाने वाले अतिरिक्त मत केवल मूल मतों से ही है तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार के बंडल के समस्त पत्रों की जॉच करेगा, जिसके अतिरिक्त मत स्थानान्तरित होने है और अनिश्शेषित –पत्रों को उप–बंडलों में उन पर अभिलिखित अगली वरीयता के अनुसार विभाजित करेगा। वह निश्शेषित–पत्रों के लिए एक अलग उप–बंडल भी बनाएगा।

(ख) वह ऐसे उप–बंडल में पत्रों का तथा समस्त अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य निर्धारित करेगा।

(ग) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मतों के समान अथवा उनसे कम है, तो वह समस्त अनिश्शेषित पत्रों को उस मूल्य पर जिस पर वे उन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त हुए थे, जिनके मतों का स्थानान्तरण हो रहा है, स्थानान्तरित कर देगा।

(घ) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मत से अधिक है तो वह अनिश्शेषित पत्रों के उप–बंडलों को स्थानान्तरित कर देगा और वह मूल्य जिस पर प्रत्येक मत स्थानान्तरित किया जायेगा, अतिरिक्त मतों को अनिश्शेषित पत्रों की पूर्ण संख्या से विभाजित करके निर्धारित करेगा।

(5) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किये जाने वाले अतिरिक्त मत स्थानान्तरित किये जाने वाले तथा मूल मतों से उत्पन्न होते है, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार को अन्तिम बार स्थानान्तरित उप–बंडल के सभी पत्रों की पुनः जॉच करेगा और अनिश्शेषित पत्रों के उप–बंडलों में उन पर अभिलिखित आगामी वरीयता के अनुसर विभाजित करेगा। तब वह उप–बंडल पर उसी प्रकार की कार्यवाही करेगा जैसा कि अन्तिम पूर्व अनुच्छेद के सम्बन्ध में प्रावधानित है।

(6) प्रत्येक उम्मीदवार को, स्थानान्तरित पत्र ऐसे उम्मीदवार को पहले से प्राप्त पत्रों के साथ एक उप–बंडल के रूप में जोड़ दिए जायेंगे।

(7) किसी निर्वाचित उम्मीदवार के बंडल अथवा उप–बंडलों के समस्त पत्र, इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं हुए है, अन्तिम रूप से विचार किए हुए के रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

19–(1) यदि, यथापूर्व निर्देशानुसार, समस्त अतिरिक्त मतों के स्थान्तरित होने के बाद वांछित संख्या से कम सदस्य निर्वाचित होते है, तो निर्वाचन अधिकारी मतदात में सबसे नीचे के उम्मीदवारों को हटा देगा और उसके निश्शेषित पत्रों को अविरामी उम्मीदवारों में उन पर अभिखित अगली वरीयता के अनुसार बांट देगा। कोई भी अश्शिेषित पत्र अंन्तिम रूप से विचार किए हुए के रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

(2) किसी हटाये हुए उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके मूल मत होंगे, पहले स्थानान्तरित होंगे, प्रत्येक पत्र का स्थानान्तरित मूल्य एक सौ रूपया होगा।

(3) तब एक हटाये गये उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके स्थानान्तरित मत होंगे, स्थानान्तरण के उस कम में स्थानान्तरित होंगे जिसमें और जिस मूल्य पर उसने उन्हें प्राप्त किया था।

(4) ऐसा प्रत्येक स्थानान्तरण एक पृथक स्थानान्तरण समझा जायेगा।

(5) इस अनुच्छेद द्वारा निर्देशित विधि सबसे कम मत पाने वाले एक के बाद एक उम्मीदवार के हटाये जाने में उस समय तक दुहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति या तो किसी उम्मीदवार के कोटा से निर्वाचन द्वारा अथवा जैसा बाद में प्राविधानित है उसके अनुसार नहीं हो जाती है।

20– यदि इन नियमों के अन्तर्गत पत्रों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का मूल्य कोटा के समान अथवा उससे अधिक होता है, तो उस समय चलने वाला स्थानान्तरण पूरा किया जायगा, परन्तु उसके आगे अन्य पत्र उसे स्थानान्तरित नहीं किए जायेंगे।

21–(1) यदि इन नियमों के अन्तर्गत पत्रों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(2) यदि किसी उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा के समान होगा, तो वे समस्त पत्र जिन पर इन मतों का अभिलेख होगा, अन्तिम रूप से विचार किए गए रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

(3) यदि किसी ऐसे उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा से अधिक होगा तो उसके अधिक मतो को किसी अन्य उम्मीदवार के हटाये जाने से पूर्व प्राविधानित रूप में बांट दिया जायगा।

22–(1) जब अविरामी उम्मीदवारों की संख्या, बिना भरी हुई रिक्तियों की संख्या के बराबर रह जाय, तो अविरामी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(2) जब केवल एक रिक्त स्थान बिना भरा रह जाय और किसी अविरामी उम्मीदवार के मतों का मूल्य अन्य अविरामी उम्मीदवारों के समस्त मतों के कुल मूल्य से, न स्थानान्तरित हुए अतिरिक्त मतों सहित, अधिक हो जाता है, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(3) जब केवल रिक्त स्थान बिना भरा रह जाय और केवल दो अविरामी सदस्य रहे और उन दोनों उम्मीदवारों में से प्रत्येक के मतों का मूल्य एक समान हो और कोई अतिरिक्त मत स्थानान्तरित कराने योग्य न बचे तो एक उम्मीदवार आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अन्तर्गत हटाया हुआ घोषित किया जायगा और दूसरा निर्वाचित हुआ घोषित किया जायगा।

23– यदि जब एक से अधिक अतिरिक्त मत बांटने को रहे, दो या अधिक अतिरिक्त मत समान हो अथवा जब किसी समय किसी उम्मीदवार को हटाना आवश्यक हो जाय और दो या दो से अधिक उम्मीदवार के मतों का मूल्य एक ही हो और उन्हे सबसे कम मत प्राप्त हों, तो प्रत्येक उम्मीदवारों के मूलमतो का ध्यान रखा जायगा और उस उम्मीदवार के जिसे सबसे कम मूल मत प्राप्त हुए है, अधिक अतिरिक्त मत सबसे पहले बांटे जायेंगे, अथवा वह सबसे पहले हटाया जायगा, जैसी भी स्थिति हो। यदि उनके मूल मतों का मूल्य समान है तो निर्वाचन अधिकारी चिटठी डाल कर निर्णय करेगा कि किस उम्मीदवार के अतिरिक्त मत बांटे जायेंगे अथवा किसे हटाया जायगा।

24–(1) निर्वाचन को समितियों में ले जाने से पूर्व, परिषद इन समितियों के लिए निर्वाचन का कम नियत करेगी, जिसका जहॉ तक कार्यान्वित करने योग्य होगा, पालन किया जायगा।

(2) जब कोई व्यक्ति, अध्याय चार, विनियम 6 मे निर्दिष्ट किन्ही दो वर्गो की अधिकतम संख्या की समितियों में जिसकी अनुमति है, निर्वाचित हो जाता है, तो वह उस वर्ग की शेष समितियों में निर्वाचन का उम्मीदवार होने का पात्र न रहेगा।

(3) परिषद यह निर्दिष्ट करेगी कि किसी पाठ्यक्रम समिति में नामित उसके कौन से सदस्य उस विषय के विशेषज्ञ है। परिषद यह भी निर्णय करेगी यदि ऐसी समिति का कोई सदस्य, परिषद के सदस्य के अतिरिक्त उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है और ऐसे उम्मीदवार का नामन अवैध हो जायगा।

25– यदि किसी पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए परिषद का केवल एक सदस्य ही नामित होता है तो वह तुरन्त निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा और शेष रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन चलता रहेगा।

26– यदि पाठ्यक्रम समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए परिषद के दो अथवा अधिक ऐसे सदस्य उम्मीदवार है जो विशेषज्ञ नहीं है, तो प्रारम्भिक निर्वाचन ऐसे सदस्यों में से जो विशेषज्ञ नहीं है, एक को छोडकर अन्य सब को हटाने के लिए किया जायगा। तब निर्वाचन सामान्य रूप से चलेगा।

27– जब एक पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन में केवल एक रिक्त स्थान की पूर्ति होनी रह जाय और कोई भी परिषद का सदस्य निर्वाचित न हो तो परिषद का अधिकतम मत प्राप्त करने वाला सदस्य अंतिम निर्वाचित सदस्य के अधिक मतों का स्थानान्तरण करके निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि इस समय तक परिषद के समस्त सदस्य हटाये जा चुके है, अंतिम हटाया जाने वाला सदस्य निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

28– रचानात्मक विषयों की पाठ्यक्रम–समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अन्य पाठ्यक्रम समितियों के निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यविधि नीचे लिखी सीमा तक आशोधित की जायेगी :–

(1) दस रिक्तियां रचनात्मक वर्ग के प्रत्येक दस विषयों के लिए पृथक निर्वाचन द्वारा भरी जायगी।

(2) तब ग्यारहवीं रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, मूल नामित में से, जो पहले चुने जा चुके है उन्हे छोड़कर होगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि ऊपर के (1) के अन्तर्गत परिषद का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ है,तो यह निर्वाचन केवल उन्हीं उम्मीदवारों तक सीमित रहेगा जो परिषद के सदस्य है।

29– पाठ्यचर्या– समिति के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में, इन नियमों में निर्दिष्ट कार्यविधि इस प्रकार और विनियमित की जायगी :–

(1) सामान्य रूप से प्रारम्भ में नामन आमन्त्रित किए जायेगें। परिषद का सदस्य किसी उम्मीदवार को नामित करते समय, जो एक से अधिक पाठ्यक्रम–समितियों का सदस्य है, उस पाठ्यक्रम समिति का नाम निर्दिष्ट करेगा जिसके कि चुनाव के लिए उसका नामित व्यक्ति सदस्य समझा जायगा। उसी उम्मीदवार के अनेक नामन, उसकी इच्छा के अनुरूप, यदि वह परिषद का उपस्थित रहने वाला सदस्य है और अन्यथा अध्यक्ष द्वारा, एक नामन में परिवर्तित कर दिए जायेंगे।

(2) यदि उसी पाठ्यक्रम–समिति के दो से अधिक सदस्य उम्मदीवार है, तो प्रारम्भिक निर्वाचन उनमें से केवल एक ही उम्मीदवार को निर्वाचित करने के लिए होगा।

(3) पाठ्यक्रम–समितियों के उम्मीदवारों की संख्या, नामनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त पाठ्यक्रम–समितियों की संख्या के समान हो जाने के पश्चात् पहले इन उम्मीदवारों में से 12 सदस्य निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन होगा।

(4) शेष तीन रिक्तियों की पूर्ति के लिए तब चुनाव मूल नामनों में से संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

30– नियम 26, 28 तथा 29 में उल्लिखित समस्त चुनाव अथवा निरसन एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

31– निर्वाचन अधिकारी अपने उपक्रम में अथवा अन्यथा एक अथवा अनेक बार मतों की पुनर्गणना करेगा यदि गणना की शुद्धता से संतुष्ट न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इनमें समाविष्ट कुछ भी निर्वाचन अधिकारी के लिए उन्हीं मतों को एक से अधिक बार गणना करने के लिए बाध्य कर रही हैं।

32– इन नियमों की व्याख्या से उठने वाला कोई भी प्रश्न अध्यक्ष द्वारा निर्णीत होगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

33– इन नियमों में न आने वाले मामले सभापति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

भाग चार

(क) परिषद के अधिकारी

सभापति

1– श्री वी0पी0 खन्डेलवाल, शिक्षा निदेशक,उ0प्र0– पदेन
(1–11–1986 से 26–5–1994 तक)

2– डा0 एल0पी0 पाण्डेय, शिक्षा निदेशक,उ0प्र0– पदेन
(27–5–1994 से 7–3–1995 तक)

3– श्री शरदिन्दु, शिक्षा निदेशक,उ0प्र0–
(7–3–1995 से 13–5–1995 एवं 15–7–1995 से 28–3–1995 तक)

4– डा0 एल0पी0 पाण्डेय, शिक्षा निदेशक,उ0प्र0– पदेन
(14–3–1995 एवं 29–3–1995 से 1–12–1998 तक)

5– श्री अमृत प्रकाश, शिक्षा निदेशक,उ0प्र0– पदेन
(1–12–1998 से 12–11–2001 तक)

6– श्री संजय मोहन, शिक्षा निदेशक,उ0प्र0– पदेन
(13–11–2001 से)

सचिव

1– श्री पवनेश कुमार (9 सितम्बर, 1989 से 7 दिसम्बर,1991 तक)
2– श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव (7 दिसम्बर,1991 से 8 अगस्त,1995 तक)
3– श्री दिनेश चन्द्र कनौजिया (8 अगस्त, 1995 से 10 जुलाई, 1997 तक)
4– सुश्री अचला खन्ना (10 जुलाई, 1997 से 16 सितम्बर,2003 तक)
5– श्री बासुदेव यादव(16 सितम्बर,2003 से)

(ख) परिषद के सदस्य

[अक्टूबर, 1984 से]

1– निदेशक (नाम से) पदेन
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान,उ0प्र0,इलाहाबाद।

2– प्राचार्य (नाम से) पदेन
राज्य शिक्षा संस्थान,उ0प्र0,इलाहाबाद।

3– निदेशक (नाम से) पदेन
मनोविज्ञानशाला,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

4– प्राचार्य (नाम से) पदेन
राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय,लखनऊ।

5– प्राचार्य (नाम से) पदेन
राजकीय केन्द्रीय अध्ययन विज्ञान संस्थान,उ0प्र0,इलाहाबाद।

6– निदेशक (नाम से) पदेन
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश,कानपुर।

7– प्रधानाचार्य (नाम से) पदेन
राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय,इलाहाबाद।

8– आयुक्त (नाम से) पदेन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।

1– **परीक्षा समिति–**

1– सचिव, मा0शि0प0,उ0प्र0,इलाहाबाद (पदेन) संयोजक

2– प्रधानाचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्ययन विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद (पदेन) सदस्य

3– प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान,उ0प्र0,इलाहाबाद (पदेन) सदस्य

2– **परीक्षाफल समिति–**

1– शिक्षा निदेशक एवं सभापति, मा0शि0प0,उ0प्र0 अध्यक्ष

2– आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन,नई दिल्ली (पदेन) सदस्य

3– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0,इलाहाबाद (पदेन) सदस्य–सचिव

3– **पाठ्यचर्या समिति–**

1– निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान,उ0प्र0,इलाहाबाद (पदेन) संयोजक

2– प्राचार्य,राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय,उ0प्र0,लखनऊ(पदेन) सदस्य

3– सचिव, मा0शि0प0 (पदेन) सदस्य–सचिव

4– **वित्त समिति–**

1– प्रधानाचार्य, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद (पदेन) संयोजक

2– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0,कानपुर (पदेन) सदस्य

3– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद (पदेन) सदस्य–सचिव

5– **मान्यता समिति–**

1– निदेशक, मनोविज्ञान, शाला उ0प्र0,इलाहाबाद (पदेन) संयोजक

2– सचिव,मा0शि0प0 या उनके द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रीय सचिव (पदेन) सदस्य–सचिव के रूप में

6– **महिला शिक्षा समिति–**

1– प्रधानाचार्य राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय,उ0प्र0, इलाहाबाद (पदेन) संयोजक

2– संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला)(पदेन) विशेष आमंत्रित

भाग–पाँच

[परिषद के नियम]

एक [परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23 जनवरी,2002 के निर्णय सं0–22 द्वारा संशोधित]

परिषदीय परीक्षाओं में परीक्षक, अंकेक्षक, परिनिरीक्षक, सन्निरीक्षक, प्रश्नपत्र निर्माता और परिसीमनकर्त्ताओं आदि की पात्रता तथा उनकी नियुक्ति एवं हटाये जाने का नियम :

परीक्षकों की नियुक्ति

सामान्य नियम :

(क) परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मुख्य कसौटी निर्धारित शैक्षिक योग्यता, अध्यापन अनुभव एवं सेवाकाल होगा। परीक्षक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम चार वर्ष का सेवाकाल मान्य होगा। सेवाकाल की गणना नियुक्ति तिथि से परीक्षा वर्ष के पूर्व के मई माह तक के आधार पर आगणित की जायेगी।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं (हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट) के अध्यापकों को परीक्षक के रूप में नियुक्त हेतु इन संस्थाओं से प्राप्त अध्यापक सूचियों के विवरण को आधार मानकर विषयवार अध्यापन अनुभव के अनुसार जनपद--वार सूची बनाई जायेगी।

(ग) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में मान्यता प्राप्त संस्थओं से प्राप्त अध्यापक सूचियों में अध्यापक द्वारा अंकित विवरणं के आधार पर परीक्षकों की नियुक्ति विषयवार की जायेगी। अध्यापक सूची में अध्यापकों द्वारा अंकित किये गये विवरणों को सत्यापित करने के उपरान्त उसे निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्त्व प्रधानाचार्य का होगा। साथ ही अध्यापक सूची में विवरण अंकित करने के लिए सम्बन्धित अध्यापक उत्तरदायी होंगे।

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट में निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को परीक्षक नियुक्त किया जायेगा

(क) इण्टरमीडिएट–

(1) मान्यता प्राप्त (इण्टरमीडिएट) संस्थाओं केकार्यरत/अवकाश प्राप्त अध्यापक तथा प्रधानाचार्य आदि।

(2) शिक्षा विभाग के अधिकारी, राजकीय विद्यालय/ डिग्री कालेज के अध्यापक तथा इसी प्रकार के अन्य श्रेणी के व्यक्ति।

(ख) हाईस्कूल–

(1) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के कार्यरत/ अवकाश प्राप्त अध्यापक तथा प्रधान (स्नातकोत्तरउपाधिधारी) व्यायामशिक्षक/ शरीरिक शिक्षा अनुदेशक।

(2) शिक्षा विभाग के अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षाअधिकारी/एस0डी0आई0 (स्नातकोत्तरउपाधिधारी) श्रेणी के तथा तकनीकी विद्यालय/संस्थाएवअध्यापक निदेशक आदि।

(ग) प्रयोगात्मक (हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट) विषयों में परीक्षकों की सूची लिखित परीक्षकों की भॉति वरिष्ठता क्रम से तैयार करायी जायेगी।

(घ) संगीत विषय में उन दृष्टि बाधित व्यक्तियों को भी परिषद की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में परीक्षक नियुक्त किया जायेगा जो परीक्षक हेतु वांछित अर्हता पूरी करते हों।

परीक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हता

इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए :

(1) इण्टरमीडिएट स्तर अथवा उच्च कक्षाओं का कम से कम चार वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले निम्नांकित संस्थाओं के योग्यता प्राप्त अध्यापक -

(क) हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त संस्था

(ख) प्रशिक्षण संस्थान

(ग) तकनीकी शिक्षा संस्थान

(घ) महाविद्यालय

(च) विश्वविद्यालय

(छ) विशिष्ट संस्थान के कार्यरत व्यक्ति।

(2) हाईस्कूल तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान जिनकी सेवा अवधि चार वर्ष हो और जो सम्बन्धित विषय में योग्यता प्राप्त हो।

(3) विद्यालय के निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के इनके तुल्य अथवा उच्च अधिकारी जिनकी सेवा अवधि चार वर्ष हो चुकी हो और जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो।

हाईस्कूल के लिए :

(1) योग्यता प्राप्त वे अध्यापक –

(क) जिनकी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सम्बन्धित विषय की हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं अथवा दोनों को मिलाकर पढाने का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो।

(ख) विभाग द्वारा मान्य प्रशिक्षण संस्थान या/तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं को पढाने का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो।

(ग) तकनीकी विद्यालयों में पढाने का कम से चार वर्ष का अनुभव ।

(2) चार वर्ष की सेवा अवधि वाले सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा अवकाश प्राप्त प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक एवं सेवा निवृत्त प्रसार अध्यापक जो सम्बन्धित विषय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो।

(3) विद्यालयों के निरीक्षक, सेवा निवृत्त उप जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्ष अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के उनके तुल्य अथवा उच्च अधिकारी जो सम्बन्धिर विषय में योग्यता प्राप्त हो और जिनकी सेवा चार वर्ष हो गयी हो।

(4) किसी ग्रेड का वह अध्यापक जो स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है और उससे इतर विषय का पढा रहा है वह स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में भी हाईस्कूल के परीक्षकत्व हेतु अर्ह माना जायेगा

(5)ऐसे अवकाश प्राप्त प्रचार तथा व्यायाम अध्यापक, एन0डी0एस0आई0 जो स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त नही है, परन्तु प्रशिक्षित स्नातक हैं तथा हाईस्कूल कक्षाओं को पढाने का वांछित अनुभव एवं योग्यता रखते हैं, उन्हें अनुभव के आधार पर सामान्य श्रेणी में परीक्षकत्व प्रदान किया जायेगा।

(6)हाईस्कूल प्रयोगात्मक विषयों के परीक्षकों के रिक्तियों की पूर्ति सर्व प्रथम अर्ह प्रयोगात्मक प्रदर्शकों से की जाय। मूल्यांकन केन्द्रों पर परिषद द्वारा नियुक्त उप प्रधान परीक्षक की अनुपस्थिति में अपरिहार्य परिस्थितियों में उप नियंत्रकों द्वारा जिन अर्ह सहायक परीक्षक की प्रोन्नति करके उप प्रधान परीक्षक नियुक्त किया गा है है, उन्हें अगले वर्ष पुनः सहायक परीक्षक के रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

विशेष : उपर्युक्त निर्धारित नियमों के अनुसार यदि किसी विषय में वांछित संख्या में योग्यताधारी परीक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उपर्युक्त नियमों को निम्नवत् शिथिल करते हुए परीक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है परन्तु ऐसे प्रकरणों में दी गयी शिथिलताओं का अनुमोदन परीक्षा समिति से कराना आवश्यक होगा :–

1– अध्यापन अनुभव में 3 या 2 वर्ष

2– प्रयोगात्मक परीक्षा में नियुक्त परीक्षकों को लिखित परीक्षा का कार्य भी अनुदानित किया जा सकता है।

विशेष– परीक्षा समिति की बैठक दि0 16 तथ 24 अगस्त एवं 7 सितम्बर,2002 के निर्णय संख्या–19 के द्वारा वर्ष 2003 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिए परीक्षा में परीक्षकों हेतु अध्यापक अनुभव 4 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया गया।

विषय समितियों द्वारा संस्तुति :

(1) परीक्षकों की नियुक्ति हेतु परिषद की विषय समितियों द्वारा योग्यता प्राप्त अध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नामों की संस्तुतियाँ की जायेगी।

(2) प्रधान, संयुक्त प्रधान, उप प्रधान परीक्षकों तथा परिसीमनकर्त्ताओं के नामों की संस्तुतियां विषय समितियों द्वारा की जायेगी, जिनकी सेवा अवधि 12 वर्ष हो चुकी हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं या/और ऊँचे स्तर का या तकनीकी संस्थानों का इन दोनों का मिलाकर आठ वर्षो का निरीक्षण या शिक्षण अनुभव हो और उनको

सम्बन्धित विषय में उस परीक्षा में या परिषद की किसी और ऊंची परीक्षा के परीक्षकत्व आदि का चार वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पणी :(1) विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों आदि के नियमित विद्यार्थी परीक्षक नियुक्त नहीं हो सकते ।

(2) सेवाकालीन प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापकों का परीक्षकत्व चालू रह सकता है।

(3) एन0सी0सी0 की इकाइयों में नियुक्त पूर्णकालिक अधिकारियों को परिषद का कोई पारिश्रमिक कार्य देय नहीं होगा।

प्रश्न पत्र निर्माता की नियुक्ति

प्रश्न पत्र निर्माता वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी सेवा अवधि 15 वर्ष हो गयी हो और उसे उस विषय में उप प्रधान परीक्षकत्व का अनुभव हो, किन्तु यह नियम विश्वविद्यालयों के प्रख्यात विद्वानों तथा अन्य लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के सम्बन्ध में शिथिल किया जा सकता है।

परिसीमनकर्ताओं की नियुक्ति

(1) साधारणतः वही लोग परिसीमनकर्ता नियुक्त किये जा सकते हैं जिनकी सेवा अवधि सम्बन्धित विषय के पढ़ाने के अनुभव सहित पन्द्रह वर्ष हो तथा जो परिषद की उस विषय की या उससे ऊँची परीक्षा के उप प्रधान/संयुक्त प्रधान परीक्षक रह चुके हों जिन विषय में अपेक्षित योग्यता वाले व्यक्ति सुलभ नहीं होते तो यह नियम शिथिल किया जा सकता है।

(2) परिसीमनकर्त्ताओं की नियुक्ति हेतु विषय समितियाँ आवश्यकता से चार गुने अधिक व्यक्तियों के नामों की संस्तुति कर सकती हैं।

टिप्पणी :परिषदीय परीक्षाओं में प्रश्नपत्र निर्माता तथा परिसीमनकर्ता के रूप में आवश्यकतानुसार प्रख्यात विद्वान अथवा उलब्ध प्रतिष्ठित विद्वान उत्तर प्रदेश के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति भी नियुक्त किये जा सकते हैं।

सन्निरीक्षा

दस वर्ष की सेवा अवधि वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के योग्यता प्राप्त अध्यापक, प्रशिक्षण संस्थान के योग्यता प्राप्त अध्यापक तथा विभाग के निम्नांकित श्रेणी के अधिकारीः--

(क) शिक्षा क्षेत्र में आठ वर्ष की सेवा अवधि वाले विद्यालयों के प्रधान।

(ख) प्रशिक्षण महाविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं के योग्यता प्राप्त दस वर्ष की सेवा अवधि वाले अध्यापक।

(ग) दस वर्ष की सेवा अवधि के विद्यालय के निरीक्षक और उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के इनके उनके समकक्ष अथवा इनसे ऊँचे अधिकारी।

विशेष :– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18 जुलाई,2003 के निर्णय संख्या-13 के अनुसार सन्निरीक्षा हेतु निकाली गई उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच सर्वप्रथम क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित चार सदस्यीय टीम द्वारा कराई जायेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

1- विभागीय अधिकारी

2– विभागीय अधीक्षक

3– दो अन्य अधिकारी

नोट :– क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में तीन सदस्यीय टीम होगी, जिसमें विभागीय अधिकारी/अधीक्षक तथा अन्य अधिकारी होंगे।

यदि उत्तर पुस्तक में किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है, तो उन प्रकरणों पर कोई परिवर्तन नहीं होने की दशा में परीक्षार्थी को कोई परिवर्तन नहीं की सूचना प्रेषित कर दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु एक रूपया प्रति उत्तर पुस्तक पारिश्रमिक निर्धारित है, जिसे समिति के सदस्यों के मध्य समान रूप से वितरित किया जायेगा।

अंकेक्षकों की नियुक्ति

अंकेक्षक के रूप में विद्यालयों के अवकाश प्राप्त अथवा कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रवक्ता अथवा सहायक अध्यापक जो परीक्षक बनने की अर्हता रखते है, को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अंकेक्षक नियक्त किया जा सकता है। अंकेक्षक कार्य मूल्यांकन केन्द्रों पर किया जायेगा।

पारिश्रमिक कार्य की अवधि

(1) सामान्यतया परिषद के प्रत्येक पारिश्रमिक कार्य की अवधि तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कोई व्यक्ति असंतोषजनक कार्य, कर्तव्य परित्याग अथवा परिनिरीक्षक को त्रुटियों के आधार पर हटाया न जाय।

(2) प्रधान, संयुक्त प्रधान, उप प्रधान तथा प्रयोगात्मक परीक्षक के पारिश्रमिक कार्य की अवधि चार वर्ष होगी। उसके पश्चात् चार वर्ष की अवधि का व्यवधान रहेगा, परन्तु इस व्यवधान की अवधि में उन्हें अन्य पारिश्रमिक कार्य देय होगा।

(3) यदि किसी अपरिहार्य कारणें से कोई व्यक्ति उप प्रधान/संयुक्त प्रधान तथा प्रधान परीक्षक का कार्य किसी एक वर्ष में नहीं करता है तो उसके स्थान पर उप प्रधान/संयुक्त प्रधान/प्रधान परीक्षक के रूप में की गयी नियुक्ति तदर्थ मानी जायेगी तथा इसकी गणना नहीं की जायेगी।

परीक्षक का हटाया जाना

(1) सामान्यतः तीन या उससे अधिक गलतियां पर परीक्षक (लिखित एवं प्रयोगात्मक) का नाम परीक्षक सूची से काट दिया जायेगा और हटाये जाने की तिथि से तीन वर्ष तक वह पुनर्नियुक्त का अधिकरी नहीं होगा, परन्तु गभीर कोटि की एक भी त्रुटि पाई जाती है तो भी उसे तीन वर्ष तक कोई भी पारिश्रमिक कार्य देय नही होगा। सहायक परीक्षकों की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं में से जिन उत्तर पुस्तिकाओं का निरिक्षण संयुक्त प्रधान/उप प्रधान/अंकेक्षक/संन्निरीक्षक द्वारा किया गया है उनमें से यदि किसी उत्तर पुस्तक के मूल्यांकन अथवा एवार्ड में अंक चढाने का कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके लिए परीक्षक के साथ–साथ अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे और यह त्रुटियॉ सर्वसम्बन्धित के खाते में अभिलिखित की जायेगी।

(2) प्रधान या संयुक्त प्रधान परीक्षक अपने कार्य में तीन या उससे अधिक त्रुटियॉ तथा गभीर कोटि की एक भी त्रुटि होने पर तथा अपने सहायक परीक्षकों के जॉच कार्य को मिलाकर 05 से अधिक त्रुटियॉ होने पर तीन वर्ष तक पुनर्नियुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे।

(3) जिन अध्यापकों के विरूद्ध विद्यालय या परिषदीय कार्यो के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनियमितता करने के कारण अनुशासनात्मक अथवा भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही हो उन्हें इस अनियमितता से मुक्त होने तक कोई भी पारिश्रमिक कार्य देय नहीं होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश को छोडकर बाहर चला गया है, परीक्षक नहीं हो सकता और यदि नियुक्त हो गया है तो उसकी नियुक्ति चलती नहीं रह सकती।

(5) उन अध्यापकों को परिषद का कोई पारिश्रमिक कार्य उस वर्ष नहीं दिया जायेगा जिस वर्ष वे स्वयं परिषद की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं।

(6) निलम्बित या सत्र के पूरे अथवा अधिकांश भाग में छुट्टी पर रहे अध्यापक को परिषद का कोई भी पारिश्रमिक कार्य देय नहीं होगा।

(7) अंकेक्षण के फलस्वरूप जिन परीक्षकों की मूल्यांकित उत्तर पुस्तकों में त्रुटि पायी जाती है उनके विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

(क) 0.5 प्रतिशत तक त्रुटि पाये जाने पर कुल पारिश्रमिक से 25 प्रतिशत की कटौती।

(ख) 01 प्रतिशत त्रुटि पाये जाने पर कुल पारिश्रमिक से 50 प्रतिशत की कटौती।

(ग) 02 प्रतिशत त्रुटि पाये जाने पर कुल पारिश्रमिक से 85 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा तीन वर्षो तक मूल्यांकन कार्य हेतु अयोग्य घोषित किया जायेगा।

(दो) – अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी नियम

परिषद की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी से छूट के विनियम निम्नलिखित अध्यायों में दिये हुये है :–

(1) हाईस्कूल परीक्षा– अध्याय तेरह विनियम 8।

उपर्युक्त विनियमों के अन्तर्गत परिषद ने अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी निम्नांकित नियम बनाये है :–

(क) अनिवार्य हिन्दी से छूट सामान्यतः निम्नलिखित वर्ग के भारतीय राष्ट्रिकों को दी जायेगी:

1– परीक्षार्थी, जिन्होंने एक आंग्ल–भारतीय अथवा पब्लिक स्कूल में कम से कम 3 वर्ष अध्ययन किया है तथा स्तर आठ अर्थात कैम्ब्रिज सर्टीफिकेट परीक्षा अथवा इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद नयी दिल्ली द्वारा संचालित इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा जिस वर्ष वर्ष में होती है, उससे चार वर्ष पूर्व का स्तर उत्तीण कर लिया है।

2– परीक्षार्थी जो एक ऐसे राज्य के स्थायी निवासी है, जहॉ हिन्दी प्रादेशिक भाषा नहीं है तथा जिनके अभिभावक हाईस्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा वर्ष से पहले की वर्ष के 1 सितम्बर को कम से कम 5 वर्ष पूर्व और इंटरमीडिएट परीक्षा के सम्बन्ध में कम से कम 7 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की प्रव्रजन कर चुके हैं।

3– परीक्षार्थी, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, परन्तु जिन्होंने अस्थायी रूप से अन्य राज्य को प्रव्रजन किया है और वहॉ निवास किया है, यदि वे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक अध्ययन करने तथा उस विद्यालय में उच्च हिन्दी न लेने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते है :

(ख) अनिवार्य हिन्दी से छूट प्रदान करने के लिए अधिकृत अधिकारी–

1– संदर्भित विनियमों के पुनश्च (1) के अनुसारण में परिषद के अध्यक्ष ने निम्नलिखित प्राधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखित राष्ट्रिकों को अनिवार्य हिन्दी से छूट देने का अधिकार दे दिया है :–

(क) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	भारतीय राष्ट्रिक (व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के परीक्षार्थी)।
(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान	विदेशी राष्ट्रिक, जो उनकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) उन संस्थाओं के प्रधान, जो परीक्षा केन्द्र हैं	विदेशी राष्ट्रिक, जो उस केन्द्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं।

2– संस्थागत परीक्षार्थी को, जो अनिवार्य हिन्दी से छूट पाने के अधिकारी है, यथोचित प्राधिकारी से कक्षा में प्रवेश के समय आवेदन करना चाहिए।

3– व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में छूट के लिए प्रार्थना तथा आदेश की प्राप्ति परीक्षा में प्रविष्ट होने का आवेदन–पत्र भरने से पूर्व ही प्राप्त करनी चाहिए।

(ग) विभिन्न प्रकार की हिन्दी लेने के सम्बन्ध में निर्देश–

1– प्रारम्भिक हिन्दी कक्षा–8 स्तर की लेकर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी लेनी होगी।

2– उत्तर प्रदेश से हिन्दी के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी प्रदेश से बिना हिन्दी के अथवा कम अंको वाली निम्नस्तर की हिन्दी के साथ हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी या मैट्रीकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी लेनी होगी।

इस अर्थ यह हुआ कि पंजाब की मैट्रीकुलेशन परीक्षा की 150 अंकों की हिन्दी, सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली की आल इंडिया हायर सेकेन्डरी परीक्षा की 150 अंको की हिन्दी (एम0एल0) अथवा उस बोर्ड की हायर सेकेन्डरी परीक्षा की अधिक अंकों वाली हिन्दी आदि लेकर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट के लिये निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी का पाठ्यक्रम लेना होगा।

(3) इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी से छूट नहीं दी जायेगी।

विभिन्न विषयों के उत्तीर्णांक

हाईस्कूल परीक्षा

पूर्णांक– 100 अंक प्रत्येक विषय में।

न्यूनतम उत्तीर्णांक– 33 प्रतिशत प्रत्येक विषय में तथा उसके अतिरिक्त जहाँ कोई अन्य उल्लेख हो।

इण्टरमीडिएट परीक्षा

पूर्णांक– 100 अंक प्रत्येक विषय में।

न्यूनतम उत्तीर्णांक– 33 प्रतिशत प्रत्येक विषय में तथा उसके अतिरिक्त जिसमें इसके प्रतिकूल उल्लेख हो।

पुनश्च– कृषि वर्ग की इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा की विस्तृत योजना, पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक पृथकतः दिये गये है :

विशेष योग्यता के लिए वांछित न्यूनतम अंक	एक विषय के योगांक के 75 प्रतिशत।
प्रथम श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक	योगांक 60 प्रतिशत।
द्वितीय श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक	योगांक 45 प्रतिशत।
तृतीय श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक	योगांक का 33 प्रतिशत जहॉ इसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

भाग– छः

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद के कार्यालय में आमंत्रित या अन्यत्र जाकर परिषद का कार्य करने पर यात्रा–भत्ता बिल बनाने हेतु आवश्यक निर्देश (जून, 1999 से प्रभावी)

1– सभी व्यक्तियों को निर्दिष्ट कार्य समाप्त करने के उपरान्त यात्रा–भत्ता बिल दो प्रतियों में निर्धारित ट्रेजरी फार्म पर बनाकर सीधे सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास भुगतान हेतु प्रेषित करना चाहिये। यात्रा–भत्ता बिल तथा उससे सम्बन्धित पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा प्रधान परीक्षक के पास कदापि न भेजे अन्यथा उनको खो जाने अथवा भुगतान बिलम्ब से होने का भय हैं।

2– राज्य कर्मचारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी अपना यात्रा–भत्ता बिल ट्रेजरी फार्म नम्बर 21 पर ही बनावें तथा उसे अपने विभागीय कार्यालय अध्यक्ष (हेड आफ आफिस) के माध्यम से ही भेजे। कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर बिल के दोनो स्थानों पर होना आवश्यक है।

3– सेवा निवृत्त कर्मचारी ट्रेजरी फार्म नम्बर 21 पर ही अपना यात्रा–भत्ता बिल बनावें।

4– राजाज्ञा संख्या 3/1(6)–65–VVLI, दिनांक 14 जून, 1966 के अनुसार ऐसे सभी भुगतान–पत्र जो इस कार्यालय में यात्रा समाप्त करने की तिथि से एक वर्ष बाद प्राप्त होंगे, रद्द कर दिये जायेगे। अतः यात्रा समाप्ति के तीन सप्ताह के भीतर ही अनिवार्य रूप से यात्रा–भत्ता बिल प्रेषित करना सुविधाजनक और हितकर होगा।

5– राजाज्ञा संख्या ए–1–4024/पन्द्रह–1649–1964, दिनांक 28 जुलाई,1965 के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने यह आदेश निष्क्रान्त किया है कि गैर सरकारी व्यक्तियों को यात्रा–भत्ता सुविधा उसी प्रकार उपलब्ध होगी, जो उनके समान वेतन–भोगी

राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित होगी। सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को उनकी उनकी अंतिम वेतन आय पर ही यात्रा-भत्ता दिया जायेगा।

6- उत्तर प्रदेश शासन ने अपने समस्त राजकीय कर्मचारियों को राजाज्ञा संख्या सा0-4-395/दस-99-600-99, दिनांक 11 जून,1999 द्वारा क्रमशः रेल व बस यात्रा उलब्ध होने से सम्बन्धित विभाजन वेतनक्रम के आधार पर भिन्न-भिन्न कोटियों में किया है। यही वर्गीकरण गैर सरकारी संस्थाओं के समस्त व्यक्तियों एवं सेवा से निवृत्त व्यक्तियों के लिए लागू होगा। उपरोक्त राजाज्ञा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी श्रेणी में रेल तथा बस यात्रा रने का अधिकारी है तथा उसे किस दर से आनुषांगिक (इन्सीडेन्टल) व्यय उपलब्ध होगा, उसकी तालिका निम्नवत् है-

राजकीय कर्मचारियों का वर्गीकरण वेतन के आधार पर

क्रम सं0 सरकारी सेवा/वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी	आनुषांगिक व्यय
1. रू0 25,000 या इससे अधिक वेतन प्रतिमाह पाने वाले	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास	11 पैसे प्रति किलो मीटर
2. रू0 18,400 या इससे अधिक वेतन प्रतिमाह पाने वाले	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास	11 पैसे प्रति किलोमीटर
3. रू0 16,400 से 18,399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल का वातानुकूलित कोच प्रथम श्रेणी 500कि0मी0 से अधिक की यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास	11 पैसे प्रति किलो मीटर
4. रू0 8,000 से 16,399 तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच द्वितीय श्रेणी दो-टीयर अथवा शताब्दी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयरकार	11 पैसे प्रति किलोमीटर
5. रू0 5,000 से 7,999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 3-टीयर ए0सी0चेयरकार शताब्दी एक्स-प्रेस को छोड़कर	8 पैसे प्रति किलोमीटर
6. रू0 4,999 प्रतिमाह तथा इससे कम वेतन पाने वाले	रेलवे की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)	5 पैसे प्रति किलोमीटर

हवाई यात्रा के दौरान अनुषांगिक व्यय की दरे 30 रू0 प्रति यात्रा की दर से मान्य होगी।

टिप्पणी–

(1) जो स्थान रेलवे स्टेशन के निकट नहीं है, वहाँ पर बस से यात्रा की जा सकती है।

(2) ऐसे विद्यालय के कर्मचारी, जो पूर्णरूपेण केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के अधीन है, वह अपने यात्रा–बिल राजकीय कर्मचारियों के अनुसार ही बनावें।

7–(अ) उत्तर प्रदेश के प्रायः समस्त जिलों में जो स्थान रेल मार्ग से जुड़े नहीं है, उनमें से अधिकांश स्थानों पर राजकीय अथवा प्राइवेट बस सेवायें उपलब्ध होती है। ऐसे स्थानों पर बस का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इन स्थानों का मोटर कार का सड़क भत्ता कदापि स्वीकार नहीं होगा।

(ब) रेलवे स्टेशन से कचहरी तक की दूरी प्रदेश के कतिपय नगरों की शासन द्वारा निर्धारित है, जिसका विवरण इसके साथ संलग्न है। इन स्थानों की सड़क यात्रा की निर्धारित दूरी ही स्वीकार होगी।

सड़क किलोमीटर भत्ता की वर्तमान दरें

कर्मचारी की कोटि	वाहन का साधन	दर प्रति किमी0,
1– 10,000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक	(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप–कारसेकी की गयी सडकयात्राओं के लिये।	1–प्रथम500किमी0 तक तय की गयी दूरी के लिये पट्रोल चलित वाहन के लिए रू0 4.5 प्रति किमी0 तथा डीजल वाहन के लिए रू0 3.5 प्रति किमी0। 2–500 किमी0 से अधिक परन्तु 1200 किमी0 तक की दूरी के लिए पेट्रोल वाहन के लिए रू0 3.25 प्रति किमी0 तथा डीजल वाहन के लिए रू0 2.75 प्रति किमी0 3– 1200 किमी0 से अधिक तय की गई दूरी के लिए शून्य।
	(ख) क में वर्णित वाहनो के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित तथा मोटर सायकिल,स्कूटर इत्यादि से की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रू02.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 4.00 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।

	(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सडक यात्राओं के लिए	रू0 0.60 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में रू0 400 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
2– रू0 10,000 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक	(क) पेट्रोल/डीजल चलित वाहन के किसी भी साधन से की गई सडक यात्राओं के लिए।	रू0 2.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 400 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
	(ख) पेट्रोल/डीजल चलित वाहन के के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से पैदल की गई सडक यात्राओं के लिए।	रू0 0.60 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

टिप्पणी–

(1) यात्रा पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस/रेल स्टेशन के बीच की जाने वाले अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त कोटि के शासकीय सेवकों को रू0 4.00 प्रति किमी0 की दर से सडक किलोमीटर भत्ता ग्राह्य होगा।

(2) ऐसे व्यक्ति जो द्वितीय श्रेणी में बर्थ का आरक्षण कराकर यात्रा करते हैं और उसका क्लेम अपने टी0ए0 बिल में करते हैं तो उन्हें बिल के साथ रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।

(3) प्रथम श्रेणी का किराया चार्ज करने वाले व्यक्तियों को अपने बिल में टिकट नम्बर व तिथि अंकित करना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में प्रथम श्रेणी का किराया देय न होगा।

दैनिक भत्ते की दरें नगरों की श्रेणी के आधार पर

(3) दैनिक भत्ता :–

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (सी) (1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर अब निम्नलिखित पुनरीक्षित दरों लागू होंगी :–

सरकारी सेवक का वर्ग	साधारण दर	"ख" वर्ग के नगरों के लिये	"क" वर्ग के नगरों के
	स्तम्भ 3–4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए	जिससे नगर पालिकायें तथा कैन्टोमेंट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहाँ कहीं विद्यमान हो, सम्मिलित होगी– मुरादाबाद,अलीगढ़,झाँसी, सहारनपुर,मथुरा,रामपुर, मिर्जापुर,शाहजहांपुर, हरिद्वार,फैजाबाद,फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर,फरूर्खाबाद।	लिये दरें जिसमें नगरपालिकायें तथा केन्टोमेंट और निकट–वर्ती नोटीफाइड एरियाज जहाँ कही विद्यमान हों सम्मिलित होगी–कानपुर,लखनऊ, आगरा,वाराणसी, बरेली, इलाहाबाद,गोरखपुर, मेरठ,नैनीताल,मंसूरी, देहरादूनऔरगाजियाबाद।
1	2	3	4
1–रू016,400 प्रतिमाहया उससे अधिक वेतन पाने वाले	रू0100.00	रू0 125.00	रू0 155.00
2–रू0 8,000 से रू016,399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रू0 90.00	रू0 110.00	रू0 140.00
3–रू0 6500 से रू07,999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रू0 80.00	रू0 95.00	रू0 120.00
4–रू0 4000 से रू06,499 तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले	रू0 65.00	रू0 80.00	रू0 100.00
5–रू03,999 प्रति–माह तक वेतन पाने वाले	रू0 40.00	रू0 50.00	रू0 65.00

उपरोक्त तालिका के "क" वर्ग के नगरों में रू0 80 या इससे अधिक दैनिक भत्ता पाने वाले सरकारी सेवको को जिन्हें अन्य संस्थान अथवा होटल में ठहरना पडे पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दर दैनिक भत्ता देय होगा।

क्रम	वेतन सीमा	दैनिक भत्ते की दरें
1–	रू0 16,400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	400/–
2–	रू0 8,000 से रू0 16,399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	300/–

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था मोडल्ड टैरिफ पर उपलब्ध है रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, देय होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के दिये गये किराये से है। भोजन पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होगा, वास्तविक व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिबन्ध है, वह यथावत् रहेंगे।

राजाज्ञा संख्या ए–1–4309/पन्द्रह–1534–1963, दिनांक 15 अप्रैल, 1967 के अनुसार जिन परिषदीय कार्यो के लिए पारिश्रमिक देय है, उन कार्यो के सम्पादनार्थ राजकीय, गैर सरकारी एवं सेवा से निवृत्त सभी व्यक्तियों को दैनिक भत्ता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

9– राजाज्ञा संख्या म0–1653/15(7)–1607(76)–71, दिनांक 5 जून, 1974 के अनुसार परिषद की परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्यो पर नियुक्त किये जाने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों श्रेणी के व्यक्तियों को उनके द्वारा इन कार्यो के सम्पादनार्थ की गई यात्राओं के सम्बन्ध में रेल/बस किराया, प्रासंगिक व्यय तथा रोड माइलेज शासन द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के अन्तर्गत समय–समय पर निर्धारित दर से देय होगा।

10– प्रयोगात्मक परीक्षक, उत्तर पुस्तकों का अंकानुसंधान (तुलनात्मक तथा परिनिरीक्षण) परीक्षा केन्द्र–व्यवस्थापक, कक्ष–निरीक्षक इत्यादि कार्यो के सम्पादनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है। अतः इन प्रयोजनों पर, जिन्हें यात्रा करनी पड़ती है, उन्हें यात्रा–भत्ता का भुगतान कम 8 तथा 9 पर दिये गये राजाज्ञाओं के अनुसार देय हैं।

11– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना एक ही दिशा में दुबारा यात्रा प्रयोगात्मक परीक्षक अथवा केन्द्र निरीक्षक कदापि न करें अन्यथा उनके बिल में से अनाधिकृत यात्रा का व्यय काट दिया जायेगा। प्रयोगात्मक परीक्षक परीक्षा सम्पादित करने की तिथियों को प्रत्येक केन्द्र के प्रधानाचार्य से हस्ताक्षरित व सत्यापित संलग्न प्रपत्र पर अवश्य करा लें, तथा उसे मूलरूप में यात्रा–भत्ता बिल के साथ संलग्न

करें। यात्रा–भत्ता बिल भुगतान हेतु सचिव के पास प्रेषित करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अपने बिल की प्रविष्टियों को विशेष कर निम्नलिखित की भलीभांति जॉच कर लें :–

(क) बिल के निर्धारित स्थानों पर नाम, पद, मासिक, वेतन (महंगाई–भत्ता छोड़कर) व पता अंकित है अथवा नहीं,

(ख) बिल में यात्रा की तिथि व समय ठीक से लिख गया है अथवा नहीं,

(ग) बिल के दोनों प्रतियों में निम्नलिखित प्रमाणकों में से जो लागू होते है, उन्हें अंकित कर उनके नीचे हस्ताक्षर किए है अथवा नहीं।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :–

(1) मैने रेल/बस यात्रा उसी श्रेणी में की है, जिसका किराया बिल में सम्मिलित है।

(2) सड़क यात्रा किये के वाहन पर की गई।

(3) दैनिक भत्ता केवल उन्हीं दिनों का मागा है, जिन दिनों राजकीय कार्य किया गया है।

(4) इन यात्राओं का भुगतान इसके पूर्व प्राप्त नहीं किया है और न भविष्य में मांगा जायेगा।

(5) किसी स्थान के लिए (जिसकी यात्रा उसमें की गई है) रियायती वापसी टिकट उपलब्ध नहीं था।

(6) सडक भत्ता केवल उन्हीं स्थानों का मांगा है, जो स्थान रेल अथवा बस से जुडे नहीं है।

(7) मैने सड़क यात्रा अपनी निजी मोटर/किराये की मोटर द्वारा सम्पादित किया हैं तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 3 के नियम 27 (बी) (1) के अनुसार पेट्रोल आदि का व्यय वहन/भुगतान किया है।

(8) यात्रा जनहित में की गई है।

12– संलग्नकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित का भी विशेष ध्यान रखें :–

(1) प्रत्येक व्यक्ति मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का विवरण अपने प्रधानाचार्य से सत्यापित करा कर बिल के साथ संलग्न करें।

(2) ऐसे व्यक्ति जो द्वितीय श्रेणी में बर्थ/सीट का आरक्षण करा कर यात्रा करते है और उसका क्लेम अपने टी0ए0 बिल में करते हैं तो उन्हें टिकट नम्बर अंकित करना आवश्यक है।

(3) प्रथम श्रेणी का किराया चार्ज करने वाले व्यक्ति को अपने बिल में टिकट नम्बर व तिथि अंकित करना आवश्यक है अन्यथ उसके अभाव में प्रथम श्रेणी का किराया देय नहीं होगा।

पारिश्रमिक की दरें

(1) जहॉ इसके प्रतिकूल प्राविधान न हो, समस्त दशाओं में दरों में पेकिंग और डाक व्यय आदि के आकस्मिक व्यय सम्मिलित रहेंगे।

(2) जो अधिकारी अपने सरकारी पद के रूप में डाक के सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। उनसे अनुरोध है कि वे परिषद के अपने परिश्रमिक कार्यो सम्बन्धी भेजे जाने वाले पत्रों या पैकेटो में उनका उपयोग न करें।

(3) यदि प्रश्न–पत्र बनाने वाले का प्रश्न–पत्र परिमार्जको की परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो प्रश्न–पत्र बनाने वाला कोई पारिश्रमिक पाने का अधिकारी न होगा।

क्रम–संख्या	कार्य का विषय	दर	स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
1	2	3	
1–	उप प्रधान परीक्षक		
	(क) हाईस्कूल	150 रूपये प्रति परीक्षक	राजाज्ञा सं0 1883 / 15–7–1(239) /
	(ख) इण्टरमीडिएट	175 रूपये प्रति परीक्षक	1991 दिनांक 21–4–98(1998 से प्रभावी)
2–	परीक्षको को वाहन व्यय		
	(क) स्थानीय परीक्षक	10 रूपये प्रतिदिन	राजाज्ञा सं0 1509 / 15–7–1(239) / 91 दिनांक 22–4–97
3–	बण्डल वाहको का पारिश्रमिक	06 रूपये प्रतिपाली	
4–	परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत तृतीय / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पाली वार पारिश्रमिक		
	(क) तृतीय श्रेणी कर्मचारी	03 रूपये प्रतिपाली प्रति कर्मचारी	
	(ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02 रूपये प्रतिपाली प्रति कर्मचारी इस प्रतिवन्ध के साथ कि प्रति दो कक्ष या 100 परीक्षार्थियों पर एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जायेगी।	
5	प्रश्नपत्र निर्माण		
	(क) हाईस्कूल	300 रूपये प्रति प्रश्नपत्र	
	(ख) इण्टरमीडिएट	400 रूपये प्रति प्रश्नपत्र	
	~~(ग) अनुवाद~~	100 रूपये प्रति प्रश्नपत्र	

6—	परिमार्जन कार्य		
	(क) हाईस्कूल	150 रूपये प्रत्येक प्रश्नपत्र के एक सेट के लिये	
	(ख) इण्टरमीडिएट	200 रूपये प्रत्येक प्रश्नपत्र के एक सेट हेतु	
7—	उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच		
	(क) हाईस्कूल	03 रूपये प्रति उत्तर पुस्तक या न्यूनतम 100/—	राजाज्ञा सं0 1462/15—7—2001—1(239)
	(ख) इण्टरमीडिएट	04 रूपये प्रति उत्तर पुस्तक या न्यूनतम 100/—	/91 दिनांक 29—3—2001
8—	प्रयोगात्मक परीक्षा		
	(क) इण्टरमीडिएट क्रियात्मक एवं मौखिक (वाह्य परीक्षा)	04 प्रति उत्तर पुस्तक	राजाज्ञा सं0 415/15—7—98—1(239)/ 91 दिनांक 23—3—98
	(ख) प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षक के प्रधान परीक्षकत्व	50 रूपये प्रति 100 परीक्षार्थी न्यूनतम 200/—	,, ,,
9—	केन्द्र व्यवस्थापक		
	(क) 250 परीक्षार्थी तक	300 रूपये	,, ,,
	(ख) 251 से 500 परीक्षार्थी तक	400 रूपये	
	(ग) 501 से 1000 परीक्षार्थी तक	500 रूपये	
	(घ) 1000 से ऊपर परीक्षार्थी	600 रूपये	
	(ड.) अतिरिक्त केन्द्रव्यवस्थापक	250 रूपये	
10—	कक्ष निरीक्षक	12 रूपये प्रति पाली	,, ,,
11—	वाह्य संस्था से नियुक्त महिला कक्ष निरीक्षकों हेतु सवारी भाड़ा	20 रूपये प्रति पाली	राजाज्ञा सं0 288/15—7—1(239)/91 दिनांक 15—3—2001
12—	संकलन केन्द्र		
	(क) मुख्य नियंत्रक	25 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 600/—	राजाज्ञा सं0 415/15—7—98—1(239)/
	(ख) उप नियंत्रक	20 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 500/—	91 दिनांक 23—3—98
	(ग) सह उप नियंत्रक	16 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 400/—	
	(घ) कोठारी	15 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 400/—	
	(ड.) लिपिक	10 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 250/—	
	(च) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 150/—	
	(छ) आकस्मिक व्यय	1500 रूपये प्रति संकलन केन्द्र	

13–	उप संकलन केन्द्र		
	(क) मुख्य नियंत्रक	25 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 500/–	राजाज्ञा सं0 415/15–7–98–1(239)/91 दिनांक 23–3–98
	(ख) उप नियंत्रक	20 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 350/–	
	(ग) सह उप नियंत्रक	16 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 300/–	
	(घ) कोठारी	15 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 300/–	
	(ड.) लिपिक	10 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 130/–	
	(च) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 80/–	
	(छ) आकस्मिक व्यय	800 रूपये प्रति उपसंकलन केन्द्र	
14–	मूल्यांकन केन्द्र		
	(क) मुख्य नियंत्रक	2 रूपये प्रतिपरीक्षक अधिकतम 800/–	राजाज्ञा सं0 415/15–7–98–1(239)/91 दिनांक 23–3–98
	(ख) उप नियंत्रक	2 रूपये प्रतिपरीक्षक अधिकतम 600/–	
	(ग) सह उप नियंत्रक	1.75 रूपये प्रतिपरीक्षक अधिकतम 500/–	
	(घ) सह कक्ष नियंत्रक	25 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 350/–	
	(ड.) तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 250/– प्रति लिपिक	
	(च) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 150/– प्रति व्यक्ति	
	(छ) आकस्मिक व्यय	15 रूपये प्रतिपरीक्षक	
15–	परीक्षा केन्द्र का केन्द्र व्यय	2.50 रूपये प्रति परीक्षार्थी	राजाज्ञा सं0 415/15–7–98–1(239)/91 दिनांक 23–3–98
16–	बंडल वाहकों का पारिश्रमिक	6 रूपये प्रति पाली	राजाज्ञा सं0 1509/15–7–1(239)/91 दिनांक 22–4–97
17–	अनुचित साधन प्रयोग की की उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच।		
	(क) हाईस्कूल	4 रूपये प्रति उत्तर पुस्तक	राजाज्ञा सं0 415/15–7–98–1(239)/91 दिनांक 23–3–98
	(ख) इण्टरमीडिएट	6 रूपये प्रति उत्तर पुस्तक	
18–	अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरणें के निस्तारण के लिये आने वाले समिति के सदस्यों को मानदेय।	50/– प्रति दिन प्रति व्यक्ति	राजाज्ञा सं0 415/15–7–98–1(239)/91 दिनांक 23–3–98

19–	स्क्रूटिनी (संनिरीक्षा)	100 रूपये प्रति 100 उत्तर पुस्तक	
20–	तुलनात्मक संनिरीक्षा (क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर)	25 रूपये प्रति हजार उत्तर पुस्तक	
21–	प्रश्नपत्रों की समीक्षा तथा मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र निर्देश तैयार करना (क) हाईस्कूल (ख) इण्टरमीडिएट	 75 रूपये प्रति प्रश्नपत्र 100 रूपये प्रति प्रश्नपत्र	 राजाज्ञा सं0 288/15–7–1(239)/91 दिनांक 15–3–2001
22–	आन्तरिक निरीक्षण दस्ते के सदस्यों तथा सचलदल के सदस्य	10 रूपये प्रतिपाली	राजाज्ञा सं0 4338/15–7–1(73)/94 दिनांक 17–10–95
23–	माध्यमिक शिक्षा परिषद के लोगो को संनिरीक्षा समिति को संनिरीक्षा कार्य में प्रत्येक प्रकार के सहायता करने का पारिश्रमिक(उ0पु0 का अरेन्जमेंट)	5 रूपये प्रति हजार उत्तर पुस्तक	राजाज्ञा सं0 मा0/1494/15–7–1–1607/82/71 दि0 28–3–80
24–	इण्टरमीडिएट कालेजो के गेरसरकारी निरीक्षकों को पारिश्रमिक	20 रूपये प्रतिदिन अधिकतम 60/–	राजाज्ञा सं0 मा0/1143/15–7–1(24)/73 दिनांक 21–6–73
25–	माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उसकी समितियों के स्थानीय सदस्यों को देय वाहन व्यय	5 रूपये प्रति ट्रिप	राजाज्ञा सं0 7554/15–7–1(108)/80 दिनांक 21–11–88
26–	उ0पु0 की स्क्रीनिंग(मार्जन) का पारिश्रमिक	25 पैसे प्रति उत्तर पुस्तक	राजाज्ञा सं0 2347/15–7–92–1(239) 1991 दिनांक 2–5–1992
27–	उत्तर पुस्तिकाओं के अंकेक्षण कार्य का पारिश्रमिक		राजाज्ञा सं0 4279/15–7–2000–1(20) 2000 दिनांक 16–4–2001

टीप– अंकेक्षण के फलस्वरूप जिन परीक्षकों की कापियों में त्रुटि आयेगी उनके पारिश्रमिक से निम्नानुसार कटौती की जायेगी :–

क– जिन परीक्षकों का मूल्यांकन 0.5 प्रतिशत तक त्रुटिपूर्ण पाया जाये उनके पारिश्रमिक से 25 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

ख– जिनका मूल्यांकन 01 प्रतिशत तक त्रुटिपूर्ण पाया जाये उनके पारिश्रमिक से 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

ग– जिनका मूल्यांकन 02 प्रतिशत तक त्रुटिपूर्ण पाया जाये उनके पारिश्रमिक का 85 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा उन्हें तीन वर्ष के लिये मूल्यांकन हेतु अयोग्य घोषित किया जायेगा।

28– पारिश्रमिक की सीमा निर्धारण परिषदीय परीक्षाओं से संबंधित पारिश्रमिक तथा विभिन्न स्रोतों से मिलाकर — 10,000 रूपये — राजाज्ञा सं0 4276/15–7–2001–1(239) 91 दिनांक 13–8–2001

रेलवे स्टेशन से कचेहरी की दूरी

क्रम	जिले का नाम	रेलवे स्टेशन का नाम	कचेहरी से दूरी(कि0मी0)	बस स्टेशन का नाम	कचेहरी से दूरी
1	2	3	4	5	6
1–	आगरा	आगरा किला	2.0	आगरा	1.2
		आगरा सिटी	3.0		
		आगरा कैण्ट	4.0		
		आगरा ईदगाह	2.0		
		राजा की मंडी	3.0		
2–	अलीगढ़	अलीगढ़	1.5	अलीगढ़	3.2
3–	इलाहाबाद	इलाहाबाद जंक्शन	4.6	जीरो रोड़	4.0
		सिटी रेलवे स्टेशन	4.7	सिविल लाइन्स	2.6
		प्रयाग रेलवे स्टेशन	2.0		
4–	आजमगढ़	आजमगढ़	3.4	आजमगढ़	0.8
5–	बहराइच	बहराइच	3.0	बहराइच	1.2
6–	बलिया	बलिया	1.5	बलिया	0.5
7–	बांदा	बॉदा	0.8	बॉदा	0.3
8–	बाराबंकी	बाराबंकी	0.9	बी0डी0 रोड़	0.8
				नाका सतारिख	2.0
9–	बरेली	बरेली जंक्शन	1.1	बरेली	2.0
		बरेली सिटी	2.4		
10–	बस्ती	बस्ती	6.0	बस्ती	3.4

11–	विजनौर	विजनौर	2.0	बिजनौर	0.2
12–	बदायूँ	बदायूँ	1.2	बदायूँ	0.8
13–	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	1.7	बुलन्दशहर	1.8
14–	देवरिया	देवरिया	2.2	देवरिया	0.1
15–	इटावा	इटावा	1.3	इटावा	2.0
16–	एटा	एटा	2.7	एटा	1.2
17–	फतेहपुर	फतेहपुर	0.7	फतेहपुर	3.1
18–	फरूर्खाबाद	फरूर्खाबाद	8.0	फतेहगढ़	0.4
		फतेहगढ़	2.0		
19–	फैजावाद	फैजावाद	1.2	फैजाबाद	0.6
20–	गाजीपुर	गाजीपुर शहर	1.3	गाजीपुर	1.2
		ताड़ीघाट	3.0		
21–	गोण्डा	गोण्डा	5.3	गोण्डा	2.2
		गोण्डा कचेहरी	2.2		
22–	गोरखपुर	गोरखपुर	1.5	रेलवे बस स्टेशन	1.2
				कचेहरी	0.3
23–	गाजियाबाद	गाजियाबाद	4.0	कचेहरी	2.0
		नया गाजियाबाद	1.5		
24–	हमीरपुर	हमीरपुर रोड़ स्टेशन सेण्ट्रल रेलवे	10.4		
25–	हरदोई	हरदोई	1.4	हरदोई	0.6
26–	जालौन(उरई)	उरई	2.4	उरई से झांसी मार्ग का बस	1.9
				स्टेशन,उरई से कालपी,कोंच,	0.8
				जालौन एवं कोटरा मार्ग के	
				बस स्टेशन उरई से राठ मार्ग	3.2
				का बस स्टेशन	
27–	जौनपुर	जौनपुर जंक्शन	9.0	जौनपुर	1.0
		जौनपुर सिटी	3.5		
		जौनपुर कचेहरी	2.0		
28–	झांसी	झांसी	3.2		
29–	कानपुर	कानपुर सेण्ट्रल	3.2	चुन्नीगॅज	2.8
		अनवरगॅज	4.2	कलेक्टरगॅज	2.8
		रावतपुर	6.8		
30–	लखीमपुर–खीरी	लखीमपुर–खीरी	1.5	लखीमपुर–ख़ीरी	1.3
31–	लखनऊ	लखनऊ जंक्शन	3.0	चारबाग	3.0
		ऐशबाग	3.0		
		बादशाहनगर	3.0		

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-12814
Date 21-8-2006
NIEPA DC
D12814

		डालीगंज	2.0		
		लखनऊ शहर या आगामीर की ड्योढी	2.0		
32–	ललितपुर	ललितपुर	1.5	कचेहरी	1.6
33–	मैनपुरी	मैनपुरी	3.2	मैनपुरी	2.4
		कचेहरी स्टेशन	3.0		
34–	मेरठ	मेरठ शहर	5.3	मेरठ	2.1
		मेरठ कैण्ट	4.7		
35–	मिरजापुर	मिरजापुर	3.0	मिरजापुर	3.0
36–	मथुरा	मथुरा कैण्ट	1.9	मथुरा	2.0
		मथुरा जंक्शन	3.4		
37–	मुरादाबाद	मुरादाबाद	2.0	मुरादाबाद	3.0
38–	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	1.1	मुजफ्फरनगर	0.6
39–	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	3.0	प्रतापगढ़	1.0
40–	पीलीभीत	पीलीभीत	5.0	पीलीभीत	5.0
41–	रायबरेली	रायबरेली	2.6	रायबरेली	1.8
42–	रामपुर	रामपुर	1.6	रामपुर	1.2
43–	सहारनपुर	सहारनपुर	1.8	सहारनपुर	1.8
44–	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	1.8	शाहजहाँपुर	1.0
45–	सीतापुर	सीतापुर कचेहरी	1.0	सीतापुर	1.1
		सीतापुर शहर स्टेशन	2.2		
		सीतापुर कैण्ट	2.4		
46–	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	1.0	सुल्तानपुर	0.4
47–	उन्नाव	उन्नाव	0.6	उन्नाव	0.8
48–	वाराणसी	वाराणसी कैण्ट	2.5	वाराणसी कैण्ट	2.6
		वाराणसी सिटी	4.8	विशेशरगंज(गोल गडडा)	5.5
		काशी	6.6		

पी०एस०यू०पी०-172 मा०शि०प०-29-1-04-11,000 (आफसेट)